Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ६० वां दिवस [संख्या २८

शनिवार, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६४

(प्रातःकालीन)

विधान सभा की बैठक म.पू. ८ बज कर ३६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कुशलगढ़ में पुलिस द्वारा नागरिकों को पीटने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्ताव आये हैं। कुशलगढ़ के बारे में दिनांक २६ अक्टूबर को कुशलगढ़ में पुलिस द्वारा वहां के कतिपय नागरिकों के पीटे जाने आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है। इसका सम्बन्ध विधि और व्यवस्था से है व यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही आज स्थगित करके इस पर विचार किया जाय; अतः मैं आज इसे सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं करता।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री कुशलगढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में आज एक वक्तव्य दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद कल माननीय सदस्य ने मोशन रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, २६ तारीख को रखा है।

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : नहीं, कल दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : कल रखा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): घटना कल की है और कल ही रखा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कल चलते वक्त माननीय सदस्यों ने मुझे कहा था। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं ज्यादा से ज्यादा तेजी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

भी करूं तो भी आज पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। इसलिए कल मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। एक दिन का मौका मिलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपका स्टेटमेंट बंगले पर होगा या सेक्रेट-रियेट में?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर आप स्वीकार कर लें तो मैं आपके कमरे में आकर भी दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : शाम तक दे दिया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शाम तक मैं प्रयत्न करूंगा। जानकारी मिल गई तो मैं दे दूंगा। मेरी विलम्ब करने की प्रवृत्ति नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो कांड हुआ है, इस कांड की जानकारी मैंने कल मुख्यमंत्री-जी को पांच बजे दी। मुझे चार बजे हीराभाई से ट्रंक कॉल आया कि यह कांड हुआ है और अभी तक आपको जानकारी नहीं मिल पाई है, इससे मालूम पड़ता है कि हुकूमत कोई है नहीं कोई हमला हो जाय और आप मंत्री यहां बैठे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां ट्रंक कॉल से बात हो सकती है वहां आप चुप बैठे रहे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपको कन्विंस करने के लिए फैक्ट्स रख सकता हूं कि क्या प्रयत्न किए गए। रात भर हम उसी के डिस्पोज़ल पर रहे। ८ बजे हम यहां हाजिर हो गए।

श्री उपाध्यक्ष : यदि हो सके तो आप शाम तक....

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया कि सारा दिन मैं प्रयत्न में रहूंगा कि सारी जानकारी मिले और आपको विश्वास दिलाता हूं कि शाम तक ऑल थिंग्स बींइंग क्लीयर, स्टेटमेंट देने की कोशिश करूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझसे कल ट्रंक कॉल से बात हो गई। खेद इस बात का है मंत्री महोदय की बातचीत न हो सकी। मेरी इन्फोर्मेशन इस प्रकार है कि कई लोगों के सिर फोड़ दिए गए, उनको बेरहमी के साथ पीटा गया, हालत बुरी हो गई है, कुशलगढ़ में हड़ताल है और उसके साथ साथ तीन आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इतनी बड़ी बात हो जाने के बावजूद सरकार को पता नहीं तो सरकार इसको दबाना चाहती है। हीराभाई जो वहां के एम. एल. ए. हैं उन्होंने यह इन्फोर्मेशन दी है। मेरी रात को उनसे बातचीत हो सकी है। चीफ मिनिस्टर खुद को मैंने बता दिया। आपको रात का समय मिला, सवेरे का समय मिला। अगर अब भी नहीं आप बता सकते तो फिर स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या? उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी तरफ से व्यवस्था दें कि १२ बजे से ३ बजे तक यह जानकारी हमें दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय शाम तक हो सके तो इस बारे में तथ्य इकठ्ठे करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: तीन बजे वक्तव्य दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : 'हो सके, का मतलब सारे तथ्य अगर इकट्ठे हो जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितनी इन्फोर्मेशन मिले।

श्री मुरलीधर व्यास : डिप्टी सेक्रेटरी साहब को फोन आया।

शादुल टैक्सटाइल मिल्स, गंगानगर विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री रामानंद अग्रवाल, श्री केदारनाथ, श्री मुरलीधर व्यास, श्री मानिकचन्द सुराणा, श्री हरिराम चौहान और श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने शादुल टैक्सटाइल मिल्स, गंगानगर, के मेनेजमेंन्ट द्वारा मजदूरों से रविवार को भी काम लेने संबंधी एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इस मामले का संबंध कानूनी नियमों से है और इस संबंध में विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायगी। यह इतना अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित करके इस पर विचार किया जाय। अतः मैं इसको सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत देने में असमर्थ हूं।

यदि श्रम मंत्री के पास जानकारी उपलब्ध हो गई हो तो कृपया माननीय सदस्यों की सूचना हेतु स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री मथुरादास माथुर : यह कहा गया है कि शादूल टैक्सटाइल मिल्स, गंगानगर के मजदूरों को रविवार को भी काम करने को मजबूर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है।

फैक्ट्रीज़ एक्ट की धारा ५२ के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक मजदूर को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिले, पर यह आवश्यक नहीं है कि सब मजदूरों को एक ही दिन छुट्टी मिले और फैक्टरी सप्ताह में एक दिन बंद रहे। फैक्ट्री के मैनेजमेंट द्वारा यह निश्चित् किया जा सकता है कि अमुक अमुक मजदूरों को सप्ताह में अमुक अमुक दिन छुट्टी दी जायगी। जहां फैक्टरी में सप्ताह में सातों दिन काम होता है वहां फैक्ट्री के कुल ११७ मजदूरों को सप्ताह के हर दिन छुटी दी जाती है। ऐसा करने के लिए मजदूरों की संख्या में भी वृद्धि की जाती है।

संकटकालीन परिस्थितियों में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से व मशीनरी का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से सप्ताह में सातों दिन फैक्टरी चलाने का सुझाव भारत सरकार के उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस प्रकार कार्य करने से न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी वरन् अतिरिक्त श्रमिकों को भी काम मिलेगा।

राजस्थान की कई कपड़ा मिलों—जैसे जयपुर स्पिनिंग मिल, किशनगढ़ मिल तथा गोपाल इंडस्ट्रीज़, कोटा में सातों दिन काम होता है। कुछ और उद्योग भी सातों दिन काम करते हैं। यदि फैक्ट्रीज़ एक्ट तथा श्रम कानूनों का पालन करते हुए फैक्ट्री के प्रबन्धक कारखाना सातों दिन चलायें और सप्ताह में किसी न किसी दिन प्रत्येक मजदूर को छुट्टी मिल जाय, तो ऐसा न करने से उन्हें कैसे मजबूर किया जा सकता है? अतः श्रमिकों में असन्तोष होने या विषम स्थिति पैदा होने का कोई कारण समझ में नहीं आता। फिर भी श्रम विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे व्यवस्थापकों तथा श्रमिकों

Page No. 4

(श्री मथुरादास माथुर)

से मिलकर इस समस्या का उचित हल निकालने का प्रयत्न करें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं अर्ज करूं कि इस मिल का मालिक इतना एडेमेंट है, २७ मई को जब देश के महान् नेता श्री जवाहरलाल नेहरु स्वर्गवास हो गये उस रोज भी यह फैक्टरी चलती रही और उस रोज ये देश के उत्पादन बढ़ाने की बात करते रहे। कलेक्टर, गंगानगर ने उनसे कहा कि कम से कम आज के दिन तो फैक्ट्री न चलाओ लेकिन उसने उस दिन भी फैक्टरी बंद करने से इन्कार कर दिया और मजदूरों को मजबूर किया। मैं सदन के माननीय सदस्यों के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि ११ लाख रुपये सरकार के इस फैक्टरी के अन्दर इन्वेस्टेड हैं। यह फैक्टरी बोगस अकाउंट्स बता कर लोसेज़ बताती है। मैंने बार-बार कहा है, लेकिन न तो सरकार फैक्टरी का प्री-ऑडिट करवाती है और न ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है, मजदूरों का विक्टीमाइज़ेशन चल रहा है, ६५-६५ दिन की हड़ताल होती है। श्रम मंत्री जब मालिक को बुलाए तो वह आना पसंद नहीं करे और यह कह दे कि राजस्थान की किसी लेबर कौंसिल में आने को वह तैयार नहीं है और इसके बावजूद मजदूरों को मजबूर करता है कि वे सन्डे को आए।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर समझौते से कोई बात होती है, मजदूरों से बातचीत करके कोई बात होती है तो हम भी उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वह एक जबरदस्ती के तरीके से तानाशाही लादना चाहता है और यहां तक स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उसकी लेबर कोलोनी में गंगानगर के विधान सभाई सदस्य, माननीय केदारनाथजी तक भी नहीं जा सकते, लेबर सेक्रेटरी रामसिंह एन्टर नहीं कर सकते, डिफेन्स फन्ड के लिए चन्दा इकट्ठा करने वाले भी एन्टर नहीं कर सकते, यह स्थिति उस मालिक ने बना रखी है।

मैं निवेदन करूंगा श्रम मंत्री और योजना मंत्री से, जो उनकी ओर से बोल रहे हैं, कि वे इस बात का प्रयत्न करें और मजदूरों को मैनेजमेंट की तानाशाही से बचायें।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी भी टैक्सटाइल की इन्डस्ट्रीज़ हैं वे संडे को बन्द रहती हैं। अब राजस्थान में यह बात कह कर कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के पोइन्ट ऑफ व्यू से यदि सात दिन चले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसको छुट्टी नहीं देने की बात है। इतनी बड़ी इन्डस्ट्री में कुछ को छुट्टी देंगे, कुछ को नहीं देंगे, यह लेबर वर्क करेगा और वह नहीं करेगा, इससे तो प्रोडक्शन भी तो नहीं बढ़ेगा, इसलिए इसमें कोई लोजिक नहीं है। दूसरी बात यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी फैसला हो वर्क्स कमेटी है, उनके प्रतिनिधि हैं, वे सब मिल कर फैसला करते हैं और नियम लागू किये जाते हैं; छुट्टियों - प्रिविलेज आदि के बारे में। जहां इस प्रकार की व्यवस्था है तो क्या आपके यहां से उस मिल मालिक को इस प्रकार के अधिकार मिल गये हैं कि वह मनमाने तरीके से अपनी शर्तें मजदूरों पर लाद दे कि नहीं, तुमको यह करना पड़ेगा ? हमारे

Page No. 5

(श्रीमुरलीधर व्यास)

पास ऐसी सूचना है कि उनकी ओर से मजदूरों पर यह कम्पलशन लगाया है कि संडे को भी काम करना पड़ेगा। तो क्या यह वर्क्स कमेटी से मिल कर फैसला किया गया है? यदि हां, तो आप बतायें और ऐसा नहीं हुआ है, नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है वह सरकार को मान्य नहीं करना चाहिये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वर्क्स ओपरेशन में चेन्ज लायें तो कोड ऑफ डिसिप्लिन और ट्रिपारटाइट कॉन्फ्रेंस डिसिज़न्स हैं उनके अन्तर्गत मजदूरों की रजामन्दी लेनी चाहिये? आप यदि यह दावा करें, फैक्ट्रीज़ लॉज़ के तौर पर करते हैं, तो आज लेबर मूवमेन्ट बहुत आगे बढ़ गया है। सैन्ट्रल गवर्मेंट ने बहुत फैसले किये हैं और कोड ऑफ डिसिप्लिन के तहत यह लाजमी हो जाता है कि जब वर्किंग कन्डिशन्स में चैन्ज लायें, मालिक की तरफ से सरकार इन्टरवीन करे, यदि मजदूरों की रजामन्दी नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट ने इन्टरवीन नहीं किया और यह फैसला किया कि जब तक मजदूर राजी नहीं है सन्डेज पर वर्क करने के लिए; आप सन्डेज़ को काम मत लीजिये; ऐसी स्थिति में मालिक जबरदस्ती संडे को काम चलाता है तो बुरी चीज़ है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार इन्टरवीन करे और जब तक मजदूर एग्री न कर लें सन्डेज को न चलायें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में आपके यह समझ में नहीं आया। जहां तक एडजोर्नमेंट मोशन का सवाल है, इतवार को काम करने का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां पर सात दिन काम करायें तो यह प्रोडक्शन की दृष्टि से है, उनको आल्टर्नेट डे की दृष्टि से काम करवा कर एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वेस्ट होगा। वे इसको समझ नहीं पाये। इसका मतलब मैं उनको समझाऊं कि यह एक्स्ट्रा लेबर रखने की बात है। उनको रखना पड़ता है। एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। एक संडे आप काम करते हैं, एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को। इस प्रकार पूरा दिन छुट्टी का मिल जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : Point of information, Sir, आप कहते हैं, एक्स्ट्रा लेबर रहता है, जब मिल चालू रहता है तो एक्स्ट्रा लेबर कहां रहता है?

श्री मथुरादास माथुर : आप नहीं समझे। आपने यों ही उस पर दस्तखत कर दिये। वह बराबर चल रहा है। सरकार का काम है कि फैक्ट्री लॉज़ की पाबन्दी कराये, वह बराबर हो रही है। अब रह गया सवाल कि मजदूरों की यूनियन या वर्क लेबर कमेटी बनी हुई है उसको कॉन्फिडेन्स में लाकर किया जाय जिससे मालिक और मजदूरों के बीच में स्नेह रहे। मालिक आता नहीं है, यह आपका भ्रम है। जिसको हम बुलायें आता है और आना पड़ता है! मैं शुगर फैक्ट्री के सिलसिले में गंगानगर गया था। मेरे से मालिक उसके मिलने आये थे। कोई गलती हो, कानून की गलती हो, बॉलबियरिंग के मामले में देखा होगा कि बड़े से बड़े के खिलाफ भी सरकार एक्शन ले सकती है। होना चाहिये

(श्री मथुरादास माथुर)

कानूनी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन न घटे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन की छुट्टी जरूर मिलेगी। संडे की छुट्टी का तो अंग्रेजों के जमाने से है कि चर्च में जाया करते थे। संडे के रोज छुट्टी इसलिए कि मजदूर कपड़े धोयें, बच्चों–बीबी की देखभाल करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बजरंग बली वाले दिन छुट्टी कर लो।

श्री मथुरादास माथुर : कोई हनुमानजी को मानते हैं, ब्रह्मचारी हैं वे हनुमानजी को मानते हैं, जो नहीं हैं, वह नहीं मानते। कोई गणेशजी को मानते हैं इसीलिए बुधवार को कर दो। आप देख लीजिये, बजरंगबली को मानने वाले कॉम्युनिस्ट होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हनुमान भी कॉम्युनिस्ट थे।

श्री मुरलीधर व्यास : राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है उससे आपको संतोष होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न को योजना मंत्री ईवेड कर गये। पहले सब मजदूरों को एक दिन की छुट्टी रहती थी और एक्सीडेन्टली संडे होता था। अब आप सात दिन चलाना चाहते हैं। अगर इस प्रकार वर्किंग कन्डीशन्स में चेन्ज करना चाहते हैं तो डाइरेक्ट लेबर यूनियन की कन्सेन्ट से होना चाहिये। लेबर एग्रीड नहीं है और बगैर उसकी कन्सेन्ट के कर रहे हैं, इसीलिए इसमें गवर्नमेंट को इन्टरवीन करना चाहिये और गवर्नमेंट ने कह दिया कि जब तक लेबर यूनियन एग्री न करे वही पूर्व कन्डीशन्स जारी रखी जाय। फिर भी हैरेस्मेन्ट कर रहे हैं। इसीलिए सरकार इसमें इन्टरवीन करे, आप उनको बुलायें। मजदूर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा उन्होंने कोऑपरेट किया है और करेंगे। लेकिन वे तानाशाही पसन्द नहीं करते। उस फैसले के खिलाफ वह मालिक कर रहा है इसीलिए आप इसमें इन्टरवीन करें। ट्रिपर्टाइट कॉन्फ्रेन्स में जो निर्णय किये गये उनको लागू किया जाय। मजदूर मान रहे हैं और मिल मालिकों से मनवाये।

श्री उपाध्यक्ष : No other...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई उत्तर तो आया ही नहीं उनकी ओर से इस पर।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार ने उत्तर दे दिया है। आपने बात कह दी, सरकार बहरी थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : They will be looked into.

(८. ५७ म.पू.)

नवलपुरा ग्राम (जि० भीलवाड़ा) के तालाब से भूमि की सिंचाई सम्बन्धी

स्थगन–प्रस्ताव

तीसरा स्थगन—प्रस्ताव। भीलवाड़ा जिले में नवलपुर गांव के तालाब से नागौर तथा नवलपुरा गांवों की भूमि की सिंचाई से सम्बन्धित एक स्थगन—प्रस्ताव की सूचना श्री सम्पतिलाल बोहरा, सदस्य विधान सभा ने

Page No. 7

(श्री उपाध्यक्ष)

दी। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है इसीलिए मैं सदन में इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता; फिर भी सम्बन्धित मंत्री से कहूंगा कि उनके पास तथ्य हों तो इस सूचना पर प्रकाश डाल दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सम्बन्धित मंत्री कौन हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : कुछ समय चाहिये।

प्लानिंग के मातहत इर्रिगेशन भी बहुत बड़ा कम्पोनेंट है इसीलिए मुझे अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : Call Attention Notices.

श्री भैरोंसिंह : उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्तावक स्वयं नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं हूं। वे भीखाभाई को रिप्लेस कर सकते हैं तो इसमें क्या एतराज है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

(६.०० म. पू.)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी भी जोइन्ट रेस्पोन्सीबिलिटी है, कलेक्टिव रेस्पोन्सीबिलिटी है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत यह नहीं है। यथावत् हो तो सरकार जरूर प्रकाश डालेगी।

श्री भैरोंसिंह : सरकार जवाब तो दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जवाब तो देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा मालूम होता है कि जवाब ही नहीं आ रहा है और सरकार ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : सरकार आज भी है और पहले भी थी। इस बार नहीं तो दूसरी बार में दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : कब देंगे जवाब ?

श्री मथुरादास माथुर : नैक्स्ट वर्किंग डे।

श्री भैरोंसिंह : वह तो है ही नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : I cannot reply in vacuum, Sir.

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आपके ऑर्डर्स को ट्रेज़री बेन्चेज़ थ्रो आउट करें, यह उचित नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : We had not received any orders from the Speaker that it should be replied today.

श्री भैरोंसिंह : स्पीकर साहब का यह कहना था कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देना चाहें तो समझदार आदमी के लिए पर्याप्त है।

श्री मथुरादास माथुर : समझदार आदमी यह समझते हैं कि जवाब देना है, पर आज दें या कल दें, यह दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह : कल का तो सवाल ही नहीं है। आज के एडजोर्नमेंट मोशन के लिए जवाब देना है। अभी जवाब दें और एडजोर्नमेंट मोशन का सेन्स ही यह है।

श्री मथुरादास माथुर : वह रिजेक्ट होने के बाद में गवर्नमेंट का कम्प्लीट डिस्क्रीशन है कि जवाब दे या नहीं। इसलिए स्पीकर साहब हमेशा यह कहते हैं कि राज्य सरकार यदि चाहे तो उत्तर दे और वे उत्तर देते रहे हैं। लेकिन इसी समय कहा जाये; जैसे कल कुशलगढ़ में हुआ और उसके लिए कहें कि आज और अभी जवाब दो तो यह सम्भव नहीं है। जवाब ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन न हो। इसलिए इसका जवाब दिया जायेगा नैक्स्ट वर्किंग डे पर।

श्री भैरोंसिंह : फिर आप कह दो कि शाम तक जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव होगा तो दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं रूल्स के आधार पर नहीं कहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय की तरफ से कन्वेन्शन ऐसा पड़ गया कि इसी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन उसका अर्थ ट्रेज़री बेन्चेज़ लिट्रेरी तौर पर नहीं लगाती। उसके सेन्स में उसका अर्थ लगाती है कि उत्तर देना है और अध्यक्ष महोदय की तरफ से ऐसी आज्ञा दी जाये कि वे कोई जानकारी देना चाहें तो दें; भाषा का तो वही प्रयोग किया था, लेकिन उसका दुरुपयोग ट्रेज़री बेन्चेज़ कभी नहीं लगातीं, ऐसा ट्रेडीशन है। आज आप उसका लिट्रेरी यूज़ करना चाहें तो उचित नहीं है और आपको उसका उत्तर देना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि इसका उत्तर दिया जावेगा। और जब राज्य सरकार के पास पूरे फिगर्स होंगे तब दे देगी।

श्री उपाध्यक्ष : काल अटेन्शन नोटिसेज़; श्री भगराज चौधरी।'

(९.४ म. मू.)

अन्य स्थगन प्रस्ताव-विषयक

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के बारे में एक एडजोर्नमेंट मोशन और था?

श्री उपाध्यक्ष : It has been disposed of by the hon. Speaker.

श्री भैरोंसिंह : है!

श्री उपाध्यक्ष : It has been disposed of by the hon. Speaker.

श्री भैरोंसिंह : न तो वह हाउस में डिस्पोज़ ऑफ हुआ और न उसकी इत्तला ही मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दे दिये थे कि जो भी एडजोर्नमेंट मोशन बकाया रह गये हैं वे नो-कॉन्फीडेन्स के अन्दर डील कर दिये जायेंगे, इसलिए ऐसा था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम को भी मैंने श्री

(श्री उमराव सिंह डाबरिया)

अध्यक्ष से, जो भीलवाड़ा के भेजा बांध के लिए एडजोर्नमेंट मोशन २२ और २३ ता० को मूव किया था और शाम को अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कल इसका जवाब दिया जायगा, उसका क्या हुआ ? उसका जवाब आना बहुत जरूरी है । कल शाम को ५॥ बजे भी कहा था कि इसका जवाब दिया जावेगा ।

श्री मथुरादास माथुर : हमने नहीं कहा कि कल जवाब दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कॉल एटेन्शन नोटिस !

ग्राम कीटनोद जिला बाड़मेर में डकैती के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के पुलिस थाना समदड़ी के गांव कीटनोद में डकैती से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री (गृह-विभाग) का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ३०-६-६४ को चार व्यक्तियों ने, जिनमें से ३ के पास राइफलें थीं और एक के पास लाठी थी, श्री भोमाराम चौधरी, ग्राम कूंपावास, थाना समदड़ी के मकान को लूटा और ५०६३ रु० का माल ले गये । डाकुओं ने भोमाराम के परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की । यह घटना शाम को ७ बजे व ८ बजे के दरमियान हुई थी । घटना की सूचना सरपंच नरपतसिंह ने तार द्वारा थाना समदड़ी को दी और सर्किल ऑफिसर बालोतरा को भी दी । एस. एच. ओ. व सी. ओ. शीघ्र होर्स के घटनास्थल पर पहुंचे और डाकुओं का पीछा किया गया । डाकुओं के ग्राम की सिवाना पहाड़ियों में छिपने की संभावना थी । वहां पर पुलिस दल द्वारा पूरी छानबीन कर ली गई, परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । इस असफलता का कारण सूचना देरी से (लगभग २४ घंटे बाद) प्राप्त होना हो सकता है क्योंकि इस अवधि में डाकू दल को भाग निकलने का पूरा अवसर मिल गया । इस डकैती में समानिया गैंग का हाथ होने का अनुमान है । पूर्ण प्रयास के बाद भी माल व मुलजिमान का पता न चल सकने के कारण इस केस को अदमपता में फाइनल २०-८-६४ को कर दिया है ।

इन डाकुओं ने उक्त घटना के वक्त पुलिस को सूचना न देने बाबत और पदमसिंह के यहां निकट भविष्य में डकैती डालने बाबत कुछ नहीं कहा था; डाकुओं द्वारा श्री मोटाराम, एक्स एम. एल. ए को कोई धमकी नहीं दी गई परन्तु श्री मोटाराम की प्रार्थना पर उनकी सुरक्षा हेतु व उनके ग्राम में विशेष को प्रबन्ध करने हेतु पुलिस सूचित कर दिया गया है ।

श्री भगराज चौधरी : क्या यह सही है कि पुलिस को इत्तिला दे दी गई, लेकिन पुलिस तुरन्त मौके पर नहीं पहुंची और जब पहुंची तो जिधर डकैत गये थे और जिधर उनके खोज गए थे उधर न जाकर बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में गए और जानबूझ कर उनका पीछा या पकड़ने की कोशिश नहीं की, यह यह सही है ?

Page No. 10

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के पहुंचने के बाद वहां मैंने निवेदन किया कि सिवानिया की पहाड़ियों में उनके छिप जाने की संभावना हुई। पुलिस ने उस ओर पीछा किया और पुलिस ने खोजों को भी तलाश किया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने उनका पीछा नहीं किया।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि........

श्री उपाध्यक्ष : वस्तु स्थिति आप नहीं बतायें, आप केवल प्रश्न पूछ लें।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि क्या पुलिस के लिए यह सम्भव नहीं थाकि जब सरकार खुद मानती है कि डकैती करने के बाद में पास की पहाड़ियों में छिप गये और वहां पर घेरा डाल कर पड़े रहे तो क्या पुलिस के लिए यह लाजिमी नहीं था कि किसी प्रकार से डकैतों को पकड़े और लूटे हुए माल को बरामद करे और इस हिसाब से पुलिस पहाड़ियों का घेरा डालती और उनको पकड़ने के लिए कोशिश करती, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई; इसका क्या उत्तर है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि पुलिस ने डाकुओं का पीछा नहीं किया, यह कल्पना से परे है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : नहीं करती, कई केसेज़ में ऐसा होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको बतलाऊं कि देरी से इत्तला पहुंची। डाकुओं के लिए यह सम्भवना थी कि वे पास की पहाड़ियों में छिपे होंगे। तो पुलिस पहुंचने के बाद में पहाड़ियों तक तो पीछा किया और पहाड़ियां की तलाश की और वहां उनके खोजकुछ अंश तक मिले और उसके बाद बन्द हो गए। इसलिए तलाश करने के प्रश्न पर मैं विश्वास दिलाता हूं पुलिस के और उनके बीच में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि उनको छोड़ते। उनका बराबर पीछा किया गया और उसके बावजूद भी उनका पता नहीं लग सका और पता नहीं लगने का कारण इत्तला की देरी होना है। यह मैंने पहले भी कहा और अब भी यह कह रहा हूं कि पुलिस के बारे में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई कि जिसमें जानबूझकर कोई लैतलाली की हो।

श्री दलपतसिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस ने डाकुओं का पीछा किया, खोज के आधार पर पहाड़ तक पहुँची। तो फिर कितने दिन तक पुलिस ने पोकेटिंग किया उसको, किस तरह से किया; यह बता दें?

श्री मथुरादास माथुर : यह चीज तो मौके पर समझी ओट स्टडो की जा सकती है।

श्री दलपतसिंह : और इतला होने के कितने घन्टे बाद पुलिस रवाना हुई और वहीं उसी वक्त घेरा क्यों नहीं डाला, इतना लम्बा पहाड़ भी नहीं है। बत्तीस मील है बाड़मेर भी। वहां से पुलिस आ सकती थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माथुर साहब, आप गृह मन्त्री थे तब की घटना है क्या यह ?

श्री मथुरादास माथुर : छोटी-मोटी पहाड़ी नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं; ५६ की पहाड़ी है यह। बहुत बड़ी पहाड़ी है, छोटी मोटी भाखरी नहीं है।

श्री दलपतसिंह : उसको पोकेटिंग या प्रोबिंग किया या नहीं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने समय तक सिवाना की पहाड़ियों में डाकू लोग रहे और कितने समय तक उनको घेरने का प्रयत्न किया गया और क्या उस वक्त तक डाकू सिवाना की पहाड़ियों से बाहर निकल गये। मन्त्री महोदय के उत्तर में यह कहीं स्पष्ट नहीं है। डाकुओं ने शेल्टर सीक कर ली पहाड़ियों की और सिवाना की पहाड़ियों से निकल भागना नहीं पाया जाता इनके स्टेटमेन्ट से। इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या प्रयत्न किये, ये बतावें उनके बारे में।

श्री फतहसिंह (चोहटन) : मैं अर्ज करूं कि पुलिस ने डाकुओं के खोज लिए थे या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता था कि डाकुओं के भाग निकलने के कई मौके थे। २४ घंटे देर से इत्तला देना और २४ घंटे में डाकूदल कितना कवर कर सकता है, यह आप अंदाज लगा लीजिये।

दूसरा सवाल यह है कि इत्तला मिलने के बाद में पुलिस कब गई, मैं निवेदन करूं कि फौरन ही गई।

दूसरा यह है कि डाकू किधर जा सकते थे। हमारा अन्दाजा था कि सिवाना की पहाड़ियां ही एक मात्र साधन उनके प्रोटेक्शन का था उस सारे एरिया में। ऐसी सम्भावना थी कि डाकू लोग उधर भागे होंगे। वे डिफेन्स लाइन ले ले और पुलिस को अलग रखते हुए भाग जावें, यह सम्भावना थी; इसलिए उस सम्भावना पर पुलिस उधर गई।

सामान्य सी बात है कि पुलिस डाकुओं के पीछे जावे और सम्भावना यह हो कि पहाड़ में शेल्टर ले ली है और इसलिए पुलिस पहाड़ के नीचे कैम्प लगा कर बैठ जावे, जैसा आपका कहना है, ऐसा नहीं होता है। यह निश्चित है कि पुलिस ने उस सारे पहाड़ को ढूंढा कि कहीं ये मिल जावें। कैम्प भी किया। सारे प्रयत्न किये, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया माननीय सदस्य स्वयं भी समझते हैं कि २४ घंटों की देरी ऐसे मामलों में क्या मतलब रखती है ? उसका फल क्या हुआ करता है ? यह तलाश करने के बावजूद भी ये फुट प्रिन्ट कुछ फासले पर मिले और जहां पहाड़ी की जगह सख्त आ गई वहां फुट प्रिंट भी बन्द हो गये। इसलिए बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी और पहाड़ियों को ढूंढने-छानने के बावजूद भी पुलिस को आगे कोई ट्रेस डाकुओं का नहीं मिला। इसमें यहां विवशता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाला।

गोविन्दगढ़ बृहत् प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति लिमिटेड संबंधी ध्यान दिलाना

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत अलवर जिले में गोविन्दगढ़ वृहत प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति लिमिटेड की ओर सहकारी मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : yes.

श्री भीमसिंह (उप-मन्त्री, सहकारिता) : उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्दगढ़ वृहत ऋणदात्री सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन २५-१०-१९५८ को हुआ। रजिस्ट्रेशन के समय समिति के २०४ सदस्य थे जो बढ़कर इस समय २७१ हैं और समिति की कुल हिस्सा राशि उसकी ३०-६-६४ की बेलेन्स शीट के अनुसार रुपया १९,३०३) है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से हिस्सा राशि १०,०००) भी शामिल है। समिति के नये सदस्यों की हिस्सावार राशि केवल २,६२२) बढ़ी है, न कि ५०००) रुपया जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा है। यह समिति टीन, चीनी, गुड़, खाद बीज आदि का वितरण कर रही है।

इस समिति को दिनांक २-१२-५६ को अल्पकालीन ऋण ३९,०००) रुपया बैंक से मिला था जिसमें से केवल १८,४००) रुपया ही निश्चित अवधि में चुकाया गया और बाकी का अवधिवार ऋण २०,६००) रुपया का धीरे-धीरे २७-४-६१ तक अदा किया जिसकी वसूली के लिए सहकारी अधिनियम की धारा ६६ व ६७ के तहत कार्यवाही क्रमशः १३३ व ११ सदस्यों के विरूद्ध करनी पड़ी और इस प्रकार यह समिति वर्ष १९५९-६० से ही 'डी' श्रेणी में रही। सामान्यतः 'डी' श्रेणी की समिति को ऋण नहीं दिया जा सकता, परन्तु 'डी' श्रेणी की समिति को बैंक व कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिस्थितियों में ऋण दिया जा सकता है :

(१) केन्द्रीय ऋणदात्री संस्था (केन्द्रीय बैंक) समिति की आस्था के सम्बन्ध में समिति की कार्यकारिणी से विचार विनिमय करेगी और निर्णय लेगी कि समिति को ऋण दिया जा सकता है या नहीं और अपना निर्णय सहायक रजिस्ट्रार को दे देगी, ऐसा विचार विनिमय बैंक और समिति की कार्यकारणी में नहीं हुआ।

(२) 'डी' श्रेणी की समिति को समिति की कार्यकारिणी द्वारा लिखित वचनपत्र इस आशय का कि वे अपने मादेहन्दगान सदस्यों से कालातीत ऋण राशि की वसूली निश्चित समय में कर लेंगे और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करेंगे बैंक को देना पड़ता है, परन्तु इस प्रकार का इकरारनामा समिति ने बैंक को नहीं दिया।

(३) 'डी' श्रेणी की समिति को ऋण सहायक रजिस्ट्रार की विशेष सिफारिश पर ही दिया जा सकेगा। इसमें, इस केस में ऋण दिये जाने की सिफारिश सहायक रजिस्टार ने बैंक को दिनांक २२-७-६३ को अवश्य की थी लेकिन बैंक ने जिलाधीश अलवर को दिनांक २-८-६३ को उनके पूछे जाने पर यह सूचित किया कि बैंक के

(श्री भीमसिंह)

पास ए. बी. सी. श्रेणी की समितियों को ऋण मन्जूर करने के कारण इस समय डी श्रेणी की समितियों को ऋण देने की सुविधा नहीं है और राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से रुपया प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ।

बैंक ने 'डी' श्रेणी की हरसोली बहु धन्धी सहकारी समिति, फाहरी बहुधन्धी सहकारी समिति व सलारपुर बहुधन्धी सहकारी समिति को ऋण तो दिया मगर उनके द्वारा समस्त आक्षेप दूर करने पर ही छोटी छोटी रकमों का ऋण ही दिया गया, जब कि इस समिति के द्वारा ऋण प्रार्थना-पत्र में ४६,६००) रुपये की मांग की गई थी तथा बैंक के उठाये गये ऐतराजात की पूर्ति नहीं की गई । समिति का उसके सदस्यों पर रुपया ५,६३२)२० नये पैसे अवधिवार १९५८-५९ से बकाया चला आ रहा है । समिति की कार्यकारणी ने इसकी वसूली के लिये भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ।

समिति की प्रबन्धकारिणी का नया चुनाव दिनांक ५-६-६३ को हुआ और ऋण आवेदन-पत्र सहायक रजिस्टार के कार्यालय में १२-६-६३ को नहीं भेजा, बल्कि ४-७-६३ को भेजा गया और समिति की प्रबन्धक कारिणी में प्रस्ताव ही २८-६-६३ से ऋण के सम्बन्ध में पारित किया था ।

बैंक द्वारा यह ऐतराज किया गया हो कि समिति की कार्यकारिणी में राजकीय मनोनीत डाइरेक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई है, ऐसी जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

इस समिति का ऋण आवेदन-पत्र दिनांक ४-७-६३ को सर्व प्रथम सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, अलवर के कार्यालय में प्राप्त हुआ और दिनांक ६-७-६३ को चन्द पूर्तियां के लिये वापिस किया गया । ये पूर्तियां होकर दिनांक २२-७-६३ को ऋण पत्र वापिस सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में आया और सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अलवर ने उसी दिन इसको अलवर सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भिजवा दिया, जहां यह १६-१२-६३ तक जेरकार रहा और १६-१२-६३ को इस आक्षेप के साथ वापिस किया गया कि रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित ऋण-वितरण का समय (खरीफ का ऋण वितरण का समय १५ मई से ३१ जुलाई व रबी का १ सितम्बर से ३० नवम्बर तक) निकल चुका है । सहायक रजिस्ट्रार ने दिनांक १३-१-६४ को फिर बैंक को लिखकर भेजा कि ऋण का प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रार द्वारा निश्चित अवधि में भी भेज दिया गया था । इसका उत्तर बैंक से चंद आक्षेपों के साथ २७-५-६४ को आया और इसी तरह से अब तक लौटा-फेरी में चलता रहा और अब भी बैंक में विचाराधीन है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट माननीय उपमंत्री महोदय ने दिया है उससे यह साफ उन्होंने माना है कि ए० आर० महोदय ने खुद सातवें महीने में, सन् ६३ के जुलाई के महीने में इस सोसाइटी को जो कि 'डी' श्रेणी में आ गई है ५८-५९ के ऋणों के कारण उसके लिए विशेष रूप से सिफारिश ऋण देने के लिए कर दी थी । उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बताया कि जो ऑब्जेक्शन्स बैंक की तरफ से भेजे गये वे

Page No. 14

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऑब्जेक्शन्स भी पूरे करके वहां पर विशेष तौर से भेज दिय गये; लेकिन १३-१२ ६३ को यह कहकर ऋण नहीं दिया गया कि जो ए, बी, सी सोसाइटीज़ हैं पहले उनको ऋण दिये जाने की जरूरत है और इतना पैसा नहीं है कि हम 'डी' श्रेणी को दे सकें; केवल इस कारण से 'डी' को नहीं दिया गया।

जब यह बात कही गई और तरीके का लेटर कलेक्टर साहब की तरफ से भी इस सोसाइटी को दिया गया उस वक्त यह कभी नहीं बताया गया कि और कोई त्रुटि इस सोसाइटी के ऋण पत्र में रह गई, सिवाय इसके कि 'डी' श्रेणी को पैसा देने को नहीं है, आयेगा तब दे दिया जायगा। यह स्थिति दिसम्बर ६३ को थी; तो जो खरीफ फसल थी सन् ६३ को उसमें बावजूद ए० आर० की विशेष सिफारिशों के भी नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी सोसायटी को फिर बाद में यह एतराज किया गया कि पंचायत समिति को एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और फाइनेन्स कमेटी की विशेष सिफारिश होनी चाहिए जिसका कि कोई प्रावधान नहीं है। वह भी बात इस सोसाइटी ने पूरी की। जब मुझे यह पता चला कि रूल्स में इस प्रकार की कोई बात नहीं है और न और किसी और सोसाइटी से इस बात की पूर्ति करवाई जाती है, लेकिन १२-६३ के बाद जब कलेक्टर का यह लैटर चला गया कि पैसा आ जायगा तो मिल जायगा और 'डी' श्रेणी की और सोसाइटीज़ को दिया गया और इस सोसाइटी के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं था; तो केवल टालने के लिए यह एक ऑब्जेक्शन और लगाकर भेज दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर आप यह देखेंगे कि १३-१-६४ को फिर ए० आर० साहब ने विशेष तौर से कहा है कि उनको ऋण दिया जाय और उसके बाद में मई, ६४ के अन्दर उसको फिर लौटाया जाता है। फिर अब खरीब की फसल थी उसमें भी इस सोसाइटी को वैसे ही रख दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कई सोसाइटीज़ को जिनका कि माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया है और खुद मानते हैं कि वे 'डी' सोसाइटीज़ थीं उनको ऋण दे दिया गया और उन सोसाइटीज़ में ऐसी थीं जिनके कि प्रार्थना-पत्र इस सोसाइटी के बाद में आये हैं। अप्रेल, ६३ से इनका किस्सा चल रहा है और 'डी' सोसाइटी होते हुए ए० आर० से रिकमन्ड की गई और दूसरी सोसाइटीज़ हरसोली, फाहरी, धोली, नयाना, सलारपुर, कांगड़ा व सेमल खुर्द-ये ६ सोसाइटियां ऐसी हैं जिनको १६-७-६४ और १८-७-६४ को डी श्रेणी में होते हुए भी ऋण मन्जूर कर दिया गया। इसके बावजूद जब कोई भी मनोनयन और नोमीनेशन गवर्नमेंट का होना चाहिए, इस तरह के बेकार के ऑब्जेक्शन उठाये गये और इस तरह के आब्जेक्शन्स होने चाहिए थे तो शुरू में ही हो जाने चाहिए थे। तो यह विशेष ढंग के आब्जेक्शन थे। इसके बावजूद तीन महीने लगा दिये और फिर दुबारा उसमें दूसरा ऑब्जेक्शन उठा दिया तो जितने भी ऑब्जेक्शन्स हों वे एक ही साथ जाने चाहिए थे ....

श्री उपाध्यक्ष: आपप स्पष्टी करण करायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से हैरेसमेंट करने के बावजूद, जो वास्तविक आवश्यकता नहीं है, मनोनयन का रूल नहीं है, फाइनेन्स कमेटी और पंचायत समिति का कोई रूल नहीं है, और इस सोसाइटी ने उनको भी पूरा कर दिया और १८-७-६४ और १६-७-६४ को और सब सोसाइटीज़ को रुपया दिया गया और इस सोसाइटी को नहीं दिया गया। इस तरह से इनकी खरीफ की फसल पर इन किसानों को ऋण नहीं मिल सका तो वे बीज वगैरह नहीं डाल सके। अब रबी की फसल आ रही है और लोगों के फील्ड्स तैयार हैं, लेकिन बीज के लिए पैसा नहीं है और अब भी सरकार से लोन नहीं मिल रहा है; तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्लियर कट डिस्क्रीमिनेशन का केस है। क्लियर कट इस बात पर बना कि जो कि पहले की मेनेजिंग कमेटी थी वह दूसरे लोगों की थी और जो अब दूसरी मेनेजिंग कमेटी आई उसमें कम्युनिस्ट लोग पॉवर में आ गये जिन्होंने कि पुराने ऋण चुकाये और नये मेम्बर बनाये और सोसाइटी की हैसियत बढ़ाई, लेकिन सिर्फ इस कारण कि चूंकि वे कम्युनिस्ट हैं और जो हमारे बैंक में प्रबन्धक आये हैं शोभारामजी या भोलानथाजी जो कि उस कॉन्स्टीटुएन्सी में हारे हैं; तो भोलानाथजी ने उनसे कहा कि दूसरे लोगों को चुनो या आप लोग कांग्रेस के फार्म भर दो तब तो लोन मिलेगा। इस तरह से यह दबाव आज तक दिया जा रहा है और लोन उनको नहीं दिया गया है।

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो तथ्य स्वीकार किये हैं उनके बिना पर यह साफ जाहिर होता है कि डिस्क्रिमिनेशन और अनड्यू डिले हो रही है और इनका लोन रुका हुआ है। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि कम से कम फौरन ऋण दिलाया जाय ताकि वह गेहूं का बीज डालना चाहते हैं वह डाल सकें, वर्ना हजारों बीघा जमीन बगैर बीज के रह जायगी और सबसे उपजाऊ जो इलाका है वहां पर फूड प्रोब्लम सोल्व होने से रह जायगी।

नं० २, जो डिस्क्रीमिनेशन किया गया है उसकी निष्पक्ष जांच करायेंगे, तो सहकारी मूवमेंट को उससे बल मिल सकेगा और इस तरीके से लोगों में यह भावना नहीं फैलेगी कि विरोधी लोगों का इसमें किसी तरह की कोशिश करना फिजूल है ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उससे कोरा तनाव ही बढ़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह आश्वासन चाहूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थाना गाजी) : माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपको क्या इस प्रकार का पर्चा माननीय सदस्य ने दिया है ? उन्होंने क्या इस प्रकार का पर्चा निकाला है कि कोऑपरेटिव के कर्जे का जो बकाया है वह अलवर जिले के किसान अदा नहीं करें ? क्या इस प्रकार के पर्चों आपको पता है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): मैं इस प्रसंग में यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर में यह बताया गया है कि यह ऑब्जेक्शन था कि 'डी' श्रेणी की सोसाइटी के लिए रुपया देने के लिए बैंक के पास नहीं आया। माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि एपेक्स बैंक से जो रुपया जाता है वह श्रेणी वाइज़ सोसाइटीज़ को देने के लिए दिया जाता है या उनको कलेक्टिवली रुपया दिया जाता है ?

दूसरी बात जो आपने कही है कि पंचायत समिति की फाइनेन्स स्टेन्डिंग कमेटी में भेजी जाय, यह मैंने नई बात सुनी है। क्या रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा सर्क्यूलर जारी हुआ है कि स्टेन्डिंग कमेटी को भी भेजा जाय ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : माननीय मन्त्रीजी स्पष्टीकरण करेंगे कि 'डी' क्लास में आने का क्या कारण है ?

श्री भीमसिंह : ऊपर मैंने कहा था कि इसमें पहले से ही ओवरड्यू चला आ रहा है इसलिये 'डी' श्रेणी में लिया।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : वह किस कारण हुई ? मैनेजिंग कमेटी के मेम्बरान में कितनी बकाया है और कितने अर्से से, इस पर भी प्रकाश डाल दें तो उपयोगी होगा। तीसरी बात मन्त्रीजी ने बताई कि डिफ़रेन्ट मेम्बर्स के जो माइनर प्रतिनिधि हैं उनके नाम नहीं देने की वजह से कर्जा वसूल नहीं हुआ, इस कर्जे की वसूली के लिये इस बाबत क्या व्यवस्था की है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कर्जा रिटर्न हो गया।

श्री मथुरादास माथुर : (विधि-मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी कि बैंक के डाइरेक्टर्स एक्स हैं और दूसरे आदमी वाई, इस पार्टी से आये हैं वे कम्युनिस्ट हैं, इसलिये उनको कर्जा नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास जब ऋण की एप्लीकेशन आती है उसमें यह नहीं लिखा है कि कांग्रेस के हैं या दूसरे पार्टी के हैं, इसलिये उनकी यह जो धारणा है कि राज्य सरकार डिस्क्रीमिनेशन करती है, पार्टी की वजह से करती है, वह निराधार है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Have you made complete enquiry ?

श्री मथुरादास माथुर : Let me have my say, please.

दूसरी बात मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक बार मेरे से आश्वासन लेने से पहले....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : व्यवस्था का सवाल है, मंत्रीजी जेब में हाथ डाल कर बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरों की जेब में हाथ नहीं डालता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : कमर पर हाथ नहीं रख सकते हैं, ऐसा मालूम होता है कि नाच रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कल उनके सिर पर हाथ रख दिया था। अब कहते हैं कि पीछे मत रखो। यदि यों करता हूं तो कहते हैं हाथ दिखाते हैं, हाथ घर पर धर के तो आ नहीं सकता।

श्री रामकिशन : अब ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : आप रामानंदजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को टालना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है।

सबसे पहली बात कही गई थी, उसके लिये रामानन्दजी के दिमाग या कांग्रेस के दिमाग में भ्रम हो तो निकाल दें।

दूसरी बात मेरे से आश्वासन लेने से पहले अलवर से आने वाले मान्नीय सदस्य जो इस संस्था में इन्ट्रेस्टेड हैं, 'इन्ट्रेस्टेड' से मतलब और कुछ नहीं है दिलचस्पी रखते हैं, वे ५८-५९ के ओवरड्यूज़ जो सोसाइटी में बाकी हैं ५,८९९ रु०, अब भी बाकी हैं उनका क्लीयरेन्स पहले हो जाय। पहले यह डी. श्रेणी में इसीलिये आई थी कि उस पर इतना ऋण बढ़ गया था, इसीलिये उसको ऋण देना बन्द कर दिया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बात नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं रेकॉर्ड से कहता हूँ। ५८९९) रु० कह रहा हूं, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बैंक ने नहीं कहा।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको रेकॉर्ड से जानकारी दे रहा हूं। ५,८९९) सन् ५८-५९ के ओवरड्यू हैं, उसका अगर पेमेन्ट हो जाता तो बात समझ में आती। जब तक ५८-५९ का ओवरड्यू क्लीयर नहीं होगा तब तक प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि बैंक एक ओटोनोमस बोडी है और सोलिटरी इन्फ्ल्युएन्स भी नहीं डाल सकते; वह एक चुनी हुई संस्था है। वह कह सकती है, आप बैंक का ओवरड्यू पहले पे करादें। वह संस्था कंटिन्युअसली 'डिफॉल्टर रही है, श्रेणी 'डी' कर दी, उसके बाद भी ५८९९) रु० बाकी हैं। रुपयों का चुकारा कर देंगे तभी यह आश्वासन दूंगा। यह हो जायगा तब अधिकार भेज कर बैंक को रिक्वेस्ट करके आपके यहां से जो एप्लीकेशन लोन की आई है उसको स्क्रूटिनाइज़ करके ५० हजार की स्थिति देखेंगे, तो अपेक्स बैंक को हम रिक्वेस्ट करेंगे। अपेक्स बैंक भी अधिक रकम नहीं देती है, वह एक ओटो-नोमस चुनी हुई संस्था है। उनको भी रिज़र्व बैंक से और दूसरों से लेना पड़ता है। उनकी एक चैन है जिसे आप जानते हैं। यह डिफिकल्टी हो जाती है। बाकी कोई डिस्क्री-मिनेशन नहीं किया है कि यह कांग्रेस की बोडी है या कॉम्युनिस्टों की बोडी है। कॉम्यु-कोशिश रहनी चाहिये हमारी कि ओवरड्यू निस्टों की बोडी है तब तो और भी यह ज्यादा बढ़े और लिक्विडेशन में आ जाय।

भाई जयकिशनजी ने कहा कि ऐसा कोई पर्चा निकला है; तो मेरी नोटिस में नहीं है, आपकी नोटिस में हो सकता है।

Page No. 18

श्री जयकृष्ण शर्मा : खुद माननीय सदस्य ने निकाला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह फैक्ट आपने माना हैं कि इस प्रबन्धकारिणी के हाथ में प्रबन्ध आने के बाद आप किसको पे नहीं कर सके उसको उसने पे ऑफ किया है....

श्री मथुरादास माथुर : मुझे पता नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने सवाल उठाया है वे जानते हैं सन् ६२ से पहले कर्जा काफी बाकी था। सन् ६२ में चुनाव हो गये और नयी मैनेजिंग कमेटी ने चार्ज लिया तब उसने पिछला कर्जा चुकाया है, मेम्बरशिप बढ़ाई है, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने रिकमन्ड किया है कि इनको लोन देना चाहिये और सोसाइटीज़ जिनकी कन्डीशन इससे भी खराब थी उनको लोन दे दिये हैं, इसकी आप इन्क्वायरी करके फैसला करें तो ठीक होगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : आप यह बताइये कि आपने पर्चा निकाला या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने ऐसा पर्चा नहीं निकाला।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यदि आपने पर्चा नहीं निकाला हो तो मैं त्यागपत्र देने को तैयार हूं या आप देंगे।

श्री रामकिशन : दोनों में से एक भी देने वाला नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : पहले उनसे कहा जाय कि वे लिख कर दें—त्याग-पत्र।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, मेरा यह निवेदन है, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इधर भी और उधर भी जो हैं वे सहकारी आन्दोलन में सियासत नहीं लावें। बल्कि उनको तरक्की दें।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री मथुरादास माथुर : वह पर्चा है वह जरूर निकला है, किसके दस्तखतों से निकला है इसकी जांच करूंगा क्योंकि मुझे अभी इन्फोर्मेशन मिली है। यदि रामानन्दजी ने गोविन्दगढ़ की मीटिंग में यह कह दिया है तो कोई बात नहीं, ऐसा तो मुंह से निकल जाता है; जब चुनाव नहीं हुआ था उस समय कह दिया होगा कि मत चुकाओ कर्जा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन से बेसिस पर कह रहे है ?

श्री मथुरादास माथुर : ३० हजार का लोन मिला, ३० हजार का ओवरड्यू था, आज भी उससे करीब ६ हजार रुपये राउन्ड फिगर में बाकी है। ६०००) आप चुका दीजिये। पहली कन्डीशन यह है कि ६०००) की अदायगी आ कर देंगे। तब मैं मेरे ऑफिसर को भेजकर बैंक से रिक्वेस्ट कर सकूंगा। वह ओटोनोमस बोडी है सोलिटरी इफेक्ट उन पर नहीं हो सकता, फिर भी उनसे कह कर कर्ज़ा दिलाया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहली सोसाइटी की प्रबन्ध कारिणी से अपनी सिफारिश के कारण वसूल नहीं कर पाये और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन लोगों की तरफ बाकी रह गये थे वह नयी मैनेजिंग कमेटी ने एफर्ट्स करके काफी कर्जा चुका दिया। यदि दूसरी सोसाइटीज़ के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उनकी तरफ सेन्ट पर्सेन्ट ओवर ड्यूज़ होने के बावजूद भी उनको लोन मिला है। लेकिन आप इनके जिनाइन एफर्ट्स को देखें, जिसकी तरफ ३० हजार रुपये लोन के बाकी थे। इस सोसाइटी ने अपने एफर्ट्स करके २४ हजार रुपये चुकाये हैं और आपके कहने के मुताबिक ८० परसेन्ट काम इस सोसाइटी ने पूरा किया है। पहले के सदस्य भी अगर ऐसा करते तो बहुत अच्छी बात होती। आपने जब दूसरी सोसाइटीज़ को भी दिया है तो आपको इसे भी देना चाहिये। जब ए. आर. ने रिकमन्ड कर दिया कि हमने जिनाइन एफर्ट किये हैं और आपके बैंक की तरफ से भी कोई इस प्रकार का आरोप नहीं था, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक कोऑपरेटिव मूवमेंट का प्रश्न है इन कोऑपरेटिव मूवमेंट को पहले से ज्यादा सफल बनाने में प्रयत्नशील रहे है। यह बात अलग है कि कहीं अकाल पड़ गया हो और अकाल की स्थिति के कारण कोई देने की स्थिति में नहीं हो तो उससे रुपया वसूल नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार किया गया है उसी तरह से इसके साथ भी होना चाहिये, इसको अलग नहीं छोड़ना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : ५८-५६ के लोन्स वे चुका दें, उसके बाद ही वह ओपरेशन में आवेगा।

श्री उपाध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नेस।

(६. ४२. म. पू)

राजस्थान सहकारी समिति विधेयक, १६६४

(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विधेयक, १६६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय point of order, Sir, दो दिन पहले स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी ; उस समय यह कहा गया था कि अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस होगी उसमें उसका उत्तर दे दिया जावेगा। मगर नीम के थाने में गोली चली उसका सरकार ने कोई जबाव नहीं दिया। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको पहले ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की व्यवस्था के अनुसार वह नो-कॉन्फीडेन्स के साथ ही डील करने के लिये था और चूंकि नो-कॉन्फीडेशन मोशन हो चुका है इसलिये जब तक आसन से अध्यक्ष की नई व्यवस्था नहीं हो जावे मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कोआॅपरेटिव़ विधेयक, १९६४ को पूरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय; मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of order, sir, जब तक चेयर पैरों पर खड़ी रहती है तब तक कोई सदस्य खड़ा होकर पूछना चाहे तो नहीं पूछ सकता है। आपने, एक पोइन्ट आॅफ आॅर्डर जो रेज़ किया गया था उसका जवाब दिया और उसके तुरन्त बाद कोई अपना प्रश्न रेज़ करना चहे तो भी नहीं कर सकता क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़े थे। आपने उसके साथ ही दूसरा प्रश्न पढ़ दिया। इसलिए जब तक नीम के थाने के बारे में व्यवस्था देकर आप बैठ नहीं जावें तब तक दूसरा कोई बोल नहीं सकता। आपने दूसरा शुरू कर दिया और हम कुछ कह नहीं सके।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि इस व्यवस्था को प्रत्येक व्यक्ति कायम रखेगा।

(शोरगुल)

(९. ४५ म. पू.)

राजस्थान स्माल कॉज़ कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्माल कॉज़ कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : कोई प्रस्ताव सुनाई नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो आसन की तरफ से व्यवस्था थी वह यह थी कि अविश्वास के प्रस्ताव में पोइन्ट रेज़ कर दिये जावेंगे और माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे। मगर नीम के थाने में गोली चली और उसके उत्तर में माननीय मंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और उस विषय में उस एडजोर्नमेंट मोशन की वही हालत है जो पहले थी। इसलिए इस संबंध में मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। नीम के थाने में गोली चली, उसके बारे में सरकारी बेंचेज़ की तरफ से उत्तर मिलना चाहिए। अगर अभी जवाब नहीं दें तो शाम को तीन बजे दे दें। इसलिए आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ने आपत्ति उठाई वह यह थी कि प्रथम तो जब चेअर अपने पैरों पर हो, तब कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका पालन करने का प्रयत्न सभी माननीय सदस्य करेंगे। इसके अलावा मेरे "लेजिसलेटिव बिज़नेस" के डिक्लेरेशन के बाद ही बिल को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के

(श्री उपाध्यक्ष)

लिए प्रस्तुत किये। उसके दौरान में श्री रामकिशन द्वारा यह आपत्ति उठाई गई कि स्थगन-प्रस्ताव जो कुछ रह गये, नीम के थाने के विषय में, उस पर उत्तर मिलना चाहिये। मैंने उसी वक्त अपनी व्यवस्था दे दी कि अध्यक्षीय आदेशानुसार नो-कॉन्फीडेन्स मोशन के साथ साथ ही ये भी डील करने को थे। उसमें से कुछ रह गये तो माननीय सदस्य को उसी समय आपत्ति उठाने की आवश्यकता थी। इसलिए उसको पुनः अब ओपन नहीं किया जा सकता। ये अध्यक्ष के आदेश हैं और मैं बाध्य हूं। मैं कोई आज्ञा इस संबन्ध में नहीं कर सकता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of order, Sir.....................

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आने वाला है उसमें काफी समय की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये आप इतना सा कोऑपरेशन जरूर करें कि हमारा काम निर्धारित समय में पूरा हो जाए।

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह तय हुआ था कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव हैं उनके लिखित उत्तर माननीय सदस्यों के पास भेज दिये जावेंगे और उसके बाद अगर उससे माननीय सदस्यों को संतोष नहीं हो तो बहस में प्रश्न उठाये जा सकेंगे और उनका जवाब दे दिया जावेगा। लेकिन एक भी स्थगन-प्रस्ताव का स्टेटमेंट रिटन में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस परम्परा से अवगत हैं और पार्लियामेंट में भी इसी प्रकार से होता है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है और स्थगन-प्रस्ताव भी आते हैं तो उनका जवाब उन्हीं अविश्वास के प्रस्ताव के साथ हो जाता है और जिस समय अविश्वास के प्रस्ताव पर सारी कार्यवाही होती है और वाद-विवाद चालू होता है तो उस पर लिखित या अलिखित रूप में विचार-विमर्श हो जाता है और उसका उत्तर शुमार कर लिया जाता है। इसलिये जो अध्यक्षीय आदेश हुआ था और जो परम्परा है, वह तो स्थगन-प्रस्ताव के जवाब हुए, माना जावेगा। अब नया प्रश्न नहीं उठ सकता।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि श्री मथुरादास माथुर ने राजस्थान स्माल कॉज़ कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव किया है; उसकी आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(६:४५ म० पू०)

राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पुरः स्थापन)

(श्री मथुरादास माथुर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

(६.४६ म. पू.)

राजस्थान आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम-परिवर्तन) विधेयक, १९६४

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री परसराम मदेरणा (उप–मंत्री, स्वायत्त शासन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम–परिवर्तन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन (वैर) : आज पहले ही बात करली जाय कि मैं पहले बोलूंगा, इस ख्याल से कि देखा नहीं है। कांग्रेस के माननीय सदस्य देखते तो हैं नहीं, मन्त्रियों के चेहरे देखते रहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : ये तो मंत्रियों के चेहरे देखते हैं, पर आप मंत्रियों का क्या देखते हैं?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : हम मन्त्रियों के विचार देखते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ........

श्री उपाध्यक्ष : जिनके अमेंडमेंट्स थे वे तो बोले नहीं........

श्री रामकिशन : मैं तो बोल रहा था साहब।

श्री अब्दुलजब्बार ; मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी को दिया जाय। यह आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम–परिवर्तन) का बिल है, अधिकारियों के डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं। इसके साथ साथ डेकोरेशन भी होना चाहिये। पुलिस, एक्साइज एण्ड टेक्सेशन के अधिकारी सादे कपड़ों में ड्युटी पर चले जाते हैं तो १३२ के केसेज़ बनने की

(श्री अब्दुलजब्बार)

सम्भावना होती है। पर डेकोरेशन होगा तो पता चल जायगा कि यह अमुक ऑफिसर है। आम तौर से अधिकारीगण वर्दी पहिनना शान के खिलाफ समझते हैं, अक्सर थानेदार, आर० टी० आई० और डी० एस० पी० आदि बिना वर्दी पहिने सादे कपड़ों में चले जाते हैं। मोटर रोके तो दिक्कत, नहीं रोके तो दिक्कत, अक्सर डाकू लोग भी रास्ते में मोटरों को आकर रोक लेते हैं। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पदनाम में परिवर्तन के साथ साथ डेकोरेशन को भी ज़रूर प्रेस्काइब करें। जब तक डेकोरेशन नहीं होता तब तक डिसिप्लिन, स्मार्टनेस नहीं आती। मैं मिलिटरी में रह चुका हूँ, डिसिप्लिन और डेकोरेशन के महत्व को मैं जानता हूँ। डेकोरेशन से अधिकारी में चुस्ती और चालाकी आयेगी, डिसिप्लिन आयेगा। इसके साथ ही साथ जनता को डील करने के लिए जाते हैं, डेकोरेशन में जाना परमावश्यक है, डेकोरेशन होगा तो जनता को मालूम हो जायगा कि अमुक अधिकारी है और वह उसकी इज्जत करेगी वर्ना जनता को पता ही नहीं चलता है कि कौन है! डेकोरेशन की व्यवस्था जब तक इस बिल में नहीं कर दी जाय तब तक यह बिल अधूरा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो यह माना जाय कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में केवल एक इसी आधार पर भेजा जाय।

श्री अब्दुलजब्बार : सिलेक्ट कमेटी भेजने का मैं मूव कर रहा हूं कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय उपाध्यक्षजी, हमने यह तय किया था कि हम इस पर विशेष विवाद नहीं करेंगे। हम इसे जल्दी ही पास करेंगे, पर इसके विरोध में दो-तीन बातें मुख्य रूप से सदन के सामने लाना चाहता हूं। अधिकारियों के पदों के नाम बदलने का यह विधेयक है, जहां तक पदनाम बदलने का सवाल है, किसी का इसमें विरोध नहीं हो सकता, यह राज्य सरकार की नीति का सवाल है कि इस प्रकार की व्यवस्था करे। पर इस विभाग में जितने घोटाले हुए हैं कर की वसूली में, यह विभाग एक दम असफल रहा है, इस सदन में मैंने और दूसरे माननीय सदस्यों ने बार बार नीम के थाना के कुछ लोगों में कर की लाखों की बकाया के सवाल बार बार उठाये, पर कोई सुनता नहीं है। नीम के थाना के पास विभाग बना हुआ है, प्रभावशाली अधिकारी इस विभाग के बैठे हुए हैं परन्तु कर्त्तव्य पालन में यह विभाग असफल रहा है। कर के बारे में एक्साइज़ के बारे में कई प्रश्न इस सदन में पूछे गये और वित मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि करों की बकाया का ३ लाख का एस्टीमेट हुआ है, कुछ वसूल भी किया है, पर आज तक हाउस को वे यह बताने में असफल हुए हैं कि कितना घोटाला हुआ है और लाखों रुपये कर के लोगों में बकाया हैं, वह क्यों नहीं वसूल कर पाये हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार नाम में परिवर्तन करे, विभाग को मजबूत करें, मुख्य मन्त्रीजी द्वारा जो करों के बारे में और इस विभाग और कामों में हस्तक्षेप होता है उनको बन्द करायें, जो अधिकारी काम करते हैं उनको खूब कस दें, मुख्य मन्त्रीजी के जो सहायक और सहयोगी हैं उनके लिए अनु-

(श्री रामकिशन)

चित और असाधारण पक्षपात किया जाता है, उसको बन्द किया जाय........

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति के लिए कह दीजिए ।

श्री रामकिशन : हमने तय किया था कि विवाद नहीं करेंगे । इसलिए विशेष न कह कर इसके विरोध-स्वरूप अपनी बात कहना चाहता हूं कि नीम के थाना में कर के बारे में घोटाले होते हैं, उनकी कुछ व्यवस्था करने को क्या सरकार तैयार है ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का प्रश्न है सभी माननीय सदस्य इससे सहमत हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है अभी माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने नीम के थाने में जो बकाया है और वह सब बकाया कांग्रेस विधायकों में है, या उनके रिश्तेदारों में है और सरकार उनसे उन बकायात को वसूल करने में असफल रही है, इस ओर ध्यान आकर्षित किया । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का जो टैक्स किसी में बकाया है, उसकी वसूली में किसी के साथ पक्षपात किया गया हो या सख्ती नहीं की गई हो, ऐसी बात नहीं है । हम जो इस डिपार्टमेंट के दो वाइफर डिपार्टमेंट्स क्रियेट करना चाहते हैं इसका उद्देश्य यही है कि सख्ती के साथ सरकार बकाया की वसूली करे ताकि माननीय सदस्यों को यह कहने का अवसर न मिले कि जिस सख्ती के साथ टैक्सेज़ की वसूली होनी चाहिये वह नहीं हुई ।

निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने डेकोरेशन के बारे में कहा, उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल डेज़िग्नेशन चेंज करने के बारे में है, डेकोरेशन के बारे में नहीं है । जहां तक डेकोरेशन्स का सवाल है माननीय सदस्य को मालूम हो जाना चाहिये कि यह जानकारी से, नोलेज से, सम्बन्ध रखता है । ब्रिगेडियर, मेजर जनरल को जो स्टार लगते हैं, इसकी जिसको जानकारी नहीं है वह इन स्टार से भी डिफरेन्शियेट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है ।

बेड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों डिपार्टमेंट्स का राजस्थान में चले, काम मुस्तैदी से और अच्छी तरह से हो, इस इरादे से इस विभाग को बाइफर्केट किया है और इसके कारण जो चेंज ऑफ डेजिग्नेशन होगा, उसके लिए यह बिल लाया गया है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए या जनमत जानने के लिये प्रसारित किये जाने के प्रस्ताव रखे हैं उनसे मैं यह आशा करूंगा कि वे अपने प्रस्तावों को वापिस लेंगे ।

श्री रामकिशन : आपने आश्वासन दिया है वह तो सदन में लगातार मिलता रहता है, पर होता कुछ नहीं है ! पर दूसरी स्थिति यह है कि जिन लोगों में बकाया है उनसे वसूली की बात एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ इन लोगों में लाखों रुपया बकाया है, उनकी साझेदारी में गवर्नमेंट शराब का

(श्री रामकिशन)

कारखाना बनाने जा रही है, राजस्थान सरकार ५० लाख रुपया लगा रही है और जिन लोगों में बकाया हैं वे १२ लाख रुपया लगा रहे हैं। क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : डेकोरेशन का मैंने कहा, लेकिन न मालूम आपने उसके बारे में क्या कह दिया, जानकारी होने न होने का।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहा कि यह पद नाम बदलने का बिल है डेकोरेशन की व्यवस्था का नहीं।

श्री अब्दुलजब्बार : डेकोरेशन होना आवश्यक है, इनको आपने पॉवर्स दे रखी हैं। They can enter premises, they can make search.

इसलिए डेकोरेशन होना अत्यावश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know whether Shri Jabbar is withdrawing his motion or pressing it ?

श्री अब्दुलजब्बार : मन्त्री महोदय खुले रूप से जवाब दे दें तो ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने जवाब दिया है।

श्री अब्दुलजब्बार : डेकोरेशन का जवाब कहां दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है, उसका इस बिल से सम्बन्ध नहीं है, वह मुद्दा इर्रलेवेन्ट है। मैंने जवाब दिया है कि किस अफसर के कन्धे पर कौनसा स्टार लगा हुआ है इसकी जानकारी रखिए। यह डेकोरेशन का बिल नहीं, डेज़िग्नेशन चेंज करने का बिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस बिल के स्कोप तक ही इसे सीमित रखेंगे तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw

श्री अब्दुलजब्बार : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम परिवर्तन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : विचारार्थ तो ले लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एक्साइज एण्ड टैक्सेशन ऑफिसर्स (चेंज इन डेजिग्नेशन) बिल, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी तथा कर अधिकारीगण (पदनाम परिवर्तन) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(श्री उपाध्यक्ष)

इससे पहले कि दूसरी कार्यवाही शुरू की जाय, एक आवश्यक सूचना सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

(१०.०० म.पू.)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श)

Rajasthan Panchayat laws (Amendment) Bill. 1964, clause 19 which was under consideration......

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : Clause 19 was not passed. माननीय श्री बिश्नोई और श्री विजयसिंह झाला ने इस पर दो अमेंडमेंटस मूव किए हैं। एक अमेंडमेंट यह मूव हुआ है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन है कठिन होने के कारण उसके बजाय उसको प्रेस्क्राइब्ड मैनर की तरह से एक्सेप्ट किया जाय। इस प्रकार का एक अमेंडमेंट बिश्नोईजी ने भी मूव किया है और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अलग अमेंडमेंट मूव किया है और उन्होंने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटीज़ के अन्दर जो कोऑप्टेड मेम्बर्स हैं उनको वोटिंग राइट न दिया जाय और उसके चेयरमैन बनने पर प्रतिबंध लगाया जाय। मैं समझता हूं कि यह वाजिब नहीं है और सिलेक्ट कमेटी में भी इस बात पर चर्चा हुई थी और इस पर निश्चय हुआ था कि क्योंकि जो दो मेम्बर्स कोऑप्टेड आते हैं वे शिक्षा या कृषि के एक्सपर्टस होते हैं, उनको इस प्रकार से प्रतिबंधित क्यों किया जाय ? तो इस दृष्टि से जो अमेंडमेंट श्री विजयसिंह झाला ने पेश किया है उसको स्वीकार नहीं करता हूं और जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य श्री बिश्नोई ने दिया है उसको स्वीकार करता हूं सब्जेक्ट टु दी कन्डीशन दैट उस अमेंडमेंट में जोड़ दिया जाय : in the prescribed manner.

श्री उपाध्यक्ष : You have suggested an amendment.

श्री भीखाभाई : I have accepted the amendment of Shri Bishnoi

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा....

श्री भीखाभाई : Subject to the modification that the words "in the prescribed manner" be substituted.

श्री उपाध्यक्ष : Now we put that amendment.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : पूरी तरह से बताओ। यह तो हैपहेजर्ड चीज हो गई; न तो लिखित में दिया गया ...

श्री उपाध्यक्ष : उनको आप जिस तरह से अमेंड करना चाहते हैं उस तरह से बोल दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): Amendment in the final form please !

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री भीखाभाई : In accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. This is deleted and "in the prescribed manner" may be substituted in this place.

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : "इन दी प्रेस्क्राइब्ड मैनर" और जोड़ा जायगा; बाकी जैसा मैंने अमेंडमेंट रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : Will you please clarify how will the whole clause read ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा सिलेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित विधेयक में पेज ६ पर है :

"Five of whom shall be elected from amongst the members of the Panchyat Samiti in accordance with the system or proportional representation by means of the single transferable vote.

श्री उपाध्यक्ष : This will be omitted.

श्री भीखाभाई : The final form cf this clause will be : 'Five of whom shall be elected from amongst the members of the Panchyat Samiti in the prescribed manner, and the rest of it will be deleted.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इसका क्या मतलब यह समझें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन मंत्री महोदय मान कर चलते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : स्पष्ट नहीं कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज इस प्रकार से श्री बिश्नोईजी का इन्टेन्शन क्लीयर हो सकता है। आपका अमेंडमेंट ठीक है, मेरे विचार भिन्न हो सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है। उसमें तय हुआ था कि कोऑप्शन के अन्दर, प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन लगा आना चाहिए। आप उस व्यवस्था को न मान कर, आप मानते हैं कि उस सिस्टम को हटा देना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : इस क्लाज़ पर पहले भी विचार हुआ था। आप अमेंडमेंट ला रहे हैं 'प्रेस्क्राइब्ड मैनर'; यह बिल्कुल रिडन्डेंट है। प्रोवीज़न है आज की तारीख तक उसके अनुसार स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होते हैं, वह अपर्याप्त समझे गए, उससे गुटबन्दी बढ़ती है उसको मिटाने के लिए पंचायती राज्यों में आपस में मेल हो और हर दृष्टिकोण के लोग स्टैंडिंग कमेटी में पास-पास में बैठकर एक मत से फैसला कर सकें। इसलिए आज को जो प्रथा है प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन की, अगर उसको नहीं मानते हैं, तो साफ मतलब है कि आप "प्रेस्क्राइब्ड मैनर" के द्वारा नई बात लाना चाहते हैं। या तो आप कह दें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन की बात नहीं मानते हैं; तो फिर बताइये कि आप चाहते क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट श्री बिश्नोई ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार एक प्रोवीज़न पहले एक्ट में है उसी तरह प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ बन जाएंगी उसमें दो एक्स्ट्रा आदमियों को स्टैंडिंग कमेटियों में लिया जायगा और उनको वोट देने का अधिकार होगा। इस प्रकार का प्रावधान पहले इस एक्ट में मौजूद है उसको सिलेक्ट कमेटी के अन्दर इस तरह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से तरमीम किया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के द्वारा वहां पर लिया जाय। इस पर आर्ग्युमेंट यह दिया जाता है कि वहां गुटबंदी होगी और उसकी वजह से एक गुट के लोग शामिल हो जाएंगे। अगर आप देखें कि पंचायतों के चुनावों में, पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के, विधान सभा के और लोक सभा के जितने भी चुनाव होते हैं, हर एक जगह अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग लोग अपना आदमी खड़ा करते हैं और वहां उनको रिप्रेज़ेन्टेशन दिया जाता है। आज जितनी पार्टीज़ हैं हर एक जगह पंचायतों और वार्ड में जाकर अपने-अपने आदमियों को खड़ा करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : मेरा निवेदन है, क्लॉज़ १९ है, मैं पोइन्ट ऑफ आर्डर पर निवेदन कर रहा हूं, क्लॉज़ १९ आपके द्वारा पास किया, डिक्लेअर किया, जा चुका है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह क्या पोइन्ट ऑफ आर्डर है?

श्री नत्थीसिंह : यह री-ओपन किया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : री-ओपन हो चुका है।

श्री नत्थीसिंह : वह पास किया जा चुका है तो दुबारा ओपन नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यों की राय से हो सकता है।

श्री नत्थीसिंह : सदस्यों की राय से नहीं हो सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति है वह यह है कि इसमें री-ओपन और ओपन होने की बात नहीं है। देखना यह है; कि जो पास हो गई है चीज, वैसे तो थर्ड रीडिंग में गवर्नमेंट चाहे तो री-ओपन कर सकती है; लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। यह नहीं कि सदन उसी को थूक ले और उसको चाट ले। उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। यह री-ओपन हो जाय और पास हो जाय, यह तमाशा क्या है? मैं, उपाध्यक्ष महोदय, साफ कहना चाहता हूं, आपको एडेहर करना चाहिए। हमें सोचने-विचारने का मौका मिलता है, इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जिस तरह है; वह ठीक है और यह क्यों री-ओपन हो? एक्सपीरियेन्स से इसके अन्दर बदलाव किया है, उस पर आप विचार करना चाहते हैं, क्योंकि जो पास कर दिया है वह गलत कर दिया है। इस तरह री-ओपन करना है तो हाउस से पास की हुई चीज को हमेशा री-ओपन करेंगे। मैं समझता हूं कि थर्ड रीडिंग में सरकार को अमेंडमेंट लाना चाहिए और साफ तौर पर बात होनी चाहिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह स्थिति नहीं है जैसी माननीय सदस्य ने बताई कि वापिस थूक कर चाटें। इस पर मेरा अमेंडमेंट था। मैं इसे कॉल कर रहा था, चेअर ने नहीं देखा और स्वीपिंग वे में पास हो गया। मेरे राइट को देखते हुए फिर प्रस्ताव पेश हुआ री-ओपन करने का और यह री-ओपन हो चुका है और हाउस के

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

द्वारा इस पर डिस्कशन हो रहा है। मुझे अमेंडमेंट रखने की इजाजत दी गई है, मैंने रखा है और उस पर गवर्नमेंट की रिप्लाई हो चुकी है। अब पास करने का सवाल है। इस पर बहस पहले की जा चुका है कि क्यों री-ओपन किया जाता है, क्या बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह प्रश्न सदन के सामने नहीं है क्योंकि यह डिसाइड किया जा चुका है और अमेंडमेंट रखा जा चुका है, गवर्नमेंट की रिप्लाई हो चुकी है। इसके बारे में सदन क्या विचार करता है, क्या राय है, यह प्रश्न उस समय रेज़ करने का या जब स्टेज थी; वह चली जा चुकी है, इसलिए अब इसका प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं बोल रहा था इसके सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आप क्यों बोल रहे हैं और खड़े हो रहे हैं जब पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था; इसके विषय में यह था, जिस समय री-ओपन हुआ, सदन की मन्शा से री-ओपन हुआ और उस समय जो कुछ कहा जाना था वह कह दिया था। इसलिए सदन की मन्शा सुप्रीम है और सदन जैसा चाहे वह कर सकता है। सदन की मन्शा से यह री-ओपन हुआ था और इसलिए री-अपोन्ड समझा जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा था, अभी यह दलील दी गई कि प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन होने से जो गुटबाजी और अलग अलग पार्टी की बात है वह मिट जायगी। मैं निवेदन कर रहा था कि आज पंचायत चुनाव से चल कर ठेट पार्लियामेंट के चुनावों में गुटबाजी के सिस्टम से चुनाव लड़े जा रहे हैं। आज इसके द्वारा प्रावधान कर रहे हैं और गाव गांव में जहां....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चुनाव की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसी हालत में गुटबाजी का गांवों में जाना ठीक नहीं है। प्रपोशनल रि-प्रेज़ेंटेशन का क्लॉज़ सिलेक्ट कमेटी के द्वारा रखा गया वह इस वजह से ठीक नहीं कि हमारे गांवों में से जो पंच और सरपंच आते हैं वे पढ़े लिखे नहीं होते; इसलिए वहां आप प्रपोशनल रिप्रेज़ेन्टेशन रखते हैं तो वे इसको समझते नहीं हैं। अगर आप ऐसी व्यवस्था रखते हैं जिसको वे जानते नहीं है तो इससे कठिनाइ पैदा होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रघुनाथजी ने अमेन्डमेन्ट रखा है कि जैसा पहले प्रावधान था वैसा रखा जाय, उसको मैं सपोर्ट करता हूं।

Page No. 30

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ इस पर कहना चाहूंगा, कोऑप्टेड मेम्बर और चुने हुए सदस्य पंचायत समिति की कमेटी के लिए अपना वोट कोऑप्ट करें, इसके ऊपर...

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई के दौरान में एक अमेंडमेंट प्रपोज़ किया गया। यद्यपि विधि इस प्रकार की है कि रिप्लाई के बाद डिस्कशन नहीं होता है, फिर भी जो अमेंडमेंट सरकार की तरफ से प्रस्तावित किया गया है, उसकी मन्शा से मैं कतिपय माननीय सदस्यों को इजाजत देता हूं कि इस पर कुछ कहें और इस दृष्टि से कतिपय मेम्बर सुझाव में जो कुछ कहना चाहें वह कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री रामकिशन : अमेंडमेंट लिखित में तो ले लीजिये, वह अभी तक नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : The Amendment is like this...

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : It has not been circulated.

श्री उपाध्यक्ष : It has been done. It is like this.

प्रस्तुत क्लॉज़ में : "Five of whom shall be elected form amongst the members of the Panchayat Samiti in the prescribed manner."

This is the amendment.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल के खण्ड १६ में जो अमेंडमेंट अभी सरकार की ओर से मूव किया गया है और जिसकी आज्ञा आपने उन्हें प्रदान की है, मैं आपकी आज्ञा का विरोध करने की जुर्रत नहीं रखता। मुझे ताज्जुब है, सिलेक्ट कमेटी ने जब काफी विचार करने के बाद प्रपोर्शनल वोटिंग का राइट दिया है सारी पंचायत समितियों को और इस पर हमने काफी कन्सीडरेशन किया है, सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के दृष्टिकोण से किया है और पंचायत के सम्बन्ध में जो वर्किंग ऑफ दी पंचायत राज इन दी राजस्थान, यह रिपोर्ट....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : भाषण दे रहे हैं लम्बा; इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी पर बोल रहा हूं, आप सुनिए। आपमें सुनने का माद्दा होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अन्दर आंकड़े दिए गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब है, पिछली पंचायतों से लिया जाय कि पंचायत समितियों ने अपनी सिलेक्ट कमेटी कॉन्स्टीच्यूट की और उसके सम्बन्ध में सारे राजस्थान के आंकड़े एकत्रित किए गये, उससे नतीजा निकला कि ज्यादातर पंचायत समितियों ने सिलेक्ट कमेटी कॉन्स्टीच्यूट नहीं की....

श्री भीखाभाई : कौन सी ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्टेन्डिंग कमेटी; I am sorry.

श्री गिरधारीलाल व्यास : कैसे नहीं की ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आंकड़े पेश करता हूं। यह रिपोर्ट मार्च १९६२ तक है। १९६२ में दो पंचायत समितियां थीं राजस्थान में, जिन्होंने दो सिलेक्ट कमेटीज़ कान्स्टीट्यूट कीं, तीन ऐसी थीं जिन्होंने कि तीन स्टैंडिंग कमेटीज़ कान्स्टीट्यूट की थी। २३२ पंचायत समितियों का बता रहा हूं। ६६ ऐसी थीं जिन्होंने पांच स्टैंडिंग कमेटीज़ कान्स्टीट्यूट की थीं। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, और इस प्रकार की हैं, ३२ ऐसी पंचायत समितियां थीं जिन्होंने ६ कमेटीज़ कान्स्टीट्यूट की थीं इनको देखते हुए स्टैंडिंग कमेटीज़, यह स्पष्ट है कि ऐसी मनोवृत्ति थी कि स्टैंडिंग कमेटीज़ को रेगुलेट नहीं करना और ज्यादातर पंचायत समितियों से इस प्रकार को रिपोर्ट आना यह बताता है कि मेम्बर्स में कन्ट्रोवर्सी मिटे और वहां कन्ट्रोवर्सी न हो सके। इसलिए चार कमेटीज़ आर्गेनाइज़ की गई। इसलिए इसमें प्रोपोर्शनेल वोटिंग का राइट दिया गया कि पंचायत समितियां एक्टीवाइज हो सकें, प्रोपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके और जो वोट देने का राइट है उसे एक्सरसाइज़ कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यह ताज्जुब की बात है कि जो सिद्धान्त की बात थी, तथ्यों के आधार पर जिस पर पहुंचे थे, जिसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता-हैदराबाद में जो कान्फ्रेन्स हुई, उसकी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, १९६१ में कान्फ्रेन्स हुई उसमें भी इन तथ्यों के ऊपर प्रकाश डाला गया था जिससे सारे सदस्य एक्टीवाइज हो सकें, दलबन्दी पंचायतों में खत्म हो और पंचायत समितियों में खत्म हो सके, दलबन्दी जिला परिषदों में खत्म हो। माननीय सदस्य अभी पार्टीज़ की बात कर रहे थे कि अलग अलग पार्टीज़ केन्डीडेट पुट आप कर दें। पार्टीज़ का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि खड़ा नहीं करेगी। लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने पहले चुनाव में अपने केन्डीडेट खड़े न किये हों।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा सीमित।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खत्म ही कर रहा हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंचायत लेवल पर दलबन्दी हो जाती है; पंचायत समितियों में, जिला परिषदों में दलबन्दी हो जाती है। मैं सदन को यह भी सूचित करूं कि जहां जहां केवल अकेली रूलिंग पार्टी के आदमी होंगे वहां भी दलबन्दी हो जाती है। किसानों में और दूसरे लोगों में जो इस प्रकार की गुटबन्दी बन गई है उसको भी खत्म करना है। प्रोपोर्शनल मल रिप्रेजेन्टेशन का सवाल था, दलबन्दी को खत्म करने का था। सब दलों का उसमें रिप्रेजेन्टेशन हो सके और फन्ड्स का डिस्ट्रिब्युशन हो; वह सही रूप से हो सके। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ नम्रता पूर्वक, मंत्री महोदय, तो गायब हो जाते हैं, अलादीन का चिराग लेकर उनको ढूंढना पड़ेगा, वे इसको विदड्रा कर लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री ने एक संशोधन

Page No. 32

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

रखा है, यह संसोधन बड़ा खतरनाक है और पंचायती राज की भावना के बिल्कुल विपरीत है। राजस्थान में पंचायती राज हिन्दुस्तान में सबसे पहले आरम्भ हुआ और इसको लेकर राजस्थान के मंत्रियों और उसके मुख्य मंत्री ने काफी प्रचार भी किया। लेकिन पंचायत की जो वास्तविक स्थिति है वह यह है कि वहां पर दलबन्दी और आपसी फूट है और जनता को इससे बड़ी भारी दिक्कत होती है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारी धारणा यह है और सदन के माननीय सदस्यों को भी यह विश्वास है कि यदि पंचायतों में दलबन्दी समाप्त की जाय तो पंचायती राज की सफलता की अधिक आशा हो सकती है। लेकिन जो बहुमत पार्टी के सदस्य हैं उनकी धारणा यह है कि दलबन्दी खत्म न की जाय और पंचायतों को, उसके डेव्लपमेन्ट के काम को एक मिशनरी मान कर जनता के शोषण की एक एजेन्सी बनाना चाहते है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा यह सुझाव रखा था कि अगर उनमें सामर्थ्य है तो एक ऐसा प्रावधान बना दें कि किसी राजनैतिक पार्टी का कोई सदस्य पंचायतों के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन राजस्थान की वर्तमान सरकार इसको स्वीकार करने में समर्थ नहीं हो सकी। परसों झलावाड़ से आने वाले माननीय, सदस्य एवं निर्माण मन्त्री घुमा घुमा कर कह रहे थे कि स्वतन्त्र पार्टी राजस्थान को २० साल पीछे ले जायगी.

श्री उपाध्यक्ष ease confine to the amendment.

श्री राधाकृष्ण गोयल : महत्वपूर्ण सुझाव उनको दिये जा रहे हैं, वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

(घंटी)

उसी पर आ रहा हूं। यह कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन इसलिए नहीं चाहते कि चुनाव कम्प्लीकेटेड हो जावेंगे। मन्त्री महोदय और मूवर जरुर समझते है। क्योंकि उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स जो कलेक्टर्स हो सकते हैं इतने काबिल नहीं हैं, इतने xxxx हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन को नहीं समझते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके, यद्यपि यहां स्वतन्त्रता है; फिर भी अभद्र वाक्यों का प्रयोग न किया जाय; खास कर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो यहां पर मौजूद नहीं हैं और जो आपको कुछ नहीं कह सकते और अपने आपको डिफेन्ड नहीं कर सकते; यदि आप उनको गाली भी निकाल देंगे तो निकाल सकते हैं। लेकिन यह आसन का कर्त्तव्य हो जाता है कि इसके लिए आपको पोइन्ट आउट करें।

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : On a point of order Sir, ऐसी बात है,....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर किस रूल के मातहत है, आप बता दें ?

---

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मोतीलाल चौधरी : उन्होंने जो कुछ कहा है उसको एक्स्पन्ज कर दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : कल से ही हो रहा है....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Everybody can raise point of order.

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि हाउस की परम्परा यह है कि....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is a 'Nivedan' or a point of order ?

श्री उपाध्यक्ष : Let him make the Nivedan'.

श्री मोतीलाल चौधरी : वे शब्द एक्स्पन्ज किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्स्पन्ज तो नहीं करना है, इसकी आवश्यकता नही है। मैंने शुरु में ही संकेत कर दिया था कि इस प्रकार को अभद्र भाषा का प्रयोग न करे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I move a note of protest,Sir.

माननीय सदस्य लगातार चेयर को डिफाई कर रहे है,। आपकी ओर से रूलिंग दे दी गई हैं, फिर भी माननीय सदस्य कहते चले जा रहे हैं कि अभद्र शब्द है, उसको एक्सपन्ज किया जाय। माननीय सदस्य आपने आपको चेयर से भी ऊपर समझते हैं और रूलिंग को ओनर नहीं करना चाहते हैं। आपको, बार बार चेयर की आज्ञा का उल्लंघन करके उनको पढ़ाने की आदत पड़ गयी हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्षः Order please !

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री,गृह): on a Parliamentary enquiry, si...

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, कोई दूसरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : If they are unparcamentary they should not remain on the record of the Assembly and they should be expunged from the records.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि अभद्र वाक्य एक चीज है और अनपार्लियामेंटरी दूसरी चीज है। अभद्र का मतलब यह है कि वह साधारण संयम का अतिक्रमण करता हो और अनपार्लियामेंटरी का मतलब यह है कि पर्सनल आक्षेप या हलक या बेइज्जती सूचित करता हो। उनको अलग अलग समझने की आवश्यकता है। केवल मैंने अभद्र कहा और संकेत किया है कि इस प्रकार के अभद्र वाक्य का प्रयोग न करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोक): उपाध्यक्ष महोदय, मनोवृत्ति का द्योतक है। अंग्रेजी में इनकॉम्पिटेंट कहते हैं; मैंने इनको इनकम्पीटेंट शब्द न कह कर वह शब्द कह दिया।

श्री भैरोंसिंह: "अभद्र" शब्द प्रयोग किया, जैसा आपने कहा । आपने मान लिया कि माननीय सदस्य इस प्रकार के अभद्र शब्द का प्रयोग न करें । अच्छा हो कि उसको एक्सपन्ज कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : यदि सदन की यह मंशा हो तो वह अभद्र शब्द एक्सपन्ज किया जाता है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इनकॉम्पिटेन्ट शब्द अभद्र हैं....

श्री उपाध्यक्ष : I am just ho ournig the wishes of the House.

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय मन्त्री अपने ऑफिसर्स को इन्कोम्पीटेन्ट क्यों समझते हैं ? क्यों नहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनाव कराते हैं ? आप कहते हैं कि इसका प्रोसीजर कॉम्प्लीकेटेड है; रिटर्निङ्ग ऑफीसर्स को आसानी से नहीं समझाया जा सकता है । आर. ए. एस, आई. ए. एस ऑफीसर्स हैं, आपको यह डर है कि लोग इसको नहीं समझेंगे । प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन दो प्रकार का होता है, एक है डाइरेक्ट और दूसरा बाई सिंगल ट्रान्स्फरेबल वोट्स । उदाहरणार्थ २४ सदस्य खड़े होते हैं या १६ हैं .....

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): किसको कानून बता रहे हैं ? भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं !

श्री राधाकृष्ण गोयल : प्रोपोर्शनल वोट्स को समझने में भी दिक्कत है तो डाइरेक्ट इलेक्शन है । वाया मीडिया स्पष्ट निकाल सकते हैं । प्रोपोर्शनल वोट्स बाई सिंगल ट्रान्स्फरेबल वोट्स न होकर प्रोपोर्शनल वोट्स पर चुनाव करा लिया जाय । कोई पांच वोट्स से जीतता है; ७ दे दिया तो दो वेस्ट चले जायेंगे ।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल जयपुर) : आप बतावें; सिंगल निकाल दें तो ट्रान्सफरेबल वोट क्या रह जाता है, यह समझा दें ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : बहुत आसान है यह । समझा दूं मैं कि हमारे ३० वोटर्स हैं; इनमें से चार उम्मीदवार खड़े होने को हैं । तो मिनिमम कोटा चार के लिये ८ होंगे; आठ या इससे ज्यादा हो जायेंगे तो वही विजयी हो जावेगा ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मिनिमम कोटा ८ का होगा नहीं । यह गलत कहते हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जिसको एलिमिनेट कर दिया है उसके वोट दूसरे में जोड़े जायें ।

श्री मथुरादास माथुर : यह यों नहीं होता है । इस तरह से वोट ट्रान्सफर नहीं होते हैं । यह कैल्कुलेशन का मामला है । इसको समझना हो तो आप मेरे पास आ जायें, मैं समझा दूंगा ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं निवेदन करूं कि अगर बहुमत के अनुसार इलेक्शन होगा तो इससे दो बुराइयां पैदा होंगी । विरोधी दल यह समझेगा कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के

Page No. 35

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

आधार पर नाजीवाद की तरफ जा रही है क्योंकि देखेंगे कि राज्यसभा में भी इसी प्रकार से चुनाव होने लगे तो फिर कॉन्स्टीट्यूशन को बदल कर आप ऐसा कर सकेंगे...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इससे प्रोमोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन नहीं होता और प्रोमोर्शनल रिप्रेन्जेटेशन के लिये आज की प्रणाली, सिंगल टान्सफरेबल वोट की प्रणाली वहां लागू है। तो अगर इन समितियों के चुनाव भी डाइरेक्ट इलेक्शन से होने लगे तो विरोधी दल का कोई व्यक्ति इनमें नहीं आ सकेगा। सभी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये यह संशोधन स्वीकार करना अनुचित है। इसलिये इस संशोधन को वापिस लिया जाये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : न तो यह मसला इस तरह का है, न पार्टी बाजी का है। यह पंचायत के बारे में सही सिद्धान्त की बात, समझने की बात है। यह समझने की जरूरत है कि इन दोनो चीजों का क्या असर उस पर पड़ने वाला हैं।

सवाल यह है कि हमने बार बार इलेक्शन इसके पोस्टपोन किये और इसलिए किये कि इस मसले पर एक कमेटी बैठे और वह सोच विचार के बाद कुछ सुझाव दे और फिर सदन उस पर विचार करके नया चुनाव करावे।

अब इसमें यह आया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से ये स्टेन्डिग कमेटियां होंगी तो मुमकिन है अच्छा हो। सवाल यह है कि दोनों का फर्क क्या है? यह समझ कर जो भी सदन को अच्छा लगे करे। पर मैं अपील करूं कि हमें अक्ल का दरवाजा बन्द नहीं करना चाहिये। जो जनता के हित में हो वह करना चाहिये।

डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की शक्ति एक खतरा भी हो सकती है अगर वक्त जरूरत उस पर रोक न लगाई जाये तो। अगर सौ आदमी किसी हाउस में हों और ५१ एक तरफ हों और ४९ दूसरी तरफ हों तो मेजोरिटी की ताकत पर ५१ लोग ४९ को गुलाम बना सकते हैं। तो मैं पूछता हूं, are we going to that policy? तो यह सोचा गया कि इस सदन में भी जहां कमेटियां बनती हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का सिद्धान्त माना जाय। तो इसका मतलब यह है कि वहां सबका इन्टर-फियरेन्स और वॉइस हो। अब अगर उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें सभी की वोइस मालूम पड़ती है, और अगर यह ठीक न हो तो हाउस को हक है, उसे ठीक कर दे यहां पर। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका एक पर्पज़ है, इसको प्रोपर्ली सोचे सरकार। कारण क्या है कि मेजोरिटी पॉवर में आ गई और उनकी ही स्टेन्डिंग कमेटी बन गई तो इससे करप्शन बढ़ेगा। अन्दर ही अन्दर एक ही गुट्ट के लोग मिल कर करप्शन बढ़ावेंगे, पैसे का दुरुपयोग करेंगे, षड्यन्त्र करेंगे और कॉन्स्पीरेसी की बात सोचेंगे और वे बातें, वे चीजें बाहर नहीं निकल पावेंगी, जनता को मालूम ही नहीं हो सकेगा। गुट्टबाजी तो वैसे सब जगह होती है, गुट्टबाजी का विरोध वही करता है जो गुट्टबाजी की सीढ़ी पर चढ़ कर ऊपर चढ़ गया है और फिर गुट्ट का विरोधी बन कर गुट्टबाजी नहीं करने का उपदेश देने वाला

Page No. 36

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बन जाता है और सीढ़ी को लात मारने की कोशिश करता है। कांग्रेस गुट्ट रखती है तभी तो राज करती है। तो गुट्ट बाजी का सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदारी से चले, काम ईमानदारी से हो । यह डेमोक्रेसी में जरूरी है। सबको मालूम होता रहे कि क्या हो रहा है। तब तो पानी नहीं मरेगा। यह खर्चा कैसे हुआ, पैसा कहां गया, कहां क्या हुआ, यह सब पता चल जावेगा जो कमेटी, में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से दूसरे गुट्ट का या पार्टी का आदमी आता है तो।

तो यह क्या चीज है कि आज ४०९ के गबन के केसेज़ आपके पास आते हैं, किसी में तो सस्पेन्ड कर देते हैं और किसी में आप सस्पेन्ड करते नहीं; एक ही तरह के कुसूर होने पर भी नहीं करते, दो तरह से काम करते हैं। केसेज़ ऐसे आपके पास चल रहे हैं, मुझे मालूम है, चैलेन्ज करेंगे तो नाम बता दूंगा। अरवड का केस आपके पास चल रहा है। पहले तो पता नहीं चला, इसलिये कि उसकी मेजोरिटी है इसलिये उसका केस दबा रहा, पर चलने के बाद भी पार्टीबाजी की वजह से उसको सस्पेन्ड नहीं किया जा रहा है। मुझसे नाम पूछे तो बता सकता हूं—अरवड का सरपंच। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन से ये सब बातें रुक सकती हैं। कम से कम विरोधी दल के लोगों को पता रह सकता है, आप पर चैक हो सकती है।

कितना ही बेईमान किसी को बता दो, यह सरकार हमें फाइलें नहीं देती; यहां कमेटियों की बात में कह सकता हूँ, पर उसके बाद भी रिपोर्ट तो देते हैं। सदन में रिपोर्ट आती हैं, अब यहां आप उसे मानें या न मानें, लेकिन कम से कम सदन में जो हो रहा है, सरकार में जो हो रहा है उसका हमारे विरोधी हैं उनको पता तो होता है कमेटियों में होने से, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली वे मौजूद है वहां, किसी की दया से नहीं, बल्कि अपने प्रोपोर्शन से हैं। इसलिये गुट्टबन्दी हो कोई जिसको कहना चाहिये; डाकेजनी हो, कॉन्सपीरेसी हो, इन सबको रोकना है तो प्रोपोशनेट वोटिंग करके स्टेन्डिंग कमेटी को बनाना चाहिये। अगर कॉन्सपीरेसी और बेईमानी वगैरह को तोड़ना नहीं है तो मेजोरिटी से रहने दो।

तो आप इस मामले में निश्चिन्त नहीं हैं, खुद का दिमाग येवरिंग है। किस चीज का क्या असर पड़ेगा, कुछ नहीं। आप चले आ रहे हैं; तोले भर कभी, तो मासे भर कभी। इस तरह की चीजें कर दी हैं जिन्हें मैं ठीक नहीं समझता और मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी महसूस करते होंगे और आपको भी दिक्कतें होती हैं, कभी रिलेक्स आपको यह करना पड़ता है और कभी वह करना पड़ता है। आखिर सरकार क्या चाहती है? कमेटी कुछ कहे, प्रवर समिति कुछ कहे, पास अभी कुछ करायें और अभी कुछ पास करें और कभी कुछ और फिर कहें कि इसको भी पलट दो, तो सदन का मखौल इतने इम्पोर्टेन्ट कानून के ऊपर नहीं होना चाहिए। स्टेन्डिंग कमेटी में मेजोरिटी क्यों रखना चाहते हैं; वहां पर करप्शन होगा और कॉन्सपीरेसी होगी और जनता के एक्सचैकर को और हमको नुकसान पहुँचेगा। सारा रुपया लेकर

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वे एक तरह से बांट देते हैं और उससे देश के अन्दर खाद्य और दूसरी समस्यायें हैं उनके ऊपर असर पड़ता है और पैसे का दुरुपयोग होता है। पता नहीं चलता कि स्टेन्डिंग कमेटी ने पैसा किसको दे दिया और किसको नहीं दिया। वहां पर जो भी गुट हों, लेकिन कम से कम पंचायतों का ऐसा तरीका डालिये जिससे उसके अन्दर जो इस सदन के टैक्स लगाने से रुपया उनको ट्रान्सफर होता है उस ट्रान्सफर किये हुए रुपया का किसी तरह से गबन न हो जाये, बल्कि जो कॉन्सिटीट्यूएन्ट्स हैं उनको उसका पता रहे। इसलिए इसके अन्दर प्रपोर्शनल वोटिंग होना चाहिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वह रूल्स के अन्दर प्रेस्क्राइब्ड है और जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं कि कलेक्टर या विकास अधिकारी; तो इनका कोई प्रश्न नहीं है। जो कोऑप्शन होगा वह तो प्रधान करायेगा। गवर्नमेन्ट सरवेन्ट का कोई सवाल नहीं है। रूल्स के अन्दर प्रोवाइडेड है कि चुनाव प्रधान करायेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जरूरी नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : है। उसके अन्दर देख लीजिए प्रधान करायेगा और जब प्रधान इलेक्शन करायेगा तो the procedure as it is है। जो पहले था वही है। इसलिए यह प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के रखने की बात नहीं आती है। आप चाहते हैं कि चुनाव ज्यादा सिम्पल बनाया जाये, लेकिन आप उसको और कॉम्पलीकेटेड बना देना चाहते हैं। तो प्रधान के सामने यह दिक्कत आ सकती है?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of, order Sir, मैं यह कहता था कि जो सदस्य अपने संशोधन को मूव कर चुके हैं उनको दुबारा बोलने का कैसे अधिकार दिया है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सभी की मान्यता है कि पंचायत राज्य सहयोग पर ही चलाया जाये। जनसंघ की दृष्टि से या पोलीटीकल पार्टीज़ की दृष्टि से इसके ऊपर सोचना गलत होगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि गांवों के अन्दर राजनैतिक दल न होकर जातिवाद के ऊपर चलते हैं। प्रधान को चुनने के बाद जो स्टेन्डिंग कमेटी बने उनके अन्दर आपस के कोऑपरेशन से नीति का निर्धारण हो, पैसों का वितरण हो और सब बातें सहयोग से चल सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गुटबंदी और जातिवाद वहां पर समाप्त किया जाये और उसके लिए जो व्यवस्था की गई है, जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई है और उसके अन्दर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनावों की पद्धति की गई उससे अच्छी और कोई पद्धति नहीं हो सकती। माननीय सदस्य श्री बिश्नोई ने जो डिफिकल्टी बताई थी वह किसी नीति के आधार पर नहीं बताई थी। उन्होंने यह कहा था कि चुनाव पद्धति इतनी जटिल बन जायेगी कि लोग उसको समझ नहीं पायेंगे। जो चुनाव पद्धति है, आप जो कह रहे हैं कि रूल्स के अन्दर इस तरह की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

व्यवस्था है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी रूल्स के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था है तो वे रूल्स आसानी से एमेंड किये जा सकते हैं। वहां पर बी० डी० ओ० अपने आप रिटर्निंग ऑफिसर बन कर काम कर सकता है। बी० डी० ओ० आखिर आर० ए० एस० कैडर का आदमी है। अगर वह रिटर्निंग ऑफिसर बन कर कोऑप्शन स्टेडिंग कमेटीज़ के अन्दर करवाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन का आधार रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि जो बिश्नोई जी की डिफिकल्टी है वह आसानी से दूर हो सकती है। आपके सामने यह डिफिकल्टी है कि वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर प्रधान होता है तो उसको बदल लें और उसके लिए अमेन्डमेन्ट लाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय. सदन के समक्ष यह बिल पहले भी आया था....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर दूं कि अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करते समय उस पर जो विवाद हो वे उसी मुद्दे को लें। जिस प्रकार से यहां केवल यह प्रश्न है कि "in the prescribed manner" उसको स्थानापन्न किया जाये या मूल में जैसा है वही रखा जाये या कुछ और किया जाये, उसी तक सीमित रहें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं एक मिनट में यह बात अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल पहले भी आया था और जब यह बिल आया और इसको लाया जा रहा था उस समय हम कुछ पार्टी के सदस्य, विरोधी दल के कुछ सदस्य और जो मन्त्री महोदय इसको डील करते हैं वे अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में गये और उनसे कहा कि इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद, बराबर इस बिल की हर धारा में सरकार की ओर से अमेन्डमेंट आ रहे हैं, यह अच्छी परम्परा नहीं है। सरकार को इस तरह के अमेन्डमेंट्स लाने का अधिकार हो सकता है लेकिन हर क्लॉज़ में इस तरह के अमेन्डमेन्ट आयें, हमने कभी इस सदन में ऐसी परम्परा नहीं देखी। उस समय अध्यक्ष महोदय के सामने माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अब इस बिल में कोई अमेंडमेंट सरकार की तरफ नहीं आ रहा है। मैं यह बात कह रहा हूं कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने मननीय मंत्री महोदय ने कही थी और उसके बावजुद भी, अध्यक्ष महोदय के सामने बातचीत होने के बाद भी माननीय मंत्री महोदय फिर आज इसमें अमेन्डमेंट ला रहे हैं। यह अच्छी परम्परा नहीं है। जैसा अन्य सदस्यों ने बताया है कि सिलेक्ट कमेटी में या सब-कमेटी में सब पार्टीज़ का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, यह स्वस्थ परम्परा है और जनतंत्र की नींव है। अगर आज कांग्रेस जनतंत्र से परे हट कर किसी भी पार्टी का पंचायत समिति में बहुमत हो, अगर उस पंचायत में किसी भी खास पार्टी का साम्राज्य बनाना चाहते हैं, उसमें

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कांग्रेस के प्रजातंत्र का नारा, समाजवाद का नारा इससे मेल नहीं खाता है और मैं यह भी कहता हूं कि यह सारी उपज जहां तक मुझे मालूम है और जैसा मैंने हाउस में देखा है यह सारी उपज भीखाभाई के दिमाग की नहीं है और उनको कभी कोई आकर दबाता है और कभी कोई आकर दबाता है। यह भीखा-भाई के दिमाग के परे की बात है। यह बदकिस्मती हमारी है कि भीखाभाई हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम अपने मुंह कब तक दाबे रखें, हमारा प्रतिनिधित्व इतना लूज है कि जिसके लिए हमें बोलना पड़ता है। हमें शर्म आती है कि हमारा प्रतिनिधित्व आप करते हैं....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): वोट तो खिलाफ देते हो और फिर कहते हो अपने ही हैं।

श्री जयनारायण सलोदिया : प्रतिनिधित्व तो हमारा ही करते हैं। मैं यह अर्ज करता हूं कि सरकार इसको प्रेस्टिज का प्रश्न न बनाये और जो उन्होंने किंचित मात्र के लिए और जरा सी बात के लिए अमेन्डमेंट दिया और दलील दी है कि चुनावों में दिक्कत आयेगी उसके लिए माननीय सदस्यों ने बहुत रास्ते बताये हैं। अगर यही दिक्कत है तो उनको हल किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह १९ वीं धारा के अन्दर जो सिलेक्ट कमेटी (स्टैंडिंग कमेटी) की व्यवस्था की है उसके लिए एक एमेंडमेंट जो मूव हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सवाल यह है कि आज जो पंचायत समितियां हैं और उनके अन्दर जो काम करने के तरीके निर्धारित किये गये हैं उनमें से सबसे ज्यादा पॉवर सिलेक्ट कमेटी (स्टैंडिंग कमेटी) को दी है और वह सिलेक्ट कमेटी (स्टैंडिंग कमेटी) लाखों रुपये, जो कि पंचायत समिति में डेवलपमेंट के काम के लिए हैं; चाहे कुए खोदने के लिए हो, सड़क बनाने के लिए हो, तालाब बनाने के लिए हो किसानों को तकावी देने की बात हो, यह सारा पैसा जो लाखों रुपयों की तादाद में होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की पॉवर आज अगर किसी को दी गई है तो वह सिलेक्ट कमेटी (स्टैंडिंग कमेटी) को दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले अगर यह मानकर बैठे हों कि बहुमत उनका आने वाला है तो बहुमत विरोधी लोगों का आयेगा पंचायत समितियों में और जो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, अगर प्रोवीज़न के अन्दर एमेंडमेंट करके एक ही पार्टी की बहुमत स्टैंडिंग कमेटी में लाना चाहते हैं, यह सबसे ज्यादा घातक है। अभी प्रश्नों के टाइम के बाद में एक प्रश्न चला, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी विरोधी दल के हाथ में थी उसको लोन नहीं देने की बात हाउस में आ चुकी है तो मैं आपसे....

श्री उपाध्यक्ष : एमेंडमेंट पर सीमित रहें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं उसी के ऊपर हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ऐसी जो पॉवरफुल बोडीज़ हैं उनके अन्दर हर पार्टी व ग्रुप के आधार पर आदमी लिये जायं तो एतराज क्या है ? मैं सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था और मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने सिलेक्ट कमेटी के अन्दर कम से कम दो-तीन घंटे इस पोइंट पर खर्च किये और उन्होंने इस बात पर राय प्रकट की कि सिलेक्ट कमेटी में यह रद्दोबदल करना चाहिए कि अनुपात के आधार पर रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ स्टैंडिंग कमेटी में होने चाहिए। अब यह अमेंडमेंट मंत्री महोदय ने दिया। आज तो मैं समझ नहीं पाया कि उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज आ गई कि कहने लगे कि स्टैंडिंग कमेटी में ऐसा रिप्रेजेन्टेशन नहीं होना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त में सिलेक्ट कमेटी में इस पर विचार हो रहा था उस वक्त में चुनाव की बात आई थी, तो मंत्री महोदय ने चुनाव का कहा था कि हो सकता है कि रद्दोबदल करनी पड़ेगी और सरकार करेगी और सरकार की मन्शा सब पार्टी के लोगों को रिप्रेजेन्टेशन देने की है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भीखाभाईजी आप अपने दिमाग को साफ करें। शायद उनका दिमाग उनके पड़ोस में बैठने वालों ने कुछ भर दिया हो, तो उनको एक कदम आगे बढ़कर जो कुछ उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में सरकार की नीति बताकर वहां मेम्बरों के सामने रखा और उस आधार पर यह अमेंडमेंट सिलेक्ट कमेटी ने किया है उसको वैसा का वैसा माना जाना चाहिए और यह जो यहां नया प्रोपोज़ल आया है, अमेंडमेंट कराये जाने के लिए उसको न मानें।

श्री मानसिंह माहूर (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हमारे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिनको मैं बताना चाहता हूं वे उधर खड़े हैं (माननीय मंत्री के राजकीय दीर्घा के समीप होने पर); लेकिन आपके जरिये मैं एक बात बताना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के जो फैसले होते हैं उनको अगर पंचायत समिति को बदलना होता है तो मैं आपको बताऊं कि एक महीने के अन्दर पंचायत समिति में उस बात पर होना चाहिए। मुझे इसका यह तजुर्बा, अनुभव है, वह मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं भी एक पंचायत समिति का मेम्बर हूं और दो में एज़.ए. एम.एल.ए. आता हूं। तो एक पंचायत समिति में एक ही ग्रुप के ७ आदमी मेम्बर थे। एक प्रस्ताव उन्होंने किया और उस प्रस्ताव को करके और दबा कर बैठ गये एक महीने तक। जब महीने भर के बाद हमको मालूम हुआ कि इस तरह का प्रस्ताव कुछ स्टैंडिंग कमेटी ने रुपया पैसा देने-लेने का कर लिया है तो हमने उस चीज को पंचायत समिति में रखा तो हमारे यहां के बाफना साहब जो कि यहां के कलेक्टर के सेक्रेटरी हैं, पंचायत के लिए डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वे वहां गये। हमने इस मामले को रखा तो उस ग्रुप ने यह एतराज किया कि महीना भर निकल गया। आप स्टैंडिंग कमेटी के फैसले को बदल नहीं सकते हैं। उन्होंने इसको अन्डर रूल बताया कि यह देख लो कि यह रूल है कि एक महीने के बाद नहीं बदल सकते हैं। तो निवेदन करूंगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन पर आप विचार कीजिये। मंत्रीजी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ तो सोचें कि अगर एक ही ग्रुप के सात आदमी हो गये तो वे किसी प्रकार से उसको दबाकर बैठ जायेंगे और

(श्री मानसिंह महार)

पंचायत समिति फिर उसमें कुछ नहीं कर सकती है।

बड़े दुःख का विषय है कि अभी कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य जो अपने आपको उन कुर्सियों पर बैठने का उम्मीदवार मान कर चलते हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): आप मानते हैं।

श्री मानसिंह महार : हम तो मानते हैं कि आप बिराजें वहां वे यह कहना चाहते हैं कि पंचायत समितियों में ग्रुप नहीं होते हैं। यही नहीं कि पोलिटिकल डिवीजन होते बल्कि पंचायत समितियों में जातिवाद के ग्रुप होते हैं, पंचायत समितियों में व्यक्तिवार ग्रुप होते हैं। यह बात मत कहिये। यह हम नहीं चाहते हैं। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि जिन पंचायत समितियों में हम अस्तित्व में हैं उनमें आगे भी आयेंगे, आप कितना ही जोर लगाएं और आज भी वहां छाये हुए हैं। लेकिन यह प्रसंग एक नया प्रसंग है। मैं आपसे यह कहूं कि अगर एक प्रकार से पंचायती राज्य को देखिये तो मंत्रीजी का एमेंडमेंट अगर पास हो जाता है तो उसका हनन करना होता है।

कहा गया कि प्रधान चुनाव नहीं करायेगा। मैं कहता हूं कि प्रधानों पर एक लांछन है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रिजेन्टेशन नहीं होना चाहिए और अगर प्रधान नहीं भी करा सके उसको भी मान लेते हैं,तो आप बी०डी० ओ० को मुकर्रर कर दें, हमें कोई एतराज नहीं है। बी०डी०ओ० से नहीं करायें तो एस०डी० ओ० को कर दें। आपको जचे उसको कर दें; महज इसलिए कि यह कह कर कि प्रधान चुनाव नहीं करा सकता है इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन नहीं रखना चाहते हैं, यह बहुत गलत परम्परा होगी, यह बहुत गलत चीज है। मंत्रीजी को मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप यह तो साबित कीजिये कि आप राजस्थान में पंचायती राज्य को कामयाब बनाना चाहते हैं और आप इसके लायक हैं कि आप पंचायत मिनिस्टर हों और अगर आप इस लायक नहीं हैं और हर बात में उधर सेकेटरीज़ से बात करते हैं या अपने पड़ोस में बैठे हुए बिश्नोईजी या गिरधारीलालजी से कानाफूसी करें, यह आपकी योग्यता का नमूना है। मैं कहता हूं कि भारत ही नहीं, इंग्लैंड या जितने भी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज हैं, उनके इतिहास में यह नायाब चीज होगी कि एक सिलेक्ट कमेटी का अध्यक्ष सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में खुद इतने एमेंडमेंट लाये। हमने देखा है कि सरकारी पक्ष एमेंडमेंट लाता है। राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू बिल आया, टीनेन्सी बिल आया और सरकार बहुत एमेंडमेंट्स लाई, लेकिन जो मिनिस्टर इन्चार्ज श्री दामोदर व्यास थे वे एक भी एमेंडमेंट नहीं लाये। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज पार्लियामेंट्री परम्पराएं खत्म की जा रही हैं। दामोदरजी नहीं लाये, लेकिन उनके साथी इधर उधर बैठने वाले एमेंडमेंट लाये और पारित हुए। दामोदरजी ने उनको मन्जूर किया; लेकिन यह नहीं कि सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष भीखाभाई थे और वे खुद ही एमेंडमेंट लायें तो परम्पराओं को तोड़ना तो इनका परम कर्तव्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें आपको शेल्टर देना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मंत्री जो पार्लियामेन्ट्री

(श्री मानसिंह महार)

पद्धति को खत्म करना चाहते है, जो अपने आपको तानाशाह समझते हैं, तो न तो वे इतने काबिल और योग्य या ऊंचे हैं कि मैं उनको नादिरशाह कहूं।........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मुश्तकिल मिजाज़ा कुछ कम है।

श्री मानसिंह महार : आपने फर्माया वह बिल्कुल बजा है। यह, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल में और कुछ भी नहीं है और चाहे सब पारित हो जाय....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन लहर मार जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फिकल माइन्डेड से सतर्क रहें।

श्री मानसिंह महार : उनमें गांठ की अकल नहीं है और लोगों की राय पर चलते हैं, यह बहुत खतरनाक चीज है। (घंटी) इतना कूट कूट कर हम उनके दिमाग में भरते हैं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): दिमाग को कूटना मत, भरने की ही कोशिश करें।

श्री मानसिंह महार : इतना कूट कूट कर भरने की कोशिश करते हैं।

मैंने वह बात भी बताई कि स्टैंडिंग कमेटी के फैसलों को एक महीने में पंचायत समिति बदल सकती है, यह शायद आपको मालूम नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(११.०० म. पू.)

यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। उपाध्यक्ष महोदय, ५ मिनिट और दें। मैं कुछ तथ्यों पर जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किसलिये इसका विरोध करता हूं। मेरी पंचायत समिति में झोटवाड़ा पंचायत समिति है। भैरोंसिंहजी कहते हैं कि डरो क्यों हो। मैं किसी लाट साहब से डरता नहीं हूं। मेरी मिली-भगत नहीं है। पहले दिन तय करेंगे और दूसरे दिन जवाब तैयार करके आवें, ऐसा मैं नहीं करता। झोटवाड़ा में जितनी तकावी दी गई वह सब म.पू बाजी के आधार पर दी गई। और जब पंचायत समिति में उलटने की बात आई तो बात टाल दी गई। आप गरीबों को तकावी देना चाहते हैं या मुझ जैसे मोटे मुर्गों को।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है। ५ मिनिट देने पड़ेंगे। यहां नहीं बोलें तो हमारा आना व्यर्थ है।

मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी एक पंचायत समिति का सदस्य हूं सरपंच की हैसियत से। हमारे म.पू का बहुमत है। मैं चाहता तो ५० हजार रुपयों की तकावी ले सकता था, लेकिन मैंने एक पैसा नहीं लिया। मेरे गांव में बिजली लगी, १८ किसानों को तकावी दिलाई। मैंने अपने भी चार कूओं पर बिजली

(मानसिंह महार)

लगाई है, लेकिन एक पैसा भी नहीं लिया जब कि आपके प्रदेश-अध्यक्ष जैसों को तकावी मिली। मैंने अपनी जमीन परकोठिया बनाई, कुए बनाये, मेरे एक भी बच्चे ने एक पैसा तकावी का नहीं लिया....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके बच्चे तकावी लेने जैसे हैं क्या ?

श्री मानसिंह महार : मेरे बच्चे हैं मूंछोंदार। आप भी मेरे बच्चे के समान हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नालायक बच्चा।

श्री मानसिंह महार : बच्चा समझ कर माफ करता हूँ। यह सरकार अपने अधिकारियों के हाथ में सब कुछ देना चाहती है। एक विचार आया कि कोऑपरेशन नहीं होना चाहिये। दूसरी विचार-धारा आई चुनाव डाइरेक्टली होना चाहिये, तीसरी विचार-धारा आई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के जरिये होना चाहिये, लेकिन दोनों को उलट दिया। मन्त्रीजी सिलेक्ट कमेटी में बैठे थे तब प्रोपोर्शन्ल रिप्रेजेन्टेशन को अपनाया और यहां आये तो पीछे बैठने वाले दोनों महारथियों ने दुबका दिया तो डर गये बेचारे और इसने के बाद "in the prescribed manner" कर दिया। बताइये भला।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : लिखा है, इन रूल्स।

श्री मानसिंह महार : उनकी मर्जी है जैसा कर देंगे। उनकी मर्जी नहीं है उनको कौन पूछता है ? उनके आका जो सेक्रेटेरियट में बैठते हैं मोटे मोटे, उनकी मर्जी है। मैं जानता हूं, "in the prescribed manner" करके कल ज्यादा पंचायत समितियों में उनके विरोधी आ गये तो और नजारा आ जायगा और इनके गुर्गे आ गये तो और हो जायगा। सब बातें पोलिटिकल वे में होती हैं, जनता की भलाई के लिये नहीं। इसीलिये जो सिलेक्ट कमेटी ने रखा है उसकी ताईद करता हूं। माननीय सदस्य, ज्वालाप्रसादजी जैसा कहते हैं, मैं कहता हूं डिविज़न क्लेम करेंगे और ज्वालाप्रसादजी की आत्मा को जिन्दा रखने के लिये इधर वोट देंगे....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इतना गुड़ गीला होता तो चींटे खा जाते तुम्हारे जैसे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस बात को इतना लाइटली लिया जा रहा है। अभी अभी तीन अमेन्डमेन्ट्स आये हैं। आपकी व्यवस्था थी कि जो अमेन्डमेंट्स आवें उनका हिन्दी रूपान्तर आवे; अभी अभी तीन आये हैं मन्त्रीजी के दिमाग में, अब भी शान्ति नहीं है। ऐसा लाइटली डील करने के लिये इसको नहीं लेना चाहिये, इसका हिन्दी रूपान्तर आना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फ्लड आ रहा है अमेन्डमेन्ट्स का, इसको बचाइये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! हो सके तो इनका हिन्दी रूपान्तर पेश करें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अब नहीं, पहले आने चाहिये थे। बार बार ऐतराज करने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : पहले व्यवस्था की जा चुकी है कि अमेन्डमेन्ट्स आवें तो हिन्दी रूपान्तर भी प्रस्तुत किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है कि हिन्दी रूपान्तर आया या नहीं। प्रश्न यह है कि इस समय अमेन्डमेन्ट्स क्यों हाउस में पेश किये जाते हैं ? हम सरकार से नहीं उपाध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि किन रूल्स के मातहत अलाउ किये गये, क्यों नोटिस दिये बिना स्वीकृत किये गये। यहां आये हैं तो इसका मतलब यह है कि स्वीकृति आपने दी है और डिस्कशन होगा। अनुमति आपने बिना हिन्दी रूपान्तर आये कैसे दे दी और यदि अनुमति दे दी तो क्यों हमसे एक्सपैक्ट करते हैं कि हमें रूल्स की सीमा के अन्दर काम करना चाहिये और सरकार की ओर से जो चाहे कर सकते है और विरोधी दल की ओर से अमेन्डमेंट आवे तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमने कौनसा अपराध किया है कि हमारे ऊपर सरकार जो चाहे थोप दे। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी तो आप यह बतावें कि रूल्स को बलाये ताक रख दिया है या रूल्स के अनुसार व्यवस्था न करके और उसको बलाये ताक रख कर सरकार जो चाहे वह करवा सकती है, व्यवस्था के रूप में बात मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में पहला प्रश्न यह उठाया गया कि सरकार अमेन्डमेंट दे सकती है या नहीं इस मौके पर; इस विषय में मैंने यहां पर परम्परा कोट की थी। मैं फिर कोट कर देता हूं....

श्री भैरोंसिंह : सरकार का सवाल नहीं है, सवाल है टाइम का।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में पहले भी यह कहा गया :

"There is on bar to that, specially for Minister, f.r making amedment. His position is different. Therefore the hon. Minister is allowed to move his amendment."

यह जो यहां पर मिनिस्टर की पोज़ीशन डिफरेन्ट बताई उसका आशय यह है कि एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी अर्थात् यहां कैबिनेट उसएग्जीक्यूटिव ओथोरिटी को यथा समय हरेक त्रुटि को सुधारने की आवश्यकता पड़ जाती है ताकि कोई एन मौके पर भी अमेन्डमेंट लाया जाकर उससे यदि आगे भविष्य में बिल कानून बनने पर और अमेन्डमेंट लाने से बचाया जा सके तो उसके लिए उनको यह छूट दी जाती है। फिर भी मैं यह जरूर कहूंगा कि जहां तक हो सके, प्रवर समिति के आवेदन के बाद जितने कम परिवर्तन हों वही उचित है और इसके ऊपर सरकार को ही ध्यान रखना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह आपकी रूलिंग स्वीकार करूंगा मजबूरी से, लेकिन इस रूलिंग के द्वारा पहले रूलिंग को खत्म कर कर दिया। इस पोइन्ट पर पहले की रूलिंग केवल इस बात पर है कि सिलेक्ट कमेटी में चेयरमैन की हैसियत से मिनिस्टर बैठता है वहां कर सकता है या नहीं अमेन्डमेंट, यह जो रूलिंग दी है, जिसे कि क्वोट किया गया उसका केवल लिमिटेड सेंस है। वह एक ही बात शो करता है कि चेयरमैन को अमेंडमेंट मूव करने का राइट है या नहीं; अब आपने पहले जो फैसला कर लिया वह मानकर चलते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं, कि एग्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी और बाकी के मैम्बर्स में डिफरेन्स नहीं है । हमारी पार्लियामेंट के रूल्स और आज के कन्वेन्शन्स कोई भी छूट नहीं देती कि विधान सभा में बैठने के बाद एक मैम्बर से दूसरे मैम्बर में कोई डिफरेन्स है । जहां तक रूल्स का और प्रिविलेजेज़ का सवाल है मैं समझता हूं कि उसमें एक सामान्य सदस्य और मिनिस्टर की हैसियत में कोई फर्क नहीं है । मिनिस्टर भी मोशन और अमेन्टमेंट मूव कर सकता है और एक सदस्य भी कर सकता है । जो रूल्स मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं वे ही रूल्स एक सदस्य को भी प्रोटेक्ट करते हैं । जो प्रिविलेजेज़ एक मिनिस्टर को हैं यहां, उतनी ही एक सदस्य को भी हैं । उनके और एक मेम्बर के बीच में हाउस में रूल्स के द्वारा या किसी रूलिंग के द्वारा या किसी नियम–उपनियम के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, न रूलिंग के द्वारा हो सकता है और न किसी नियम के द्वारा हो सकता है । और अगर आज एक ऐतिहासिक रूलिंग देकर एक मेम्बर और दूसरे मिनिस्टर–मैम्बर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहें, तो चुनौती तो उसको मजबूरी से मैं नहीं दे सकता, पर यह कह सकता हूं कि सदन की परम्परा को अनुचित और अनहैल्दी करने की कोशिश की है इसके द्वारा ।

यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसमें समय का प्रश्न आता है । उसमें हिन्दी के रूपान्तर का भी प्रश्न आता है और अगर रूलिंग क्वोट की है तो वह दोनों के पोइन्ट्स को कवर नहीं नहीं करती, इसलिए इसको कभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकते ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order ! Order please !! उसी के विषय में कह रहा हूं कि जो सदन की परम्परा है रूल्स के अनुसार कार्य करते हुए भी परम्परा का ख्याल रखना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : परम्परा तो नहीं है । He can move any amendment. अमेन्डमेंट देने का झगड़ा नहीं है । The question is whether he can move at any time. इसके बारे में आप एक भी रूलिंग हो तो बता दीजिए राजस्थान विधान सभा की । तो there is a difference between these two points.

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रेसीडेन्ट अधिकतर मिनिस्टर इन्चार्ज होते हैं और शेष समय....

श्री भैरोंसिंह : It is not necessary.

श्री उपाध्यक्ष : Of course. ताहम अधिकांश प्रवर समितियों को आज तक आपने देखा है अध्यक्ष मिनिस्टर ही हुए हैं और यह जो मैं रूलिंग क्वोट कर रहा हूं यह २९ अक्टूबर, ५८ को प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित बिल के ऊपर हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट यह है, मैं निवेदन करूं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order, Sir.......

श्री उपाध्यक्ष : There is already a point of order.

श्री भैरोंसिंह : मेरे क्वेश्चन के दो मुद्दों को अलग अलग देखने की कृपा करें। मेरा क्वेश्चन एक तो यह था कि जो पहले डिस्पोज़ ऑफ किया कि बीइंग ए चेयरमैन, सिलेक्ट कमेटी की विशेज़ के अगेन्स्ट अमेन्डमेन्ट मूव कर सकता है या नहीं, यह पहले भी डिस्पोज़ ऑफ कर दिया था। पर क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन यह है कि इस समय हमारे पास जो सर्क्यूलेटेड अमेन्डमेन्ट आया है वह इस समय सर्क्यूलेट किया जा सकता है या क्या? इस समय यह सर्क्यूलेट किस नियम के आधीन, किस नियम के आधार पर किया जा सकता है? बिना रूल्स को रिलेक्स किये, वह सर्क्यूलेट किया जा सकता है या नहीं? अगर रूल्स रिलेक्स कर दिये गये हैं जो कि आपको पॉवर है, तब तो समझ में आता है। पर अभी तक तो आपने रिलेक्स किये नहीं। वैसे आपको भी इसका अधिकार नहीं है। सचिवालय और अध्यक्ष कह दे कि वाजिब है तो कौन से रूल में वाजिब है? आपको इसके लिये रूल्स रिलेक्स करने पड़ेंगे और आपने रूल्स रिलेक्स किये नहीं। इसके बिना यह कागज वेस्ट पेपर है। इसको अमेन्डमेन्ट के रूप में नहीं ले सकते। इसके लिये नोटिस की लेट सर्क्यूलेशन की बात निकाल देते हैं तो इसे इस रूप में लेंगे कि यह अमेन्डमेन्ट आया है, बिना रूल्स के रिलेक्स किये आया है। इस कागज का स्थान उस रूप में यह सदन नहीं। यह वेस्ट पेपर बास्केट में जाने योग्य है।

एक माननीय सदस्य : यह नियमानुसार दिया गया है। वेस्ट पेपर में जाने योग्य कैसे है?

(सदन में कोलाहल-शोरगुल, अश्रव्य और कागज का फाड़ना)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कागज को फाड़ना कॉन्टेम्प्ट ऑफ दी हाउस है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने वेस्ट पेपर कहा है।

(अनेक माननीय सदस्यों ने कागज फाड़े—शोरगुल—अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह) : On a point of privilege, Sir.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : There is already a point of order.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : It is a scrap paper.

(शोरगुल—अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : पहले पोइन्ट ऑफ आर्डर चल रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of privilege, Sir; the point of privilege has priority over the point of order.

(जोरों से शोरगुल-व्यवधान-मेजें थपथपाना-अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : Point of privilege can be moved only when there is a written notice.

Page No. 47

(श्री भैरोंसिंह)

(श्री निरंजननाथ आचार्य के बोलने के लिए खड़े होने पर "बैठ जाओ, बैठ जाओ" की आवाजें, मेजें थपथपाना, जोरों से शोर-गुल-अश्रव्य)

(अनुशासन सूचक घंटी)

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of privilege, Sir.

(शोरगुल-मेजें थपथपाना तथा "बैठ जोओ, बैठ जाओ" की आवाजें)

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

जो माननीय भैरोंसिंहजी ने प्रश्न उठाया था उस विषय में निवेदन करना चाहता हूं कि सही वस्तु-स्थिति....

श्री निरंजननाथ आचार्य : What about my point of privilege, Sir ?

(पुनः तीव्र रूप से "you sit down, इसे बैठा दो" की आवाजें-मेजें थपथपाना-शोरगुल-व्यवधान)

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

जो माननीय भैरोंसिंह ने प्रश्न...

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : point of privilage gets priority.

श्री उपाध्यक्ष : I will just come to it.

(शोरगुल)

जो अभी प्रश्न उठाया था उस विषय में यह है कि यह जो कुछ भी चर्चा आई है उसका जिस समय अमेन्डमेन्ट का समय आयेगा, उस समय एलाउ होने का प्रश्न हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : कोई वेस्ट पेपर सदन में सक्यूलेट नहीं किया जा सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : विधान सभा इश्यू करती है; सेक्रेटेरियट की चीज वेस्ट पेपर हो सकती है क्या ?

(जोरों से पुन: शोरगुल-मेजे थप-थपाना "बैठ जाओ, बैठ जाओ" - की आवाजें-व्यवधान-अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा प्रिविलेज मोशन यह है.... आसन की ओर से....

(मेजें थप-थपाना-भारी शोरगुल-अश्रव्य, ("बैठ जाओ, बैठ जाओ" की आवाजें)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : स्पीकर साहब ने आज्ञा दी थी कि लिखित में ऐसा मोशन अगर कोई है तो होना चाहिये। लिख कर दो, अगर देना है तो।

Page No. 48

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of privilege, Sir......

(पुनः वही शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of privilege. Let the Chair decide.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज पर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। रूल १५८ की ओर आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आकर्षित करना चाहूंगा। क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज के सम्बन्ध में रूल नम्बर १५८ इस प्रकार है :

"158. Notice of question of privilege.—A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the secretary before the commencement of the sitttng on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document,"

सो, सर, १५८ रूल के अनुसार जो भी सदस्य कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज उठाना चाहे उसकी कन्डीशन यह है कि उसको पहले इसका नोटिस देना चाहिये और वह नोटिस राइटिंग में होना चाहिये, यह नोटिस हाउस के स्टार्ट होने से पहले सेक्रेटरी को दिया जाना चाहियें। अब माननीय सदस्य जो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज उठाना चाह रहे हैं वह इस रूल के अनुसार नहीं है। इसलिये यह ऑर्डर नहीं अलाऊ किया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I must get a ruling to the point raised.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता कि मेरा भी कल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का क्वेश्चन था....

(शोरगुल-व्यवधान)

I want to support the point of order.

श्री उपाध्यक्ष : But there cannot be another point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am not raising any point of order. I am supporting the point of order already raised.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द ने अपना पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज पर उठाया है, तो वह पहले डिस्पोज ऑफ होने दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : I am am supporting that.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I seek the protection of the Chair, Sir. There can be no point of order on a point of privilege.

(श्री निरंजननाथ आचार्य के बोलने के लिए खड़े होने पर पुनः जोरों से शोरगुल, "बैठ जाओ, बैठ जाओ" की आवाजें-भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

आपका पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज आया है; उस पर ही आपने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है।

Page No. 49

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय ने परमीशन दे दी है।

(करतल-ध्वनि--मेजें थप थपाना, व्यवधान-शोरगुल-अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I must be heard on the point of privilege first.

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : I will allow you to clarify the position.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : There can be not poind of order ....

(मेजे-थप थपाना- -व्यवधान, शोरगुल, अश्रव्य तथा "बैठ जाओ, बैठ जाओ" की आवाजें)

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामानन्द अग्रवाल के पोइन्ट ऑफ ऑर्डर को सपोर्ट करना चाहता हूं। कल मैंने भी ब्रीज ऑफ प्रिविलेज के सम्बन्ध में पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज का सवाल उठाया था।

(पुन: जोरों से शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य-मेजें थप थपाना, शोरगुल, घण्टी-विराम)

आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ निवेदन करूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप भी करिये और हम भी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

वस्तु स्थिति यह है कि पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज जो आचार्यजी ने उठाया है और उस पर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है, सिन्तत: आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के विषय में कुछ कहें तो ठीक होगा। लेकिन पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज का उत्तर देने का उनको बाद में अधिकर है। वे उसका उत्तर देंगे। इसको एडमिट करना या नहीं करना, यह दूसरी बात है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रामानन्दजी ने उठाया है मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं आपका ध्यान, मैंने कल जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न उठाया था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने, माननीय नाथूरामजी मिर्धा ने जो अपने भाषण में मुख्य मंत्रीजी की जमीन के सम्बन्ध में जो गलत तथ्य रखे थे उस सम्बन्ध में उठाया था, उस समय आपने कहा था कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए लिखित में दें। जब तक यह लिखित में पेश नहीं किया जाता तब तक यह परम्परा नहीं है कि उसको सदन को रेफर किया माना जाए। आपको लिखित में देने के बाद ही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को रेफर किया माना जाता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Sir, I draw your attention to rule 157: "A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof." Then rule 158 gives the conditions of admissibility of such a

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

motion. Then rule 160 says, "The Speaker, if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto :" Now I come to the proviso to this rule: "Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि कोई चीज आसन के सम्मुख या सदन के सम्मुख होती है तो उसको किसी भी समय लेने का प्रोविज़न है। हमारे पहले के भी कन्वेन्शन्स हैं और उन्हीं प्राविज़न्स में यह भी आता है। आपको दो-तीन बार, ...

अनेक माननीय सदस्य : No, no.

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मानिकचन्द सुराणा : लिखित में देने के बाद में।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय सदस्य ने आपके आदेशों की अवहेलना की है और सदन की प्रतिष्ठा को भी गिराया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज तक सदन में इस प्रकार से आपके आदेशों की अवहेलना और ब्रीच नहीं हुआ जो आज हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो एमर्जेन्सी पॉवर्स दी हैं उनके अन्तर्गत इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : Let me now dispose it of.

(निरंजननाथ आचार्य के खड़े होने पर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो माननीय सदस्य ने इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के सम्बन्ध में जो कल १६० के प्रोविज़ो की तहत अपने पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज के लिए स्पेशल सैंक्शन....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Point of order, Sir, no member can speak twice.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : He himself has spoken four times, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : चाहे १६० में इसका प्रोविज़ो है और सैंक्शन दी जा सकती है, लेकिन यह रूल १५८ गाइड होता है और उसमें एडमिसिबिलटी और विचार तभी हो सकता है जब उसका नोटिस रूल १५८ की तहत दिया गया है जबकि वह राइटिंग में दिया हो। यह पर्टीकुलर समय पर दिया जावे। अगर स्पीकर चाहे तो एमर्जेन्सी में हाउस की सिटिंग्ज़ में किसी भी मौके पर ले सकते हैं। लेकिन वह यह अधिकार स्पीकर को भी

Page No. 51

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं देता कि उसको राइटिंग मेंन भी दे तो एडमिट कर ले। इसमें यह है कि किसी भी समय लिया जा सकता है अगर स्पीकर चाहे; लेकिन यह रूल्स में प्रोवाइडेड नहीं है कि राइटिंग में नहीं हो। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कोई प्रिविलेज का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है और चूंकि माननीय सदस्य ने जो भी मोशन उठाने की कोशिश की है वह राइटिंग में नहीं है: इसलिए चेयर को भी पॉवर्स नहीं हैं कि किसी स्टेज में इसको एड्मिट कर ले। इसलिए यह इनएड्मिसिबल है, इसे एड्मिट नहीं किया जाय और हाउस के डिस्कशन्स कन्टिन्यू किये जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के समक्ष एक पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज माननीय आचार्य ने प्रस्तुत किया है और उसके ऊपर आपत्ति भी माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी से प्रस्तुत हुई। पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज के अन्दर पहले मैं रूल १५८ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां यह लिखा है:

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

तो यह जो रूल है, यह ऐसे प्रिविलेज मोशन के लिए है, जिसके साथ डॉक्यूमेंट इत्यादि सब हों। अब दूसरी सूरत यह आती है, रूल १५७ के अन्तर्गत परवानगी कैसे दो जाय, किस तरह दी जाय? १५७ के अन्दर कोई अर्जेन्सी ऑफ दी मैटर पर जोर है यह ध्यान में रखना होगा। इसके बाद :

"Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be arised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

यह इसमें प्रोविज़न है, अब मैं चूंकि कल माननीय श्री सुराणा, जो पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज यहां उठाया था और उसको इसी बिल पर इन्कार किया गया था कि रूल १५८ के अन्तर्गत वह लिखित में प्रस्तुत नहीं हुआ; इसलिये जो अभी प्रिविलेज मोशन की मार्फत आपत्ति हुई है उसको मैं इतना जरूरी नहीं समझना चाहता और सदन में शान्ति की व्यवस्था के लिए भी मैं यह उचित समझता हूं कि पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज इस विषय में लाना है तो उसको यथाविधि राइटिंग में दिया जाकर ही लाया जाय, अन्यथा नहीं।

आगे जो प्रश्न यह आया है कि जो पंचायतों के इस एमेंडमेंट बिल में नये अमेंडमेंट का नोटिस किया गया है इस नोटिस को एड्मिट किया गया या नहीं? पहले हो इस आसन से व्यवस्था दी जा चुकी थी कि इस पंचायत कानून के अन्तर्गत यदि कोई अमेंडमेंट लाना चाहें तो वे किसी समय पर भी उन अमेंडमेंट्स को ला सकेंगे। उसी के अन्तर्गत, उसी मंशा को कायम करते हुए, यह सर्कुलेट किया गया है। अब इसी बैठक में

Page No. 52

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस विषय में क्या कहा गया, यह सदन की कार्यवाही देखने पर ही मालूम हो सकता है। पर यह सर्क्यूलेशन इस मंशा को कवर करते हुए ठीक है कि कोई भी सामयिक अमेंडमेंट लाया जाय वह सदन को इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया जाय। इसलिये यदि इस पेपर को सर्कुलेट कर दिया गया है तो उस सर्कुलेट का कवरेज भी उसी मंशा के अन्तर्गत होता है। इस दृष्टि से इस सर्कुलेशन के सम्बन्ध में कहा गया कि जिस समय जो धारा प्रस्तुत होगी उस समय उस अमेंडमेंट के बारे में भी विचार हो जायगा। तो इसमें अभी इस समय ऐसी उतावल नहीं है कि उसको कन्सीडर किया जाय। अभी तो क्लॉज़ १६ पर विचार हो रहा है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शान्तिपूर्वक क्लॉज़ १६ पर विचार समाप्त होने दें। इसके बाद जो सदन में प्रस्तुत होगा उस पर विचार होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of privilege, Sir...

श्री उपाध्यक्ष :Now there can be...

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज करूं कि प्रिविलेज क्या है ....

श्री उपाध्यक्ष : There can be no privilege now......

श्री भैरोंसिंह : Let me speak for two minutes. The position is the same.

लेकिन आप मेरा निवेदन सुनिये। इस हाउस में यदि कोई मेम्बर घुस जाय जो सदन का सदस्य नहीं है तो इस सदन के किसी भी मेम्बर को अधिकार होता है कि पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज दे, रिटन में दे तब तक तो वह आदमी चला जायगा। इसलिये इस प्रकार की एमर्जेन्सीज़ आ सकती हैं और इस सदन में अनेक बार आई हैं। वैसी ही एमर्जेन्सी माननीय उपाध्यक्ष, इस समय सदन के समक्ष है, सदन में कोई बाहर का आदमी तो नहीं आया पर एक वेस्ट पेपर घुस आया है, वह वेस्ट पेपर हाउस में सर्कुलेट हुआ है, उस वेस्ट पेपर को इस सदन से बाहर निकालें। जैसे सदन में कोई नहीं घुस सकता, उसी तरह से वेस्ट पेपर भी सदन में नहीं घुस सकता। अब वह किस तरह वेस्ट पेपर है, यह मैं बताता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष: अभी जो पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज माननीय उपमंत्रीजी ने रखा था, जिसकी तरफ माननीय भैरोंसिंहजी ध्यान आकर्षित करते हैं तो उसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। urgency of the matter की पोज़िशन है या नहीं, इस विषय में मैंने खास कुछ नहीं कहा है। मैंने यह कहा कि सदन में शान्ति स्थापित रहे, इसीलिए मैं १५८ पर गया भी और उसको मैंने एडमिट करने से रोका। वर्ना अर्जेन्सी की बात अलग है। और यह जो प्रश्न उठाया जाता है, यद्यपि प्रिविलेज का मोशन यहां उठाया नहीं जा सकता, फिर भी स्पष्टीकरण करने के लिये कह दूं कि जो कागज इस सदन में आया........

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): फाड़ा है इन्होंने।

Page No. 53

श्री उपाध्यक्ष : और जो कागज सदन में आया उसको स्ट्रेन्जर की एन्ट्री की तरह नहीं माना जा सकता। इसलिये नहीं माना जा सकता कि सरकार को यह अधिकार दिये गये कि किसी भी समय पर कोई अमेंडमेंट लावे उस अधिकार के अन्तर्गत यह अमेंडमेंट है।

श्री भैरोंसिंह : वह अधिकार है कहां, यही तो हम पूछ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने शुरू में पंचायत बिल आया था तो अधिकार दे दिया था कि........

श्री भैरोंसिंह : वह पढ़ कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रोसीडिंग में है कि समय के ऊपर अगर इस तरह से अमेंडमेंट आयेगा तो उसको रख लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे यह बता दीजिये कि रूल्स के तहत चेअर को अधिकार है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के अगेन्स्ट में नहीं है। रूल २६६ के अन्तर्गत चेअर को पॉवर्स हैं कि इस प्रकार की इजाजत दे सके और मैं उसे आपके सामने पढ़ कर सुना देता हूं। रूल २६६ :

"Notice of amendments-: Notice of an amendment to a motion shall be given one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker allows the amendment to be moved without such notice."

और इस बात के लिए उतना रिलेक्सेशन मैंने उसी उद्देश्य से कर दिया है। इसीलिए ये जो कागज आए उस बारे में आपत्ति इस समय कुछ नहीं हो सकती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो पेपर सक्युलेट किया गया और फाड़कर फेंका गया, उसके औचित्य के बारे में चेयर की तरफ से कुछ प्रकाश पड़ जाय तो उचित होगा।

श्री भैरोंसिंह : इस पर प्रकाश डालने से पहले इस बात का अवसर दिया जाय कि हम मूव कर सकें कि यह वेस्ट पेपर है। This is a weste paper and we can tear that out like anything.

श्री मोतीलाल चौधरी : बहुत कह दिया गया इस बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल ७१ (२) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

"Rule 71 (2)- The Secretary shall, if time permits, make available to members from time to time, lists of amendments of which notices have been received."

और उसी के अनुसार ही यह सारा प्रासारित किया गया है और मैं समझता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : No notice has been received for this amendment.

Page No. 54

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके कहने के बाद इतना स्पष्ट होता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : I want to read out under rule.

श्री उपाध्यक्ष : (i) but this should be read with rule 266. उसके अन्तर्गत जो प्रोवीज़न है "Unless the Speeker allows:.. wrihont notice etc. उसके अन्तर्गत यह प्रसारित करने का मौका आया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : यह सक्र्यूलेट हुआ है स्पीकर की की अनुमति और स्वीकृति से।

श्री मानसिंह मझार : बिल्कुल नहीं। अगर स्पीकर परमिट करना है तो उसका नोटिस....

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट पर स्पीकर साहब के दस्तखत बताए जायं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्पीकर की स्वीकृति से हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Notice of amendment has not been given one day before. Here 'one day' is very clear in the rules.

श्री उपाध्यक्ष : It is true. It is a sort of relaxation of the notice of amendment rule, under rule 266.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : How can it be ?

श्री उपाध्यक्ष : It has been relaxed in a way.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह ७१ का सैकंड है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : If you relax this then the rule shall stand relaxed for the whole day and for all the members and then every member has a right to bring amendments.

श्री भैरोंसिंह : It should be allowed. Rule 266 has been relaxed for this day, you announce.

श्री उपाध्यक्ष : That......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप उसको अनाउन्स कर दें कि २६६ को रिलेक्स कर दिया; then we shall have a right to move other amendments.

श्री उपाध्यक्ष : It is not relaxed in that sense. It is under the powers conferred to the Chair under rule 266 that it may be viedtwea as relaxed to that extent.

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यहां पर कागज फाड़े गये उस पर व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : Now I shall request the Hon. Members to reply on clause 19...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे ख्याल से यह पहला अवसर है जबकि ऑफिस से गए हुए पेपर्स को सक्यूलेट किया जाय और उनको इस प्रकार फाड़ कर फैंका जाय। इस बारे में चेयर की तरफ से व्यवस्था देना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो यदि यह सिलसिला शुरू होगा जिसमें कोई भी चीज सदन में कर लें तो यह सारे सदन का अपमान है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह व्यवस्था हो चुकी है कि लिखित में प्रिविलेज मोशन आने के बाद इस बात का निर्णय होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं प्रिविलेज मोशन के सवाल को इसके साथ नहीं जोड़ता।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे – शोरगुल)

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पर आपकी व्यवस्था हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कौन से रूल के अन्तर्गत आप पुट-अप कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में रिटन प्रिविलेज मोशन आ सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम यहां पर कागज फाड़ना शुरू करें, तो आपकी व्यवस्था हमारे विरोध में नहीं जाएगी। यह जो कन्डक्ट एडमिट किया गया है तो when it is undesirable and it is not proper; यह व्यवस्था हम चाहते हैं कि....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य जो एतराज उठा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यद्यपि मोशन ऑफ प्रिविलेज के लिए मैंने यह कह दिया है कि वह रिटन रूप में आये फिर भी मैं अनुचित समझता हूं कि सदन में किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाय जिससे सदन की प्रतिष्ठा में....

श्री भैरोंसिंह : बिना सुने रूलिंग दे रहे हैं।

(शोरगुल -- अनेक माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : This is not a Ruling.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने व्यवस्था दी है कि इस सदन में कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिये जो अनुचित हो। यह बात हमेशा के लिए सत्य है, भविष्य के लिए भी सत्य होगी और इस व्यवस्था से हमें कोई इन्कार नहीं। प्रश्न यह है कि कागज वगैरह के बारे में यह कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यदि आप इस प्रश्न को लेना चाहते हैं तो उसके डिस्कशन का पूरा मौका दें और नहीं तो यदि आपने जनरली रेफर किया है कि सदन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए तो वह बात तो हमेशा के लिए सत्य है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपने जो व्यवस्था दी है तो जहां तक उस व्यवस्था का सवाल है....

Page No. 56

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था नहीं है, आब्जर्वेशन है। It is a general observation.

श्री मुरलीधर व्यास : यह हमारा प्रिविलेज है। अगर इस प्रकार कागज फाड़ने की बात कहते हैं....

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन द) उनके कार्य को अनुचित आपने बताया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक कागज को हमने रद्दी की टोकरी के योग्य समझा और फाड़ा। उसका महत्व रद्दी की टोकरी का है। यह सिद्ध नहीं किया गया कि सदन के अंदर जो यह कागज है वह महत्व रखता है, वे अमेण्डमेंट्स इस स्टेज पर एडिमट हो सकते हैं....

(व्यवधान-घंटी)

मुझे खेद इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर ने दो बार सदन में आकर कहा कि आपने फाड़े हुए कागज के लिए क्या व्यवस्था दी। उससे पहले

(शोरगुल-घंटी)

दो बार कहा। कहने के बाद फिर कहा। हम इसको सदन का अपमान समझते हैं। हम अभी तक इस कागज को रद्दी का टुकड़ा समझते हैं और फाड़ेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He should be ejected from the House. He is canvassing your observatians.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : इस कागज को फाड़ना इस प्रकार से गलत है, इस प्रकार की व्यवस्था आप दे चुके हैं। अगर आपने व्यवस्था नहीं दी है....

श्री गिरधारीलाल व्यास : The chair is on its legs.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कागज फाड़ने की व्यवस्था दी है। अगर आपने नहीं दी है तो हमारा कोई अभिप्राय नहीं है....

श्री फूलचन्द जैन : व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : कागज फाड़ना गलत था या नहीं, इसकी व्यवस्था दे दीजिये।

(घन्टी)

आपने यह व्यवस्था दे दी है कि कागज फाड़ना गलत नहीं है। ये कहते हैं कि नहीं दी है और आपकी व्यवस्था अब और मिल जाय। आपने कहा था कि उचित नहीं है।

(घंटी)

श्री मानसिंह महार (अमेर) : उपाध्यक्ष महोदय....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(घंटी)

(श्री उपाध्यक्ष)

इस विषय में अब कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। जब मोशन ऑफ प्रिविलेज अभी आया ही नहीं है तो उस विषय में उसका विषद् विचार नहीं हो सकता है। वह तो प्रिविलेज कमेटी का प्रश्न है और उसके तय करने का प्रश्न है और यहां पर यह विवाद नहीं छेड़ा जा सकता। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि आज की कार्यवाही आगे बढ़ाने में सहयोग दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरह की आपकी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : That was an observation.

श्री मुरलीधर व्यास : आपने यह कहा यह उचित है या अनुचित है, यह व्यवस्था दीजिये। अगर आप अनुचित समझते हैं तो हम सब के सब कागजों को फाड़ेंगे और वाक आउट करेंगे। हम इसको ठीक नहीं समझते। हम इसको फाड़ेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is an insult of the Chair.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपको आज्ञा की आवश्यकता है।

(घंटी)

श्री मानसिंह महार : हमें बोलने का तो मौका दिया जाय। मेरी बात रखने का मौका दिया जाय।

(घंटी, कागज फाड़ना)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने यह फिर कागज फाड़ दिया।

(घंटी)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय....

(घंटी)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में काफी कन्फ्यूज़न सा हो गया है। सबसे पहले तो यह अमेन्डमेन्ट लाया गया वह किस रूप से लाया गया? उसके ऊपर इस सदन के माननीय सदस्यों को काफी रोष उत्पन्न हुआ। यह मैं मानता हूं कि एक मंत्री की ड्यूअल पोज़िशन है। वह अगर प्रवर समिति का अध्यक्ष है तो उस प्रवर समिति में वह उस समिति का अध्यक्ष है, लेकिन सदन में वह मंत्री है। लेकिन उसके साथ-साथ हमको हैल्दी पोलिटिकल कन्वेन्शन्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मंत्री और प्रवर समिति का अध्यक्ष, One and the same, एक ही व्यक्ति है तो हेल्दी पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स के सिद्धान्त के अनुसार उस मंत्री को अमूमन अमेंडमेंट्स नहीं लाने चाहिये। अगर अमेंडमेंट आवें तो व्यवस्थिति रूप से आवें और नोटिस देने के पश्चात् आवें; लेकिन एमर्जेन्सी पॉवर्स के अन्दर सरकार को अधिकार हैं। आपके

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अधिकार भी बिना कोई सीमा के हैं। अगर एमर्जेन्सी सीमा से आप चाहें तो कोई बिल और मेजर गवर्नमेन्ट चाहे तो पांच मिनट में पास करा सकते हैं, लेकिन it is a bad political practice. it is a bad convention; और माननीय सदस्यों के सेन्टीमेन्ट्स को आप ध्यान में रखें तो मेरे खयाल से नोटिस देने के विषय में भी आप विचार करें और आपने यह व्यवस्था भी दी है कि जब यहां इस पर क्लाज़ बाई क्लाज़ कन्सीडरेशन होगा तो आप विचार करेंगे।

रहा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के फाड़ने का। मैं बहुत अदब से निवेदन करूंगा कि यह अमेंडमेंट कोई कॉन्स्टियुशन नहीं है।

(विपक्ष द्वारा हियर, हियर)

यह पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स का प्रश्न है। मेरे खयाल में मंत्री महोदय यह जो अमेंडमेंट जिस रूप में आज यहां लाये हैं इसके लिए मैं कोई तारीफ नहीं करता हूं, मैं तो समझता हूं कि यह आलोचना करने का है। इसमें काफी कमियां हैं और इतनी गुन्जाइश है कि हम लोग रोष भी प्रकट कर सकते हैं और इस पर वाद-विवाद भी उत्पन्न हो सकता। जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं, यह स्वाभाविक है। सरकार चाहे तो यह कर सकती है, लेकिन सरकार को भी हैल्दी कन्वेन्शन्स को मद्दे नजर रख कर अपने आचरण को पवित्र रखना चाहिये और सदन की मान्यता, मर्यादा और इज्जत के साथ चलना चाहिये।

अगर कोई माननीय सदस्य यह समझे कि अमुक डॉक्युमेंट और दस्तावेज जो अमेंडमेंट के रूप में आवे, वह भी सेन्क्टीफाइड इस रूप में हो कि सदन का अपमान है, मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है।

(विपक्ष द्वारा हियर, हियर की आवाज)

और माननीय सदस्य यदि चाहें की इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय तो उस माननीय सदस्य का यह अधिकार है विचार व्यक्त करने का। इससे अधिक मैं निवेदन करना नहीं चाहता।

(विपक्ष द्वारा व्यवधान)

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: Order please !

श्री मानसिंह महार : दो मिनट बोलना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी जो इतने सोब्राइटी से इस हाउस में अपने आपको रखते हैं आज वे इतने उखड़ कैसे गये ? कागज फाड़ने में गुनाह क्या हो गया, क्या अन्याय हो गया ? आप अगर कोई गलत काम करते हैं, उसका हम यदि विरोध करते हैं, और आपको समझाना चाहते हैं कि यह अमेन्डमेन्ट १६ पर बड़ा प्रभावकारी है, इस पर सोचें, विचारें, पार्टी फैसला करें। अगर आप नहीं कर सकते, रोष प्रकट करें कि यह अमेन्डमेन्ट गलत है, हम इसे देखना भी नहीं चाहते, इसको इस तरीके से फाड़ डालते हैं तो इसमें अन्याय क्या हुआ ?

(श्री मानसिंह महार)

(कागज का फाड़ा जाना)

किसका अपमान कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : आप अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : इस सदन का सदस्य होने के नाते अधिकार है कि इसको रद्दी की टोकरी में डाल दूं। कोई बात हुई ? मुख्य मंत्रीजी अपने शब्द वापिस लें। कागज फाड़ दिया, क्या अन्याय हो गया ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

श्री मानसिंह महार : क्या अन्याय हो गया ? एक कागज और फाड़ता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ।

(कागज का फाड़ा जाना)

(व्यवधान-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : मेरा यह अधिकार है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

यहां केवल एक ऑब्जर्वेशन दिया गया। जो पॉइन्ट ऑफ प्रिविलेज आने वाला था उसको तो १५८ में कवर करके रोका गया और अब इस कागज का प्रश्न है कि यह स्क्रेप है या क्या है, यह चीज अलग रह गई है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने ऑब्जर्वेशन दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसकी मंशा यह है कि सदन में.......

श्री भैरोंसिंह : आपने यह देखा होगा कि कौनसा कागज फाड़ा गया ? अमेन्डमेन्ट फाड़ा है क्या ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अमेन्डमेन्ट का कागज फाड़ा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं यह फिर फाड़ कर फैंक रहा हूं।

(फाड़ कर फैंका जाना)

श्री उपाध्यक्ष : order please !

(शोरगुल)

कोई कागज हो उसका इस प्रकार फाड़ना....

श्री भैरोंसिंह : कौनसा कागज !

श्री उपाध्यक्ष : सारे सदन में इस प्रकार कागजों के टुकड़े बिखर जायं, यह सदन की प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री मानसिंह महार : इनको हटवा दिया जाय।

Page No. 60

श्री उपाध्यक्ष : कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करे और उससे सदन की प्रतिष्ठा में फर्क आता हो, चाहे वह प्रिविलेज का प्रश्न बने या न बने, लेकिन सदन की प्रतिष्ठा में फर्क आया, यह चीज जरूर मानी जावेगी ।

(१२.००. मध्यन्ह)

और उसके लिए शासन को जरूर टोकना पड़ेगा । इसलिये आप चिन्तित इससे न हों कि इस ऑब्ज़र्वेशन से प्रिविलेज की बात पर कोई छाया पड़ती है ।

श्री भैरोंसिंह : सबजुडिस मामले में रूलिंग दे दी, छाया पड़ गई ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर हम पर्चे फाड़ फाड़ कर बिखेरना सदन में शुरू करेंगे तो इस सदन की प्रतिष्ठा है, सफाई है, इसके अन्दर भी अच्छा नहीं रहता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो झाड़ लगाने को तैयार हैं । आप आज्ञा दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आज यह फाड़ कर फैंका, कल और चीजें उठा कर फैंक सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : दोनों तरफ प्रतिष्ठा का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हरेक का व्यवहार इस प्रकार का सदन में होना चाहिए कि जो भद्र हो और ऐसा हो जो सदन की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठावे, न कि इस सदन का स्वरूप, जो दर्शक हैं उनके सामने ऐसा आवे कि यहां कोई व्यवस्था नहीं है । यहां जो पंचायतों में है वैसी व्यवस्था नहीं है, इत्यादि ।

तो इस दृष्टि से निवेदन करता हूं कि आप पुरेजोर अपोज़ीशन करें; एक दूसरे का विरोध करें, पर उन विरोधों का अपोज़ीशन करने का, ऐसी दूसरी सब बातों का एक पार्लियामेन्टरी तरीका है, एक व्यवस्था है और वे सब बातें उनके अन्तर्गत आप यदि करते हैं तो इसमें कोई बात बात नहीं है । इसलिये मेरा केवल इस दृष्टि से निवेदन है कि सदन के अन्दर चाहे स्क्रेप पेपर भी हो कोई, तो भी उसको फाड़ कर फैंकना यह सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमें पत्र फाड़कर फैंकना भी है तो हम उसको अपनी डेस्कों में भी रख सकते हैं । जैसे थूकना हो तो बाहर जाकर थूक सकते हैं; वैसे ही कागज फाड़ना हैं तो उसे भी बाहर जाकर फैंक सकते हैं । पर उनको फाड़ने का और फैंकने का स्थान यह सदन नहीं है । अन्त में केवल यह निवेदन करूंगा कि मैं उस विषय में कुछ नहीं कहता । अब जो कागज फाड़ा गया है वह कागज कौनसा है, यह भी मै नही कह सकता; मैं उस कागज के विषय में कुछ नहीं कहता, पर अगर स्क्रेप पेपर भी है तो सदन में फाड़ कर बिखेर देना यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है और अब मैं यही निवेदन करता हूं कि सहयोग देकर इस १६ वें क्लॉज़ के ऊपर विचार चल सके ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा Point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसके बीच में और निवेदन कर दूं। पोइन्ट आफ आर्डर उसके बाद में लेता हूं।

आज का जो सीमित समय है मैं सदन की मंशा जान कर और जो रूल्स के अन्तर्गत प्रोटेक्टेड बिजनैस के विषय में जो कहा गया है रूल २८२ उसके अन्तर्गत फिर मुझे कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा कि जो उस समय के संकोच को देखते हुये बिल को पारित करने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही सदन की मंशा से उचित होगी अर्थात अमेन्डमेन्ट को यों का यों पुट अप करके वोट ले लिये जावें और डिस्कशन न किया जावे, वह करना पड़ेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह तो धमकी हो गई साहब।

(शोरगुल)

यह तो आपकी धमकी हो गई।

(शोरगुल)

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मैं भी अमेन्डमेंट के मुतल्लिक....

श्री उपाध्यक्ष : Yes. There is a point of order by Shri Surana.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Who is in possession of the floor, Sir?

अभी आपने रूलिंग दी है, वह तो शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा प्रत्येक शब्द रूलिंग में नहीं लिया जाना चाहिए। जिस वक्त रूलिंग मांगी जाती है, अथवा चेयर कहे वह रूलिंग है तभी वह रूलिंग है। बाकी ओब्जर्वेशन्स दिये जावें, यह हो सकता है; तो यह मैंने इसका स्पष्टीकरण किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस ऑब्ज़र्वेशन के स्पष्टीकरण के लिए निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए आवश्यक तो है नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये है कि मेरा सब्स्टेन्टिव मोशन है और सब्सटेन्टिव मोशन मेरा यह है कि इससे पहले कि आप संशोधन पर विचार करें उस सब्स्टेन्टिव मोशन पर विचार होना चाहिए। मोशन यह है कि यह पंचायत मन्त्री प्रवर समिति के अध्यक्ष थे और उसके नाते रिपोर्ट सदन में पेश की और रिपोर्ट पेश करने के बाद अनेकों संशोधन पेश कर दिये। मेरा प्रस्ताव उसके खिलाफ है कि सदन यह मन्शा जाहिर करना चाहता है कि इस तरह से अनेकों संशोधनों को पेश करने की बात बिल्कुल गलत और अनुचित है और यह सदन इन सारे संशोधनों को नामन्जूर करता है। यह

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सब्स्टेंन्टिव मोशन, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। माननीय मन्त्रीजी ने अभी एक संशोधन पेश किया है। मुझे तो उस पर यही निवेदन करना है कि अभी तक हमें यह जानकारी नहीं है कि कौनसा संशोधन है जिसको माननीय सदस्य ने पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि मोशन का चेप्टर खोल कर देखें कि सब्स्टेन्टिव मोशन के लिये भी नोटिस की आवश्यकता है

श्री मानिकचन्द सुराणा : नोटिस तो मैंने दे दिया, उपाध्यक्ष महोदय। उसकी एडमिसिबिलिटी के लिये निवेदन करता हूं कि जब कोई संशोधन मन्त्री महोदय पेश करें और वह नियमानुसार न हो तो विधान सभा के अध्यक्ष के सामने कारण पेश करना पड़ता है कि इन कारणों से ये संशोधन इस स्टेज पर लाना चाहता हूं; मैं इसके बारे में आपका ध्यान रूल ६८ की तरफ दिलाता हूं। इस तरह की आवश्यक परमिशन हमारे पंचायत मन्त्री ने कहीं भी नहीं ली, न विधान सभा के अध्यक्ष के सामने यह पेश किया कि किस कारण से आज इनको लाना पड़ा है।

मैं इस संबन्ध में आपका ध्यान चार दिन पहले की कार्यवाही की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कम कम से १५ संशोधन पेश किये थे। और उस पर हमने ऐतराज किया था कि ८० परसेन्ट सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते, हिन्दी जानते हैं, तो जब तक उसका हिन्दी ट्रान्सलेशन सक्यूलेट नहीं होता तब तक उन पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि माननीय सदस्यों को मालूम ही नहीं है कि संशोधन क्या पेश हुए हैं। इसलिये जब तक ८० प्रतिशत सदस्य जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उनको यह सूचना न दे दी जावे हिन्दी में इन सबकी, और यह न बता दिया जावे कि संशोधन क्या है तब तक इस पर कोई विचार नहीं हो सकता। और मैं पंचायत मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो संशोधन आज पेश किया है यह तो आपके सरकारी ढिलमिल दिमाग का प्रतीक है। पंचायत बिल में जो ये संशोधन ला रहे हैं वे राजस्थान की दो करोड़ जनता को प्रभावित करेंगे। अतः इनको इतनी जल्दी में और इस तरह से लाना उनके प्रति अन्याय है। सरकार यह नित नये अमेन्डमेन्ट लाती है। उसको मालूम नहीं कि उसका क्या करना है, क्या नहीं; वह स्थिर नहीं है।

उसने सादिकअली कमेटी बिठाई, और उसकी रिकमन्डेशन्स बिल के रूप में सदन में लाई गई, सिलेक्ट कमेटी उस पर बिठाई गई। पंचायत मन्त्री उसके अध्यक्ष थे और १५ दूसरे मेम्बर थे, उनको बिना पूछे, उनकी बिना राय लिये पंचायत मन्त्री अब रोज संशोधन पेश कर रहे हैं। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवर समिति के सदस्यों के अधिकारों पर भी यह कुठाराघात हुआ है। न उनकी सलाह ली गई, पूछताछ की गई, और जो उनकी राय से चीज यहां लाई गई उसमें ये नित नये संशोधन लाते जा रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि यह उनके ढिलमिल दिमाग का प्रतीक है, इसलिये इस सब्स्टेन्टिव मोशन के जरिये सेंसर किया जावे, ये अमेन्डमेन्ट इस तरह से पेश करना अनुचित है और इसलिये यह विधान सभा इनको नामन्जूर करती है

(शोरगुल)

Page No. 63

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please Shri yadav.

श्री अमृतलाल यादव (भोपालसागर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी सदन में एक साधारण सी बात सामने आई। वह यह कि एक कागज फाड़ा गया....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : वह कागज फिर आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : This should not be raised now.

श्री अमृतलाल यादव : आपने आब्जर्वेशन दिया....

श्री उपाध्यक्ष : This should not be raised. Well that subject has been closed now.

माननीय सदस्य, श्री सुराणा ने जो एक सब्सटेन्टिव मोशन यहां रखा तो मोशन्स के अन्तर्गत वही मोशन लिए जा सकते हैं जो जनरल पब्लिक इन्टरेस्ट का हो और साधारण रूल्स के अनुसार जो इन सबको एक सीमित सीमा का नोटिस दिया जाता है; इसलिए यह मोशन तो इस समय एडमिट नहीं किया जा सकता है और इसके अलावा जो उन्होंने रेफर किया रूल ६८ को जिसके अन्तर्गत "Persons by whom motions in respect of Bills may be made.............." इत्यादि उसमें सारे प्रावधान हैं तो वह यहां लागू इसलिए नहीं होता है कि जो सारी कार्यवाही हो रही है, अभी मैंने क्वोट किया था रूल ३१ (२) जिसमें कि आसन ने यह इजाजत दे दी थी कि अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं, उसी के अन्तर्गत यह कार्यवाही चल रही है। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इतना सहयोग प्रदान करें कि जो धारा १६ हमारे सामने विचाराधीन है उस पर अग्रेतर विचार प्रारम्भ हो सके।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सिर्फ यह बता दें कि एडमिशन की इजाजत दे दी या इसको आउटराइट रिजेक्ट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको नोटिस की कमी के कारण रिजेक्ट कर किया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of Privilege, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : There can be no point of privilege......

श्री विजयसिंह झाला : I am giving in writing.

श्री उपाध्यक्ष : It should be given before the sitting.

श्री विजयसिंह झाला : मैं राइटिंग में दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : It is to be given before the Commencement of the sitting.

श्री विजयसिंह झाला : बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपने अभी रूलिंग दी है...

श्री उपाध्यक्ष : A member wishing to raise a motion of privilege shall

(श्री उपाध्यक्ष)

give notice in writtng to the Secreary before the commencement of the sitting on the day……"

और उसी के अन्तर्गत मैंने सारे प्रिविलेज मोशन्स को उठाने की इजाजत नहीं दी है।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : महोदय……..

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं बोल रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक के अन्दर इस समय संशोधन सदन के सामने विचारार्थ चल रहे हैं। वे इस बात का तो संकेत करते हैं कि हमारी राज्य सरकार पंचायती राज्य के अनुभवों के आधार पर किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहती है। मैं यह समझता हूं कि सरकार की इस संबंध में कोई निश्चित नीति नहीं है। यदि सरकार की निश्चित नीति होती तो हमें इस बात की जानकारी मिल जाती कि अब तक कि सादिक अली कमेटी की रिपार्ट के ऊपर सरकार किन बातों को किस सीमा तक स्वीकार करती है। जब कभी भी सरकार से पूछा जाये और पूछा गया तो सरकार की ओर से यह उत्तर मिला कि सादिकअली प्रावधान सरकार के विचारार्थ हैं। सरकार ने जो भी इस सम्बन्ध में विचार किया है या जो सरकार ने निर्णय लिए हैं वे निर्णय जिस समय सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर इस सदन में सदस्य विचार करेंगे उसके बाद ही निर्णय लिया जायगा। हम भी यह महसूस करके चलते थे कि सरकार इस सम्बन्ध में अभी कुछ निर्णय नहीं ले पाई है लेकिन पिछले दिनों समाचारपत्रों में ऐसा सुना, पढ़ा कि सरकार ने उसके ऊपर कुछ निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों के आधार पर जब यह मसला सिलेक्ट कमेटी के सामने जाय, हमने माननीय मन्त्री महोदय से भी और मन्त्री महोदयों के उन सरकारी सलाहकारों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी चाही कि हम इसके विवाद में ज्यादा पड़ना नहीं चाहते। यदि सरकार ने अपनी कोई निश्चित नीति बना ली है तो सिलेक्ट कमेटी के सामने सरकार अपनी निश्चित नीति बता दे। मुझे इस बात की खुशी है कि उस समय प्रभारी मन्त्री जो उस सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे और वे सरकारी आफिसर जो उनके सलाहकार थे उन दोनों ने मिलकर सरकारी नीति हमारे सामने रखी कि सरकार यह पसन्द करती है कि स्टैंडिंग कमेटी के अन्दर प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के बेसिस पर चुनाव हों। उस समय इस मसले पर विचार किया गया। उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को रखा था कि यह प्रणाली बहुत विकट है और इस विकट प्रणाली को पंचायत समिति के प्रधान या बी०डी०ओ० जानते हों, ऐसा सम्भव नहीं है।

उस समय प्रश्न आया कि क्या यह चुनाव की प्रणाली इतनी विकट है कि इसको हमारे राजस्थान के आर०ए०एस० केडर के अधिकारी जो बी०डी०ओ० का काम करते हैं उनको इसका ज्ञान दे सकते हैं या नहीं ? तो सरकार ने स्वीकार किया कि केवल एक दिन की ट्रेनिंग के अन्दर उन सरकारी अधिकारियों को प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के बेसिस पर किस

(श्री भैरोंसिंह)

तरह से चुनाव कराये जा सकते हैं उसको बता दिया जायेगा । तो यह संकट या परिस्थिति जिसके अन्दर कई सदस्य उस चुनाव प्रणाली को स्वीकार नहीं करते थे उनको भी जब यह आश्वासन दिया गया कि सरकार उनको एक दिन में ट्रेनिंग दे देगी तो उस बात को दूर करके उस समय सिलेक्ट कमेटी ने यह स्वीकार किया कि स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर किया जाये । मैं ऐसा समझता हूं कि यह सरकार की अनिश्चितता का सारा इम्पैक्ट इस सदन के ऊपर नहीं पड़ता । इसका सारा इम्पेक्ट उस पंचायती राज्य इन्स्टीट्यूशन के अन्दर जो काम करने वाले तत्व हैं, जिनके आधार पर हम अपनी पंचायतों को डेवलप करना चाहते हैं, जिनके आधार पर अपने प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, जिनके को-ऑपरेशन से हम ग्रामीण जनता की सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं उसके प्रति इस सरकार की अनिश्चितता का इम्पेक्ट पड़ता है ।

एक तरफ हमारी सरकार यह स्वीकार करके चलती है कि आज के ६ महीने पहले राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पेरेलल हर गांव के अन्दर अन्न उत्पादन के लिए प्रोडक्शन कमेटी का निर्माण किया था, उस समय भी हमने पूछा था सरकार से कि प्रोडक्शन कमेटी क्यों बनाई जा रही है जबकि हमारे यहां ग्राम पंचायतें हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं तो दूसरी पेरेलल इन्स्टीट्यूशन क्यों क्रियेट की जा रही है, उस समय सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति राजनीति के कारण जितना डेवलपमेंट का काम या प्रोडक्शन का काम है उसको पूरा नहीं कर पा रही है इसलिए प्रत्येक गांव के अन्दर इस प्रकार की ग्राम सभा जो प्रोडक्शन में मदद कर सके उनका निर्माण करना पड़ रहा है । वह सरकार का निर्णय इस पंचायती राज्य के ऊपर इतना बड़ा तमाचा था लेकिन उसमें जो सरकार ने असलियत प्रकट की कि प्रोडक्शन का काम राजनीति स्तर पर पूरा नहीं हो पाता इसलिए हम ऐसी सभा का निर्माण करना चाहते हैं जो राजनीति से परे रह कर डेवलपमेंट के काम को अपने हाथ में ले सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात को स्वीकार करती है, सरकार ने यह मन्जूर किया है और मन्त्री महोदय ने मन्जूर किया है सिलेक्ट कमेटी में कि प्रपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस पर यदि हम चुनाव रखते हैं तो जो विरोधी दल आज किसी प्रकार से पंचायत समितियों के काम में भाग नहीं ले सकता उसको भाग लेने का अवसर मिलेगा और एक होमोजीनियस युनिटी के आधार पर यह सारे पंचायत समिति के क्षेत्र में डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के कामों की जो चीजें हैं उनमें प्रयास कर पायेंगे । मुझे खेद होता है और ऐसे मन्त्री को देखकर ज्यादा खेद होता है जो स्वयं सिलेक्ट का चेयरमैन हो और सिलेक्ट कमेटी में अपनी एक ओपीनियन एक्सप्रेस करे और सिलेक्ट कमेटी के बाहर इस सदन में अगर दूसरी ओपीनियन एक्सप्रेस करना चाहे, उनकी बुद्धि के बारे में मुझे रत्ती भर इत्मिनान नहीं है कि वे किसी प्रकार से कोई काम करें । लेकिन मैं ऐसा

(श्री भैरोंसिंह)

समझता हूं कि केवल एक मंत्री की बुद्धि से इसका सम्बन्ध नहीं है, इसका सम्बन्ध है राजस्थान के प्रोडक्शन से, इसका सम्बन्ध है राजस्थान के डेवलपमेंट से। हमारे सामने है कि राजस्थान में पंचायती राज्य फलीभूत हो। तो इन तीन प्रश्नों को सामने रख कर देखा जाय तो यह आवश्यक होता है कि हम यदि यह चाहते हों कि विरोधी दल के लोग भी पंचायतों में सक्रिय होकर सहयोग दे सकें, प्रोडक्शन में सहयोग दे सकें तो उनको भी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में पंचायत को पॉवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग रूप में काम करती हैं, वों।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रकार का एमेंडमेंट मूव किया है कि पंचायत समिति का इन स्टैंडिंग कमेटीज़ के निर्माण के बाद क्या एग्ज़िस्टेन्स रहता है? पंचायत समिति के पास कौन से पॉवर्स रह जाते हैं? आप अमेरिका का कॉन्स्टीट्यूशन उठाकर देखिए। अमेरिका के अन्दर कमेटी रूल है। उस कमेटी रूल के कारण अमेरिका की डेमोक्रेसी को एक सफल डेमोक्रेसी मान कर चलते हैं। इसलिए जब हम नीचे के लेवल पर कमेटी रूल की व्यवस्था को स्वीकार करके चलते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो रेस्पोन्सिबिलिटी प्रधान को रहती है वह रेस्पोन्सिबिलिटी स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर रहती है। ५–४ कमेटियां जो बनेंगी उनके बीच में पॉवर्स को डिसेन्ट्रलाइज़ करना चाहते हैं और उस डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के अन्दर सारे अपोज़िशन के मेम्बर्स का सहयोग होता है। एक तरफ तो हम डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का नारा लगाते हैं, एक तरफ तो सरकार यह मन्ज़ूर करके चलती है कि हम डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के सिस्टम को स्वीकार करते हैं, तो मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि जो पॉवर्स एक ग्रुप के अन्दर सेन्ट्रलाइज़ हो जाते हैं उस पॉवर के खिलाफ लोगों में डिसेन्ट्रलाइज़ करने की थ्योरी को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मैं समझता हूं कि कांग्रेस के ४ आदमी और एक मेरी तरफ का या अपोज़िशन का आदमी; ये पांच आदमी किसी चीज के ऊपर बैठकर विचार करेंगे तो वह रिज़ल्ट ज्यादा अच्छा होगा। यदि एक ही ग्रुप या एक ही पोलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर विचार करेंगे तो आप गांवों के नक्शे उठा कर देख लें जिनके प्रत्यक्ष अनुभव पर ईमानदारी से इस बात को सोचा जाता है तो जो पंचायत समिति का रूलिंग ग्रुप है उसके खिलाफ जो पंच या सरपंच हैं उनके क्षेत्र के विकास के कामों में कितना पैसा खर्च होता है और जो रूलिंग ग्रुप के साथ हैं उनके यहां पर कितना पैसा खर्च होता है? इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान सरकार राजस्थान का डेवलपमेंट करना चाहती है लेकिन इन्स्टालमेंट में। पहली इन्स्टालमेंट उनको थी जो रूलिंग ग्रुप। उस रूलिंग ग्रुप ने तीन वर्ष के अन्दर अपने क्षेत्र को डेवलप किया और बाकी के क्षेत्र के लोग रोते रहे और इसलिए रोते रहे कि प्रधान के ग्रुप में वे नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप ग्रामीण जनता के स्वायत्त-शासन के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके द्वारा जनता को न्याय मिले, इस व्यवस्था में विश्वास करते हों तो

(श्री भैरोंसिंह)

यह लाजिमी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर, इस बेसिक इकाई के ऊपर हमें, इस व्यवस्था को इस प्रकार से करके चलना होगा कि विरोधी दलों का रिप्रेज़ेन्टेशन दें। आप राजस्थान विधान सभा में देते हैं। जितनी भी कमेटियों का निर्माण होता है, जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी बनती है उसमें अगर आज रूलिंग ग्रुप बहुमत के आधार पर भेजना चाहे तो विरोधी दल के लोग नहीं जा सकते और न जाने का परिणाम क्या होगा? वह ऑडिट रिपोर्ट जिसकी स्क्रूटिनी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी करती है उन ऑडिट रिपोर्ट में लिखी हुई अनियमितताएं, जिन पर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस करती है वह वनसाइडेड ओपीनियन होगी और हाउस में चेलेन्ज की जा सकेंगी और लोगों के लिए वे विश्वसनीय नहीं होंगी। वहां पर बहुमत का सवाल नहीं होता। मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में १० वर्ष से मेम्बर रहता आया हूं। वहां किसी बात पर कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि वहां पर किसी बात पर वोट लिया गया हो या डिवीज़न हुआ हो या लोगों ने एक मत होकर अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस नहीं की हो। तो आज पोलीटिकल एटमोस्फियर को यदि विशियेट करना चाहते हैं, वहां पर फोर कोर्नर्स पैदा करना चाहते हैं, यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाना चाहते हैं तो गांवों के अन्दर स्टेंडिंग कमेटी के नाम पर पंचायत समिति के रूलिंग ग्रुप में निहित पॉवर्स को सेन्ट्रलाइज़ करेंगे तो गांवों का सत्यानाश करेंगे, गांवों में कन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, गांवों में जो पोलिटिकल एटमोस्फियर बन रहा है अच्छा, उसको विशियेट करेंगे। आपको बहुमत के आधार पर अधिकार होगा, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि जरा न्याय को देखो, राजस्थान की हालत को देखो, राजस्थान के गांवों के साथ में अन्याय मत करो, राजस्थान के गांवों के लोगों को लड़ावो मत, उनके अधिकारों पर कुठाराघात मत करो, और अपनी बुद्धि से ताले खोल कर इस बात को देखो कि आप जनता के साथ में अन्याय कितना कर रहे हैं? क्या कांग्रेस खत्म हो जायगी; क्या कांग्रेस का राज्य खत्म हो जायगा, यदि प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के बेसिस की व्यवस्था को स्वीकार करते हैं तो क्या मोहनलाल मंत्रि-मंडल से हट जायेंगे? क्या सुखाड़ियाजी की गद्दी हिल जायगी? गद्दी नहीं हिलेगी। जो सरकार आज जिस पार्टी की बनी हुई है वह बनी रहेगी। मेरा मतलब ग्रामीणों की दशा, ग्रामीणों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिहाज से यह है। वह तभी बढ़ सकती है जब कि इनको राज नीति से दूर करो। वह तरीका एक ही हो सकता है कि पंचायत समिति के पॉवर्स को ज्यादा से ज्यादा इन स्टेंडिंग कमेटीज़ में डिसेन्ट्रलाइज़ करो। वहां पर स्टेंडिंग कमेटीज़ के साथ साथ हम सारे मेम्बर्स में डिसेन्ट्रलाइज़ करो और डिसेन्ट्रलाइज़ करने के बाद ही मैं समझता हूं उत्पादन और बाकी के कामों की क्षमता बढ़ेगी। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसके ऊपर पुनः विचार करे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : एक व्यवस्था का सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं खड़ा करना चाहता हूं और

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वह यह है कि मैंने प्रवर समिति के चेयरमैन में अविश्वास का नोटिस भेजा है। प्रश्न यह है कि प्रवर समिति जब नियुक्त की जाती है तो वह प्रवर समिति सरकार की प्रवर समितिन होकर इस हाउस की प्रवर समिति होती है। जिस वक्त कोई भी बिल प्रवर समिति के लिए पेश किया जाता है उस वक्त एक धारणा होती है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी जो आत्मा है, एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उन एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स को तो स्वीकार करते हैं, परन्तु उसके मसौदे को रूप देने के लिए, इनका ठीक तरह से मसौदा दिखाने के लिए, एक मसौदा हाउस के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उसको प्रवर समिति के लिए दे दिया जाता है। प्रवर समिति हाउस की प्रवर समिति होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि होना तो यह चाहिए संविधान के अनुसार कि इस प्रवर समिति का चेयरमैन जो कि डिप्टी स्पीकर होता है वह हो। खैर यहां पर राजस्थान में व्यवस्था है, इसके बारे में मैं विशेष प्रसंग उठाऊंगा कि वह नहीं होना चाहिए और जो हमारे मन्त्री हैं वे एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उसके मैं खिलाफ हूं, यह दूसरा सवाल होता है। लेकिन जो चेयर-मैन प्रवर समिति का होने पर प्रवर समिति का एक मसौदा इस सदन के अन्दर रखता है इसके मायने यह हैं कि सदन ने जो कुछ विश्वास प्रकट किया उस विश्वास के अनुसार प्रवर समिति के अन्दर कार्य किया गया। और आज हमारे यहां पर जो कन्वेन्शन या परम्पराएं कल्टीवेट होती चली जा रही हैं वे परम्पराएं इस तरह की हैं कि जो आदमी प्रवर समिति का सदस्य होता है वह जब बिल सदन में वापिस पेश होता है तो उसके खिलाफ मत नहीं देता है जब तक कि उसका असहमति-पत्र उसके साथ में शामिल नहीं करदे। मैं कहूंगा कि प्रस्तुत बिल के अन्दर जो चेयरमैन महोदय हैं उनका कोई भी असहमतिपत्र नहीं है। इसका बिल्कुल साफ मतलब यह हुआ कि प्रवर समिति ने जो मसौदा सदन के लिए रखा है उसके अन्दर उनका विश्वास उठ गया है····

(श्री निरंजननाथ आचार्य के खड़े होने पर) आप मुझे कह लेने दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है या लम्बा भाषण है?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप इसके खिलाफ बोल सकते हैं, आपको मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : प्रश्न लम्बा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह प्रश्न इतना आसान नहीं है आचार्यजी, जो इस तरह से एवोइड कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : Yes; you carry on and finish early.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं एक मिनट में ही खत्म कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : This's all right आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर में समझ गया हूँ।

(श्री उपाध्यक्ष)

पोइन्ट ऑफ ऑर्डर आपका अविश्वास का प्रस्ताव चेयरमैन के बारे में है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: इस सदन का विश्वास प्रवर समिति के चेयरमैन में नहीं रहा, इसलिए मोशन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !!

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : Point of order, Sir, मेरे कहने का मतलब यह है कि सदन की कार्यवाही समाप्त करने से पहले....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

आपने जो पोइन्ट ओफ ओर्डर प्रस्तुत किया है वह कोई पोइन्ट ओफ ओर्डर है नहीं। इसके अलावा जो आपने प्रवर समिति के चेयरमैन के खिलाफ यह कहा है कि उनमें विश्वास नहीं रहा है, वह प्रवर समिति समाप्त हो चुकी है, वह एग्जिस्टेन्स में नहीं है। अब तो जो बिल अपने सामने है, हाउस में जिस प्रकार प्रस्तुत किया है उस पर विचार करना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह अहम सवाल है। आपका यह कहना कि प्रवर समिति समाप्त हो चुकी, वह बात ऐसी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समय ....

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : साढ़ा बाहर बज गये हैं, मेरा निवेदन है कि सदन का समय उस समय तक बढ़ा दिया जाय-जब तक यह पूरा बिल पास न कर दिया जाय ....

अनेक माननीय सदस्य : एक साथ नहीं होगा

(शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर: What is this ? इस तरह से करना हाउस का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय उस समय तक बढ़ाया जाय जब तक बिल पास न हो जाय ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : इसका मतलब यह है कि जो बोलना चाहते हैं उनके साथ विश्वासघात है। टाइम बढ़ा कर हमको मजबूर करके पास करना चाहते हैं, इस तरह की तानाशाही नहीं चलने देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : १२॥ बजे तक पास करना था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दूसरी सिटिंग और है, अब हम रुक नहीं सकते। जब आफ्टरनून मीटिंग का समय समाप्त हो जाय, तब टाइम बढ़ाने न बढ़ाने का सवाल आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के अंतर्गत....

एक माननीय सदस्य : इन्होंने कह दिया कि बढ़ा दिया जाय तब आपने भी कह दिया कि बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : According to rules sense of the House is taken.

(शोरगुल - "यह नहीं हो सकता")

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बोहड़ा) : इस का मतलब यह हुआ कि चेयर को गुड़िया बना रखा है ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : On a point of order, Sir, मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि कल जब कि सदन समाप्त हो रहा था तब चेयर से यह आदेश मिला कि यहां पर आज दो दफा सिटिंग होगी, पहली १२।। बजे खत्म होगी और दूसरी ३ बजे शुरू होगी, तो मैं नहीं समझता कि यहां से आदेश हो गया और उसके अनुसार पहली का समय समाप्त हो रहा है और दूसरी फिर होगी तो यह जो सवाल आया है टाइम बढ़ाया जाय, दूसरी सिटिंग खत्म होने के बाद ही पैदा हो सकता है। पहले जो आदेश हो चुका है उसको कोई बदल नहीं सकता। इस समय इस तरह का प्रस्ताव लाना अवैधानिक है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर प्रस्तुत हुआ है ढाबरियाजी की तरफ से, उस बारे में मैं माननीय सदस्य का ध्यान रूल २१८ की तरफ दिलाऊंगा; नियमानुसार टाइम बढ़ाने का प्रावधान है, उसके मुताबिक केवल हाउस का सेन्स लेकर सदन का समय बढ़ाया जा सकता है और अब भी इसी के आधार पर बढ़ाया जा रहा है। Irrespective of the fact that there is a further sitting or not, time had always been extended. It is nothing against the rules. It is according to the wish of the majority that the time has been extended. The Chair has nothing to do with it. It is just to carry out the intents and the wishes of the House.

(शोरगुल)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तो सदन की मंशा पर निर्भर है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): यह तो माथुर साहब की मंशा चल रही है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी तरफ से तो प्रस्ताव हुआ है; आप चाहें तो उसे स्वीकार करें, न चाहें तो न करें।

श्री मानसिंह महार : आप डिक्टेटोरियल तरीके से, धौंस देकर कहते हैं कि अभी पास कराया जाय। हम कहते हैं कि इस तरीके से नहीं हो सकता। आफ्टर लंच हम दुबारा आयेंगे; यह नहीं है कि हम इसको रोकना चाहते हों। लेकिन माथुर साहब डंडे के जोर से कहते हैं कि समय बढ़ाया जाय तो नहीं बढ़ेगा, कार्यवाही रोकेंगे इस सदन की। लंच के बाद पास कर देंगे। हम डिक्टेटरशिप में नहीं बल्कि जनतंत्र में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर पूरी बहस हो और नियमित तरीके से पास किया जाय। एक मंत्री अपने को खुदा समझे और कहे कि नहीं अभी पास होगा, आप अपनी इज्जत रखना चाहते हैं तो खुदाई खिदमतगार बनने की चेष्टा न करें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि न तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि मेरे प्रस्ताव को सदन माने ही, मैंने प्रस्ताव इसलिये रखा था, और नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एक बिल जब पहले सेशन में आया था उस समय प्रवर समिति को सौंपा गया। उसके बाद फिर पेश हुआ, उस तारीख को न लेकर

Page No. 71

(श्री मथुरादास माथुर)

दुबारा दूसरे दिन लेने को कहा गया था। आज सुबह से बहस चल रही है और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक धारा भी आगे नहीं बढ़े। अब शाम का सेशन और है। एजेन्डा के अनुसार इस बिल को १२॥ बजे पारित करना चाहिये था और दूसरा जो काम है वह बाद के सेशन में ले लेते।

दूसरा मेरा निवेदन है कि यह कहा गया कि सदन में बिल भले ही मन्त्री पेश करें। सुझाव रख सकते हैं, अमेन्डमेंट नहीं रख सकते·······

(शोरगुल-अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मथुरादास माथुर : मेरा यह निवेदन है कि मैं यह नहीं चाहता कि आप यहां बैठे ही रहें। मेरी मन्शा यह थी कि आधा घंटा में या एक घंटे में पास हो जाय; बहुत से लोग घर जाना चाहते हैं, दीवाली का मौका है। इसलिए मैंने कहा है कि थोडी देर और बैठ जावें तो शाम को दुबारा आने की आवश्यकता ही नहीं पड़े····

एक माननीय सदस्य : भोजन-वोजन करके वापिस आयेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी इच्छा है, अभी एडजोर्न होना चाहिये। ३ बजे फिर से होना चाहिये। ३ बजे से ५॥ बजे तक का समय रखा है।····

श्री मानसिंह महार : ७ बजे तक का रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : ३ से ७ के बीच में यह बिल है और इसके अलावा और भी कार्य है। मेरा निवेदन है कि पहले इस बिल को पास करना है इसलिये माननीय सदस्य, खास तौर से विरोधी दल के नेताओं और सदस्यों की इच्छा है कि ३ बजे से ७ बजे तक बैठ कर पास कर देंगे तो वैसा कर लिया जाय, लेकिन फिर यह नहीं हो कि ७ बजे के बाद भी समय बढ़ाया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ७ बजे नहीं हो तो और एक्सटेन्ड कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : इसके बाद ३ बजे से लगा कर ७ बजे या ८ बजे या १२ बजे तक भी बैठ जायेंगे इस इरादे से मैं अपना प्रस्ताव समय बढ़ाने का वापिस लेता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of Order, बात यह है कि कोन्साइज़ ओपीनियन ले ली गई है। दूसरे....

श्री रामकिशन (वैर) : प्रस्ताव वापिस ले लें तो प्रोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : पाइलट करने वाले मंत्री हैं, वे क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : There can be no point of order in the vacuum

Page No. 72

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order ! Order !!

मैं फिर से जानना चाहता हूं।

क्या यह सदन की मन्शा है कि इस समय सदन की बैठक स्थगित करके तीन बजे हम फिर मिलें और तीन बजे के बाद जब तक हम इस कार्यवाही को समाप्त न कर लें....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इस बिल पर !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक): इस बिल पर।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, तीन बजे जो सदन आरम्भ होगा वह तब तक चलेगा जब तक सदन की कार्यवाही पूरी न हो जाय।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ११.४१ बजे, आज सायं के ३ बजे म. प. तक के लिए स्थगित हुई)

*शुद्धि-पत्र

[शनिवार, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६४ (प्रातः कालीन)]

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१०	शीर्षक	—	[१०
१७	१२	ग्राम कीटनोद् जिला ड़ाडमेर में डकैती	ग्राम कीटनोद (जिला बाड़मेर) में डकैती
१८	४	शीघ्रफोर्स	शीघ्र मय फोर्स
,,	२७	श्री भाराज चौवरी	श्री भगराज चौधरी
२३	शीर्षक	गोविन्दढ़ग	गोविन्दगढ़
,,	१	बृद्दत्	बृहत
२७	शीर्ष	(श्री रामान्नद अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
२८	अन्तिम	आपप स्पष्टी करस्ण	आप स्पष्टीकरण
३०	शीर्षक	समति	समिति
३२	,,	तमिति	समिति
,,	३	: (विधि मंत्री)	(विधि-मंत्री) :
३९	अन्तिम	(६.४५ म. पू.)	(९.४४ म. पू.)
४२	,,	(६.४५ म. पू.)	(९.४७ म. पू.)
४३	शीर्ष	—	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	४	(श्री मथुरादास माथुर)	—
५०	अन्तिम	हुग्रा	हुआ
६१	१	श्री योगेन्द्रनाथ हाडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६२	७	; थोडा समित	: थोड़ा सीमित ।
,,	११	इंर्टेन्ट	इम्पोर्टेन्ट
६४	अन्तिम से ५	श्री मोतीलाल चोधरी	श्री मोतीलाल चौधरी
६५	१	,, ,, ,,	,, ,, ,,
६६	अन्तिम से ४	(टोक)	(टोंक)
६८	६	श्री भौरोसिंह	श्री भैरोंसिंह
७४	१०	श्री गोपाल :	श्री गोयल :
७५	१६	(डीडब्राना)	(डीडवाना)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८३	शीर्षक	राजस्थुान	राजस्थान
८४	,,	विवेसक	विधेयक
८५	शीर्ष	(मानसिह महार)	(श्री मानसिंह महार)
६४	अन्तिम से ५	(" बैठ जाग्रो,	" बैठ जाग्रो,
६५	१	श्री निरंजन्नाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१०१	शीर्षक	त्रिधि	विधि
१०३	शीर्ष	(श्री रामानन्द अग्रवाल)	(श्री उपाध्यच)
,,	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१०७	१४	श्री मानसिह	श्री मानसिंह
१०८से११२	शीर्षक	संशोधन (विधेयक),	(संशोधन) विधेयक,
१०८	३	श्री उपाध्याच	श्री उपाध्यच
११०	८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
११५	शीर्ष	(महारवल श्री लक्ष्मणसिंह)	(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
११६	८	(१२.०० मध्यन्ह)	(१२.०० मध्यान्ह)
१२१	शीर्षक	अक्टबर,	अक्टूबर,
१२५	१	(शोरगुल)	—
१२७	८	श्री भैंरोंसिंहि	श्री भैरोंसिह
१३७	८	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
१३८	१८	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह

विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ३] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ६० वां दिवस [संख्या २९

शनिवार, दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६४

(सायंकालीन)

विधान सभा की बैठक म०प० ३ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

————

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

————

राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक,

(सदन की मेज पर रखना)

सचिव, विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गत सत्र एवं वर्तमान सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयकः—

(१) राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १९६४।

(२) राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, १९६४।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयकः—

(१) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६४।

(२) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(३) राजस्थान मोटरगाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(४) डूंगरपुर राज्य देवस्थान निधि (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(श्री अनोपसिंह)

(५) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४ ।

(३. ८ म. प.)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४

(अग्रतर खण्डशः विचार-विमर्श)
एवं पारित

श्री रामकिशन (वैर) : आज पंचायत लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल के क्लॉज़ १९ पर विचार चल रहा था ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of information. यह तय हुआ था कि तीन बजे कुशलगढ़ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज का जवाब गृह मंत्री महोदय देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : Let him come.

श्री रामकिशन : क्लॉज़ १९ पर विचार चल रहा था । यह स्थिति विलक्षण है कि सिलेक्ट कमेटी ने जो प्रारंभिक बिल में परिवर्तन किए हैं उन सबको संशोधित किया जा रहा है । मुझे जानकर ताज्जुब होता है कि सिलेक्ट कमेटी में २१ मेम्बर्स थे उनमें से १४ कांग्रेस के थे, उन १४ साहबान ने एक मत से फैसले किए । मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि दुबारा सारे संशोधनों को संशोधित किया जा रहा है । जहां तक प्रपोर्शननेट रिप्रेज़ेन्टेशन का सवाल है, यह दुनिया की सबसे अच्छी प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली है । इसे इसलिए स्वीकार किया जाता है कि अल्पमतों के हितों की रक्षा हो । जो सादिक अली समिति बैठी थी, उस अध्ययन दल ने भी सिफारिश की, कि जो प्रतिनिधित्व दिया जाय वह सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम से हो । एक तर्क दिया जाता है कि विकास अधिकारी नहीं समझेंगे या दूसरे अधिकारी नहीं समझेंगे, चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है । आज जो पंचायत समितियां हैं, ज्यादातर आर०ए०एस. अधिकारी ही विकास अधिकारी हैं और दूसरे लोग भी वहां काफी पढ़े-लिखे तबके के हैं तो कौनसा फार्मूला है कि जो ये लोग इस प्रणाली नहीं सीख सकते । इस प्रणाली को अपनाने के लिए जितने भी अध्ययन दल बिठाए हैं, यूनिवर्सिटी ने बिठाए, सबके नोटिस में यह बात आई कि जो कमेटियां बनती हैं उनमें सभी दल चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे विरोधी पार्टी हो, दूसरे लोगों का सहयोग नहीं लेते हैं । तो हम लोग भी इस पर जोर दे रहे हैं । हम यह नहीं समझते कि हमें नुकसान होने वाला है या कांग्रेस वालों को होने वाला है । २३२ पंचायत समितियों में से सौ या सवा सौ विरोधी दलों के हाथ में आने वाली हैं । कहीं कांग्रेस वाले दूसरे लोगों को नहीं लेंगे और कहीं दूसरे लोग कांग्रेस वालों को नहीं लेंगे । इससे पंचायती राज की स्पिरिट ही खत्म हो जाती है । प्रभारी मंत्री का व्यवहार बड़ा अजीब है । हैं तो सज्जन प्रकृति के आदमी । दो दो मिनट बाद अमेन्डमेन्ट रख रहे हैं । सलाह कर लेने की बात पहले ही मान लेते लेकिन माना नहीं । न मालूम उन पर कौनसा दबाव पड़ा, फिर बदल दिया । तो फिर सिलेक्ट कमेटी का अर्थ क्या रहा ? सारे क्लॉज़ में

Page No. 77

(श्री रामकिशन)

परिवर्तन कर दिया है। मंत्री महोदय ने प्रपोज़ किया है, कितनों की याद है और कितनों की नहीं ? कोई जानकारी ही नहीं कि सिलेक्ट कमेटी में बहस हुई थी और हम चाहते थे कि स्वीकार किया जाय लेकिन उन सब के विपरीत वे आचरण करने जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि धारा १६ जैसी सिलेक्ट कमेटी ने रखी वही रखीजाय। नहीं तो पंचायतराज की धारणा बनी है लोगों में उनको ही खत्म कर दिया जायगा। पंचायत समितियों की मीटिंग्ज़ तीर्ग महिने एक दफा होती हैं। उनमें कोई फैसला नहीं हो पाता। वाद-विवाद चलता रहता है-, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में कमेटियां सर्व सम्मत निर्णय कर लेती हैं तो लोकतंत्र और पंचायती राज के लिए भी कल्याणकारी होगा। लेकिन पता नहीं सरकार उन सारे परिवर्तनों का जिनको सिलेक्ट कमेटी ने किये दुबारा उसी तरह करने जा रही है जिस प्रकार प्रारम्भिक बिल में थे। विचार ही कैसे कर, हमें यह नहीं मालुम हो रहा है। इसलिए दुबारा यह सिलेक्ट कमेटी को जाय। सरकार यह कहता है कि हम चुनाव जल्दी कराना चाहते हैं, वादा जब बनवरी में कराने का किया है, पहले भी सरकार ने पांच-छः वादे इस सम्बन्ध में कर लिये, इसलिए सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि निरन्तर आप वादा तोड़ते रहे हैं।

मान लीजिये कि आपने १ जनवरी को भी चुनाव करा लिये, उसके बाद भी दिक्कतें आयेंगी, इससे परेशानी खड़ी होगी और नतीजा यह होगा कि महीने, दो महीने बाद आप इसमें अमेन्डमेन्ट लावेंगे। इसलिए मैं खास तोर से मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार के दूसरे सदस्य इस पर जोर दे रहे हैं, वे गम्भीरता से इस पर सोचें। इससे कोई विरोधी दलों को फायदा हो रहा हो और सरकारी पक्ष को कोई नुकसान हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। हम इस पर इसलिए जोर देना चाहते हैं कि पंचायती राज को हमें सफल बनाना है। मौजूदा जो सरकार है उसका 'पंचायत राज' एक नारा है धर्म नहीं है, किन्तु विरोधी दलों का पंचायती राज नारा नहीं है; किन्तु धर्म है, कर्म है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): Article of faith.

श्री रामकिशन : आप नारेबाजी तो बन्द करें, आपने इससे बहुत से फायदे उठा लिये और आगे और उठाते रहना चाहते हैं। मुझे अजीब मामला लगता है कि जब भी इस तरह का बिल रखा जाता है, जिससे बदनामी बढ़ती है या स्टेट को गाली पड़ती है; आम तौर से ऐसे मंत्री द्वारा जो कमजोर हो, रखाते है, श्री भीखाभाई मजबूत बनें। १२ साल आपको कमजोर दिखाते हुए हो गये। आपको सक्षम बनना चाहिये। पंचायती राज को आगे बढ़ाने में सही कदम उठाने चाहिये। अगर यही रवैया रहेगा, तो सिलेक्ट कमेटी की सारी सिफारिशों को आप बदल देते हैं तो फिर सिलेक्ट कमेटी का अस्तित्व क्या रहा ? विचार कीजिये कि सिलेक्ट कमेटी की क्या स्थिति रही ? इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये और साथ ही पार्टी की भावना से ऊपर उठ कर, उसकी भावना को छोड़ कर विचार करें। सरकार ने

(श्री रामकिशन).

खुद माना है, प्रभारी मंत्री ने नोट दिया है, सिलेक्ट कमेटी ने नोट दिया उसको रखा; वे ही मूल रूप में बदल गये। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कम से कम मंत्री महोदय इसको वापिस ले लें। इतना ही कह कर मैं १६ वें क्लॉज़ पर अपना विरोध प्रकट करता हूं।

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल): क्लॉज़ १६ स्टेन्डिंग कमेटीज़ से सम्बन्धित है। आज यह है कि अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं स्टेन्डिंग कमेटीज़ के, वे बहुमत के जरिये होते हैं। इससे सारे के सारे मेम्बर एक ही पार्टी के आ सकते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के जरिये से जितनी पार्टीज़ हैं उनके मेम्बर्स उनमें सुविधापूर्वक नहीं आ सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि कमेटीज़ में चुनाव पुराने तरीके से होता है उसी तरीके से रखा जाय या सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन के तरीके से कराये जाने का कहा है, उस तरीके से रखा जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन को आधार मान कर चुनाव कराये जायं तो न्यायिक तौर पर इसमें विचार प्रकट करने का मौका मिलेगा और पंचायत समितियां अच्छे ढंग से चलेंगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): एक वाया मिडिया यह निकला है कि चुनाव अधिकारी प्रधान के बजाय बी.डी.ओ. को बना दिया जाय तो ठीक हो सकता है। ऐसी बात है तो हम उसको स्वीकार करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष :Yes, Honble memberi

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): यहां पर जो माननीय सदस्य जयपुर से आते हैं और माननीय सदस्य जो आमेर से आये हैं उन्होंने यह कहा कि राज्य सरकार ने इस बात पर कोई निर्णय लिया था और उस निर्णय को लेने के बाद में उस बात को यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन को हटा दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपने सिलेक्ट कमेटी में मंजूर किया था।

श्री भीखाभाई : आप ज्यादा चाहते थे, बहुमत की बात थी। मैं चेयरमैन था उस कमेटी का, लेकिन गवर्नमेन्ट की यह स्थिति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : आपने मंजूर किया था या नहीं ?

श्री भीखाभाई : आप जो कहना चाहते हैं वही बात कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्ट कमेटी में आपने इस बात को मंजूर किया था या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जयपुर से जो माननीय सदस्य आते हैं उनकी तरफ से बहुत आग्रह था और दूसरे माननीय सदस्यों का भी आग्रह था कि इस बात को रखा जा सके और सरकार विचार कर सकती है तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रवर समिति के चेयरमैन की और मंत्री की हैसियत दूसरी दूसरी होती है। जब मंत्री बिल पायलेट करता है तो उसको सरकार की नीति है उसको लेकर चलना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : उस समय आप मंत्री थे या नहीं ?

श्री भीखाभाई : कई स्टेन्डिंग कमेटीज़ के अध्यक्ष हैं, कई रिज़ोल्यूशन्स पास होते हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सदस्यों की संख्या होती है, जो बातों का इजहार माननीय सदस्य करते हैं उनका खयाल रखना पड़ता है और मैं यह कह सकता हूं कि इस बात को मंजूर किया था। जो माननीय सदस्य आमेर से आये हैं उन्होंने एक दलील दी कि इन लोकल इन्स्टीट्यूशन्स को राजनीति से अलग करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : सही बात कहें। शनिवार है और हनुमानजी का दिन है।

श्री भीखाभाई : हनुमानजी का दिन है इसलिए सही बात कह रहा हूं।

विरोधी दल के नेता ने बात कही। उनकी बात, उनकी भावना को मैं समझता हूं। उनका हमेशा मैं आदर करता रहा हूँ और करता भी रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। पर निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमने यह देखा कि जो हम करने जा रहे हैं और जो सिलेक्ट कमेटी में हुआ; वह ठीक हुआ था क्या ? आज जो अमेन्डमेंट मूव हुए, वे हमने जो डिसीज़न लिया था कि एक वोटर को पंचायत समिति में प्रधान बनाना है, तो हम कैसे बना सकते है, उसके ये कान्सीक्वेन्शियल अमेण्डमेंट्स हैं।

यह तो आपकी मेरी, सबकी गलती है कि माननीय सदस्य मेम्बर थे, ड्राफ्ट रिपोर्ट सब के पास . ची थी ; तब भी ये बातें नोटिस में आने ओझल रह गईं। तो अब सदन का यह फर्ज कि उनको देखे। इसके अन्दर यह कान्सीक्वे ल अमेन्डमेंट है। लीगल लेकुना अगर कोई रह जाता है तो उसको ठीक करना आवश्यक होता है।

अगर यह नहीं होते, तो सदन बदनाम होता, लोग बात करते कि सदन में अयोग्य सदस्य बैठे थे कि जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी में नहीं देखा-सोचा। सो तो नहीं देखा-सोचा, पर सदन में भी विचार नहीं किया।

कम्पलीकेटेड चुनाव प्रणाली के बारे में कहा गया। समिति में चन्द आदमियों का आग्रह था कि एक्सेपेरीमेन्टल बेसिस पर ही इसको करके देख लिया जाय। पर इस पर फिर पुनर्विचार हुआ। तो लगा कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन की बात नहीं रहनी चाहिये और इसके स्थान पर पुरानी पद्धति को ही रखा जाना चाहिये; इसके अनुसार निवेदन करूं एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जब बनती है और उसका निर्णय पंचायत समिति में रिव्यू हो सकता है। प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल सर्विसेज़ कमेटीज़ बनती हैं तो उनको अधिकार है, अपनी बात ठीक रखे। अब जहां स्वतन्त्र दल की पंचायतें हैं या पंचायत समितियां हैं, जिला परिषदें हैं कांग्रेस के लोग क्या उनमें काम नहीं करते ? अब जहां कांग्रेस की पंचायत समितियां हैं; जिला परिषदें है, कहते हैं, उनमें स्थान नहीं मिल रहा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बिलकुल ठीक है, बिलकुल नहीं है; यह उदयपुर में देख लीजिये।

Page No. 80

श्री भीखाभाई : यह मैं नहीं मानता। आपके तथ्य को मैं कुछ सीमा तक ही स्वीकार कर सकता हूं। पांच-दस परसेन्ट में ऐसी स्थिति आई हो, यह अलग बात है। पंचायत राज में कई बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनती हैं, उनमें एम. एल. एज़. चाहे किसी पार्टी के हों रहते हैं; समान रूप से सबको स्थान मिलता है।

तो अब प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन जैसे कम्पलीकेटेड मेथड को २३२ पंचायत समितियां और जिला परिषदों में लागू करें तो बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इनमें एक एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर वेस्ट करता है। मान लो कि कांग्रेस का मन्त्रि-मण्डल है। हार्मोनियस वर्किंग करना है तो हम करते हैं। पर यह कहें कि अपने बीच में एक आदमी को जिसके विचार समान नहीं हैं, लिया जावे तो हार्मोनियस वर्किंग नहीं हो पावेगा। लेकिन जहां एग्ज़ीक्यूटिव तरीके से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करना पड़ता है वहां इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये कि सिविल अधिकार होना चाहिये। फिर भी निवेदन करूं कि स्टेन्डिंग कमेटी का भी रिव्यू होता है। पंचायत समिति में कन्फर्मेशन होता है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : यह गलत है। उनको सिर्फ इन्फोर्मेशन दी जाती है।

श्री भीखाभाई : अगर यह बात है कि पंचायत समिति में सिर्फ स्टेन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ दी जाती है और विचार नहीं होता है तो इसके बारे में सरकार की तरफ से हिदायत दी जावेगी; यह रखा जाना चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आप पंचायत मन्त्री होते हुए भी नहीं जानते कि स्टेन्डिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जाती है। कन्फर्मेशन की तौर पर नहीं किया जाता।

श्री भीखाभाई : अब प्रधान को ये चुनाव कराने पड़ते हैं। अब उसकी हालत हम जानते हैं। वह इस कम्पलीकेटेड तरीके को नहीं समझ सकता। इसलिए मेरा यह अमेन्डमेंट है और इसलिये मैंने पहले ही अपने माननीय सदस्य का एक अमेन्डमेंट इस संशोधन के साथ स्वीकार किया है: "इन प्रेस्काइब्ड मैनर"; वह स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुनाथ विश्नोई ने क्लॉज १६ में किया है वह स्वीकार किया जावे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : एज अमेन्डेड लिखित में होना चाहिये। कानूनी काम करिये, गैर कानूनी मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेंडमेंट श्री रघुनाथ विश्नोई ने प्रस्तुत किया और उसमें माननीय मन्त्री ने जो संशोधन किया जिसके अनुसार क्लॉज़ इस प्रकार से पढ़ा जावेगा :

"from amongst the Members of the Panchayat Samiti n the prescribed manner"

इस प्रकार अमेन्टमेंट प्रस्तुत होकर क्लॉज़ बना है इसके सहित अमेंडमेंट स्वीकार किया जावे।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

विपक्ष के माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता ।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से प्रश्न प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी पढ़ा गया उसे पारित किया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला : जो माननीय सदस्य अभी अन्दर आये हैं उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : सब मालूम है ।

(मत-दान के पश्चात्)

(सरकारी पक्ष द्वारा हां की ध्वनि)

(विरोधी पक्ष द्वारा ना की ध्वनि)

हां पक्ष जीता ।

श्री विजयसिंह झाला : ना पक्ष जीता ।

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री राधाकृष्ण गोयल व विरोधी पक्ष के अन्य माननीय सदस्य : जाने दीजिये, देख दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मानते हैं कि हां पक्ष जीता ।

श्री विजयसिंह झाला : आप आवाज सुनकर स्वयं देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से प्रस्तुत करता हूँ । प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी पढ़ा गया था उसे स्वीकार किया जाये ।

(अस्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १६ में श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, यथासंशोधित, विधेयक अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया । अब जो डेफ़र्ड क्लॉजेज पहले के थे उनमें से क्लॉज़ ३ को लेते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : कन्टीनुएन्स में ले लें । इसको तो फिर बाद में ले लेंगे ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २० ।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :-

(१) श्री गिरधारीलाल आसिन्द :

Page No. 82

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

Part (aa) : In sub-part (i), sub-section (3) add the brackets and figure "(i)" in third line after the words "clause (a)".

Part (ii) be omi tted.

२. श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) :

(अ) (I) For sub-clauses (aa), (aaa), (b) and (c) substitute the following clause, namely :—

(b) in sub-section (12), for the expression beginning with "and such subsequent motion" and ending with "sub-section (11) shall apply," the following exprerssion shall be substituted, namely:—

"and such subsequent motion,-

(a) in the case of a Up-Pradhan, if supported by a majority of the total number of members of the Panchayat Samiti, shall be deemed to be carried and the other provisions of sub-section (11) shall apply, and

(b) in the case of a Pradhan, if supported by a majority of the members of the electoral college consisting of the persons eferred to in clause (a) of sub-section (1) of section 12, present and voting shall be deemed to be carried and provisions of sub-section (2) shall apply as if for the words "one-third", the words "one-half" were substituted therein, and other provisions of sub-sections (3) to (11) shall apply as if a reference therein to "Panchayat Samiti" were a reference to such electoral college and a reference to "meeting" or "member" were a reference respectively to the meeting or member of such electoral college."

(आ) In amendment No. 34, in clause (b) proposed to be substituted, substitute "not less than one-third", and for "one-half", substitute "more than one-half".

३. श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) :

(i) In part (a) the brackets and figures "(vi)" be replaced by the brackets and figures "(v)".

(ii) In part (aa) (i) the brackets and letter " clause (a) " be replaced by the brackets, letter and figure, "(a) (i)"]

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत हों वे समय के संकोच

Page No. 83

(श्री उपाध्यक्ष)

के लिहाज से अमेन्डमेंट्स की जो मन्शा है उसी के ऊपर केवल प्रकाश डाला जावे और जहां तक हो सके उनको मूव करके छोड़ दिया जाये और उसके ऊपर विषद भाषण अन्य प्रकार के न हों।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है :

1. Part (aa): In sub-part (1) sub-section (3) add the brackets and figure "(1) in the third line after the words "clause (a)"

2. Part (ii) be omitted.

मेरा मतलब यह था कि जो इसमें यह प्रावधान रखा गया था कि पंचायत समिति के प्रधान और उप-प्रधान के अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जो इन्होंने मेम्बर्स और पर्सन्स की डेफिनिशन दी है मैंने इसमें यह अमेन्डमेन्ट दिया है कि सिर्फ पंचायत के प्रधान और उप-प्रधान के अविश्वास के प्रस्ताव के लिए पंचायत समिति के मेम्बर्स ही होने चाहिए न कि वे वोटर्स होने चाहिए जो कि उसे वोट देकर प्रधान को बनाते हैं। मेरा मकसद खास तौर से इसमें यह है और जैसा इसमें दिया गया है कि जो भी वोटर्स होंगे और जो वोटर्स उसमें वोट देकर प्रधान को बनायेंगे उसमें पंचायत समिति के सदस्य सरपंच व पंचायत जो हैं उसके वोटर्स होंगे। मेरा मतलब यह है कि अगर सबको इकट्ठा किया जायेगा तो अविश्वास के प्रस्ताव में काफी कठिनाइयां होंगी और पंचायत समिति क्योंकि एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी होती है और जैसे म्युनिसिपैलिटी वगैरह होती हैं उनमें वोटर्स को नहीं लिया जाता, सिर्फ जो सदस्य चुनकर आते हैं उन्हीं के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है; इसलिए मेरा अमेन्डमेन्ट है कि इसमें वोटर्स को न रखकर उन्हीं लोगों को लिया जावे जो कि पंचायत समिति के मेम्बर्स हैं। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करता हूं :

In amendment No. 34, in clause (b) proposed to be substituted, for "one third" substitute "not less than one third", and for "one half", substitute "more than one-half".

श्री उपाध्यक्ष :Amendments have been circulated and you may just explain it.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो आसींद से आते हैं उन्होंने जो अमेन्डमेन्ट रखा वह जिस रूप में है उस रूप में तो स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन जो स्प्रिट उनकी अमेन्डमेन्ट में है उसको मेरे अमेन्डमेन्ट में समाविष्ट किया है और इस अमेन्डमेन्ट में जो कहा गया वह यह कि हमारे यहां नो-कॉन्फीडेन्स वोट होता था उसमें पहले जो नो-कॉन्फीडेन्स के वोट की चीज है उसको तो बदला नहीं है और मेजोरिटी होती है लेकिन बाद में जो सेकण्ड मोशन होता है उसके अन्दर जो यह प्रावधान किया गया है अगर "more than 50 percent" जैसे इस अमेन्डमेन्ट में दूसरा अमेन्डमेन्ट मूव किया है, "for 'one third'

(श्री भीखाभाई)

substitute 'not less than one third', and for 'one half' substitute 'more than one half'

"one half" जो लिखा था उसमें यह संशोधन किया उसमें "one half" के बजाय more than one half और जो १।३ लिखा था वह मोर दैन १।३ किया है। इसका मतलब यह है कि प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और उसकी सिक्योरिटी रह सके क्योंकि प्रधान एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर है; अगर उसके काम में विघ्न पैदा होता है तो वह काम नहीं कर सकता। इस दृष्टि से जो सेकण्ड अमेन्डमेन्ट है, सेकण्ड मोशन जो नो-कान्फीडेन्स का लाया जाता है उसमें इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि अगर ५० परसेन्ट से ज्यादा मेम्बर्स नोटिस दें और नोटिस देने के बाद नोटिस के अन्दर वह बात कैरी ओन हो जाय तो अविश्वास का प्रस्ताव उसके खिलाफ लाया जा सकता है। यह उसकी मन्शा है और उसमें यह कोशिश की गई कि यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि उसको बारबार रीशफल करके सारी व्यवस्था को गड़बड़ किया जाये। इसी प्रकार का मेरा अमेन्डमेन्ट है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of clarification, Sir, सवाल यह है कि जैसे कहा कि ५० परसेन्ट मेजोरिटी से अगर मूव हो तो मान लो कि मूव हो गया तो मैं यह जानना चाहूंगा कि मूव करने के बाद में ४ आदमियों ने फिर उसको वापिस ले लिया और यह कह दिया कि हमसे तो जबरदस्ती दस्तखत करा लिये, तो उस स्थिति में उसको मूव समझा जायेगा या उसको गलत समझा जायगा और मनमाने ढंग से उसको आने दिया जायेगा या नहीं, इसके बारे में क्या व्यवस्था है? क्या सरकार चाहती है कि मैजोरिटी के दस्तखत करने के बाद में उसको विदड्रॉ करने की कोई ताकत नहीं है, इसका क्लेरीफिकेशन करें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इसमें डरने की क्या बात है? आपने १।२ किया, इसकी क्या जरूरत थी? एक बहुत ही ऊंची लिमिट की है, इसको आप री-कन्सीडर कर लो।

श्री गंगासिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं। पहला अमेन्डमेन्ट तो यह है कि जो कलेक्टर के पास एप्लीकेशन पेश होगी अविश्वास की, उसमें १।३ के दस्तखत होने के थे और वह किन किन आदमियों के हैं उसमें लिखा है सब-क्लॉज (३) और (६) के अलावा जो सेक्शन ८ अ में है उनके अलावा १।३ मेम्बर्स के दस्तखत होने चाहिये। परन्तु क्लॉज़ ८ है उसमें जो न्याय पंचायत सर्किल के रिप्रेज़ेन्टेशन थे वे हटा दिये गये हैं। वैसी सूरत में वह जो (४) था वह (५) हो गया और (४) था वह हट गया। ऐसी सूरत में क्लेरीकल मिस्टेक है जिससे कि पहले भी सब-डिवीज़नल ऑफिसर और एसोसियेट मेम्बर दोनों को हटाया गया था। और अब चूंकि एक सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट सब क्लॉज़ में आता है और अब ऐसोसियेट मेम्बर सब-क्लॉज़ (५) में आता है, वैसी सूरत में यह क्लेरिकल मिस्टेक रह जाती है तो सब-क्लॉज़ (३) और (६) की जगह (३) और (५) का मैं निवेदन करूंगा।

(श्री गंगासिंह राठौड़)

दूसरा जो मेरा एमेंडमेंट का मोशन है वह यह है कि प्रधान के अन्दर अविश्वास कौन लाये ? तो मेरी यह नीति है कि प्रधान के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव पंचायत समिति के मेम्बर ही लाने चाहिये न कि पंचायत समिति के मेम्बर और पंचायत के मेम्बर।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एमेंडमेंट बिल्कुल साफ है। मैंने निवेदन यह किया है कि जहां तक पहला प्रस्ताव जो अविश्वास का होगा उसमें कोई प्रावधान नहीं है........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ओरीजिनली मेरा एमेंडमेंट है....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon. Minister.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री उस पर भी प्रकाश डालें जो श्री गिरधारीलाल व्यास और श्री गंगासिंह के एमेंडमेंटस हैं....

श्री भीखाभाई : श्री गिरधारीलाल व्यास के एमेंडमेंट के बारे में मैंने निवेदन किया कि उसकी स्प्रिट का जहां तक सवाल है वह उसमें सम्मिलित की जा रही है। यह मैंने कहा कि प्रधान जो वहां का एग्ज़ीक्यूटिव हैड है उसका काम निर्विघ्न रूप से चले और बार बार अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आये और क्योंकि इसका ब्रॉड बेस्ड इलेक्टोरल कॉलेज होगा इसलिये प्रधान की सिक्योरिटी हो तो इस प्रकार से समझें कि जो प्रधान है उसके खिलाफ सेकण्ड मोशन आता है वह जैसा था वह वैसा ही है, जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने रखा है, करीब करीब उसी बात को रखा गया है। पहला जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि केवल पंचायत समिति की मेजोरिटी अगर नोटिस दे दे पहले और वह नोटिस के बाद में अगर केरी हो जाय नोटिस का मोशन उसके बाद में जब जरूरत पड़ेगी कि वह सारे का सारा इलेक्टोरल कॉलेज इकट्ठा होगा, उसके बाद में अविश्वास का प्रस्ताव पास हो सकेगा; यह प्रावधान किया गया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एमेंडमेंट रखा है उसका खास मकसद तो यह था और उसके लिये मैंने नजीर भी दी कि जैसे पंचायत होती है, म्युनिसिपल बोर्ड होता है और जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं उनमें इस प्रकार का कहीं भी प्रावधान नहीं है कि उनके वोटर्स उनके खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट देने आयें; तो पंचायत समिति में यह प्रावधान किया गया है कि जो पंचायत के लोग हैं, पंच वगैरह वे भी अविश्वास के प्रस्ताव में सम्मिलित होंगे। जैसा एमेंमेंडट माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसके अनुसार मेरा एमेंडमेंट यह है कि पंचायत समिति के सदस्य प्रधान में विश्वास करते हैं तो उसको हटाने का अधिकार उनको नहीं दिया गया और पंचों को भी उनमें शामिल कर दिया गया है तो इस प्रकार से कार्य होना असम्भव हो जायगा। क्योंकि पंचायत समिति का कार्य ठीक तरह

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से चलाने का है, लेकिन प्रधान में विश्वास उन सदस्यों का होना चाहिये जो उनके साथ काम करते हैं। अगर उन लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं हुआ और इतने लोगों को क्षेत्र दे दिया जाय कि पंचायत समिति के अलावा जितने भी पंच हैं उन सबों का अविश्वास उसके अन्दर हो तब जाकर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो सकता है तो एक लम्बा प्रावधान हो जायगा। इस प्रकार से व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है और अगर पंचायत समिति के प्रधान को इस प्रकार के अधिकार दिए जायेंगे तो उसके खिलाफ कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि दूसरे लोकल बॉडीज़ में, पंचायतों में और म्युमिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ वहां के ही सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव पास करते हैं तो यहां पंचायत समिति में पंचों को शामिल करने से तो बहुत बड़ा उसका दायरा हो जायगा। इसलिए मेरा मकसद यह था कि पंचायत समिति के सदस्य ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उसमें दो-तिहाई या तीन-चौथाई जैसा पहले था तीन-चौथाई का, उसी प्रकार का प्रावधान रखें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो श्री गिरधारीलाल व्यास ने कहा है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मुझको पहले कहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एमेंडमेंट अभी रखा गया है...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में आप पूछ लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय मन्त्री महोदय ने प्रधान के खिलाफ पहला जो अविश्वास का प्रस्ताव आया उसके अन्दर मेम्बर ऑफ दी पंचायत समिति पहले ही मेजोरिटी से उसके ऊपर राय दे दे तब जाकर वह जितने भी उनके वोटर्स हैं उनकी सम्मति ली जायगी और उसके ऊपर मेजोरिटी से वोट दें तब पास माना जायगा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फर्स्ट में नहीं है। फर्स्ट में यह कहा कि एक-तिहाई मूव करेंगे और दो-तिहाई पास करेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : तो मैं यह कहता हूँ कि जिस तरह से सिलेक्ट कमेटी ने कहा है कि इतना लम्बा-चोड़ा वोट देने का दायरा बना दिया तब एक-तिहाई मेम्बर ऑफ दी पंचायत समिति उसको मूव कर दें तो यह एक मेजोरिटी पंचायत समिति की राय होगी और अब इसको पास करने के लिए आप सारे लोग जो कि वोटर्स हैं उनको बुलाते हैं तो उसमें दो-तिहाई का सवाल कहते हैं तो वहां पर सिंगल मेजोरिटी से वह पास होना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी ने यह रखा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को बदला जाय। वह बिल्कुल सही है। इधर पंचायत समिति के मेम्बर्स उसको मूव करते हैं और जो उसको वोट देने वाले हैं उनकी मेजोरिटी से पास होता है तब तो सवाल ही नहीं है कि उसके अन्दर रद्दोबदल किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही तरीका है और साफ प्रोसीजर है कि सिंगल मेजोरिटी से पास करना चाहिए

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सेकण्ड में जो कुछ करना चाहते हैं वह कर दें, लेकिन जो बात रखी है मैंने, उसको मान लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : टू-थर्ड मेम्बर्स ऑफ दी पंचायत है, उसमें पंच सम्मिलित नहीं हैं। इसलिए ऐसा यह सोच लें।

श्री उपाध्यक्ष : The clarification will be done by the hon. Minister.

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मन्त्री महोदय ने फर्माया कि १।३ मेम्बर्स मूव करेंगे और २।३ मेम्बरों की मेजोरिटी होने के बाद वोटिंग पर जायेंगे और २।३ की मेजोरिटी होगी....

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री जुझारसिंह : तो २।३ मेजोरिटी से प्रधान काम कैसे कर सकेगा ? अगर उसकी मेजोरिटी है इलेक्टोरल कॉलेज में यानी अगर २।३ मेजोरिटी उसके अगेन्स्ट में है और जो किसी तरह से रिज़ोल्यूशन को पास कर देती है तो पंचायत समिति में वह काम कैसे कर पायेगा ? इसके लिए आपने क्या सोचा है ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि) : दो-तिहाई की मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है फर्स्ट मोशन ऑफ नो कोन्फीडेन्स तो ठीक है और अगर दो-तिहाई से पास नहीं होता है तो सब्सीक्वेन्ट जो मोशन आयेगा वह १।२ मेम्बर्स ऑफ दी पंचायत समिति मूव करेंगे। रिक्वीज़िशन विथ नोटिस के लिए उसमें वह वोट देंगे और बाद में सिम्पल मेजोरिटी ऑफ दी इलेक्टोरल कॉलेज of the Panchayat Samiti, i. e. including Panchas & Sarpanchas....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भी एक चीज है कि अभी जो डिप्टी मिनिस्टर ने सफाई दी उससे पोज़ीशन इतनी साफ हो गई है कि अविश्वास के प्रस्ताव का अधिकार है वह एक के बजाय दो को देना चाहिए। फर्स्ट टार्गेट ऑफ दी पंचायत समिति के वे मेम्बर्स जो रोजाना प्रधान का काम देते हैं और प्रधान के काम के साथ जिनका सम्बन्ध है उनको अधिकार देते हैं। दूसरी बार में आप कहते हैं कि २।३ मत नहीं आये और अविश्वास का प्रस्ताव फैल हो जाय तो उनको कोई चान्स नहीं है और बाद में पंचों का जो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है उनकी सिम्पल मेजोरिटी लें, यह कितना गलत है। मैं समझता हूं कि यह सिद्धांतरूप से बिल्कुल गलत है। अभी तक जो था वह इसलिए था कि २-३ पंचायत समिति की मेजोरिटी से हटाया जाय, अब १-२ मेजोरिटी से पंचायत समिति के मेम्बर और पंचों से उसको हटाया जा सकता है ६ महीने के बाद में। यह प्रावधान था, किसी प्रकार से कन्ट्रोल रहे इसलिए यह प्रावधान किया था। आप उल्टा कर रहे हैं इसलिए कि इम्प्रेक्टीकेबल हो जाय, अविश्वास का प्रस्ताव आये ही नहीं, यह कतई गलत है। यह बिल्कुल इम्प्रेक्टिकेबल कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की भावना के विपरीत जा रहे हैं। आप इस प्रोविजन से गलत उलझन में डाल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह कतई तौर पर कांट्राडिक्टरी नहीं है। इस बिल में पहला नो कोन्फीडेन्स मोशन २-३ मेजोरिटी से केरीड आउट नहीं होता है; उसके बाद मोर देन वन हाफ से नोटिस देते हैं तो मतलब यह हुआ कि दूसरी बार भी पंचायत समिति के मेम्बर प्रधान से नाखुश हैं, वह उनका कॉन्फीडेन्स लूज़ करता है। क्योंकि जनरल इलेक्टोरल कॉलेज का प्रावधान कर दिया है इसलिए जिसने उसको चुना है उनको अप-दस्थ करने का अधिकार होना चाहिये इसलिये यह रखा है।

श्री नत्थीसिंह : एक क्लेरिफिकेशन और कर दीजिये। दूसरी दफा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है वह पंचायत समिति के १/४ मेम्बर्स देते हैं, या २/३ देते हैं या पूरे मेम्बर्स देते हैं, तब भी उनको अवि-श्वास का प्रस्ताव पास करने का हक नहीं रहेगा क्योंकि अब आप पॉवर्स वोटर्स को दिलाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : समझ का फर्क है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह ऐसा बढ़ता जा रहा है, मेरी धारणा है कि हम बिल्कुल उस जानवर की तरह फंसते जा रहे हैं जो जाल में फंसकर फड़फड़ाता है और अधिक फंसता जाता है; वैसी ही हालत मंत्रीजी और उप-मन्त्रीजी की हो रही है। उन्होंने ऐसी ऊल-जलूल धाराएं बनाई हैं कि कोई सैंसिब्रल आदमी इसको देखेगा तो इस सोचनीय स्थिति पर तरस खायगा। ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान में कोई लॉ डिपार्टमेंट ही नहीं है। आप जरा सोचिये, इसमें यह प्रावधान रखा जाता है कि २/३ सरपंच या समिति के मेम्बर होंगे वे यदि हटाना चाहें तो उसके लिये कैसी एनोमोलस पोज़ीशन है; यदि उसमें पास नहीं होता है; तो दुबारा यही होना चाहिये था, लेकिन आप तो दुबारा इलेक्टोरल कॉलेज ही बदलना चाहते हैं। दुनिया में किसी भी जगह की ऐसी एग्ज़ाम्पल आपके सामने हो तो बताइये। आपकी म्युनिसिपै-लिटीज़ हैं, पंचायतें हैं कहीं भी ऐसा नहीं है। फिर कौन सी प्रगतिशील ब्रान्च से आपके दिमाग में यह बात आई है? आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में ऐसा है क्या, जहां से लाकर खिचड़ी बनाई है? हमारा तो सुझाव है, करेंगे तो वही जो इनकी मोटी बुद्धि में आयगा, हम लोगों में लॉफिंग स्टॉक बनते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा तो विरोध दर्ज हो जाय क्योंकि लोग सुनेंगे, वकील सुनेंगे तो कहेंगे कि विधान सभा में कैसे कैसे मूर्ख बैठे हैं; एक बार एक इलेक्टोरल कॉलेज और दूसरी बार दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज? आप यह कर दीजिये २/३ पंच और सरपंच पास करें तो पहली बार और दुबारा करें तो हाफ से हो जाय। टू थर्ड ऑफ मेम्बर्स ऑफ समिति और दुबारा पंचायत को जोड़ दिया, यह कोई तमाशा है? आप भी विद्वान् हैं, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन्टरवीन करिये, इनको सद्बुद्धि दीजिये। कानून बना रहे हैं या मखौल कर रहे हैं? कोई प्रधान या सरपंच हाईकोर्ट में जायगा तो यह कानून नल एण्ड वोइड हो जायगा।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री मानसिंह महार : आप मोटी बुद्धिवाले क्या जानें? इसलिये मेरा यह कहना है

(श्री मानसिंह महार)

कहना है कि यदि आप में बुद्धि है तो प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आवे वह समिति के मेम्बर्स ही लावें तब तो आप २-३ या हाफ कर दें कोई एतराज नहीं। यदि आप चाहते हैं कि पूरा इलेक्टोरल कॉलेज लावे तो यह कर दीजिये कि बेयर मेंजोरिटी से इलेक्टोरल कॉलेज हो....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो है।

श्री मानसिंह महार : विश्नोईजी से कहूंगा कि यदि यह कहीं हो तो बता दीजिये। आप लीगल एडवाइजर हो रहे हैं, भीखाभाई बैठे हैं, एडवाइजर पूरे बनते हैं तो तसल्ली से देखिए। यह मत समझिये कि मैं विरोधी पक्ष से खड़ा हूं इसलिए विरोध कर रहा हूं, बल्कि एनोमोलस पोज़ीशन है, वह बता रहा हूं।

श्री जुझारसिंह : मैं दो मिनिट में कहूंगा। I would not take more than tow minutes.

श्री उपाध्यक्ष : एक बार आप कह चुके हैं।

श्री जुझारसिंह : मैं ज्यादा क्लीयर कराना चाहता हूं। अभी आपने अमेन्डमेंट रखा है; उसके दो पोर्शन हैं। एक तो एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी पंचायत समिति है जो डे टू डे काम देखती है। दूसरी बॉडी इलेक्टोरल कॉलेज है। आप के व्यू में प्रधान जो रात-दिन जिस बॉडी में काम करता है उसमें सिम्पल मेजोरिटी से या २-३ मेजोरिटी से कॉन्फीडेन्स लूज़ कर चुका है तो यह कैसे सम्भव होगा कि यदि इलेक्टोरल कॉलेज में कॉन्फीडेन्स रेस्टोर करवा भी लिया, उसमें उसको कॉन्फीडेन्स मिल भी गया तो भी एनोमोलस पोज़ीशन इस बात से हो जाती है कि जिसके साथ रात-दिन बैठता है उनका कॉन्फीडेन्स तो लूज़ कर ही चुका है तो उनके साथ कैसे काम कर सकेगा ? वैसी हालत में कॉन्फीडेन्सी रेस्टोर करवा लेने से भी कोई मतलब निकलेगा क्या ?

श्री भीखाभाई : आमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने बात बताई कि राजस्थान सरकार किस प्रकार पंचायती राज्य चलाना चाहती है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायती राज्य की जो पहल हुई वह हिन्दुस्तान....

(शोरगुल)

में अद्वितीय चीज हुई है। उसको देखने के लिए बाहर से विदेशी लोग आते हैं और हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के लोग बराबर आ रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : ये अमेन्डमेंट पर बोल रहे हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : जो भी काम किया है, इन आर्टिकल ऑफ फेथ किया है और उसके अन्दर जो भी कर रहे हैं वह हमारी मौलिक देन है, मौलिक तरीके से जो दिमाग में आता है पंचायत राज्य को किस तरह सुदृढ़ किया जा सके और उसकी बुनियाद किस प्रकार मजबूत हो उसी प्रकार से करना चाहते है।

(श्री भीखाभाई)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जो क्लॉज़ में यह संशोधन कर रहे हैं, मैं निवेदन करूं कि इस पर सिलेक्ट कमेटी ने अपने दिमाग को एप्लाई किया, उसमें थोड़ा सा एक संशोधन किया। वैसे भी सिलेक्ट कमेटी ने कहा उसे ही स्वीकार करते हुए एक बात कह दूं कि जब हम इसे ब्रोड बेस्ड बना रहे हैं तो निश्चित बात है कि चुनाव करने वाला गलती न कर जाय। एक साल के लिए चुनाव के लिए बनाया जाता तो और बात थी। इलेक्टोरल रोल्स इसलिए बनाये हैं कि जब चुनाव करते हैं तो उनका सही उपयोग होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मोशन का सवाल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। हमने सिलेक्ट कमेटी की विचारधारा को ही रखा है। सिम्पल मेजोरिटी से कर लें, एक किया है वन थर्ड तो नोट लेस देन वन थर्ड लिखा जाना था उसके बजाय ५० परसेन्ट। इसमें इलेक्टर्स को जाना चाहिये। फिर देखना चाहिये कि मजा आता है या नहीं. इतनों का विश्वास करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि सदन इस मौलिक प्रोविज़न को स्वीकार कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज २० पर श्री गिरधारीलाल ने प्रस्तुत किया है; (श्री गिरधारीलाल से) Do you withdraw ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरी भावना की कद्र मंत्रीजी ने कर ली है इसलिये मैं विदड्रॉ करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन श्री गंगासिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री गंगासिंह राठौड़ : मेरा फर्स्ट अमेन्डमेंट क्लेरिकल एरर का है, वह भी मन्जूर नहीं करेंगे क्या ?

(४.०० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : जो संशोधन श्री गंगासिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे तो मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री राधाकृष्ण गोयल : प्रिंटिंग मिस्टेक है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! I am putting the question. The question is that the amendment of Shri Ganga Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २०, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २०, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करता हूं । क्लॉज़ २० को री-ओपन किया जाय । इसमें गंगासिंह जी ने अमेंडमेंट रखा था और इसे पेश करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : No please. Clause 21.

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : Omit part (c) of the clause.

(२) श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

For sub-clause (c) in sub-section (5) of section 42 substitute the following sub-clauses, namely :—

"(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(5) An associate member and an ex-officio member specified in clause (iv-a) in sub-secton (3) shall have the right to speak in, or otherwise to take part in the proceedings of, the Zila Parishad and of any sub-Committee of such Parishad of which he may be elected member, but he shall not have a right to vote and shall not be eligible to be elected as Pramukh or Up-Pramukh or be entitled to move, or vote at the proceedings for the consideration of a motion of No-confidence against a Pramukh Up-Pramukh :

Provided that an associate member shall have a right to vote in proceedings relating to such matters of production programme as may be prescribed."

(३) श्रीगंगासिंह राठौड़ (जायल) :

Part (c) : In clause (b) of new sub-section (5) the words, brackets and figures "clauses (ii) to (iva)" be replaced by the word, brackets and figure "clause iva".]

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ २१ में है वह इस प्रकार से है। इन्होंने सब क्लॉज़ (सी) जोड़ा है इसको विलोपित किया जाना चाहिए । इसका मतलब है कि इसके द्वारा यह रखा है, यह जो एक्स ऑफिशियो मेम्बर, जिसमें एम० एल० ए० आते हैं उस पर पाबन्दी लगाई है । उसमें कहा है, वह बोल सकता है, विचार कर सकता है । जो मेम्बर होता है उसको बोलने का, वोट करने का अधिकार है । जो बोल सकता है

(श्री नत्थीसिंह)

उसको प्रमुख के पद के लिए खड़े होने का अधिकार है। लेकिन फिर रिडन्डेन्ट क्लॉज है कि बोलने और पार्टीसिमेंट करने का अधिकार है, लेकिन आगे बन्दिश लगाई है। मेरा निवेदन है कि इसे विलोपित किया जाय।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

"For sub-clause (c) in sub-section (5) of section 42 substitute the following sub-clauses, namely :—

"(c) for sub-section (5), the following sub- section shall be substituted namely :

"(5) An associate member and an ex-officio member specified in clause (IV a) in sub-section (3) shall have the right to speak in, or otherwise to take part in the proceedings of the Zila Parishad and of any sub-Committee of such parishad of which he may be elected member but he shall not have a right to voete and shall not be eligible to be elected as Pramukh or Up-Pramukh or be entitled to move, or vote at the proceediugs for the consideration of, a motion of non-confinence against a Pramukh or Up-Pramukh;

Provided that an associated member shall have a right to vote in proceedings relating to such matters of production programme as may be prescribed."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अमेंडमेंट रखने की मूल भावना यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इनमें एसोसियेट मेम्बर के रूप में बैठने का अधिकार है, वह सिर्फ बोलेगा और प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। अगर यह कह रहे हैं तो उसे मेम्बर रखने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा अमेंडमेंट है, उसकी भावना है कि प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर हर एक जगह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पंचायत समिति और जिला परिषद का सहयोग हो, तो प्रोडक्शन प्रोग्राम इनके कोऑपरेशन से सफल होगा। इसलिए ऐसे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यह अधिकार होना चाहिए। मेरा जो अमेंडमेंट है उसके जरिये मैं निवेदन करता हूं कि यह अधिकार होगा तो वे लोग मीटिंग में आयेंगे। अगर नहीं होगा तो वे मीटिंग में आयें और बोले तो वे मीटिंग में नहीं आवेंगे। इसलिए यह मैंने अमेंडमेंट रखा है कि कन्सर्निंग प्रोग्राम जैसे मामलों में वोटिंग राइट होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह (राठौड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट यह है कि जो नया क्लॉज़ ५ जोड़ कर (बी) दिया गया है, उसमें यह कहा है :

"An associate member or ex-officio members specified in

(श्री गंगासिंह)

clause (ii) to (iva) of sub-section (3) shall not be eligible to be elected as Pramukh or Up-pramukh or Chairman of standing committee" इसके अन्तर्गत सारे एम. एल. ए. और एम. पी. आ जाते हैं जो प्रधान और प्रमुख और स्टेन्डिंग कमेटी के पद पर नहीं खड़े हो सकते। मेरी मान्यता है कि पंचायत समिति में एम. एल. ए. और एम. पी. को प्रधान पद के लिए डिप्राइव करें, प्रमुख से डिप्राइव करने की बात इसमें है, मैं समझता हूं कि उनका जो अधिकार है वह खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद जो उनका हक होता है, जो जिला परिषद के अन्दर भी दिया गया था, वह खत्म होता है। ऐसी स्थिति के अन्दर उनको प्रधान के लिए इजाजत दे दी जाय। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाती है, इसका मतलब है कि उनका कोऑपरेशन इसमें हो भी नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट रिप्लाई।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, बिश्नोई ने जो अमेंडमेंट रखा है और कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री नत्थीसिंहजी ने संशोधन रखा है उनके जरिये से उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि एम. एल. ए. और एम. पी. को कुछ वोटिंग राइट मिलने चाहिये। इसके साथ ही एसोसियेट मेम्बर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन को पूरे अधिकार मिलने चाहिये। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन का जो सवाल है, कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन को रिप्रेजेन्टेशन पंचायत समिति में दिया है। यह बहुत बड़ी पॉली है। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य उसको ना पसन्द करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सादिकअली कमेटी की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में इसे सम्मिलित किया गया था। जहां तक प्रोडक्शन प्रोग्राम का सवाल है, ग्राम स्तर से लगाकर जिला परिषद तक उनका सम्बन्ध रहने से उपयोगी हो सकता है और प्रोडक्शन प्रोग्राम लाभदायक हो सकता है। जहां तक बीज का सवाल है, खाद का सवाल है, कैश क्रॉप्स का सवाल है, उनके बारे में यह बता सकते हैं और ऐसे सुझाव देकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाभान्वित कर सकती है; मैं सोचता हूं, मेरी यह इच्छा थी, सरकार की इच्छा थी कि जहां तक हो सके उनको यह राइट मिलना ही चाहिये क्योंकि हम समाजवाद की बढ़ोत्तरी में विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूं उनकी पसन्द को हमने भी पसन्द किया था लेकिन जो सदस्य सिलेक्ट कमेटी में थे उन्होंने पसंद नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से संचालन सिलेक्ट कमेटी का किया था। जब इस सदन में बहस शुरू हुई तो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया, जैसे कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर से आता हूँ।

श्री भीखाभाई : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भावना है, और जैसा वे चाहते हैं उसको तो मैं वैसा ही समाविष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि जो बिश्नोईजी ने अमेंडमेंट दिया

(श्री भीखाभाई)

है, उस अमेंडमेंट के द्वारा उनकी भावना का समावेश हो जाता है, यह हो सकता है कि फुल समावेश न होता है, रेस्ट्रिक्टेड मिलता है । लेकिन जो एम. एल. ए. और एम. पी. का सवाल है, हिन्दुस्तान में सब जगह सिवाय वेस्ट बंगाल के फुलफ्लेज्ड मेम्बर हैं, कई जगह एसोसिएटेड मेम्बर हैं, लेकिन वह प्रधान नहीं है । उसी को प्रतिबिंबित यहां पर किया गया है । तो यह विचार हुआ कि जब एम. पी. को इस प्रकार हायर स्थान पर रिप्रेज़ेंटेशन दिया गया है इसलिये इस प्रकार का प्रावधान रखा है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और श्री रघुनाथ बिश्नोई ने जो संशोधन रखा हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं । इसमें माननीय गंगासिंहजी का जो सुझाव है उसकी भावना भी आ जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुनाथ बिश्नोई ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विनेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २२, इस पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २२ विधेयक में अग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २३, श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) :

(1) In sub-clause (a) -

(a) in sub-section (la) proposed to be substituted, after the words "a Pramukh who shall be elected" omit the expression "in the prescribed member,"

(b) for the proviso to sub-section (1) proposed to be substituted, substitute the following provisos namely:-

"Provided that no person shall be eligible to be clected a? Pramulah unless he is a resident of, and a voter of any panchayat or a municipal board or council or a member of a Gram Sabha established under section 8 of the Rajasthan Gramdan Act, 1960 (Rajasthan Act 3 of 1960), in the district:

"Provided further that elecction to the office of the Pramukh or Up-pramukh may be held notwithstanding the failure of the Zila Parishad or Pahchayat Samiti to coopt members at the first meeting convened for such co-option and any election so held shall be valid notwithstanding such vacancies."

(श्री भीखाभाई)

(2) For sub-clause (b), substitute the following sub-clause, namely :—

" (b) in sub-section (2), for the expression beginning with "a meeting of the Zila Parishad" and ending with "as the Commissioner may nominate," the expression " election to the office of the Parmukh shall be conducted in the prescribed manner" shall be substituted."

(आ) In sub-clause (a), after sub-section (1) proposed to be substituted, add the following, namely:-

" (1-A) A Parmukh shall, unless he is already a member, be an additional member of the Zila Parishad and shall, in all respects and for all purposes be deemed to be anex-officio member specified in clause (i) of sub-section (3) of section 42."

श्री जुझारसिंह (चेचट)

Omit clause (a) of sub-section (1) sought to be substituted for the existing section of the Act.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

Part (a) : For sub-section (i) of section 45 substitue the following: " (i) Every Zila Parishad shall have a Parmukh who shall be elected by the voters of the area of all Panchayat Samitis which are in the limits of Zila Parishad."

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना)

(अ) In amendment No. 35 (1) (b), in the first proviso proposed to be substituted, after "in, the district," 'insert" and is able to read and write Hindi."

(This is amendment No-60)

(आ) Delete the words "or a municipal board or council" in the 1st proviso of sub-cause (I) (b) of the proposed amendment moved by the Minister-in-charge of the Bill in sub-clause (a) of clause 23]

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : I would not like to press it, Sir.

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : I would not like to press it Sir.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरा यह अमेन्डमेंट नं० ३५ जो मैंने मूव किया है उसके सिलसिले में कह दूं । इसमें काफी समय लगेगा, इसलिये यह जो अमेन्डमेंट है....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : It shall be deemed to have been moved.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Let him say.

Page No. 96

श्री भीखाभाई : My amendment nos. 35 and 68 are like this...

श्री उपाध्यक्ष : आपको इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जरा एक्सप्लेन कर दें।

श्री भीखाभाई : इसमें यह है कि प्रमुख का जो पद है जिसको जिला स्तर पर सारी चीजों से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उसमें प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता रहती है जो कि सारे जिले के अधिकारियों के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सके। इसमें संशोधन किया है कि कोई भी वोटर म्युनिसिपल एरिया का हो, इसका प्रावधान किया गया है। इसलिये इस क्लॉज़ का संशोधन प्रस्तुत किया है। दूसरी बात यह है कि प्रमुख का इलेक्शन हो जाता है और पंचायत समिति में वह फेल हो जाता है कॉओप्ट करने के लिये तो पंचायत समितियों की क्या स्थिति होगी ? इसलिये यह अमेन्डमेंट रखा है ताकि उनकी बनावट में देर न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री भीखाभाई : Amendtment No 68; यह कोन्सी क्वेन्शियल है। किसी वोटर के लिये कहें कि वह चुनाव लड़ सकता है तो कोई म्युनिसिपल एरिया या पंचायत समिति एरिया से आकर प्रमुख बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ एक दिक्कत और हो जावेगी। एक्स ऑफिशियो सदस्य के ३।४ को कोऑप्टेड रखा गया और उसके बाद यदि सदस्य नहीं बनावे तो सदस्यशिप नदारद हो तो यह जो लेकुना रहेगा उसको ठीक किया है :

(1-A) A Pramukh shall, unless he is already a member be an additional member of the Zila Parishad and shall in all respects and for all purposes be deemed to be an ex-officio member specified in clause (i) of sub-section (3) of section 42."

श्री जुझारसिंह : मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है : "Omit clause (a) of sub section (1) sought to be substituted for the existing section of the Act."

इसका मतलब यह है कि जो ओरीजिनल एक्ट में प्रोविज़न है वही रहना चाहिये और जिला परिषद की एग्ज़िस्टिंग बॉडी है और वोटर्स हैं वे ही रहने चाहिये और जो नये सब्स्टीट्यूट किये जा रहे हैं वे नहीं होने चाहिये। यह सिलेक्ट कमेटी से मूव हुआ है, उसमें कोऑप्टेड बॉडी नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो सदिकअली रिपोर्ट है उसमें भी १५८ लोगों की राय यही है कि एग्ज़िस्टिंग सिस्टम जिला परिषद का है वही ज्यादा सहूलियत का है बनिस्पत उसके कि जो नया अमेन्डमेंट किया जा रहा है। जिला परिषद से काम करने का तरीका डिफरेन्ट है। कभी ऐसा मौका आवेगा कि जिला परिषद में काम करने वाले हैं, प्रमुख के पक्ष में नहीं हो तो वैसी सूरत में प्रमुख के लिये डे-टु-डे काम चलाना मुश्किल हो जावेगा। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेंट मूव किया है कि पहले एक्ट में जो क्लॉज़ है वह ज्यादा प्रेक्टिकल है और इसलिये उसी ओरीजिनल को रखा जावे।

श्री विजयसिंह झाला : मैं अपने अमेन्डमेंट का मूव नहीं करता हूं, लेकिन जो अमेन्डमेंट रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसके अमेन्डमेंट का विरोध करते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जो मखौल हो रही है, उस मखौल के उपरान्त इसका नाम क्या रखा जाय ? कभी मन्त्री महोदय पर श्री रघुनाथ बिश्नोई का प्रभाव पड़ता है, कभी मथुरादासजी माथुर का प्रभाव चलता है, कभी मोतीलालजी का, कभी उपमन्त्री महोदय का, तो कभी किसी का; जो हालत मन्त्री महोदय की इन दिनों में बनाई है, उस हालत पर दया आती है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : इसीलिये उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, सारा झगड़ा ही मिट जाय।

श्री विजयसिंह झाला : जिस प्रकार एक चूहे को १० बिल्लियां घेर लेती हैं और जो हालत उस चूहे की होती है वही हालत मंत्री महोदय की बना दी है।

श्री मथुरादास माथुर : भीखाभाई शेर है।

श्री विजयसिंह झाला : चूहे हैं। यदि शेर होते भीखाभाई तो सिलेक्ट कमेटी ने जो तय किया उसी पर अडिग रहते।

श्री मथुरादास माथुर : यहां डूंगरपुर के दो ही शेर हैं, एक उधर बैठे हैं और दूसरे इधर बैठे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : एक शेर हैं और एक चूहे हैं। महारावल साहब का बोडो से ही मालूम पड़ता है कि शेर हैं और भीखाभाई के शरीर से मालूम पड़ता है कि चूहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : औरंगजेब ने शिवाजी को चूहा कहा था, पर शिवाजी ने उसको नाकों चने चबा दिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्लॉज़ शेर और चूहे से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री विजयसिंह झाला : चूहे की आदत काटने की होती है तो भीखाभाई ने स्वयं ने सिलेक्ट कमेटी ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसको काटा है, इसलिये चूहा कहा है। यह दरअसल विधान सभा की सिलेक्ट कमेटी की मखौल उड़ाई गई है। कभी किसी ने दबाया, कभी किसी ने दबाया और इस तरह से जो रिपोर्ट सादिकअली कमेटी की पेश हुई उसके बेसिस को बिल्कुल ताक में रख दिया और इसी नुक्ते निगाह को सामने रखा गया है कि किस तरह से कांग्रेस के अधिक से अधिक आदमी पंचायतों में चुन कर आ सकते हैं। यही मोटिव कांग्रेस सरकार के सामने रहा है। इसीलिये यह ब्लेम लगाना पड़ रहा है कि किस प्रकार एक ही पार्टी के लोग पंचायतों में कोऑप्शन में और जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनमें आयें, किस तरह कांग्रेस का एक छत्र राज्य वहां रह सकता है, कैसे वहां कांग्रेस को जिताया जा सकता है, यही मूल उद्देश्य इस बिल का रह गया है। मैं समझता हूं इस प्रकार के बिल लाकर राजस्थान में प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं हो सकती।

अभी भीखाभाई बड़ी गर्जना कर रहे थे कि प्रजातन्त्र को राजस्थान में मजबूत बनाना

Page No. 98

(श्री विजयसिंह झाला)

चाहिये। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं और इसी दृष्टि से कहते हैं कि इस बिल को प्रजातन्त्र प्रणाली पर फिट बैठाने के लिये प्रजातान्त्रिक प्रणाली के आधार पर ही बनाना चाहिये। इसलिये मैं प्रस्ताव करूंगा कि जिला प्रमुख का चुनाव जितने पंचायत समितियों के अन्दर वोटर्स हैं उनके द्वारा डाइरेक्ट इलेक्शन होना चाहिये। अगर आप सही माने में प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं और प्रजातन्त्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जिला प्रमुखों के चुनावों में सभी वोटरों को वोट देने का अधिकार देना चाहिये।

सादिकअली कमेटी के जो सिद्धान्त थे उन सिद्धान्तों की इस बिल के द्वारा हत्या की जा रही है। हम चाहते थे कि जो शहरी नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों में छाया हुआ है—उसको हटाना चाहिये, इस पर सादिकअली कमेटी बैठाई और उसने इसके लिये प्योरली रूरल एरिया का एक सेक्टर रखने का सिद्धान्त रखा। पर स्वार्थी तबका जो ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वास नहीं रखता उस तबके को इससे भय उत्पन्न हुआ कि यदि प्योरली रूरल एरिया का ही सेक्टर रखेंगे, शहरों को उसमें नहीं लायेंगे तो जिला स्तर पर कांग्रेस सिप्रेडेन्ट नहीं जीत सकता।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप चाहते क्या हैं, हम नहीं समझे ?

श्री विजयसिंह झाला : पंचायत समितियों के क्षेत्र में जितने वोटर्स हैं उन सबके वोट्स से जिला प्रमुख का चुनाव कराया जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी : लोक सभा के वोटर्स हैं, वे सब जिला प्रमुख के चुनाव में वोट दें। ८ लाख वोटर्स होते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जी हां, पूरी तरह नहीं समझ पाये हों तो और समझा दूं।

श्री मथुरादास माथुर : आपकी समझ पर रहम आता है।

श्री विजयसिंह झाला : रहम तो आप पर आता है और हमारे मुख्य मन्त्री पर आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना नेतृत्व करना चाहती है, इसीलिये इस प्रकार के अमेंडमेंट्स लाये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई योग्य आदमी नहीं मिल सकता जो कि जिला परिषद का काम सम्हाल सके, यह दलील देकर म्युनिसिपैलिटी का कोई चेयरमैन प्रधान बन सकता है और फिर कहते हैं कि मुझ पर रहम आ रहा है। अरे रहम तो मुझे आता है आप पर कि ग्रामीण क्षेत्रों पर शहरों का नेतृत्व रखना चाहते हैं। शहरों का ही अगर नेतृत्व रखना चाहते हैं तो पंचायत समिति का कोआप्शन भंग क्यों किया ? तो भीखाभाई ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। म्युनिसिपालिटी के किसी वोटर को प्रमुख बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इनका चुनाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, पंचायत क्षेत्रों के रहने वाले वोटरों को ही होना चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : गवर्नमेंट की ओर से मंत्री महोदय ने अमेंडमेंट पेश किया क्लॉज़

(श्री मोतीलाल चौधरी)

२३ पर, उसमें मेरा अमेंडमेंट है; एक तो यह प्रोविज़ो इसमें एड हो गया है कि प्रमुख कौन खड़ा हो सकता है; इसके एण्ड में मैं यह लगाना चाहता हूं :

"In amendment No. 35 (1) (b) in the first proviso proposed to be substituted, after 'in the district' insert ' and is able to read and write Hindi'

डिस्ट्रिक्ट के आगे चाहता हूं :

"Insert' and is able to read and write Hindi".

क्योंकि सरपंच और प्रधान दोनों के लिये कन्डीशन दी है, पढ़ा लिखा होना चाहिये। प्रमुख पढ़ा लिखा हो या नहीं, इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। किन्तु प्रमुख पढ़ा लिखा होना चाहिये।

आशा है मंत्री महोदय इस अमेंडमेंट को जो कि हार्मलेस है उसे स्वीकार करेंगे।

दूसरा अमेंडमेंट है क्लॉज़ २३ में। मंत्री महोदय ने प्रोविज़ो नं० १ में पेश किया है :

My amendement is Delete the words 'or a municipal board or council' in the lst proviso of subclause (1) (b) of the proposed amendment, moved by the Minister incharge of the Bill in sub-clause" (a) of clause 23." ये सब हटाने है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि जहां तक डीसेंट्रलाइजेशन का सवाल है, हमारे राजस्थान की आबादी २ करोड़ ५ लाख है, उसमें से अर्बन एरिया में ५० लाख से ज्यादा नहीं है। वे हमें लीड देते रहें, मैं इस पक्ष का नहीं हूं। गांवों के ही लोग गांवों को लीड करें। गांवों के लीडर बुद्धि में, काम करने में शहर वालों से कम नहीं होंगे। इसलिये म्युनिसिपल कौंसिल का रहने वाला आदमी भी प्रमुख बन सकता है; यह जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि अब तो इसे हटा देना चाहिये।

पिछले अनुभव की बात है कि हमें जितने विकास के कार्य करने हैं: पशु-पालन, सहकारिता, समाज-कल्याण, कृषि-कार्य आदि इनमें जिला प्रमुख को कार्य करना चाहिये।

जिला परिषद में म्युनिसिपैलिटी का आदमी होगा तो मेरी मान्यता है कि उसका विभाग हर दम म्युनिसिपैलिटी की तरफ रहेगा। मैं शहर के आदमियों का विरोध नहीं करता। कई बुद्धिजीवी लोग शहरों से आए हैं लेकिन कम से कम इतना मान लें कि गांव में रहने वाले आदमी को आप ट्रेनिंग दें विकेन्द्रीकरण के बारे में, जिससे जिला स्तर की संस्थाएं चलाने के लिए वह सक्षम हो जाय। यह कोई कॉम्पीटिशन का सवाल नहीं है। दृष्टिकोण यह है कि विकेन्द्रीकरण के पीछे जो सद्भावना है कि गांव के आदमी को लीडरशिप मिले वह कैसे पूरी होगी? तो मैं प्लानिंग मिनिस्टर और पंचायत मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूँगा कि हजारों साल तक हम पीछे रहे हैं। कांग्रेस के राज्य में हम चाहते हैं कि आप गांव वाले आदमियों के लिए लीडरशिप कायम करें। उनको मौका दें और ऐसी व्यवस्था

(श्री मोतीलाल चौधरी)

करें कि जिला परिषद के अन्दर म्युनिसिपैलिटी के आदमी प्रमुख नहीं बनें। इसलिए मेरा अमेंडमेंट है कि गांव का आदमी गांव का विकास करने के लिए आए। कोई शहर का आदमी अगर गांव में जाकर बसता है तो उसके लिए हमें आपत्ति नहीं है। इसके लिए

(घंटी)

मेरा विरोध नहीं है। जो बाहर से आने वाला है, वह म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बन जाय। अगर किसी का गांव की वोटर्स लिस्ट में नाम है तो चाहे वह शहर में वकालत भी करता हो तो भी उसको चेयरमैन बनने का अधिकार नहीं है। इस दृष्टिकोण से जिला परिषद् को प्रमुख गांव के आदमी बनाने की जो व्यवस्था है "Voter and resident of the rural area of Panchayat Samtii" उस एरिया के लिए प्रधान को म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर बना दें, लेकिन जब तक म्युनिसिपल मेम्बर नहीं बन सकता तब तक वहां के प्रधान को मौका नहीं दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): श्री भीखाभाई ने जिस प्रकार से मूल प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। कारण यह है कि....

(शोरगुल)

जो माननीय श्री जुझारसिंह ने संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो अभी वर्तमान इलेक्टोरल कॉलेज है उसे ही रखा जाय, लेकिन जब हम सरपंच के लिये प्रत्येक वोटर को अधिकार दे चुके थे और वर्तमान संशोधन द्वारा प्रधान का चुनाव हम सरपंचों के अतिरिक्त पंचों द्वारा करेंगे, इसलिए आवश्यक समझते हैं कि प्रमुख के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज का विस्तार हो।

(शोरगुल)

इसके अतिरिक्त हमारे श्री माननीय एम. एल. चौधरी ने कुछ शंकाएं प्रस्तुत कीं। उनकी दृष्टि से कुछ शंकाएं वाजिब हो सकती हैं....

श्री मोतीलाल चौधरी : ये मेरे विचार हैं, शंकाएं नहीं हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उनको ध्यान में रखते हुए कि प्रधान के लिए, केवल उसी पंचायत क्षेत्र का व्यक्ति हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया गया, उस चुनाव में कोई भी अन्य व्यक्ति जो म्युनिसिपल एरिया में रहने वाला है उसको नहीं दिया गया है तो जैसे मंत्री महोदय ने बताया जिला परिषद सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, इसके जिम्मे ज्यादा एग्ज़ीक्यूटिव वर्क नहीं है, ऐसी हालत में इसमें ज्यादा विस्तारपूर्वक क्षेत्र शामिल किया जाय तो मैं इसको उचित समझता हूँ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इस मामले में यह विचित्र स्थिति है। जब मैं अपने जनमत जानने के लिए इसे प्रसारित करने हेतु संशोधन पर बोल रहा था उस वक्त मैंने

Page No. 101

(श्री नत्थीसिंह)

बताया था कि इसमें छप गया है कि म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी खड़े हो सकते हैं और इसी हिसाब से मैंने अमेंडमेंट भी दिया था कि इसे डिलीट किया जाय, उस वक्त मन्त्री महोदय ने कहा कि यह तो गलत छप गया है। उस वक्त लॉबी में बताया था, वहां चर्चा चली थी। हमने कहा था म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं आए, तो मिनिस्टर साहब ने कहा था नहीं आएंगे। मैंने कहा तो फिर संशोधन आ जाय, तो कहा संशोधन नहीं आएगा। किन्तु फिर संशोधन आ गया। उनके आश्वासन पर मैंने संशोधन काट दिया, और फिर यह आ गया। इसलिये मैं कहता हूँ कि यह कतई गलत और नीति के विरुद्ध आपने बात की है। दलील दी जाती है कि हमारी योजना है कि नगर का विकास हो और नगरपालिका जिला परिषद से जोड़ देंगे और इसलिए अभी से इस प्रकार का प्रावधान कर लेना चाहिए कि म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले लोग भी इसमें प्रमुख बन सकेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आप म्युनिसिपल विकास के काम को हमारे साथ जोड़ देंगे उस दिन अमेंडमेंट कर देना। अब तो विचित्र स्थिति है। गांव में प्राइमरी स्कूल खोलते हो, एक हजार रुपये देते हो तो दो हजार का सहयोग लेते हो और युनीवर्सिटी के लिए एक पैसा भी आप सहयोग नहीं लेते। गांव के विकास के लिए गांव वालों पर बोझ डालेंगे। इसलिए जिला परिषद में जो आदमी बैठें वहां किन बातों पर जोर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पादन कैसे बढ़े....

(घंटी)

जिन लोगों का हित शहर के साथ जुड़ा हुआ है वे लोगों के ऊपर भी छा जाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो गांव के विकास की मूलभूत समस्या है उसके हल के लिए जिला परिषद का प्रमुख निश्चित रूप से गांव का आदमी हो। आप एक तरफ कहते हो कि १७ साल में यह कर दिया और दूसरी तरफ आप कहते हो कि गांव में लायक लोग नहीं रहते, शहर के बिना कोआर्डिनेशन के नहीं होता है। आप इस मुगालते को दूर करने के लिए मेहरबानी करके श्री एम. एल. चौधरी के इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें और ४-५ महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उस वक्त आपका मुगालता दूर हो जायगा कि गांव में भी इतने लोग लायक पैदा हो गए हैं कि वे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोतीलालजी ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसका समर्थन करते हुए मैं आपके द्वारा श्री भीखाभाई से नम्र निवेदन करता हूं कि आपने जो नगरपालिका एरिया के मतदाता को प्रमुख बनने के लिए जो अमेंडमेंट रखा है वह ठीक नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूं और श्री मोतीलाल चौधरी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि प्रमुख गांव के लोगों में से होगा और अगर जिला परिषद गांव की बनेगी तो वे गांव के रस्म रिवाज को पहिचानेंगे। गांव का व्यक्ति एग्रीकल्चर, पशुपालन इत्यादि के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिला परिषद के अन्दर वे इसी तरह का कार्य करेंगे। इस

(श्री नाथूलाल करोल)

लिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो अमेंडमेंट श्री मोतीलाल चौधरी ने मूव किया है उसे स्वीकार किया जाय और जो मंत्री महोदय ने अमेंडमेंट मूव किया है उसे डिलीट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Governement reply.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, आपने कहा, गवर्नमेंट रिप्लाई। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल को विधि मन्त्री, श्री माथुर पाइलट करें तो अच्छा है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं न विधि मंत्री हूं और न पाइलट कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Only Shri Mathura Das Mathur is speaking and not the Minister.

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट रिप्लाई की जरूरत होगी तो देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आपने इसके अन्दर जिला परिषद में एम. एल. ए. और एम. पी. को वोट देने का हक दिया है और प्रमुख के लिये खड़ा होने का हक दिया है। मैं जोधपुर शहर का रहने वाला हूं और जिला परिषद का मेम्बर हूं। देहात में मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, मैं खड़ा हो सकता हूं प्रमुख के लिए जितने भी १७६ एम. एल. एज़. बैठे हैं, हमारे जिले के ६-१० आदमी मौजूद हैं, कोई भी बन सकता है। चाहे ही हम लोग देहात में पैदा हुए हों, चाहे बाप-दादे देहात में पैदा हुए हों, चाहे जमीन देहात में हो, हम शहरों में रहते हैं, एम. ए., एल एल. बी. शहरों में किया है, देहात में इकोनोमी बन नहीं सकती इसलिए शहर में रहते हैं, नत्थीसिंहजी भी भरतपुर में रहते हैं....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं गांव में रहता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर : बिल्कुल झूठी बात। यह तो एक फैशन हो गया है; अपने को देहाती बताना फैशन हो गई है। आज जितने भी एम. पीज़. हैं उनमें से ६० परसेंट टाउन्स में रहते हैं। एम. एल. एज़. ६०-७० परसेंट टाउन्स में रहते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद में फर्क है। जिला परिषद सुपरवाइज़री कोऑर्डिनेटिंग इन्स्टीट्यूशन हमने माना है और वह है और उसको आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट प्लान को सुपरवाइज़ और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट प्लॉन्स के अन्दर अर्बन टाउन्स आएंगे। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट प्लान के वैसे होना चाहिए, उसके बाद स्टेट प्लानिंग और उसके बाद नेशनल प्लानिंग। जयपुर या जोधपुर शहरों के चारों ओर देहाती इलाका है उनकी इकोनोमी ज्यादातर शहर पर निर्भर है। आपको डेवलपमेंट करना है तो होर्टीकल्चर और वेजीटेबल का डेवलपमेंट करना है इसलिए कि जयपुर में इन चीजों की खपत है, इसलिए डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका रिप्रेज़ेन्टेशन आज नहीं तो कल आयगा। राज्य सरकार जागरूक है इस लिए हमने एम. एल. ए. और एम० पी० को रखा है। यह ओवरऑल सुपरवाइज़री डाइरैक्टिव बोडी है जिसमें आप जैसे विद्वान लो...

(श्री मथुरादास माथुर)

है और जो पार्लियामेंट में हैं उनको भी रखा है। जितने आप लोग बैठे हैं, उनका रूरल बायस हो सकता है। श्री नाथूराम मिर्धा मिनिस्टर हैं, कुचेरा में पैदा हुए, इसी तरह से श्री परसराम मदेरणा हैं। यह जिला परिषदों और पंचायत समितियों का झगड़ा नहीं है, देहात और शहर का झगड़ा नहीं है। यह फण्डामेंटल प्लानिंग है जिसको हम बनाना चाहते हैं। इसलिए यह सवाल मत लाइये। जिला परिषद को जो रोल प्ले करना है उसको समझते हुए यह क्लॉज़ रखा गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पाइन्ट आफ क्लैरिफिकेशन। एक पोइंट छूट गया। यह जो बात अभी कही गई है वह ठीक है। लेकिन अजमेर की म्युनिसिपल कौंसिल और जिला परिषद में एनोलोगस ढंग की संस्थायें हैं। कौंसिल का चेयरमैन जिला परिषद की प्रेसीडेंटशिप के लिए खड़ा हो, यह ऐसा है जैसा कि यहां का एम० एल० ए०, यू० पी० की विधान सभा के लिए भी बैठ जाय। सवाल यह है कि जो पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कानून थे और म्युनिसिपैलिटीज़ थीं कम से कम मैम्बर्स के बारे में साफ होना चाहिये कि म्युनिसिपल कौंसिल के जो मेम्बर्स हैं उनको डिबार करना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : वह चीज अपन ने नहीं ली है। आप उस वक्त कहें। जहां १० यूनिसिपैलिटीज़ हैं, १० चेयरमैन जिला परिषद में नहीं जा सकते इसलिए हमें ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज बनाना पड़ेगा उस वक्त देखा जायगा कि किस तरह का रिप्रेजेन्टेशन रख लिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर आप इन दोनों को एप्लाई करना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं। शहर वाले जितने भी वेस्टेड इन्टरेस्ट्स लोकल-सेल्फ-गवर्नमेंट के अन्दर हैं, पंचायतों में हैं, उनको नहीं रखना चाहिए, उनको डिबार करना चाहिए जो वहां लोकल-सेल्फ-गवर्नमेंट में इन्टरेस्टेड हैं। कम से कम यह बात करें, नहीं तो एक जबरदस्ती की एक प्रीडोमीनेन्ट पोज़ीशन बन जायगी। यह फण्डामेंटल चीज है। एक आदमी कौंसिल का मेम्बर है और वह गांव में भी जाता है। तो क्या वह दोनों जगह चेयरमैन बन सकेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक क्लॉज़ है जिसमें अभी भीखाभाई अमेण्डमेंट लाये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षेप में रखें तो कार्यवाही जल्दी हो सकती है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : संक्षेप में ही रख रहा हूं।

उसमें एक बात बड़ी खटकती है। भीखाभाई ने कहा कि अच्छे और योग्य आदमी जिला परिषद में आने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। इन तीनों बातों क ख्याल रखते हुए एक अमेन्डमेंट यह दिया है कि जिला परिषद के लिए म्युनिसिपल

Page No. 104

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एरिया का रहने वाला भी खड़ा हो सकता है।

क्लॉज़ २३ में एक अमेन्डमेंट भीखाभाईजी ने दिया है उसमें यह अधिकार दिया है कि कोई जिले का प्रमुख होगा जिला परिषद का मेम्बर माना जावेगा। सिलेक्ट कमेटी में यह बात चली तो हमने यह कहा था कि प्रमुख गांव का रहने वाला होना चाहिए और इस लिए सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो पंचायत का वोटर हो उस जिले का वही आदमी जिला प्रमुख हो सकता है। आपने यह कहा कि तीन बातें प्रमुख में होनी जरूरी हैं। तीनों बातें शहर वालों में पाई जाती हैं। अगर यह बात सही होती, भीखाभाई गांव से आ रहे हैं और मिनिस्टर बन बैठे हैं, उन्हें कहते हुए शर्म नहीं आयी कि गांव का आदमी प्रभावशाली नहीं हो सकता। आप आज कैसे मिनिस्टर हो गये? शहरों से ज्यादा पॉवरफुल, ज्यादा योग्य आदमी, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग गांवों में रहते हैं।

आप उन बातों को भूल गये कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के हरिजन की लड़की राष्ट्रपति होनी चाहिए। आज आप कहते हैं कि शहर का आदमी होना चाहिए यह, क्योंकि वह योग्य है। पोपुलेशन कम होती जा रही है शहरों में, गांवों में अधिक लोग बसने लगे हैं। आप महात्मा गांधी के नाम से वोट मांगते हैं। शहरों में रहने वाले गांव में जाते हैं न कि शहरों में आते हैं। आप यह कैसे कहते हैं कि जो आदमी न तो उसका वोटर है, न मेम्बर है यह प्रमुख बन जाय? वह कैसे जिला परिषद का प्रमुख बनेगा? किसी सोसाइटी का कोई मेम्बर होता है तो तब ही तो उसका पदाधिकारी होता है! कोई पदाधिकारी बनने के बाद प्रमुख बने, इसके माने यह हुए कि सिर नीचे और पैर ऊपर! बिना वोटर हुए, बिना अधिकार प्राप्त किए हुए आप उसको थोपना चाहते हैं, वह वैसा बनकर आ जाय तो आप कह दें कि अब मेम्बर मान लिया। बहुत अदब से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आज माथुर साहब भले ही बहका कर चले जावें, लेकिन आगे आने वाले जमाने में यह नहीं चलने वाली है। आगे आने वाले जमाने में आप न रहने वाले हैं और न मैं और न हाउस। भीखाभाई आपके सिर पर कोई काला टीका लगाना चाहते हैं, लेकिन आप सफेद रखिये; काला मत होने दीजिये और बदनामी मत उठाइये कि आपने गांवों में रहने वाली जनता के हकों का हनन किया है और शहर वालों को गांव की छोटी जनता पर लाकर बिठाने की कोशिश की है। गांव का होने के नाते मैं आपको कहता हूं, आप भी गांव के हैं, माथुर साहब जोधपुर के हैं गांव का चाहेंगे कैसे?

श्री उपाध्यक्ष : Now this has been discussed quite a lot.

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : दो मिनट इस पर चाहता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : हम ज्वाला-प्रसादजी के सुझाव को मान लेंगे। म्युनिसिपल चेयरमैन हो, मेम्बर हो और वह प्रमुख की पोस्ट पर इलेक्ट हो जाय तो एक जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आप गांधीजी की बात को मंजूर कर लीजिए। वे गांव में स्वराज्य लाना चाहते थे, आप गांव के आदमियों को क्यों नीचे दबाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री गोविन्दसिंह : एम० पी०, एम० एल० ए० जब जिला प्रमुख बन सकते हैं, देहात के रहने वाले हैं, वोटर हैं, उनको प्रधान बनने से क्यों रोक रहे है?

श्री मथुरादास माथुर : प्रधान की बात दूसरी है।

(घंटी-शोरगुल)

श्री गोविन्दसिंह : एम० एल० ए० को क्यों रोक रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !!

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से आये हैं, वे यहां मौजूद नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बातचीत कम हो तो जो भाषण होते हैं वे सुनाई दे सकते हैं। महत्व-पूर्ण विषय पर वाद-विवाद हो रहा है। इस प्रकार बात-चीत करके उसका महत्व कम न किया जाय।

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय विजयसिंहजी झाला मौजूद नहीं हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया था वह यह था कि सारे के सारे जिले में प्रमुख का चुनाव हो वह डाइरेक्ट इलेक्शन से हो। मैं समझ नहीं पाया। जैसे जयपुर का बहुत बड़ा जिला है, १६-१८ तहसीलें हैं। उदयपुर का भी बड़ा जिला है जहां दो तीन एम० पी.ज़ एडल्ट फ्रन्चाइज़ के आधार पर निर्वाचित हैं। अगर एडल्ट फ्रन्चाइज़ के आधार पर चुनाव हुए तो उस प्रमुख का वजन तो तीन एम० पीज़० से अधिक हो जायगा और उसके चुनाव में खर्चीलापन आवेगा, वह सफा बहुत बड़ा हो जावेगा। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीढाबरियाजी ने सुझाव रखा और यह रखा कि ग्राम का आदमी ही जिला प्रमुख बनना चाहिये। मैं उससे सहमत हो सकता हूं। मैं उस भावना की कद्र कर सकता हूं जो प्रदर्शित की गई क्योंकि मैं उसमें विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति गांवों में है, जो इन्टेलिजेन्शिया गांव में था वह शहरों और कस्बों में रहने लग गया है और रूरल वायल है, गांव में पैदा हुए, संस्कृति गांव की है और रिश्तेदार भी गांव में है....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : गांव में क्यों नहीं रहते हैं; रहते है।

श्री भीखाभाई : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य गांव के रहने वाले हैं, शहर में भी रहते हैं। मैं गांव में भी रहता हूं और शहर में भी रहता हूं, उपमंत्रीजी भी गांव में रहते हैं। मैं कहता हूं कि माननीय

(श्री भीखाभाई)

सदस्य यहां विराजे हुए हैं वे अधिकांश गांवों में रहते हैं, शहरों में भी उनके मकान हैं। क्या आप यह समझें कि हम इन लोगों को जो शहरों में आकर बस गये हैं उनको इस इस बात से वंचित कर दें ? किसी शहरी आदमी की हिम्मत नहीं होगी कि वह इस प्रकार खड़ा हो सके, अगर रूलर वायस नहीं है, गांव की संस्कृति नहीं है ?

श्री नत्थीसिंह : आप खड़ा कर लेंगे।

श्री भीखाभाई : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिये कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का आदमी आकर अग्रामीण क्षेत्र में सेट अप होता है तो आखिर क्या भविष्य है ? इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम गांव के लोग शहर में बस जाते हैं, शहर वाले हमसे परहेज करते हैं कि गांव के रहने वाले हैं, जैसे समुचित स्थान शहर में मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि तथ्य में यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि गांव का आदमी होना चाहिये। बेसिकली रूरल, गांव का आदमी होना चाहिये। १६ तहसीलों में एक आदमी खड़ा होने वाला है। शहरी कैसे हो सकता है जब तक कि गांव में रिश्तेदार न हो, वह प्रभावशाली न हो।

(५.०० म. प.)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ संशोधन हमने सरकार की ओर से रखा है यह बहुत ही सोच समझ कर रखा है, इसलिए उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए जो मोतीलाल जी चौधरी ने संशोधन रखा है प्रमुख और प्रधान दोनों के बारे में क्वालीफिकेशन का वह होना चाहिए क्योंकि सरपंच की हमने क्वालीफिकेशन रखी है।

हमारे यहां विधान सभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं उनके लिए कोई क्वालीफिकेशन नहीं है और जो लोक सभा के सदस्य होते हैं उनके लिए भी कोई क्वालीफिकेशन नहीं है। लेकिन सरपंच का जहां तक सवाल है उसके लिए माना है कि वह लिट्रेट होना चाहिए, इसलिए यह क्वालीफिकेशन रखी है। मैं एक बात और निवेदन करूं कि माननीय सदस्य शहरों में रहते हैं, नागौर के रहने वाले हैं और जयपुर में रहते हैं और हम बाहर के लोग हैं वे जयपुर में रहने लग गये हैं और यदि हम अपने क्षेत्र में नहीं जायें तो न तो हम एम०एल०ए० बन सकते हैं और न हम कुछ और बन सकते हैं। इसलिए मैं श्री मोतीलालजी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने दूसरा अमेन्डमेन्ट रखा है उसको वे विथड्रॉ करें।

मैं एक निवेदन करूं कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, उसके लिए इस प्रकार का संशोधन हम स्वीकार करें तो ठीक रहेगा कि उसके लिए कोऑप्शन मेम्बर होंगे तो दोनों में से एक जगह खड़े हो सकते हैं। अगर वहां का मेम्बर है तो एक जगह का उसको इस्तीफा देना पड़ेगा इसलिये मैं यह निवेदन चाहता था कि इस इश्योरेंस के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा है कि सभी माननीय सदस्य मेरे संशोधन को स्वीकार

Page No. 107

(श्री भीखाभाई)

करेंगे और अपने अपने संशोधन वापिस लेंगे ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पहले म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन मेम्बर होता था । आपकी यह भावना है कि म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर ऑफिस बियर करता है चेयरमैन का तो वह प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं निवेदन करता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो पहले व्यवस्था थी उसको क्यों नहीं एडॉप्ट कर लेते हैं ? लिहाजा....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बात करते रहते हैं और हम तो यहां पर हमारा भेजा खपाते हैं । इतना लम्बा-चौड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है लेकिन विधायक को पता नहीं हो सकता कि इसमें संशोधन क्या हो रहा है । हर ५ मिनट के बाद एक पर्चा चला आता है । मेरा निवेदन है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सा सिस्टम क्यों नहीं एडॉप्ट कर लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : I think that has been done. प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने क्लॉज़ २३ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

श्री नत्थीसिंह : अभी तो वे ड्राफ्ट कर रहे हैं । ज्वालाप्रसादजी ने रखा वह वाला । He is drafting, Sir.

श्री भीखाभाई : उन्होंने कहा कि डबल मेम्बरशिप नहीं होगी तो एक आदमी...

श्री उपाध्यक्ष : All right.

श्री श्रवणलाल ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट श्री मोतीलाल जी चौधरी ने दिया है उसका समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि वह तो वही बात हुई कि सारी रात रोये एक मरा और वह भी सवेरे उठते ही भाग गया । प्रवर समिति ने विचार करके इसको भेज दिया और फिर दुबारा उसमें संशोधन लाकर यह अमेन्डमेन्ट रखा ।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि मोतीलाल जी चौधरी ने इसके लिए कहा कि प्रमुख एक गांव का रहने वाला होना चाहिए, मैं उससे सहमत हूं । आज हम १५–१७ सालों से देखते आये हैं कि पहले से कोऑप्शन चला आ रहा था । कोऑप्शन के आदमी ही जिला प्रमुख बनते थे और कोऑप्शन के शहरी आदमी होते थे । अगर आज उस नियम से हट कर हमारे लिए एक दूसरा नियम लागू कर दिया कि एक म्युनिसिपल एरिया से आदमी लिया जायेगा वह शहरी आदमी होगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो कोऑप्शन होता था यह शहरी आदमी नहीं था, उसको आपने हटाया क्यों ? जब कि आप म्युनिसिपेलिटी से सदस्य ला रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरह से कोऑप्शन के क्लॉज़ को हटाकर उसका संशोधन जो कि म्युनिसिपेलिटी के जरिये लाना चाहते हैं तो फिर वही सवाल आता है कि रूरल ऐरिया का कोई भी व्यक्ति न प्रमुख हो सकता है, न जीतकर प्रमुख बन सकता है और यहां तक है कि रूरल एरिया के लिए प्रधान भी बनना मुश्किल हो

(श्री भवणलाल)

जायेगा । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि यह अमेन्डमेन्ट जो आप पेश कर रहे हैं उसका मैं विरोध करते हुए और जो मोतीलाल जी ने सजेशन रखा है उसका मैं समर्थन करते हुए मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो अमेंडमेंट है उसको वापिस लेने की कृपा करें ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अरे भाई, यह क्या बोल गये ?

श्री उपाध्यक्ष : (मन्त्री महोदय से) Is your amendment ready ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अमेन्डमेंट तो रेडी है, लेकिन माइन्ड मेन्योर्ड नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : The clause is deferred for the time being.

Clause 24

श्री भैरोंसिंह : The Minister should be deferred for sometime.

श्री भीखाभाई : I am prepared in your favour.

श्री भैरोंसिंह : Instead of the amendment, if the Minister is diferred it will be better.

श्री उपाध्यक्ष : Please move your amendment.

(विराम)

Clause 24

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट यह है:—

After the expression, 'In section 46 of the Panchayat Samitiis Act insert the following namely :

"(a) after sub-section (1) the following new sub-section shall be added, namely :

"(1-A) Notwithstanding anything termcontained in sub-section (1) the of the Zila Parishad as exiting on the date of the commencement of the Raj. Panch. Laws (Amendment) Act, 64, shall be extended upto 31st. day of March, 1965 or such earlier date as may be notified by the State Govt. in this behalf".

जोकि माननीय विधि मन्त्री जी ने, जो चुनाव के मन्त्री भी हैं उन्होंने जो घोषणा की थी उसी चीज को हमने अमेन्डमेंट के रूप में रखा है और हमारे माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने भी पहले जब सामान्य बहस हो रही थी उस समय में भी और दूसरे कई कारणों से हमारे जो माननीय सदस्य इस सदन के हैं वे जानते है क्योंकि थोड़े दिनों में फसल का मौसम आने वाला है इसलिये सबकी ऐसी इच्छा थी कि समय एक-दो महीने का और बढ़ा दिया जाये । उसी के अनुसार इसमें लिखा गया है और यही मेरा संशोधन है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir, सवाल तो यह है

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि इस बिल के अन्दर इस डेट का अमेंडमेंट करना कहां तक मौजू है कि मार्च तक बढ़ाया जाये। यह आपको पहले जैसे अधिकार दे रखा है उसमें २-३ महीने की कमी है तो उसको दूसरी तरह से कर सकते हैं। लेकिन यह पार्ट ऑफ दी बिल कैसे बनेगा ? यह बिल कोई सरकार एक दिन के लिए नहीं बनाती। बाप बनाये और बेटा चुना जाये, तो इस तारीख के झगड़े को क्यों रखा है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट हास्यास्पद विषय है जो एक्ट अभी बनाया जा रहा है वह पेंचुअल और पर्मानेन्सी के लिये है, जिसका उपयोग और ध्यान सदैव रखा जाय। यहां एक टेम्पोरेरी उपयोग के खातिर उसकी एक धारा बढ़ाई जाती है। आयन्दा उसका उपयोग और आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए इस बिल के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा इस ऐक्ट का एक पार्ट बनाना अशोभनीय है और उसको यहां स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister to reply please.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (श्री भीखाभाई के बैठे रहने पर) Hon. Minister is out of order, Sir.

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि मेरा यह अमेंडमेंट है इसलिए यहां पर है कि जो डेट है वह इलैक्शन करने की दृष्टि से ११ मार्च, ६५ तक बढ़ा दी जाय। एक्ट में जो अवधि है, देखिये ऐसा है कि this is a temporary amendment to cope with the work of the elections. और जो अवधि सिलेक्ट कमेटी ने जैसी रखी है वह वैसी ही रखी हुई है। इसमें टेम्पोरेरिली किया जा रहा है। जब कि कन्सोलिडेटेड लॉ बनेगा तब वह डिलीट हो जायगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a poin of clarification, यह लीगल पोइन्ट है कि आपकी व्यवस्था में यह है और मैंने यह कहा कि एक प्रोवीज़न है जिसमें गवर्नमेंट को अधिकार है इलेक्शन को सरकाने का। उसका टाइम खत्म हो जाय तो उसको मार्च तक सरकार करना चाहती है तो उस कानून में यह है कि साल, डेढ़ साल तक बढ़ाने का सरकार को अधिकार है। उसके अन्दर वह चार महीने का कर दे। अगर एक साल का है तो उसको यह सवा साल कर दे। मैंने एक एमेंडमेंट रखा है तो मन्त्री महोदय ने कहा कि फिट इन नहीं होता है तो इसके अन्दर फैज़ कैसे लगा दिया जब कि लिखा हुआ है तो उस पर क्या करें ? फिट इन कैसे होता है ? फिर एमेंडमेंट आयेगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २४ में माननीय श्री भीखाभाई ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत किया गया

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २४, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २४, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २५ से २७ तक विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २५ से २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ २८, श्री भीखाभाई ।

श्री भीखाभाई : Clause No. 28. My amendment is like this–

"For the words" nothing contained, substitute the expression, 'Except otherwise provided in section 4 (b), 17 (a) and 24 (a), nothing contained'",

श्री भैरोंसिंह : १७ ए

श्री भीखाभाई : Yes, 17 A.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने क्लॉज़ २८ में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है क्लॉज़ २८, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २८, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ २९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

अब डेफर्ड क्लॉज़ लेते हैं । क्लॉज़ ३, श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

(१) श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :

(i) In clause (b) of sub-section (1) of new section 4 substitute the word "NINE" for "five" and "Fifteen" for "twenty";

(ii) delete clause (c) of sub-section (1) of new section 4.

(२) श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) :

In section 4 proposed to be substituted, after sub-section (2) the following proviso shall be addeb, namely:-

"Provided that an associated member shall have a right to vote in proceedings relating to such matters of production programme as may be prescribed."]

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों का निर्माण करते समय सरकार को यह अधिकार है कि उनकी सीमा निर्धारित करेंगे । इन सीमाओं का निर्धारण करने में समानता रखी जाय और परस्पर कोई खींचतान नहीं हो, इसके लिए साधारणतया जनसंख्या समान ही होनी चाहिए, यथासम्भव वह समान ही होनी चाहिए । इसी आधार पर हरेक पंचायत का स्वरूप भी करीब करीब समान ही होना चाहिए । यहां पर जो अभी संशोधन किया जा रहा है उसके अनुसार उसमें अन्तर बहुत ज्यादा किया जा रहा है । इसका परिणाम यह निकलेगा कि पंचायतों को तोड़-फोड़ कर राजनैतिक दृष्टिकोण से यह बात की जाय कि किसी पंचायत को बहुत छोटा कर देंगे और किसी को बड़ा कर देंगे । इसलिए यह हास्यास्पद बात होगी और स्वयं राजनैतिक परम्पराओं और पंचायत की परम्पराओं के भी विपरीत होगी । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो क्लॉज़ राज्य सरकार ने पंचायत में पंचों की संख्या इतनी रखी है वह न रखी जाय और जो मैंने रखी है वह यह है कि जो :

"(i) In clause (b) of sub-section 1 of new section 4 substitute the word 'Nine' for 'five' and "fifteen" for "twenty"

जो संशोधन माननीय प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है वहां पंचायतों के सदस्यों की संख्या कम से कम ५ और अधिक से अधिक २० उन्होंने निर्धारित की है । वे इस अन्तर का कोई कारण नहीं बता सके हैं कि इतना बड़ा अन्तर क्यों रखा जाय ? मेरा यह निवेदन है कि अन्तर इतना अवश्य है तो कर लिया जाय लेकिन वह थोड़ा होना चाहिए । इसलिए न्यूनतम संख्या ९ और अधिकतम संख्या १५ रखी जाय ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : पहले संशोधन हों ।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, "In section 4 proposed to be substituted after subsection (2) the following proviso shall be added, namely.

'Provided that an associated member shall have a right to vote in proceedings relating to such matter

(श्री भीखाभाई)

of production progiamme as may be prescribed."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सम्बन्ध में पहले अलग से बता चुका हूं कि तमाम जो कोऑरिटिव इन्स्टीट्यूशन्स हैं उन कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को एसोसियेट मेम्बर्स बनाया गया है और यह पहला कदम पंचायती राज्य को सफल करने के लिए किया है और उसके द्वारा जहां पर सहकारिता और गांव के अन्दर विकास की चीज हो उसमें सामन्जस्य बिठाने की आवश्यकता रहती है। अतएव हमारी सिलेक्ट कमेटी में इस बात पर विचार रखा था और लगभग ३ दिन तक इस पर विचार-विमर्श होता रहा। मैंने निवेदन किया माननीय सदस्यों से कि यह मान लिया जाय कि वहां पर उनको फुल राइट दे दिया जाय तो बहुत अच्छा होता। लेकिन उस बात पर हमारे यहां पर एकमत नहीं हो सके हैं और मैं हमेशा एकमत का आदमी हूं और एकमत चाहता हूँ; इसलिये मैंने इस बात की कोशिश की कि अगर एकमत होकर किसी एक बात पर पहुंच सकें तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन उस पर मेम्बर एग्री नहीं हुए, लेकिन बाद में विचार किया और लोगों ने कहा कि एसोसियेट मेम्बर्स वहां पर ऑब्ज़र्वर्स की हैसियत से जाकर बैठेंगे तो क्या उनकी दिलचस्पी कभी हो सकती है: तब हमने यह सोचा कि प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर जैसा कि मैंने एक संशोधन पहले ही स्वीकार किया है उस तरह से उनको इस प्रकार का राइट होना चाहिए कि वह प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर जो मैटर्स हों उन मैटर्स के अन्दर अपनी राय दे सकते हैं। यही बात इस संशोधन के जरिये भी मैंने प्रस्तुत की है।

और दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे माननीय सदस्य जो श्री राधाकृष्ण गोयल हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अभी जो संख्या ५ और २० पंचायत के सदस्यों की है तो पांच के बजाय ६ कर दी जाय और २० के बजाय १५ कर दी जाय। इस प्रकार का संशोधन रखा है। आज की तारीख में जो अभी हमारे पास है उसके अनुसार हमने यह देखा है कि उसमें सदस्यों की संख्या कम से कम एक पंचायत के अन्दर ८ हो; उसका मतलब यह हुआ कि अगर हम आपकी बात की स्वीकार करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा कि और डिलिमिटेशन करना पड़ेगा और पंचायतों के चुनाव जिसके लिए ताकीद की है और जिसके लिए कई प्रकार की बातें इस विधान सभा में हमने सुनी हैं उसके बाद भी यदि हमको इस बात को करना पड़ेगा तो रीडिलिमिटेशन करना पड़ेगा और इससे पोस्टपोनमेंट होगा चुनावों का। इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह इनकन्सिस्टेन्ट है। यह इस तरह से है कि पंचायत एक है डेलाना पंचायत और डेलाना पंचायत के पास में एक लोहावट पंचायत है, उसमें ६ हजार की संख्या है और अगर यह कर दें तो वहां पर १५ सदस्य करेंगे और मान लिया जाय कि डेलाना पंचायत में ५०० की जनसंख्या है और उसमें ६ सदस्य कर दें तो ६ और १५ में कितना कम डिफरेन्स होगा, जब कि ५०० और ६०० की जनसंख्या में एक बड़ा वेरियशन है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी उपस्थित होने वाली है इसीलिए इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए

(श्री भीखाभाई)

निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस लें लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : प्रभारी मंत्रीजी संशोधन के विपरीत भाषण दे रहे हैं। कम से कम ५, और अधिक से अधिक बीस रखे जावें।

श्री भीखाभाई : आगे के लिये कहते हैं कि रीडिलिमिटेशन करना पड़ेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : भाषण में समर्थन करते हैं, पर कह रहे हैं कि जो लिख दिया वह सही है। ८ से कम करने में डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, यह प्रश्न है नहीं; मेरा संशोधन है कम से कम ५ संख्या को ६ रखा जावे। भाषण में इसे स्वीकार किया है, फिर भी कहते हैं कि विरोध करता हूं। मिनिमम ५ रखने के लिए क्या कारण बताया?

श्री भीमसेन : मेरा उनके अनुरूप संशोधन है, इसीलिए मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : It will be considered.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की ओर से जो संशोधन पेश किया गया है वह संशोधन कानून की दृष्टि से पंचायत राज्य इन्स्टीट्यूशन्स को किस तरह से सेबोटेज किया जा सके, वह सेबोटज करने का एक प्रयास है। सेबोटेज करने में हमारी यह सरकार सफल हो गई। इसीलिए सरकार को भी बधाई और पंचायत के अयोग्य मंत्रीजी को भी बधाई।

उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, योग्यता-अयोग्यता का सर्टीफिकेट लेने के लिए अर्जी लगाई है क्या?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो हाई क्लास यूनीवर्सिटी है वह हाई क्लास डिग्री देती है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि योग्यता और अयोग्यता के लिये अर्जी नहीं आई। अर्जी तो वहां आती है, वह देता है जो योग्य हो। अब मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को सेबोटेज कैसे किया जा रहा है। पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन को किस प्रकार से सेबोटेज ये करेंगे। किस प्रकार सेबोटेज करने की प्रकिया है; यह बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज ३ चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज ३ पर भीखाभाई ने संशोधन पेश किया है। तो उस अमेन्डमेंट का विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में आप बोल सकते हैं यह तो।

(श्री भैरोंसिंह)

प्रोडक्शन के नाम पर यों ही चलेगा ! बीज गोदाम का प्रश्न आ गया वहां क्या होगा ? आप बता दीजिये । वह प्रोडक्शन का प्रोग्राम है या नहीं ।

श्री मोतीलाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिंह : I dont want his interference.

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह : मैं कुछ पूछना नहीं चाहता आपको । आपको कुछ पता नहीं है, आप बैठ जावें ।

आप झूठ बोल रहे हैं ।

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !! माननीय सदस्य जारी रक्खें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि आखिर पंचायती राज को चलाना है और पंचायती राज को उनके बेसिस पर चलाना है जिनको जनता मत देकर पंच—सरपंच चुनती है । जनता उनको नहीं चुनती जो कोआॅपरेटिव इन्स्टी—ट्यूशन्स में बैठ कर घर के मेम्बरों की कोआॅ-परेटिव फार्मिंग और कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाकर जनता के पैसे का, उसके धन का दुरुपयोग करते हैं । कोआॅपरेटिव सोसाइटियां जनता की चुनी हुई नहीं हैं । ग्राम पंचायत की तरह उसका चुनाव नहीं होता ।

मोतीलालजी ! एक एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी और कोआॅपरेटिव फार्मिंग की बात मैं नहीं कहता । आपके एस. के. डे. जो कोआॅपरेटिव के माने हुए आपके नेता हैं उन्होंने भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अफसरों की मीटिंग में कहा कि तीन लाख कोआॅपरेटिव सोसाइटियों के अन्दर दो लाख १७ हजार कोआॅपरेटिव सोसाइटियां बोगस हैं और इसके साथ ही यह कहा कि इस १७ हजार के अन्दर दस हजार एक एक फेमिली की कोआॅपरेटिव सोसाइटियां हैं ।

आज हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा मंत्री इस विभाग का, इस डिपार्टमेंट को चलाने वाला स्वीकार करके चलता है कि हिन्दुस्तान में कोआॅपरेटिव सोसाइटियां जितनी बनी हैं उनमें काफी बोगस हैं और इसके साथ साथ काफी एक ही फेमिली की हैं । अब आप यह चाहते हैं कि उनमें आये लोग इस तरह के लोग पंचायतों के लिए पंचों का या सरपंचों का चुनाव लड़े, वैसे तो वे हार गये, डाइरेक्ट चुनाव में वे जीत नहीं सकते । पर ग्राम पंचायतों में घुसना है, उनको सेबोटेज करना है तो कैसे किया जाय, इस अमेंडमेंट के द्वारा आपने उन पर एक डाका डाला है, आपको इन पंचायत मंत्रीजी ने इसके लिए एक चोर रास्ता खोल दिया है, जिसके द्वारा आप उसमें पहुंच सकते हैं ।

तो उनके लिए बैकडोर भीखाभाई प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई छोटा-मोटा करे तो और बात है ।

(श्री भैरोंसिंह)

सरपंच चुनाव में हार गया तो १० आदमियों को बुलाओ और कोऑपरेटिव का निर्माण करो और उसको सर्विस कोऑपरेटिव नाम दे दो और ग्राम पंचायत में पहुंच जाओ। यह सुविधाड़िया तरीका है पंचायत राज्य में, धोखा देने का तरीका है, जनता के साथ अन्याय करने का तरीका है, अडेमोक्रेटिक तरीका है। इसके लिए मैं सदन से कहना चाहता हूँ कि आखिर हम पंचायत क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि लोगों को स्वायत्त शासन देना चाहते हैं। आप यदि चाहें कि हमें गांवों में कोऑर्डिनेशन करना है तो गांवों के लिये एक अलग इन्टर प्रोग्राम लेकर चलना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन होना चाहिये, यह सिद्धान्त का सवाल है; मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। सादिकअली कमेटी ने भी कहा था कि कोऑपरेशन को बढ़ाया जाय। प्रोडक्शन प्रोग्राम में भी कोऑपरेशन का शामिल करना होगा तभी हो सकेगा लेकिन उस समय तो आप कहेंगे कि पंचायतों को सारी पॉवर्स डेलीगेट कर दो। आप पंचायतों को और स्टेट दोनों को लेना चाहते हैं और यह कहते हैं कि कोऑपरेटिव्ज़ के ऊपर जनता का अधिकार हो, लेकिन आप कोऑपरेटिव्ज़ के ऊपर तो अपने विशेष कृपा-पात्रों का अधिकार चाहते हैं और अब यह चाहते हैं कि वे लोग पंचायतों पर किस प्रकार अधिकार करें। वे रुपयों का मिसएप्रोप्रियेशन करते हैं, जनता उनको हिकारत की दृष्टि से देखती है। जनता को संदेह है कि वे व्यक्ति पंचायतों की मीटिंग्ज़ में बैठ कर जनता का किस प्रकार भला कर सकेंगे, किन्तु वे वहां जाकर मनचाहा करेंगे। इसके बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट ने सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ के नाम पर उनको पंचायत में जाने का अधिकार दिया है। फिर भी आप कहते हैं कि यह लोकतंत्र है, जनतंत्र में लोगों का विश्वास है।

आपने पिछली बार नगरपालिका कानून बनाया। इस सदन में उसका विरोध हुआ कि नोमीनेशन को समाप्त करो, क्योंकि नोमिनेशन का इलेक्शन से तालमेल नहीं है। आज नोमिनेशन को हटा दिया और उनके बजाय एसोसियेट मेम्बर्स बैठेंगे विरोध के बावजूद बैठेंगे और पंचायत के विरुद्ध निर्णय में भाग लेंगे। अन्ततोगत्वा क्यों होगा? ग्राम पंचायतों को पीछे ढकेल दिया जायगा। मान लीजिये किसी दूसरी पार्टी के सरपंच के साथ बहुमत है तो उसको कैसे समाप्त किया जाय? उस बहुमत को समाप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जितने लोग अल्प-मत में हैं वे कहेंगे कि दो आदमी अपने और हो जायं तो इस सरपंच को खत्म करके अपना कब्जा इस पंचायत पर कर लें और वे दो आदमी सर्विस कोऑपरेटिव के नाम से पंचायत में बैठेंगे और अपने वोटिंग राइट का प्रयोग करके उसको हटा देंगे। नो कॉन्फीडेन्स प्रस्ताव के जरिये उसको नहीं हटा पाये तो इस जरिये से उसको हटा पावेंगे। सरपंच का बहुमत होते हुए भी वह अपनी लेजिटिमेट मेजोरिटी का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन जो आर्टिफिशियल आधार सरकार बनाना चाहती है उससे चुनाव की सैंक्टिटी खत्म हो जायगी। हर गांव में जिस प्रकार की स्थिति है उसको सामने रख कर चलें तो

(श्री भैरोंसिंह)

मान लिजिये एक गांव में विरोधी पक्ष के ५ आदमी हैं और सरपंच के साथ ६ हैं तो ५ सदस्य सोचेंगे कि सरपंच को कैसे हटाया जाय; तो वहां पर वे दो सर्विस कोऑपरेटिव्ज बना लेंगे और उनके जरिये दो आदमी और पंचायत में चले जायेंगे और उनके ५ के बजाय ७ आदमी हो जायेंगे और सरपंच जीत कर बहुमत में आया वह अपने आप अल्पमत में परिणत हो जायगा । इसका मतलब यह होगा कि इलेक्शन के जरिये बहुमत बनेगा, उसकी सारी इम्पोर्टेन्स सर्विस कोऑपरेटिव्ज के जरिये समाप्त कर दी जायगी। ज्यादा अच्छा यह होगा, मैं सरकारी पक्ष से कहता हूं कि इस पंचायत एक्ट को फाड़ कर फैंक दें। आपने जो इसमें परिवर्तन किये हैं वे आमूलचूल परिवर्तन किये हैं। अन-इलेक्टेड लोगों को वोटिंग राइट देकर इलेक्टेड लोगों की तोहीन करना चाहते हैं और लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इलेक्शन की थ्योरी में इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं कि हमारी सरकार की इस कार्यवाही को देख कर लोग हंसेंगे कि राजस्थान सरकार कहती है कि हम चुने हुए लोगों की मार्फत पंचायत इन्स्टीट्यूशन को पनपायेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारी सरकार कोऑर्डिनेशन के नाम पर वोटिंग राइट देकर उल्टा काम कर रही है । आपने देखा होगा कि पंचायत में एसोसियेट मेम्बर्स थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। मेम्बर वे थे, मीटिंग्ज़ में जाते थे, सलाह मशवरा देते थे । यदि उनको वोट देने का राइट मिलता तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती, पंचायतों में भी ज्यादा जातीय झगड़े होते ।

आज एम. एल. एज़. का सवाल आया तो एम. एल. एज. को एसोसियेट मेम्बर माना है। यदि एसोसियेट मेम्बर्स को वोटिंग राइट नहीं देंगे तो एम. एल. एज़. को भी राइट नहीं होगा। आप यह जो अमेन्डमेंट कर रहे हैं वह अनडेमोक्रेटिक है और जनता के हितों के खिलाफ है, इसलिये मैं कहता हूं कि मन्त्रीजी ने यह जो क्लॉज़ पेश किया है, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि राजस्थान के मन्त्री इस बात की वकालत करें कि बहुमत को....

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : सिलेक्ट कमेटी ने तय किया है।

श्री भैरोंसिंह : सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर मैं भी था इसलिये मुझे दुख होता है कि उस समय आप वकालत करते थे कि एसोसियेट मेम्बर्स को वोटिंग राइट्स नहीं देंगे और १५ दिन बाद ही आप पर क्या असर हुआ, शायद धमकाया होगा कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आपको चेयरमैन बनाकर बैठा देते ।

श्री भैरोंसिंह : मैं चेयरमैन बन कर बैठूंगा तो भीखाभाई जैसी हालत नहीं होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये मैं कहता हूं कि आपने तो ठेका ले रखा है....

श्री भैरोंसिंह : नाथूरामजी ठेका आपका भी नहीं है। आप जिस घमंड से बात करते हो ; ऐसे कई ठेकेदारों को गलियों में घूमते देखा है....

श्री उपाध्यक्ष : Don't divert.

श्री भैरोंसिंह : जबर्दस्ती कहते हैं कि इनको मोनोपोली मिली जब हैं; तक जिन्दा रहेंगे, १०० वर्ष के होंगे तब तक राज्य करेंगे। बहुत बह गये हैं।

अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी में बहुमत की भावना को आपने स्वीकार किया। यह बहुमत आपने कैसे देखा ? वोट लिया होता, रेकार्ड मेन्टेन किया होता तो पता चलता। वहां एक मत होकर कह दिया, उस वक्त मन्त्रीजी मेरे पक्ष में थे कि उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिलना चाहिये, लेकिन आज मंत्रीजी पर भगवान जाने किस प्रकार का दबाव आया कि दो-तीन दिन से ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी ने जुबान निकाल दी। ऊपरी मन से केवल जुबान हिलाते हैं, मन की हालत कुछ दूसरी ही है। इन्हें किसी डॉक्टर के पास भेजा जाय, वह भी डाक्टर व्यास के पास भेजा जाय तो फौरन बता देंगे कि उनके मन में और जुबान में फर्क है। आज मुझे दया आती है जब आप मजबूरी से अमेन्डमेंट पेश करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके हाथ से पंचायत इन्स्टीट्युशन को खत्म करने की बदनामी मत लो। इस पाप को आप हाथ में मत लो। इसे तो नाथूरामजी को दे दो। वे बलि चढ़ा सकते हैं। आप जैसे आदमी जो सुबह-शाम लंगोट लगा कर हनुमानजी की पूजा करते हैं वे इस पाप के भागीदार नहीं बन सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आप सब्स्टीट्यूट कर रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड रूल्स क्या होंगे उनको सरकार ने सदन के सामने क्यों नहीं रखा ? कौन कौन से मसलों में वोटिंग राइट होगा? वोटिंग जैसे मसले में भी सरकार इस एसेम्बली को अंधेरे में रखना चाहती है और यह बताना नहीं चाहती कि किस पोइन्ट पर वोटिंग राइट होगा और किस पर नहीं होगा ? किस तरह से क्या प्रेस्क्राइब करेंगे ? आप क्लॉज़ेज़ ही बता दीजिये कि अमुक क्लॉज़ेज़ के अन्तर्गत वोट देने का राइट होगा और बाकी में नहीं होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स के लिये यह इतना क्रूशियल पोइन्ट है और सेबोटेज करने की इतनी बड़ी तलवार है जिसे ग्राम पंचायत को समाप्त करने के लिये किया है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पोइन्ट पर पार्टी पोलिटिक्स को छोड़ें और पंचायत राज को बचाने के लिये आप इसका विरोध करें।

श्री मानसिंह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाद में बोल लूंगा ! पहले आप श्री नाथूरामजी को बोलने दें।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेंट रखा है उस पर काफी जोर का भाषण दिया और यह बताया कि इस बिल में इस क्लॉज के रहने से यह बिल किसी काम का नहीं रहेगा और इस बिल को बिल्कुल फाड़ देना चाहिये और इस प्रकार चुने हुए पंचों के साथ साथ सहकारिता के नुमायन्दे सदस्य बनाये हैं और उनको वोट देनेका अधिकार होगा उससे पंचायतों पर बहुत असर पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने अभी यह कहा था कि वे

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सहकारिता के हामी हैं और उन्होंने यह भी कहा कि सहकारी संस्थायें बहुत अच्छी बनें तो उनको बहुत खुशी होगी। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों में सहकारिता अच्छी तरह से चले और सहकारिता की प्रोडक्टिव प्रोग्राम में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इसलिये उनको इस प्रकार से वोट देने का राइट देना और बहुत से लोगों को जोड़ कर पंचायतों में पंचों के साथ टेकल करने के लिये यह क्लॉज़ जोड़ा जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ २४ को खास तौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि किन किन ड्यूटीज़ का पालन करना पड़ता है और इस क्लॉज़ में है। शिड्यूल (३); एन्युमरेट करने की बात कही है उसमें एफिलियेटेड पंचों की क्या जिम्मेदारियां होंगी। यह सब उसमें दिया हुआ है। मैं सदन के सदस्यों का समय ज्यादा नहीं लूंगा और इसको पढ़ कर नहीं सुनाऊंगा। मैंने रेफरेन्स दे दिया है और वह इसलिये दिया है कि जिन्होंने इतनी लम्बी-चौड़ी बहस की है उनके पास यह कानून तो होगा ही, वे उसे देख लें और अगर नहीं हो तो मंगा कर देख लें। मगर मैं यह समझता हूं कि उनके पास यह कानून होगा क्योंकि उन्होंने इस पर काफी लम्बी बहस की है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने देख लिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें व्यवस्था है; अगर आपने देख लिया है तो आपको मालूम हो गया होगा।

श्री भैरोंसिंह : उसमें कोई अलग सेक्शन नहीं है, यह तो आधा एक्ट ही इससे भरा पड़ा है।

श्री नाथूराम मिर्धा: इसमें शिड्यूल में जो काम करने पड़ते हैं दिया हुआ है....

"In the sphere of agriculture, preservation of forests"...

श्री भैरोंसिंह : पंचायतों के पास उसके बाद सिवाय पट्टे करने के कौनसा काम बाकी रह जाता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कुछ भी बचेगा। मगर मैं कह देना चाहता हूं कि इसके अलवा भी ६ या ७ मुद्दे हैं :

'In the sphere of self-defence and Panchayat Circle defence.

In the sphere of education and culture.

In the sphere of public works.'

७ या ८ हैं जिसमें एग्रीकल्चर और फोरेस्ट के बारे में लिखा है। इसलिये इस शिड्यूल के नीचे व्यवस्था है। अगर हम यह चाहते हैं कि पंचायतों में एग्रीकल्चर और दूसरे प्रोडक्शन प्लान के संबन्ध में सही जानकारी मिले तो हमें उनको यह अधिकार देना होगा। आप देखेंगे कि खास तौर से ग्राम सेवा समितियों में फर्टीलाइज़र व दूसरी कई बातों के मामलों में राय देने का प्रावधान है हम चाहते हैं कि कन्सोलिडेटेड प्रोग्राम गांव वालों के मेल-जोल से बने और सहकारी समितियों के अध्यक्ष बैठ कर आपस में बात-चीत करें और सारी चीजों का समन्वय हो तो उनको राय देने का अधिकार है। अगर उस समय उनको सुना जावे और उनकी राय पर कोई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गौर नहीं किया जावे तो वही हाल होगा जो आपने एक एम . एल . ए . का अभी उदाहरण देकर बताया। उनकी यह धारणा होगी कि हमको सुन लिया जाता है और उन पर कोई अमल नहीं होता, इसलिये वे एक दो मीटिंगों में तो जावेंगे और बाद में दूसरी मीटिंगों में नहीं जावेंगे। वे यह समझेंगे कि हमारी राय को मानते तो कोई नहीं हैं, पंचायत लेवल में प्रोडक्शन का प्रोग्राम है उसको और भी क्लीअर किया जावेगा....

श्री मासिंह महार : और पॉवर बढ़ाया जावेगा।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मेन एक्ट का शिड्यूल है उसमें पॉवर बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है।

श्री नाथूराममिर्धा : जब हमारी पॉलसी हैं कि जहां एक से ज्यादा सहकारी समितियां हो तो उनको मर्ज करके जहां तक बन पड़े कम किया जाए और एक पंचायत समिति के हलके में एक ही समिति की कोशिश करनी चाहिये। अगर इस प्रकार की सलाह देने के बाद फाइनल राय पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि यह न कोई प्रजातन्त्र की हत्या है, न जिला परिषद् और पंचायत एक्ट इससे निठल्ला हो जाता है और फाड़ने लायक हो जावेगा। मैं जनसंघ के नेता से कहूंगा कि वे कहते हैं कि उनको सहकारिता से प्रेम है, मगर वास्तव में वे उससे प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा मालूम होता है....

श्री भैरोंसिंह : सहकारी समितियां शोषण कर रही हैं और खा रही हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप लोगों के शोषण का तरीका ....

श्री भैरोंसिंह : आप लोग खा रहे हैं, सारे राजस्थान को खा रहे है।

श्री नाथूराम मिर्धा : खा रहे हैं तो खायेंगे। आपके हाथों से नहीं रुकेंगे ..

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : हम लोगों को जनता ने इसीलिए भेजा है कि खाने वालों की गर्दन पकड़ कर दबोचे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं कि खा रहे हैं तो 'खायेंगे-खायेंगे'।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे आदमी को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो कहता है कि खायेंगे, खायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मंत्रीजी यह कहते हैं कि 'खायेंगे,' अगर खायेंगे तो....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कहते हैं कि खाते हैं....

श्री भैरोंसिंह : आप यह कहते हैं कि खायेंगे, आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आती ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंत्रीजी ने बहुत ही अशोभनीय बात कही है कि खायेंगे ....

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(शोरगुल—अश्रव्य)

उनको इस बात का श्रेय है और वे ही सहकारिता चलाते हैं। हम इनको सुनना नहीं चाहते। मैं निवेदन करूंगा कि आप इनको आदेश दें कि ये अपने इन शब्दों को वापिस लें।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें इस बात की व्यवस्था की है। इसलिये मैं समझता हूँ कि पंचायत मंत्री ने जो संशोधन रखा है वह बहुत सोच-समझ कर रखा है और उसको गति देने के लिये रखा है। पंचायत राज्य को ठीक तरह से चलाने के लिये संस्थाओं का सहयोग होना चाहिये और इसी दृष्टिकोण से यह रखा गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनका यह कहना कि सारे कानून की हत्या हो गई है, प्रजातंत्र की हत्या की गई है, यह सब गलत है। इसलिये इस क्लॉज़ को इसी तरह से पास किया जाना चाहिये।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभी लोग इस पर बोलेंगे, आप घबराइये नहीं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : आप चाहते क्या हैं?

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अमेंडमेंट हमारे पंचायतों में लाया गया है उसके लिये मैं सब की ओर से केबीनेट को बधाई देता हूं कि आपने पंचायत राज्य में, राजस्थान में जिसको आपने शुरू किया, आपने उसकी आपकी मौजूदगी में ही तीन वर्षों के शिशु की हत्या की है, इसके लिये आपको बधाई दी है। हत्या के लिये बधाई देना....

श्री भीखाभाई : 'हत्या' अनपार्लियामेंटरी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस समय मंत्रीजी ने कहा कि 'खायेंगे, खायेंगे' उस समय आपने क्या कोई स्लीपिंग पिल ले ली थी और अब कहते हैं कि हत्या अनपार्लियामेंट्री है?

(घंटी)

श्री मथुरादास माथुर : कोई भी कह कर राजी होता है तो काहे के लिये बोलते हो।

एक माननीय सदस्य : पंजाब में भी इस प्रकार का प्रोडक्टिव प्रोग्राम में वोट देने का सहकारिता को राइट है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इसकी व्याख्या मैं करता हूं। माननीय सदस्य ने जो कहा उसको मानते हुए मैं व्याख्या करता हूं। मैं उनको अपनी पंचायत की मिसाल देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं और कहीं नहीं जाता हूं, मेरे महारकलां पंचायत में, जहां मैं सरपंच हूं, उस क्षेत्र के अन्दर....

श्री मथुरादास माथुर : God save that Panchayat!

श्री मानसिंह महार : कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। मैं इस कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा ले तो भी मैं दौड़ता हुआ जीत कर आ जाऊंगा....

श्री मथुरादास माथुर : कल तो कह रहे थे कि समझौता कर लें, मुझे आने दें।

श्री मानसिंह महार : मैं कह रहा था कि चुनाव लड़ने का मौका दें। माथुर साहब, मैं न्योता देता हूँ महारकलां में पधारें, वहां जूतों की माला न पहिना कर भेजूं तो मेरा नाम मानसिंह नहीं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप यह देखिये, मेरी ग्राम पंचायत के अन्दर चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनमें से एक सोसाइटी तो एक फेमिली की बनी हुई है, उसमें पच्चीस मेम्बर हैं। आप जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्याख्या करते हैं, तारीफ करते हैं, उसका नमूना पेश करता हूँ; जिसको आप वोटिंग राइट देते हैं उसमें पच्चीस मेम्बर्स हैं। आप दिखवा लीजिये। वे किसी दूसरे को मेम्बर नहीं बनने देते....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) **:** किस प्रकार की सोसाइटी है?

श्री मानसिंह महार : कृषि सहकारी सोसाइटी या जैसे सर्विस कोऑपरेटिव सोसायटी बनती है, जो ऋण वगैरह देती है, उसमें पच्चीस से छब्बीसवां आदमी मेम्बर बनने नहीं देते है। वे जैसा चाहते हैं, जैसा धुन में आता है उसी को रखते हैं। कोई कहता है कि हमें मेम्बर बनने दो तो वे कहते हैं हमें सहकारिता से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि जो सरकार से ऋण मिलता है वह लेना चाहते हैं। हम ऋण वगैरह ले लेते हैं और पच्चीस आदमी वक्त पर चुका देते हैं, और कोई कोऑपरेशन वगैरह में विश्वास नहीं है, केवल ऋण की व्यवस्था में दिलचस्पी है। दूसरी कोआपरेटिव सोसायटी मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में एक गांव है गेरावाह, उसमें है। उसके ६० पर्सेन्ट मेम्बरों ने लिख कर दिया है कि हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर नहीं रहना चाहते हैं। उसका चुनाव हुए तीन चार वर्ष हो गये। जब से मैं सरपंच हुआ हूं तब से आज तक वैधानिक तरीके से नहीं हुआ है और कुछ आदमी, जैसे उनको बपौती हो, बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं और जो ऋण का पैसा लेते हैं उसको खा जाते हैं। उसके बारे में सदस्यों को कुछ मालूम नहीं है। बेटा मन्त्री है, बाप अध्यक्ष है। वही पंचायतों में बैठेंगे। भीखाभाईजी के विचार के अनुसार वे उत्पादन में वृद्धि करेंगे, फूड मिनिस्टर के अनुसार वे प्रोडक्शन में वृद्धि करेंगे। तीसरी एक सोसाइटी है, जिसके सारे मेम्बर्स छोड़ कर भाग गये हैं। कोई मेम्बर नहीं बचा है, सिर्फ एक घर के पांच भाई हैं। उनमें से एक भाई अध्यक्ष है, एक भाई सेक्रेटरी है, एक भाई ट्रेज़रार है और एक भाई ने जयपुर में एक दुकान खोल रखी है। अब एक महीने से बन्द हो गई है। वह यहीं रहता है। इस प्रकार सोसाइटी में एक फेमिली के आदमी हैं, वे गांव के उत्पादन या प्रोडक्शन प्रोग्राम की बात नहीं करते।

(श्री मानसिंह महार)

अब मैं पंचायतों की मिसाल देता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं वे तो उठ कर भाग गये हैं, लेकिन उप-मंत्री, कोऑपरेटिव हैं जो शायद सरपंच हैं, मैं उनसे कहूंगा, जो बात मैं कह रहा हूं और तथ्य रख रहा हूँ वह गलत हो तो आप जांच करें। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे उनकी जांच करें। आपका जो कोऑपरेटिव का महकमा है, मैं कहता हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट में अगर किसी महकमे में ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वह इसमें है। जो गांव के ईमानदार और गरीब जनता है उसको किसी ने बेईमान बनाया है तो वह इस कोऑपरेटिव महकमे ने। और बेईमानी का सबसे बड़ा उदाहरण, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर का क्रय विक्रय संघ है....

श्री उपाध्यक्ष : आप अमेंडमेंट पर बोलें।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल, मैं अमेंडमेंट के सम्बन्ध में तर्क दे रहा हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को पंचायतों के अन्दर वोट देने का अधिकार तो क्या, मैं तो कहता हूं, उनको बैठने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उनको वहां बैठा देने का लाभ तो पिछले तीन वर्षों में देख लिया है। आज जो मेजोरिटी में, पंचायतें जो न्याय-पसन्द और ईमानदार हैं उसको बेईमान बनाना चाहते हैं और इसलिए कोऑपरेटिव के मेम्बर्स को वोटिंग राइट देना चाहते हैं। भीखाभाईजी को, उपाध्यक्ष महोदय मैं, आपके जरिए बतलाना चाहता हूं, जो क्रय विक्रय संघ जयपुर के अध्यक्ष चौधरी कुम्भाराम हैं उनके लिए यहां क्या नहीं कहा गया: लेकिन जैसा महाराजा झालावाड़ कह रहे थे कि नगरपालिका के अध्यक्ष कान में अंगुली डाल लेते हैं, मैं कहता हूं, आपने कान में नहीं, न मालूम कहां कहां अंगुली डाल रखी है; यह आपको ही मलूम है। जो क्रय विक्रय संघ में लाखों रुपये का घोटाला है, उसके लिये चिल्ला २ कर कहते हैं, परन्तु आपके कान पर जूं नहीं रेंगती। आपको शर्म आनी चाहिए। इससे बढ़ कर सरकार के लिये कोई शर्म की बात नहीं है। यह सब कुछ होता है फिर भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को वोटिंग राइट देना चाहते हैं।

(६.०० म. प.)

आप सोचिये १० आदमियों की पंचायत, उसमें ४ कोऑपरेटिव्ज़ के आदमी जाकर विराजमान हो जायेंगे तो उस ग्राम पंचायत का क्या स्वरूप होगा ? एक पंचायत में अगर ४ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसमें अगर एक आदमी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जाकर बैठे और प्रोडक्टिव प्रोग्राम में राय दे तब तो समझ में आ सकता है कि प्रोडक्शन प्रोग्राम में मदद देगा, पर एक एक ग्राम पंचायत में चार चार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के चार चार प्रतिनिधियों को बैठा कर उनको वोट का अधिकार देना, यह एक पर्टीक्यूलर वर्ग की चाल है जो इन सब पर छा जाना चाहता है, इस सदन में एक पर्टीक्यूलर वर्ग है जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हथिया रखा है और इस तरह का प्रावधान रख कर वह वर्ग इन सब पंचायतों

(श्री मानसिंह महार)

पर छा जाना चाहता है। वे अगर नहीं मानेंगे तो हम थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे। यह सरकार की बेईमानी की चाल है कि इस प्रकार पंचायतों को भ्रष्ट किया जाता है, पंचायती राज का सेबोटेज किया जाता है, राजस्थान में पंचायती राज को खत्म करने की कार्यवाही की जाती है। यह सरकार समझती थी कि पंचायती राज आयेगा तो विरोधी पक्ष के कम आदमी आयेंगे और सरकार के ज्यादा आदमी आयेंगे, पर पिछले चुनावों में इस सरकार ने देख लिया कि हालांकि विरोधी दल संगठित नहीं था फिर भी पंचायतों में अधिकांश आदमी विरोधी पक्ष के जीत कर आये थे, इससे सरकार बौखला रही है, देखा कि अबके पंचायतों के चुनाव में तो हम खत्म ही हो जायेंगे तो यह चाल चली है कि अपने कुछ गुर्गों को, कोऑपरेटिवज़ के चोरों को जिनकी कि शक्ल तक गांव वाले देखना नहीं चाहते, उनको वहां भेजा जाय। पंचायतों के काम में दखल देना, यह सरकार की भ्रष्टता का नमूना है। सरकार के इस अमेंडमेंट को हम मानने को तैयार नहीं क्योंकि इसके मंत्री कहते हैं कि हम खायेंगे। अगर खायेंगे तो पेट में छुरा भोंक कर निकाल लेंगे, प्रजातन्त्र में चोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपको करना ही है तो यह कर दीजिये कि एक पंचायत में एक आदमी कोऑपरेटिव्ज़ का जाय और प्रोडक्शन के प्रोग्राम में अपनी राय दे। १० पंचों की एक पंचायत में चार कोऑपरेटिव्ज़ के नुमायन्दों को बैठाकर उनको राइट ऑफ वोट दें, यह सरासर गलत है। उधर बैठने वाले मित्रों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई न्यायोचित बात इधर से कही जाती है तो आप उसका समर्थन करने में डरिये मत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ! माननीय सदस्य संक्षेप में कहें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मन्त्री महोदय ने जो अमेंडमेंट रखा है, उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा से मुझे भी मतभेद है। लेकिन इस क्लॉज़ को लेकर आज कई दिन से इस सदन में ऐसा वातावरण बन रहा है, गांवों की सेवा सहकारी समितियां हैं, उनके लिए इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, कोऑपरेटिव का नाम चोर रखा जाता है; मेरी समझ में नहीं आता कि हो क्या गया है ? हम जब पंचायती राज की संस्था बनाना चाहते हैं, ग्रामों का विकास करके ग्रामों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव को प्रणाली को मान कर चलना पड़ेगा, क्योंकि वह पंचायत राज का अभिन्न अंग है, एक अभिन्न इकाई है। सेवा सहकारी समितियों को अगर मजबूत नहीं बनाया गया तो जो कानून बनाना चाहते हैं उसकी मंशा पूरी नहीं होगी। यह कहना सरासर गलत है कि गांवों की सहकारी समितियों में चोर रहते हैं। गांवों में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि गांवों के अन्दर कहीं कहीं तो ६० प्रतिशत, कहीं कहीं ६० प्रतिशत गांवों के आदमी इनके मेम्बर हैं। आपकी पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच और पंच हैं वे इनमें

(श्री नत्थीसिंह)

पदाधिकारी हैं। यह बात सही हो सकती है कि कई सहकारी समितियों में गड़बड़ियां हों, भ्रष्टाचार हो। मैं तो यह मानता हूं कि आज सेवा सहकारी समितियां हैं उनको बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उसका कारण सहकारी कानून है, जो कि डिफेक्टिव है, रजिस्ट्रार के हाथों में उन सेवा सहकारी समितियों का गला दे रखा है, उसके लिये यहां कानून आ रहा है उस समय कहने का मौका मिलेगा। पर यह कह देना कि सेवा सहकारी समितियों का प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता, यह गलत है।

जिस सादिकअली कमेटी की बात करते हैं, उसमें असोसियेट मेम्बर के सम्बन्ध में यह बात साफ कही है कि सेवा सहकारी समिति के नुमायन्दों को जो पंचायत के सदस्य हों पूरा वोट का अधिकार दिया जाय। चुनावों में सरपंच, उप-सरपंच को वोट देने का हक नहीं हो, बाकी सब जगह वोट देने का हक हो, यह क्लॉज़ तो लिमिटेड है।

(६. ५. म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

केवल पंचायत की बैठक में बैठ कर बात करने से कोई प्रोडक्टिव प्रोग्राम में मदद नहीं दे सकते। यह संशोधन लाया गया है प्रोडक्टिव प्रोग्राम में लाया गया है। अभी मानसिंहजी ने कहा कि एक रिप्रेज़ेन्टेटिव हो, किसी हद तक ठीक हो सकता है, पर यहां यह ठीक नहीं है। चार चार गांव एक पंचायत में शरीक होते हैं, गांव गांव का प्रोडक्टिव प्रोग्राम बनता है तो जिस गांव का वह सेवा सहकारी समिति का सदस्य रहने वाला है उसके गांव की बात रख सकता है, गांव गांव का प्रोडक्टिव प्रोग्राम बनता है तो उस आदमी को नहीं कह सकते कि सबके लिये राय दे। मन्त्री महोदय, जिस तरह अमेंडमेंट लाये है उस तरह से नहीं लाया जाना चाहिये। प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स कौन कौन से होंगे, यह तय करने का काम नौकरशाही पर छोड़ दिया है, यह कितना गलत है ? किस काम को प्रोडक्टिव प्रोग्राम में मानते हैं, इसका निर्णय लेने का अधिकार सदन को देना चाहिये। हम सदन को यह भी बतायेंगे कि उत्पादन के कार्यक्रम क्या क्या हैं ? वैसे सरकार का कोई प्रोडक्टिव प्रोग्राम नहीं है, पर आप डिटेल्स दीजिये कि इन इन प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स में वोट देने का हक होगा। यह डिटेल्स दे देंगे तो सदन को उनके वोट देने में एतराज नहीं होगा। मैं यह मानता हूं कि गांवों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ठीक ठीक काम करती हैं, आज भी गांवों के आर्थिक विकास के लिए काम करती हैं, गांव स्वावलम्बी बनने में समर्थ हों इस दिशा में कार्य करती हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री भैरवलाल 'कालाबादल'....

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.): महार से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बातें इस प्रकार अहंकारी और अप्रिय भाषा में कही हैं, यह शोभा की बात नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में यदि सारा मन्त्रि-मण्डल पहुंच जाय तो भी वे जीतकर

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

आयेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे विरोधी दल के नेता और महारानी साहिबा घोषणा कर दें कि इनको हमारा सहयोग नहीं होगा तो मैं अकेला उनको हराकर आ सकता हूं। महारानी साहिबा की छत्रछाया में पलने वाले महार साहब कहते हैं कि सारा मन्त्रि मण्डल उनको नहीं हरा सकता। मैं महार के इलाके में होकर आया हूं और यह कहता हूं कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन लिए जाते हैं; उसके सम्बन्ध में महार साहब क्या कार्यवाही करते हैं ? जिन लोगों के ऊपर इनका कर्जा होता है उनको सलाह देते हैं कि कोऑपरेटिव के मेम्बर बनो, कर्जा लो और हमारा कर्जा चुकाओ। उन कोऑपरेटिव सोसायटीज़ से कर्जा लेकर वे महार साहब के कर्जे में दे देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को सोसाइटी का मेम्बर नहीं बनाया जाता है।

श्री मानसिंह महार : झूठ है। मेरे ऊपर पर्सनल एलिगेशन है। Point of personal explanation, Sir. मेरे पर आरोप लगाये गये हैं........

श्री भैरवलाल 'कालावादल' : मैं सी. आई. डी. करके आया हूं, मैं बताता हूं।

श्री मानसिंह महार : बैराठ तहसील में ८०० रु० खर्च कराये थे आपने दावत में, वह मुझे मालूम है।

श्रीमती समानेत्री : माननीय सदस्य ! उत्तर देने के बाद में आपको समय दे दिया जावेगा। इनको कहने दीजिये, ये जो कहना चाहते हैं।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : सोसाइटी के मेम्बर कर्जा लेकर उसको उत्पादन में न लगाकर महार साहब का कर्जा चुका देंगे। पम्पिंग सैट के लिए लोन दिलाया, लेकिन वह लोन महार साहब के कर्जे में चुका दिया, उसको वहां कर्जे में जमा करा दिया और पम्पिंग सैट नहीं लगाये गये। उनका इतना आतंक है कि इसकी आप जांच करा लीजिये। माननीय विरोधी दल के नेता ! आप जिनको पार्टी में उम्मीदवार रखते हो, तो अच्छे आदमियों को पार्टी में रखिये। ऐसे लोगों को रख लेते हैं जो आपकी और महारानी साहिबा की प्रतिष्ठा को कम करते हैं। हम डूंगरपुर महारावल की साहब की बहुत इज्जत करते हैं। महार साहब इस प्रकार की बात करते हैं तो उनको भी शर्म आती है और वे सदन से उठकर चले जाते हैं। उनको शर्म आती है, लेकिन इनको नहीं आती है कि अपने नेता के सामने किस प्रकार की बात कहें, इसका भी इनको ध्यान नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जो यदि नेता ने प्रति वफादार नहीं है तो सरकार चलाने वालों के प्रति कैसे हो सकते हैं ! इन्होंने सन् १९५२ में राम-राज्य परिषद की ओर से चुनाव लड़ा, वहां जुगत नहीं अड़ी तो कांग्रेस में आ गये और जब कांग्रेस के अन्दर इनकी नहीं चली तो घास की पूली हाउस में लाकर बतायी और कहा कि यह सरकार खराब है और यह टोपी यहां रखकर कांग्रेस छोड़ कर जाता हूं। इनका रूप तो देखिये; किस प्रकार इनका रूप बदलता है ? फिर आप कहते हैं कि सरकार चोर है। यह सरकार भी कुछ नहीं करती ऐसे लोगों के

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

खिलाफ। सरकार भी इनसे डरती है। एक दफा पुलिस के द्वारा राधापुरा गांव के अन्दर आदिवासियों पर अत्याचार कराये। उपगृह मन्त्री, श्री आचार्यजी से तथा सरकार से कहा तो उन्होंने भी कह दिया कि वहां तो पुलिस मानसिंह महार की है, मेरा बस नहीं चलता। मैं तो कहता हूं, यह सरकार कमजोर है। इनके इलाके में जांच करके इनके कारनामे तो देखे। अगर सरकार जांच नहीं कराये तो विरोधी दल के नेता महोदय से कहूँगा, उनसे अर्ज करूंगा कि इनके इलाके की जांच करायें कि इनका कैसा कैरेक्टर है, वहां के लोग इनसे कैसे दबे हुये हैं कि किसी को चोरी में उलझा देते हैं, किसी को पुलिस में पकड़ा देते हैं। मैं इनके इलाके में जाकर आया हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मुझे बतलाइये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': आप को मजबूती के साथ ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिये जिससे आपको भी नीचा देखना पड़े। सोसाइटी के बढ़ते हुए कदम हैं; उनके लिये ये कहते हैं कि चोर हैं। शोषण के तरीके किस प्रकार लागू किये हैं, जब इनका राजा था, उसकी जागीर थी ; वे दिन मुझे अभी तक याद हैं

'ठिकाणा का नौकर चाकर दौड़ खेत में आवे।
गाजर कांदा बैंगन पालक चूंट चांट ले जावे॥
मां बैनां के सामे आवे दे मूंछा पे ताव।
घर ले ले बेदखल करादे और छुड़ादे गांव॥'

ये छुटभाइयों के सगे नहीं हैं :

'टीकायत जागीरी बैठ्यो, बैठ्यो मोज्यां माणे।
छोटा का दिन खोटा आवे नौकरियां दो तांणे।
ठुकराई बड़ो करे और छोटा भाई पानी भरे।'

जो लोग छोटे भाई से भी भेद रखते हैं वे जनता के सगे नहीं हो सकते। बड़ो भाई जागीरी भोगे, छुटभाइयों से ठुकराणियों का घाघरा धुपवाये; यह इनका भाइयों के साथ व्यवहार था।

जो भाइयों के सगे नहीं हो सके, वे सरकार के क्या बफादार हो सकते हैं और क्या विरोधी दल को सहयोग करेंगे और महारानी गायत्री देवीजी का भी वे क्या साथ देंगे ?

श्री मानसिंह महार : अभी नमूना बताऊंगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : महारानी गायत्री देवीजी से भी अर्ज करूंगा कि वे इसकी जांच कर लें कि इनका इलाके में कितना आतंक है, जनता भमभीत है, डरती है।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि सोसाइटी के मेम्बरों को मत देने का अधिकार होना चाहिये।

श्री मानसिंह महार : on a point of personal explanation, सभानेत्रीजी....

श्रीमती सभानेत्री : आप कहना चाहते हैं तो संक्षेप में कहिये और अनपार्लियामेंटरी भाषा का प्रयोग न कीजिये।

श्री मानसिंह महार : जिस भाषा में वे बोले हैं उसी भाषा में बोलूंगा। तीन पोइन्ट उन्होंने कहे हैं। उनके ऊपर टू दी पोइन्ट कहूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपनी भाषा को संयमित करके बोलेंगे।

श्री मानसिंह महार : सुनिये तो सही, पहले ही घबराइये नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : It is unparlimentary.

इस तरह आसन को सम्बोधित नहीं करना चाहिये कि घबराइये नहीं।

श्री मानसिंह महार : मेरे लिए तीन बातें कही गईं। पहली बात तो यह कही गई कि मैंने बिजली की लाइन दिलाई मेरे गांव वालों को....

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पम्पिंग सेट.

श्री मानसिंह महार : यह बिल्कुल सही है कि मेरे गांव वालों को, १८ या १६ आदमियों को पम्पिंग सेट के लिए लोन दिलाया गया और मेरे गांव का यह रिकॉर्ड है। मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि मेरा ही गांव ऐसा है उस समिति में कि जहां जितने किसानों को लोन दिलाया आज पहले उन सब के पंपिंग सेट लग कर चालू हो गये। मेरे गांव, पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में जितने पंपिंग सेट के लिए लोन दिलाया हर आदमी का पंपिंग सेट चालू हो गया। सदन की एक कमेटी बिठाई जाय और इसकी जांच करा ली जाय; जिनको लोन दिया गया यदि उनमें से किसी एक ने भी पंपिंग सेट नहीं लगाया होगा तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री दिनेशराय डांगी (उप-मंत्री, सिंचाई) : इस्तीफा देने के लिए बहुत कहते हैं....

श्री मानसिंह महार : आप तो दे दीजिये शराब और उस मामले में, अगर शर्म आती हो तो।

श्री दिनेशराय डांगी : उस पार्टी में सेन्टर के पांच मिनिस्टर थे। इनके लिए शर्म की बात होनी चाहिये कि वे इस प्रकार कहते हैं।

श्री मानसिंह महार : प्रिविलेज मोशन लाये हो तो बोलिये। मां का दूध पीया है....

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, स्वायत शासन) : मां का दूध पीने वाले इतनी शर्मनाक बात यहां नहीं करते।

श्री दिनेशराय डांगी : आपकी पार्टी के आदमी छत्रसिंहजी वहां थे।

श्री मानसिंह महार : जो कुछ मैंने उस दिन कहा था मैं आज भी उस पर आडिग हूं। यदि आप में ताकत हो तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आइये, फिर मैं साबित करूंगा।

श्री दिनेशराय डांगी : दूसरे चुनाव में मोशन आ जावेगा ।

श्री मानसिंह महार : उससे पहले ही आपका ठिकाना नहीं रहेगा ।

दूसरी बात यह कही गई कि मैंने राधापुरा में अन्याय किया । मैं निवेदन करता हूं कि राधापुरा गांव मेरे गांव से कम से कम ३० मील परे है । यह आपको निवेदन कर दूं कि वह कोई मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन राधा पुरा गांव जो है वह अन्य एम. एल. ए. का क्षेत्र है और सभानेत्री महोदया, वहां के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के मीणों ने एक बैल की चोरी के मामले में वहां के थानेदार को पीटा, एक सिपाही का हाथ टूट गया, तीन आदमियों को चोटें आयीं, उस बात को लेकर सरकार के सामने मामला आया । मैं आपसे निवेदन करूं कि वहां के मीणों ने उनकी पैरवी करने के लिए श्री भैरवलालजी 'कालाबादल' को दो हजार रुपया दिया ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : बिल्कुल गलत ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : बिल्कुल ।

श्री मानसिंह महार : क्या कहते हैं 'बिल्कुल' ? दिये और कालाबादलजी ने मन्त्रियों को और सब को दबाना शुरू कर दिया । यही नहीं रामगढ़ के बन्धे पर चूरमा और बाटी की दावत हुई, उसमें भी पैसे राधापुरा के मीणों के थे । सभानेत्री महोदया, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है । ये तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे । मैं उम्मीद करता हूं कि डिप्टी होम मिनिस्टर साहब भी इस बात को मानेंगे कि पुलिस के सब इन्सपेक्टर को और ३ सिपाहियों को पीटा गया और उस केस का चालान हुआ । वे मीणें ३ महीने तक जेल में रहे और उनकी बेल नहीं हुई । इसमें मानसिंह का कुछ लेना-देना नहीं । मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि उनका किस अदालत में चालान हुआ....

श्रीमती सभानेत्री: Please be brief.

श्री मानसिंह महार: मैं आपसे अर्ज करूं कि यह कहा गया कि राधापुरा में अन्याय ढा दिया, इसलिए कह रहा हूं ।

सभानेत्रीजी, मैं उन जागीरदारों में से हूं कि जिन्होंने यह किया, वह किया । मुझे गर्व है कि मैं राजपूत की कोख से पैदा हुआ । मैं जयपुर का जागीरदार था, इसका मुझे गर्व है और इसका भी मुझे गर्व है कि जिस प्रणाली के तहत जागीरें थीं उस युग के अन्दर मैंने भैरवलाल जी 'कालाबादल' जैसों को पीटा, उनके साथ अन्याय किया, उनके जूते मारे । इसकी मुझे शर्म नहीं है । मुझे गर्व है कि जागीरदारी प्रणाली जो आज से १०० वर्ष पुरानी थी वह गांवों में व्यवस्था करने के लिए थी । उस समय अदालतें नहीं थीं, उस समय इस प्रकार के राजकाज नहीं थे । इसलिए उस समय जागीरदारों को बाध्य होकर इस प्रकार के जो "चीं चीं" और "पीं पीं" करने वाले होते थे उनकी तबियत जूतों से दुरुस्त की जाती थी ।

मैं डरता नहीं हूं । मैं कहता हूं कि मैं जागीरदारों में पैदा हुआ हूं, इससे मुझे गर्व है । तुम (श्री गिरधारीलाल व्यास) जैसे ब्राह्मण तो हमारी पूजा-पाठ किया करते थे....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अकबर बादशाह की भी करते थे।

श्री मानसिंह महार : लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया गया है, कि मैंने बिजली के लिए तकावी दिलाई और उनके बिजली नहीं लगाई, यह फिर एक बार सदन में मैं घोषणा करना चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सदन के ५ सदस्य चलें, उनको मैं अपनी मोटर में बैठाता हूं-५ कांग्रेसी भाई हों, इसकी भी मुझे चिन्ता नहीं। आप पंचायत समिति का रेकॉर्ड देखें कि किस किस को बिजली के लिए तकावी दी गई है। हम उन सदस्यों को गांव में ले जायेंगे। आप तो कहते हैं कि आज भलाई का जमाना नहीं, आज तो चोरों का जमाना है। हमारे विकास अधिकारी, पंचायत समिति के सदस्य यह कहते हैं, ये आपके ही गुर्गे हैं। यह मेरी ही हिम्मत है कि ६ महीने में २६ पम्प्स फिट हो गये। जहां ५ वर्षों से बिजली लग गई वहां भी इतने पम्प फिट नहीं हुए होंगे। आप देख लीजिए २६ पम्प आज तक वहां चालू हैं और जो मुझ पर आरोप है, यह निराधार है और मैं काला-बादलजी से कहूँगा कि वे मेरे साथ चलें। किसी को विश्वास नहीं हो तो वहां मेरे साथ चल कर देखें और फिर सदन में बतायें कि वस्तु स्थिति क्या है? मुमकिन है कि दो दिन बाद आप जायें तो वहां और भी पम्प लगा दूं, लेकिन माननीय सदस्य आज ही वहां चलें, इसी समय चलें। बिजलीघर से 'एल' फॉर्म ले लें, देख लें कि किस किस तारीख को मोटरें फिट हुईं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किन तारीखों को कुओं में बिजली लगी और चालू हुई, यह सब जाकर देख लें; लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के निराधार चार्ज न लगायें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सभा-नेत्री महोदय, मेरे बारे में जो कहा उसका तो स्पष्टीकरण कर दूं, वर्ना आरोप मेरे ऊपर रह जायेगा एक हजार रुपये का जो आरोप मेरे पर लगाया है उसकी जांच कराई जावे। मैं सरकार से तो आशा नहीं रखता, लेकिन मैं विरोधी दल के नेता से यह आशा करता हूं कि इन्होंने जो मेरे ऊपर एक हजार का आरोप लगाया है वह बिल्कुल निराधार है। मेरे जीवन में एक पैसा लेने का भी दोष नहीं हो सकता, १ हजार रुपया तो बहुत बड़ी बात है।

श्रीमती सभानेत्री : आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इनकी और मेरी इन्क्वायरी करा ली जाये।

श्री मानसिंह महार : मैं साबित करूंगा कि इन्होंने एक हजार रुपया लिया। यह आदमी चोर है।

श्रीमती सभानेत्री : आप विषयान्तर हो रहे हैं। अब मूल प्रश्न पर आ जावें। मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हमें बोलने देना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : अभी तो बहुत से बोलने वालों के नाम हैं, आप उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह : सभानेत्री महोदया, यह नहीं होगा। हमें इस क्लॉज़ पर बोलना है और बोलेंगे और बोलने का अधिकार यदि आप हटाना चाहते हैं तो यह उचित नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम रात भर बैठने को तैयार हैं, मगर अपने विचार हम अवश्य रखना चाहेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : Order please ! अभी तक तो और बहुत से क्लॉजेज़ पर विचार करना है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमें बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम रात भर बैठे रहें तो भी कोई बात नहीं। हमने वादा किया है इसलिए आज ही इसको पास करके जायेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : ढाबरियाजी। बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अच्छा।

यह जो आपने एक अमेंडमेंट पेश किया है सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर और वह अमेंडमेंट भी माननीय मंत्री महोदय ने किया है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस समय मैंने सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों को यह कहा कि जो सहकारी समितियों के मेम्बर आते हैं उनको वोट का राइट होना चाहिए। उस समय सिवाय भीखाभाई के किसी ने भी ऑपोज़ीशन नहीं किया। सिलेक्ट कमेटी में उन्होंने ही कहा कि ऐसे लोगों को यहां वोट देने का राइट नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं कहते तो ये कभी पास नहीं हो सकते थे। सिलेक्ट कमेटी से इन्होंने पास कराया....

श्री भीखाभाई : हमारा जैसा बिल था वैसा ही किया, आपने इन्कार किया था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं तो इस मामले में कहना चाहता हूं कि हमने कहा है कि आप इसमें एक रोक लगाइये और वह यह कि जो सेवा सहकारी समिति जिनके ऊपर ओवरड्यू ४ साल से काफी बाकी है और जो आदमी यह रोड़े अटकाने की कोशिश करें कि जो ओवरड्यू वसूल करना चाहते हैं उनको एक सहूलियत देना चाहते है क्योंकि वह रुपया उन लोगों में बाकी है जो कि उसके सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट बन कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाने की बात कही थी। माननीय सभानेत्री जी अगर ऐसे लोग आ जायें कि जो खुद डिफॉल्टर्स हैं अगर वे बैठें तो दूसरे लोगों से जो वसूल होता है उससे भी वसूल करने की राय नहीं देंगे।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सब चोर हैं, क्योंकि समाजवाद को लाने के लिए यह सबसे पहला कदम होना चाहिये कि जिसके आधार पर सही और सच्चे माने में सहकारिता चले; लेकिन क्रय विक्रय संघ जैसे नहीं चलना चाहिए।

आज हमारी सहकारी समितियों में इस प्रकार से काम होने पर सहकारिता को बदनाम

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

करते हैं और जिसके लिए ऑपोज़ीशन की तरफ से यह तार देना पड़ा नन्दा जी को कि जो क्रय विक्रय संघ ने राजस्थान में १ करोड़ २० लाख रुपये का घोटाला किया है उसके आधार पर उसकी जांच कराई जाये और बहुत जल्दी प्राइममिनिस्टर साहब को भी तार से रिक्वेस्ट की है और हम कहना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान के विरोधी विधायक दिल्ली जायेंगे उनके पास और ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले और समाजवाद के बढ़ते हुए कदम को सहकारिता के आधार पर बन्द करना चाहते हैं, ऐसे सहकारिता के अन्दर रहने वालों को कभी भी ऐसी पंचायतों के लिए हम संस्था को बदनाम करने का मौका नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि सहकारिता के आधार पर हमारा कदम आगे बढ़े।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं और लढ्ढा साहब यहां नहीं है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री ऐसे हैं कि जिन्होंने सहकारी समिति से ५ हजार रुपये उधार लिये और आज तक जमा नहीं कराये।

वे आ जायं सामने। यहां आयें मैं कहता हूं कि उन्होंने भीलवाड़ा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेवा सदन की उससे उन्होंने १९६८ में कांग्रेस के खिलाफ जब खड़े हुए तो उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए ५०००) रुपये लिये और आज तक उन्होंने वे रुपये उस सहकारी समिति में जमा नहीं कराये। आप क्या बात करेंगे कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देंगे? आप लोगों ने जो एन्टीकोऑपरेटिव मूवमेंट के लोग हैं उनको उनके अन्दर बिठा रखा है और आप यह कहते हैं कि हम सहकारी समितियों का विरोध करते हैं। हम समाजवादी हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं, किन्तु इस ढंग से आप हमारे बढ़ते हुए कदम ऐसा करके वापिस लाना चाहते हैं। ऐसे करप्ट लोगों को लाया जाय तो उनके लिये हमने कहा कि इनको वोट देने से रोकें। जिन सहकारी समितियों के अध्यक्ष या और कोई प्रतिनिधि डिफॉल्टिंग हैं तो वह वोट देने का अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन इस एक्ट में इस तरह का प्रोवीज़न है तो फिर किस आधार पर कहना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को रोकना चाहते हैं। हम नहीं रोकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बनेड़ा पंचायत समिति है उसके अन्दर बनेड़ा की सहकारी समिति के रिप्रेज़ेंटेटिव ले आयें, लेकिन उसमें २४ हजार रुपयों का ओवरड्यू है और पी० डी० आर० की लिस्ट में उनको ले भी आयें तो रामप्रसाद जी लढ्ढा ने बुलाकर उनको खारिज किया कि अभी वसूल नहीं होना चाहिए। एक दफा नहीं तीन-तीन दफा खारिज किया है। ऐसे लोगों को सहकारी समिति में वोट देने का अधिकार दे दें, यह कैसे हो सकता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियों और पंचायतों में बहुत बड़ा आज समन्वय होना चाहिये और दोनों के समन्वय के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन आज जो सहकारी समितियों में लोग बैठे हैं वे इस तरह के लोग हैं कि एक दलाली खत्म हुई तो कांग्रेस की नई दलाली शुरू हो गई। जो आदमी वहां बैठा

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

है वह पहले सेवा सदन की सहकारी समिति जो गरीब किसानों की है उनका पैसा दे। आज भीलवाड़े के अन्दर कितनी सहकारी समितियों में ओवरड्यू के रूप में बकाया है, वह क्यों नहीं साफ करते हैं। ऐसे लोगों को सहकारी समितियों की ओर से पंचायतों में बिठाते है और उनका वोट लेंगे और अगर वे कहेंगे कि यह ओवरड्यू वसूल नहीं होना चाहिये तो नहीं होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां सन् ५८ में भीलवाड़े की कोऑपरेटिव बैंक का ८ लाख का ओवरड्यू था वहां ६२ में २४ लाख का हो गया और आज ४७ लाख का ओवरड्यू है। ऐसे लोगों को आप बिठाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ईमानदार सहकारी समितियों को आगे बढ़ाना है तो ईमानदार लोगों को उनमें लायें तो वे ईमानदारी से काम करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आप यह चाहते हों कि अच्छे आदमी नहीं आयें तो उनको बिठाइये, लेकिन एक बात आपको कहनी पड़ेगी कि अब इस अमेंडमेंट में यह लाये हैं कि सब प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर वे वोट देंगे, दूसरों पर नहीं देंगे तो इसको कौन डिफाइन करेगा कि कौन सा काम प्रोडक्शन का है और कौन सा नहीं ? कहां लिखा है ? इस एक्ट में आप यह प्रेस्क्राइब करें कि यह काम जो है वह प्रोडक्शन प्रोग्राम का है और वह नहीं है। जब तक यह बात आप एक्ट में नहीं लिखेंगे हम इस बात को जो कि वर्बल चीज है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : एक मिनट में बता देता हूँ थोड़ी सी बातें। आप महरबानी करके सुन लें। आपने भाषण दिया और एक्स्टेन्शन पंचायत समिति के सदस्यों का बताया........

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : श्रीमती सभानेत्री महोदया, पंचायतों में सहकारी समिति के सदस्य के बारे में नियम स्वीकार कर देते हैं तो माननीय सभानेत्रीजी, इस सम्बन्ध में ग्राम खोरा बिसाल के अन्दर इस प्रकार से पंचायत और सहकारी समिति मिल कर काम करती है उसी की सफलता का मैं एक उदाहरण बताता हूं कि प्रताप नारायण खोरा बिसाल का रहने वाला है और पंचायत का सदस्य है। सुनिये, पंचायत मन्त्री महोदय एक नानूराम है वह भी पंचायत का मेम्बर है इसी प्रकार एक पंचायत का कल्याणमल चपरासी है इन तीनों ने एक कृषि सहकारी समिति लि. खोरा बिसाल में खोली और उनके परिवार के बाल-बच्चों और औरतों को अलग बताया गया। जो रामसहाय उप सरपंच दौलतपुरा के रहने वाले हैं उन्होंने एक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन इस प्रकार करवाया। मैंने इस सदन में पहले भी कहा है कि इन पंचायतों में इन सहकारी समितियों का निर्माण आप

(श्री भानुप्रसाद कराड़िया)

सफल बता मैं तो आप जांच कर सकते है और अच्छी तरह से देख सकते हैं।

दूसरा नमूना मैं बताऊं कि बद्रीनारायण शर्मा हैं। उन्होंने बहुधन्धी सहकारी संघ लि० के नाम पर कई हजार रुपया इकट्ठा किया उन हजारों रुपयों के शेयरों की रकम का पता नहीं है। उस वक्त वे सरपंच भी थे तो उन्होंने उसको दबा लिया। विधान सभा में मैं पहले भी बोला कि सरपंच होने के नाते और बहुधन्धी सहकारी समिति में होने के नाते हजारों रुपया उन्होंने खाया।....

तीसरा नमूना और मेरे पास है कि शिव डूंगरी बीड़ कृषि सहकारी स० लि० का कि वहां पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। वे ४७–४८ हजार रुपया खा बैठे। मैंने कई दफा सदन के अन्दर कहा है लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया। वह शिव डूंगरी बीड़ कृषि सहकारी स. लि. और खोरा बीसाल बद्रीनारायणजी के नमूने मैंने पेश किये।

अब एक और नमूना लीजिये सहकारी समिति शिव डूंगरी बीड़ जिसका कि रजिस्ट्रेशन किया और जिसको कि रामप्रसादजी लड्ढा ने भूमि ३०० बीघा देने का आश्वासन दिया है और २६ परिवार हरिजनों के थे जो कि ५-१० साल से जमीन की मांग करते आ रहे थे तो पंचायत के गड़बड़-घोटाले को लेकर १०,०००) रु० खाये और २५ बीघा प्रति परिवार देने का माननीय लड्ढा साहब ने आश्वासन दिया था, लेकिन मेरी तीन वर्ष की मेहनत के बाद उन २६ परिवारों को १०० बीघा जमीन नहीं दी गई है। यह पंचायत और सहकारिता चलाने का नमूना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मन्त्री महोदय को कई बार कह चुका हूँ और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि अगर यह गलत बात हो तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाय। मैं इस सदन में यह कुबूल कर सकता हूं कि अगर यह गलत हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभानेत्री जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। (मन्त्री महोदय से) मैं भी आपकी तरह से शुभ-चिन्तक हूं, आपसे ज्यादा शुभ-चिन्तक हूं ईमानदारी को पनपाने का बड़ा सवाल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंचायतों में प्रोडक्शन प्रोग्राम में कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस समितियों को रखना चाहते हैं। मैं निवेदन करना रखना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर होता है जिसका काम यह होता हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को आगे कैसे बढ़ाया जाय, फसलों को खराब होने से कैसे बचाया जाय। यह उनका प्रोग्राम है। फिर भी विलेज लेवल वर्कर होता हैं गांवों में जिसका काम है कि वे ट्रेनिंग देते है प्रोडक्शन के लिए, खाद वगैरह के लिए; वे भी डिमाण्ड करते हैं पंचायत समितियों से और पंचायत समितियां डिमाण्ड करनी हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर से। वे मंगवाते है वह डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी के आदमी को कौनसा डेवलपमेंट

(श्री अब्दुलजब्बार)

का वर्क देना चाहते हैं, उनसे कौनसा प्रोडक्शन वर्क लेना चाहते है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीमेंट, पंचायत समिति देती है उनको जिनको कुए बनाने की जरूरत होती है। टीन शेड चाहते हैं वह प्रोडक्शन के काम में आता है किसान के झोंपड़ी बनाने में, वह पंचायत समिति देती हैं। आपकी सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी काम नहीं करती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस किस्म की होती है, उसके लिए जर्मन कैसी होती है ? उनको पता नहीं कि खाद क्या होता है ? ८०-९० पर्सेन्ट को पता नहीं कि खेती किस चिड़िया का नाम है। लिहाजा महरबानी करके इस क्लॉज़ को डिलिट कर दें। इनको वोट देने का पॉवर नहीं रखना चाहिए। इस एमेंडमेंट को लाकर वोट देने का अधिकार रखा है। इस तरह की प्रणालियां आयेंगी तो आगे खराबियां आयेंगी और जो पंचायती राज्य कायम कर रहे हैं उसको खराब करना चाहते हैं। इसको बचाना चाहिये और उसको डिलीट कर देना चाहिए।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : सभानेत्री महोदया यहां पर पंचायती सरकार बनी तो दोनों के समन्वय को लेकर काफी चर्चा हुई। मुझको पहले यह निवेदन करना है ...

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह समन्वय नहीं, दोनों की शादी है।

श्री भीखाभाई : शादी ही सही, आप कर सकते हैं दूसरी के साथ में तो क्या हुआ ?

तो मैं यह निवेदन कर रहा था इसलिये कि क्लॉज़ २१ पास हुआ है जिसमें हमारे सदन के सब माननीय सदस्यों ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन वहां पर यह अधिकार दिया है। जिला परिषद में भी जो एसोसियेट मेम्बर्स की तरह कोऑपरेटिव्ज़ के लोग रहेंगे वे उनके प्रोडक्शन प्रोग्राम में वोट दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि ट्र गो बक या पीछे जाना मैं नहीं चाहता। मैंने इसके पूर्व निवेदन किया था कि जहां तक पंचायत समितियों व जिला परिषद का सवाल है इसमें हमारी एक फैलोशिप है। हम मानते हैं कि कोऑपरेटिव्ज के साथ भी फेलोशिप है, हम उसमें विश्वास रखते हैं।

सभापति महोदया, जब तक कांग्रेस सरकार रहेगी तब तक हम समाजवाद की ओर बढ़ते जायेंगे। आज हम कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करते हैं तो इससे शोषण मिटेगा और आर्थिक व्यवस्था में समानता आवेगी। यदि ऐसा नहीं करते है तो हम उद्देश्य से विमुख होते हैं जिसका हमें अधिकार नहीं है। हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य एक ओर यह कहते हैं कि सहकारिता में वे विश्वास रखते हैं लेकिन उनके कथन से ऐसा लगता है कि उनका विश्वास केवल लिपसिम्पेथी की तरह है, ऊपरी विश्वास है। उनमें विश्वास मानकर कोई आदमी आचरण करने लगे तो धोखा हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, उधर के माननीय सदस्यों से कि और इधर के माननीय सदस्यों से जो सहकारिता में विश्वास रखते हैं वे गंभीरता से सोचें।

आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनको सहकारिता में विश्वास नहीं

(श्री भीखाभाई)

है। जो पीढ़ियों तक दूसरी तरह की बात को मानते आये हैं उनको विश्वास हो नहीं सकता स्वप्न में भी नहीं हो सकता। स्वप्न में भी वे नाइट मेयर देखते होंगे। समाजवाद की तरफ राष्ट्र बढ़ता रहेगा तो शोषण चला जायगा, फिर उनका काम कैसे चलेगा, इस प्रकार की स्थिति उनके दिमाग में है। लेकिन इस प्रकार के ख्यालात आज लोगों के दिल से मरते चले जा रहे हैं और प्रजातंत्र बढ़ता जा रहा है। आज सहकारिता के सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं, पंचायत राज्य के सेमिनार होते है उनको आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के भाषण होते हैं उनमें बताया जाता है कि यदि योजना का काम सुचारू रूप से चलाना है, ग्राम स्तर पर समन्वय करना चाहते हैं, पंचायतों के द्वारा सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं, आर्थिक समन्वय बढ़ाना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम पंचायती राज्य को मजबूत करें। इनका फैलाव हमारे देश में जिस प्रकार होना चाहिये उस प्रकार नहीं हुआ मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सहकार मंत्रीजी भी यहां मौजूद हैं, उन्होंने भी यह सहकारित्ता के बारे में एक विधेयक पेश किया है, वे भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक गांव में एक ही सेवा सहकारी समिति रखेंगे और यहां पर प्रावधान है कि एक सहकारी समिति और सर्विस कोऑपरेटिव है।

एक माननीय सदस्य ने क्रय विक्रय संघ की बात की वह इस सेक्शन के लिये इर्रिलेवेन्ट है। उन्होंने कहा ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : इर्रिलेवेन्ट क्यों है, कुम्भारामजी किसी प्रकार आ गये तो भ्रष्टाचार की दिव्य मूर्ति आ जायगी।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने कहा ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माथुर साहब आप भूल गये क्या कि जयपुर में कोऑपरेटिव की मीटिंग हुई थी उस समय कुंभारामजी ने जूता उठाकर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव विभाग को दिखाया था उस समय क्या हालत थी ? जो आदमी इस तरह से मिस-बिहेव करते हैं ऐसे आदमियों को लेंगे तो क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): कौन से क्लॉज़ के संशोधन पर तकरीर कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह क्लॉज़ अधूरा है, अधूरा रह गया....

श्री भीखाभाई : हम मानते हैं कि यदि इस देश में समाजवाद लाना है तो सहकारिता को आगे बढ़ाना होगा। आज गांवों में सहकारिता का जितना कवरेज हुआ है वह काफी नहीं है। ग्रामीण पोपुलेशन का जितना कवरेज होना चाहिये उतना नहीं हुआ हैं। एक्सप्लोइटेशन को मिटाने के लिये, समाजवाद की नींव मजबूत करने के लिये (हियर हियर) सहकारिता की नींव को मजबूत करने के लिये हमें काफी प्रयत्न करना चाहिये ....

(शोर-गुल-अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(श्री भीखाभाई)

जब तक हर गांव में एक सहकारी समिति की व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम समझते हैं कि हमारे देश में समाजवाद की पूरी व्यवस्था नहीं होगी (हियर हियर) मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि पंचायत एक्ट में जिक्र नहीं है। मैं उसको सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। पंचायत एक्ट जो १९५३ में बना था उसके अध्याय ३ में सेक्शन २४ में लिखा है:

"It shall be the duty of every Panchayat, so far as the panchayat fund at its disposal will allow to make reasonable provision within the panchayat circle in regard to all or any of the matters specified in the third schedule."

थर्ड शिड्यूल में क्या है, मैंने जो पढ़ा है....

(शोरगुल)

इसमें इस प्रकार लिखा है:

"Matters for which Panchayats may provide in the sphere of sanitation and health,

in the sphere of public works,

in the sphere of education and culture,

in the sphere of self-defence and Panchayat circle defence,

in the sphere of welfare of the people,

in the sphere of agriculture and preservation of forests,

in the sphere of breeding and protecting cattle,..."

इसमें लगभग १०० आइटम्स हैं लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत क्षेत्र में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये पंचायतों का क्या रोल होगा और क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी। उनका जिक्र करना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं:

"the improvement of agriculture and establishment of model agricultural farms,

the establishment of granaries bringing under cultivation waste and fallow lands vested by the State Government in the panchayat,

securing minimum standards of cultivation in the Panchayat circle with a view to increasing agricultural production,

ensuring conservation of manurial resources,

preparing compost and sale of manure,

the establishment and maintenance of nurseries for improved seeds and provision of implements and stores,

the production and use of improved seeds,

(श्री भीखाभाई)

the promotion of cooperative farming etc. etc."

इसके अतिरिक्त और भी हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा कैटेलॉग और इतनी बड़ी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिनको हम प्रोडक्शन प्रोग्राम में रखने वाले हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रावधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया है वह उचित है।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : जब दूसरे बोलते हैं तब पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order ! अभी योजना मन्त्रीजी ने इशारा करके कहा कि देखो जंबूरा कैसे बोलता है। यह अनपार्लियामेन्टरी है, यह निकालना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

एक माननीय सदस्य : जमूरा किसको कहते हैं ?

अन्य माननीय सदस्य : इंग्लिश में पढ़ा है, यहां हिन्दी वाले बैठे हैं, हिन्दी ट्रान्सलेशन करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : हम इनका प्रवचन सुनना चाहते हैं, आप बीच में गड़बड़ मत करिये।

श्री भीखाभाई : If you wish, I can speak for two hours.

एक माननीय सदस्य : हमारा शेर कैसा बोलता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शेर नहीं, सुखाड़िया म्यूज़ियम का जन्तु है। क्या भर रखे हैं !

श्री उमरावसिंह ढाबरियां (बनेड़ा) : मैंने अमेन्डमेन्ट भेजा है उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेन्डमेन्ट डिस्कशन के समय आया है इसलिये अस्वीकार किया गया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरियां : ये भी अभी दिये हैं, उनको कैसे माना जायगा ! Just now we have received; मैंने पहले दे दिया था, यह उसके बाद आया है।

आपके पहले मंत्रीजी ने कह दिया था कि दे दें, यहां इस पर विचार किया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : हमें कोई एतराज नहीं है, सभानेत्रीजी जानें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : जो डिफॉल्टर हैं सोसाइटी में उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : Just now we have received amendments.

श्री मथुरादास माथुर : सहकारी समितियों के जो डाइरेक्टर्स डिफॉल्टर हैं उनको

(श्री मथुरादास माथुर)

सहकारी समिति के डाइरेक्टर पद से हटा रहा हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : हटा नहीं रहे हैं। हटा भी रहे हों तो इस एक्ट में प्रोवीज़न आ जाना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : सहकारी समिति में नहीं रहेंगे तो यहां आने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री राधाकृष्ण गोयल : साथ ही उनको भी यह अधिकार नहीं दिया जाय, जिनके खिलाफ एम्बेज़लमेंट के कैसेज़ चल रहे हैं; कोर्ट में और पुलिस में।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नगरपालिका का पैसा जिनमें ड्यू है उनको कौंसिल में वोट देने का अधिकार नहीं है। जब इसे सिद्धान्त रूप में माना है तो इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : म्यूनिसिपल कौंसिल का मेम्बर, जिस पर ड्यू है, वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : यह परम्परा अच्छी रहेगी और सुविधाजनक रहेगी, आप इसे स्वीकार कर लीजिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह गरीबों का पैसा है, इस रुपये का कहीं दुरुपयोग नहीं हो और वसूल हो; यह होना चाहिए।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : इसे मंजूर कर लेना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप (श्री परसराम मदेरणा) श्री भीखाभाई को फार्स मत करो।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : इससे प्रोत्साहन मिलेगा और जिनमें रकम बकाया होगी वह नहीं आ सकेगी।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, यह लिखा है इसमें, "has not paid for two months from the presentation of the Bill under this Act ..."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे कवर नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : (अश्रव्य)

श्री मथुरादास माथुर: मैं समझता हूं, अगर इसमें कुछ हो। वैसे मैं बता सकता हूं कि डिफॉल्टर ड्यूज़ के दो तरह के कारण होते हैं; एक ड्यूज़ और ओल्ड ड्यूज़ और दूसरा लोन होता है जो टाइम पर लौटा दिया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): लोन लिया है और टाइम में पेमेन्ट न करे तो डिफॉल्टर में माना जाता है।

श्री मथुरादास माथुरः मुझे सुनिये। मैंने कहा है, डाइरेक्टर और आफिस बियरर किसी बैंक के हैं, उनमें ड्यूज़ हैं तो वह डिफॉल्टर हैं – आप ड्यूज़ और डिफाल्टर में फर्क समझ लीजिये। आप जानते हैं, कोऑपरेटिव में ऐसे लोग बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में नहीं रह सकते। जब वे नहीं रह सकते तो यहां रिप्रेज़ेंटकरने नहीं आ सकते।

श्री भैरोंसिंह: सोसाइटी डिफॉल्टर है तो?

श्री मथुरादास माथुर: एक सोसाइटी डिफाल्टर एजसच नहीं होती है, एक इन्डीवीजुअल मेम्बर ऋण लेता है, वह इन्डीवीजअल मेम्बर होता है डिफॉल्टर सोसाइटी का और सोसाइटी डिफॉल्टर होती है बैंक की। एक इन्डीविजुअल बैंक से लोन लेता है तो यह डाइरेक्ट बैंक का डिफॉल्टर है। आप समझ लीजिये, प्रिन्सिपल।

श्री भैरोंसिंह : डिफॉल्टर सोसाइटी को वोट का राइट मत दो तो रिकवरीज हो जायंगी।

श्री मथुरादास माथुरः जो सोसाइटीज़ डिफॉल्टर हैं उनको डिबार कर दिया तो किसी में पांच सौ और किसी में १ हजार की संख्या में मेम्बर हैं, और मान लीजिये, उनमें से दस बीस डिफॉल्टर्स हो गये तो उसके बाद सोसाइटी को डिबार कर देंगे दस आदमियों के एक्शन से। उनको डिबार मत कीजिये। मैं कहना चाहता हूं कि सोसाइटी के ऑफिस बिअरर इन्डीविजुअलो डिफाल्टर हों।

श्री भैरोंसिंह : सोसाइटी डिफॉल्टर हो तो डिफॉल्टर को भेजेगी।

श्री मथुरा दास माथुरः "office bearers of a society or directors of a bank" डाइरेक्टर डिफाल्डर हो तो उनको डिबार कर दें मुझे आपत्ति नहीं है। सोसाइटी को डिबार कर देंगे तो यह मूवमेंटफैल हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : पंचायतों में डिफॉल्टर को ऑफिस बिअरर में नहीं लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे मेम्बर हों जो ऑफिस बीअरर तो नहीं हैं लेकिन डिफॉल्टर हैं तो वे जा सकेंगे या नहीं?

श्री मथुरादास माथुरः हम लोगों ने रिप्रज़ेंटेशन दिया है, इसके साथ यह शर्त लगायें, ऑन प्रिन्सिपल हमें मतभेद नहीं है। अब किस तरह लगायें जिससे कोऑपरेटिव मूवमेंटफैल न हो। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिबार कर देंगे तो रिप्रजेंटेशन खत्म हो जायगा और....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स हैं, उनमें नियम है, कोई भी सोसाइटी का प्रतिनिधि अगर सहकारी बैंक में जायगा, अपेक्स बैंक में जायगा, तो जो डिफॉल्टर है वह रिप्रेजेंटनहीं करेगा। वही रूल हो कि जो डिफॉल्टर है वह पंचायतों में रिप्रेज़ेन्ट करने नहीं आये।

श्री भैरोंसिंह : वह कहां है? वह तो नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : वह कर देंगे।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा: उसी के मुताबिक इसके अन्दर ऐसी अवधि हो कि इतनी अवधि से डिफॉल्टर मेम्बर होगा तो जैसे वह संचालक मंडल का मेम्बर नहीं रह सकता वैसा हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक्ट की बात हो रही है, जो मेम्बर डिफॉल्टर हो....

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझ गया। इसमें क्लॉज़ ८ में लिखा है, आप समझिये क्लॉज़ ३ सब क्लॉज़ (डी) का है :—

"Presidents of all the service cooperatives in the Panchayat circle certified in the prescribed manner, as holding office as such who shall, so long as they continue to be such presidents, be associate members of the Panchayat."

इससे मतलब हल हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जान-बूझ कर लिख दो।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): डिफॉल्टर का नहीं लिखा है, रिप्रेज़ेंटेटिव का लिखा है।

श्री मथुरादास माथुर : सब क्लॉज़ (डी) के आगे है :—

"Provided that the President of the service cooperative should not be defaulter."

अब डिफॉल्टर कितने पीरियेड का?

श्री नत्थीसिंह : वह रूल्स में है।

श्री मथुरादास माथुर : अन्डर कोऑपरेटिव रूल्स कर दें, क्योंकि कभी फेमिन आ जाता है उस वक्त....

श्री भैरोंसिंह : उस समय रिकवरी बन्द कर देते हैं इसलिए प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मथुरादास माथुर : इसको म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से कम्पेअर करना ठीक नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के ड्यूज़ होते हैं वे नहीं दे पाते हैं तो डिफॉल्टर कहलाते हैं। विकास के लिए ऋण लेते हैं और परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो यह कोऑपरेटिव एक्ट के तहत गवर्न होगा।

म्यूनिसिपैलिटी एक्ट से कम्पेअर करना गलत होगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कोई व्यक्तिगत कर्जा है तो डिफॉल्टर समझा जायगा।

श्री मथुरादासमाथुर: वे रिप्रेजेंटेटिव बन नहीं आये, इसके लिए अन्डर दी कोऑपरेटिव एक्ट कर दें।

श्री नत्थीसिंह : कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिफॉल्टर कौन हो, यह रुल्स तय करेंगे। उसका प्रोवीज़न होना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें एक इवेंचुअलिटी पैदा हो सकती है, जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। ऑफिस बिअरर्स को डिफॉल्टर मानते हैं तो एक इवेंचुअलिटी पैदा हो सकती है। मेम्बर्स ऑफ दी सोसाइटी डिफॉल्टर हैं और प्रेसीडेंट डिफॉल्टर नहीं है। उस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सोसाइटी को वेलिडेट करके उसको वेलिड मानेंगे रूल मेकिंग के समय के अन्दर इस इवेन्चु-एलिटी को भी असेस करना चाहिये। जो ऑफिस बिअरर को डिफॉल्टर माना है, यह जो ह्यूमन इन्जीन्युइटी है, उससे सरकम्वेन्ट वे में वह डिफॉल्टर बन जायगा और प्रेसिडेन्ट डिफॉल्टर नहीं है तो उसका वोट वेलिड हो जायगा। इस इवेंचुअलिटी को एक्स्प्लेन करके इसे साफ करें।

(७.०० म. प.)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :उपाध्यक्ष महोदय, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कई सदस्य डिफॉल्टर होते हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि डिफॉल्टर हो तो वह ऑफिस होल्ड नहीं कर सके ऐसा, प्रावधान होना चाहिये। इतना ही मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जो ढाबरियाजी ने संशोधन पेश किया है उसको देख कर आप आवश्यक संशोधन कर दें। उसमें लिखा है कि जिस सोसाइटी को वह बिलोंग करते हैं, अगर वह डिफॉल्टर हो तो सदस्य नहीं बनाये जा सकते। ये वर्डिंग्ज़ आप जोड़ दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक ड्राफ्ट हो तब तक आगे चलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : विधि मंत्रीजी जरा सुनें, बरकत भाई से बाद में बातें कर लें। मेरी समझ में आता है कि अगर किसी सोसाइटी में ६० सदस्य हों और उनमें से २० सदस्य डिफॉल्टर हों तो उसको डिफॉल्टर नहीं माना जाना चाहिये और किसी सोसाइटी में ५१ सदस्य डिफॉल्टर हों और ४९ डिफॉल्टर नहीं हों तो ऐसी सूरत में सारी सोसाइटी को ड्रॉप करना चाहिये। दोनों तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि यदि लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं और फिर भी उनकी सोसाइटी को रिप्रेजेन्टेशन मिलता है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सोसाइ-टीज़ पर कोई रोक अवश्य होनी चाहिये और अगर रोक होगी तो हमारी रिकवरीज़ को भी वसूल होने में फायदा होगा। अगर मेजोरिटी ऑफ दी मेम्बर्स ने डिफॉल्ट किया है तो वह सोसाइटी ड्रॉप होगी। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन श्री ढाबरिया ने पेश किया है उसमें आवश्यक संशोधन करके स्वीकार कर लिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर : सभानेत्रीजी, इसको मैं रीड्राफट करवा रहा हूं, तब तक इसको डेफर कर दिया जाए। अगर वे डिफॉ-ल्टर हों तो उनको राइट नहीं मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : इस क्लॉज़ को डेफर किया जाता है। आगे चलते हैं।

श्री भैरोंसिह : इसके साथ साथ बोगस सोसाइटी पर भी विचार हो।

श्रीमती सभानेत्री : Shri Raghunath Bishnoi; Clause-4.

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं इसे प्रेस नहीं करता।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : For clause 4, substitute the following clause, namely:—

"4. Amendment of section 7, Rajasthan Act 21 of 1953.—

In section 7 of the Punchayat Act,—

(a) the second proviso to sub-section (1) shall be omitted;

(b) after sub-section (2), the following new sub-section shall be added; namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1); the term of the panchayats as existing on the date of the Commencement of the Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1964, shall be extended upto the 31st day of March, 1965 or such earlier date as may be notified by the State Government in this behalf."

(२) श्री जुझारसिंह (चेचट) : The existing provision of the clause be numbered as sub-clause "(2)" and the following new sub-clause "(1)" be added, namely:—

"(1) In sub-section (1) of section 7 for the word "three" the word "four" shall be substituted."]

श्री भीखाभाई : For clause 4, substitute the following clause, namely :

"4. Amendment of section 7, Rajasthan Act 21 of 1963—

'In section 7 of the Panchayat Act—

(a) the second proviso to sub-section (1) shall be omitted;

(b) after sub-section (2) the following new-sub-section shall be added, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the term of the panchayats as existing on the date of the commencement of the Rajasthan Panchayat Laws (Amendment) Act, 1964, shall be extended upto the 31st day of March, 1965 or such earlier date as may be notified by the State Government in this behalf."

सभापति महोदया, यह इस प्रकार का संशोधन मैंने जिला परिषद् में अभी मूव किया था। इसको स्वीकार किया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका विरोध करते, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए इसको आगे चलने दिया जाए।

श्री जुझारसिंह : मेरा अमेन्डमेंट है।

श्री मानिकचन्द सुराणा
एवं
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप

कांग्रेस वालों को रोकिये।

Page No. 143

श्री जुझारसिंह : सभापति महोदय, मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार हैं :

"The existing provision of the clause be numbered as sub-clause "(2)" and the following new sub-clause (1) be added, namely:—

"(1) In sub-section (1) of section 7 for the word "three" the word "four" shall be substituted."

हमारा जो यह पंचायत अमेंडमेंट बिल है इसको सादिकअली समिति की रिपोर्ट के बैक ग्राउन्ड में लाया गया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि सादिकअली कमेटी ने इस बात को महसूस किया है कि पंचायतों की टर्म जो तीन साल की रखी है वह बहुत कम है । इसलिये उन्होंने बहुत से आदमियों से मिल कर और कई दूसरे कर्मचारियों से और एम. एल. एज़. से मिल कर और दो वर्षों के प्रयास के बाद में अपनी रिपोर्ट पेश की है । उनकी रिपोर्ट में से कुछ इम्पोर्टेन्ट पोर्शन्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । टर्म पंचायतों की कितनी हो उसके बारे में डेफिनिट ओपीनियन उनकी है और वे लिखते हैं कि :

"Majority of persons we have communicated with through interviews and questionnaire are in favour of a term longer than three years and most of them are in favour of a five year term."

आगे वे कहते हैं :

"The advantages that will accrue from a longer term are as follows..."

उन्होंने इसके लिये आर्ग्युमेंट देते हुए तीन पोइन्ट्स एडवान्स किये हैं जो काफी रीज़नेबल दिखते हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि :

"We are, therefore, of the view that the term of Panchayat Raj Institutions should be four years. It will give sufficient time to the elected bodies to work for local development."

उसमें चार साल की टर्म रखी थी । मेरा खुद का विचार है कि ३ साल का समय जो मौजूदा रखा गया है वह बहुत कम है । जो आदमी वहां पर काम करते हैं उनको जानकारी करने में काफी समय लग जाता है और फिर जल्दी ही दूसरा चुनाव का समय आ जाता है । इसलिये वह जो काम करना चाहता है नहीं कर सकता । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सादिकअली समिति ने जो अपनी ओपीनियन दी है उसकी आपको कद्र करनी चाहिये । तीन वर्षों का समय बहुत कम है । इसमें महत्व की बात यह है कि इसमें शिड्यूल दिया गया है उसमें उन्होंने ऑफिशियल्स और नोन-ऑफिशियल्स की ओपीनियन इस बारे में ली । ऑफिशियल्स मेम्बरों ने कहा कि शोर्ट टर्म का समय होना चाहिये लेकिन करीब ६० नॉन-ऑफिशियल मेम्बरों ने कहा कि पंचायतों की टर्म ज्यादा होनी चाहिये । अत: १८ ऑफिशियल्स और ५२ नॉन-ऑफिशियल्स की राय ली गई । इससे साफ जाहिर है कि नॉन-ऑफिशियल्स ने यह राय दी है कि पंचायत का टर्म ज्यादा होना चाहिये । हमें पंचायती राज्य में उन्हीं लोगों की ओपीनियन को ज्यादा वेट देना चाहिये जो नॉन-ऑफिशियल्स की राय है ।

(श्री जुझारसिंह)

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव हैड की तरह बैठते हैं, पंचायती राज में बिना पार्टी हुए वे राय दे रहे हैं, ६ कलेक्टर्स ने कहा है कि लोंग टर्म इन पंचायतों, पंचायत समितियों का ठीक रहेगा, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, दो कलेक्टर्स ने कहा है कि शोर्ट टर्म ठीक रहेगा। विकास अधिकारी और दूसरे इस तरह के अधिकारी हैं उनकी राय है कि शोर्ट टर्म होना चाहिये। ऐसी दशा में मैं निवेदन करूंगा कि इनकी अवधि ३ साल के बजाय ४ साल की कर दी जाय। ऐसा करने से लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और पंचायती राज को लोग अपने एक्स-पीरियेन्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो दलीलें दीं उनको मैंने ध्यान से सुना, पर उन दलीलों में ज्यादा ताकत हो, ऐसा लगा नहीं। सिलेक्ट कमेटी में इस सारे विषय पर विचार-विमर्श हुआ था। विचार-विमर्श के बाद ऐसा समझा गया कि ५ साल का समय बहुत लम्बा समय होता है। सादिकअली कमेटी ने ४ साल रिकमन्ड किया था, पर एक बात जो हमारे ध्यान में आई वह यह थी कि चार साल का समय रहता है तो काफी लम्बा होगा। जो लोकल इन्स्टीट्यूशन्स बोरोज़ कोंटीज़ हैं, रूस और अमेरिका में उनकी अवधियां तो बहुत कम होती हैं, उनकी डेढ़ साल की, दो साल की ही अवधियां होती हैं। इसी विचार को लेकर मिड टर्म इलेक्शन का ५ साल का रखा था, पर सिलेक्ट कमेटी में विचार-विमर्श हुआ कि प्रधान, प्रमुख, सरपंच, उप-सरपंच को ढाई साल रखना उचित नहीं होगा। तब यह विचार हुआ कि ३ साल जैसा कि पहले था, with an extension of one year, उसी प्रावधान के साथ सिलेक्ट कमेटी ने स्वीकार किया था कि तीन साल की अवधि ठीक है। इसीलिये मैं समझता हूं कि ३ साल की अवधि रखना ही ज्यादा ठीक होगा। अभी थोड़ी देर पहले जिला परिषद् में हमने इसे स्वीकार कर लिया है, अतः अब इस चार साल की अवधि को स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

श्रीमती सभानेत्री : क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेंगे ?

श्री जुझारसिंह : In view of the explanation given by the Hon. Minister, I beg leave to withdraw my amendment.

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने को इजाजत दी गई।

श्री जुझारसिंह : I withdraw.

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्रीमती सभानेत्री)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ४, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैंने इसे (क्लॉज़ ३ को) गौर से देखा है। यह प्रेसिडेन्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्स ऑफिशियो में आता है इसलिये इसमें तरमीम करने से कई झगड़े हो जायेंगे। कोऑपरेटिव का बिल हमने मूव कर दिया है, हम उसमें यह रखेंगे कि डिफॉल्टर इसमें नहीं आ सकता। इसमें यह लिखा है :

"Presidents of the service co-perative certified in the prescribed manner...."

सर्टिफाइड तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से करेंगे। वह डिफॉल्टर हो जायगा तो खड़ा ही नहीं हो सकेगा। यह यहां सूट नहीं करता क्योंकि एक एक्स-ऑफिशियो में आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्लॉज़ ३ ले लें।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री राधाकृष्ण गोयल ने खण्ड ३ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ७।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : क्लॉज़ ७ में ऑफिशियल अमेंडमेंट है :

"In new section 13A proposed to be inserted, after the expression 'The provisions of section' insert the figures and comma '126' and after the figures and comma '127' insert the figures hyphen, letter and comma '127 A'"

Page No. 146

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इलेक्शन ऑफिसेज़ के सम्बन्ध में लगा दीजिये, पर क्लॉज़ २ को पहले सिलेक्ट कमेटी में हटा दिया था, अब आप उसे फिर ला रहे हैं, इसका कारण क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : कारण तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ।

(७.७ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पुनः पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ७ में प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १३ ।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुये :

(१) श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) एवं श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

In part (b) : In new sub-section (la) in section 8 in sixth line the words and figures "clauses (ii) and", be replaced by the word "clause".

(२) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद):

In new sub-section (1a) in section 8 the word and figures "clauses (ii) and" occurring in sixth line be replaced by the word "clause",

(३) श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

Omit parts (b) and (c) of the clause.

(४) श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा):

(I) Sub-part (iii) of part (a) : delete clause (ii) sought to be inserted after the proviso to sub-section (1) and renumber clauses (iii) as (ii), (iv) as (iii) and (v) as (iv).

(II) Part (b) : Replace new sub-section (la) sought to be inserted after section (1) of section 8 by he following:-

"(la) Exofficio member specified in clause (i) of sub-seetion (1) and Co-opted members shall have right to speak, in or otherwise take part in, the proceedings of, the Panchayat Samiti and of any Standing Committee thereof and shall also be entitled to vote, but the exofficio member

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

specified in clause (ii) of the said section shall not be elected as Pradhan or Up-pradhan or as Chairman of the standing Committee]"

(५) श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) :

(अ) ३०. In sub-clause (b), in sub-section (la) proposed to be inserted, after the expression "specified in clauses (ii) and (iii) of the said sub-section", insert the words "or a Serpanch who is also a member of the State Legislalure or Parliament".

(आ) ५८. In sub-clause (c), in part (i), add the following words at the end, namely:-

"and between the expression of sub-section (1), 'and the word "namely", the expression "and who are voters of the Panchayats or members of the Gram Sabhas established under section 8 of the Rajasthan Gramdan Act, 1960 (Rajasthan Act 3 of 1960), in, the block" shall be inserted."

६. (श्री गंगासिंह राठौड़) (जायल) :

In part (ii) Replace the words "the first two provisos as" by" all the provisos"']

श्री उपाध्यक्ष : तेजाराम गहलोत !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (श्रीगंगानगर/आशीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें यह संशोधन रखा है कि :

"In part (b) : In new sub-section la) in section 8 in sixth line the words and figures 'clauses (ii) and be" replaced by the word 'clause".

मैंने यह संशोधन रखा है कि क्लॉज़ सेकन्ड और थर्ड के स्थान पर :

"clauses (ii) and". be replaced by the word "clause".

तो मेरा मतलब यह है कि जिस स्थान पर एक्स ऑफिशियो मेम्बर एम. एल. ए. वगैरह के अधिकार आते हैं कि वोट दे सकेंगे, उसके बाद प्रधान के लिए खड़े होने से, उप-प्रधान और स्टेन्डिंग कमेटी के चेयरमैन के लिये खड़े होने से उन्हें वंचित किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि और कहीं भी ऐसा प्रावधान है क्या कि जहां मेंबर तो बना दिया पर किसी स्थान के लिये खड़ा होने से वंचित कर दिया। मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। होना तो यह चाहिये था कि एम. एल. ए. प्रधान चुन लिया जाता है तो उस दशा में यदि वह प्रधान रहना चाहता है तो एम. एल. ए. शिप से स्तीफा दे दे और यदि एम. एल. ए. रहना चाहता है तो प्रधानशिप से इस्तीफा दे

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

दे। पर इसमें प्रावधान यह कर दिया है कि मेंबर बनकर किसी पद के लिये खड़ा नहीं हो सकता, यह कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है। इसलिये या तो इस शब्द को हटाया जाय या इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाय जैसी कि पहले व्यवस्था थी।

वह एक ऐसोशियेट मेम्बर था, जैसा चाहे होता था कह सकता था, न वोटिंग का राइट था, न खड़ा होने का अधिकार था। वह पोज़ीशन ज्यादा अच्छी है। अब आप मेम्बर बनाते हैं, वोट देने का अधिकार देते हैं और खड़ा होने से रोकते हैं, यह कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है। या तो उसी प्रकार का एसोसिएट मेम्बर रखा जाय। या इस प्रकार का प्रावधान किया जाय। उसको दोनों स्थानों के लिए चुन लिया जाय और एक स्थान खाली कर दे या मेम्बर बना दिया जाय और खड़ा होने का अधिकार दिया जाय।

श्री भीमसेन : donot want to move sir.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मुझे सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना हैं कि यह क्लॉज़ इस तरह का है जिसमें स्वयं अपने बारे में हमको तय करना है, इसलिए यह क्लॉज़ बड़े महत्व का है जो आपके व्यक्तित्व से ताल्लुक रखता है और हम स्वयं इसे पास करने जा रहे हैं। इसको किसी सिद्धान्त पर तय करना चाहिए। मैं न इसका पक्षपाती हूं कि एक एम.एल.ए. को अधिकार मिले और न इसका पक्षपाती हूँ कि उसको अधिकार न हो; तो कोई ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, एम० पीज़० खुद कन्स्टीट्यूशन बनाने वाले हैं वे अगर चाहते तो अपने लिए एम० एल० ए० बनने की पॉवर्स भी रख सकते थे। ऐसी हालत में जो बिल पास हो रहा है तो आप अपनी पोज़ीशन के बारे में अच्छी तरह से बैठ कर तय करें। हालांकि जो मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अन्दर एम० एल० ए० नहीं रखा है लेकिन किसी तरह से कोशिश हुई और यह हुआ कि एम० एल० ए० को रहना चाहिए। यह बात पीछे तय हुई कि वोट का अधिकार न हो और गाइड की जरूरत थी तो एम० एल० ए० रहे तो आपत्ति नहीं। अब आपको अधिकार दिया जा रहा है वोट देने का। पहले वाली स्थिति आज इन्क्लूड की गई; वह स्थिति आ गई। अगर आपका पहले तर्क सही था तो आज भी सही है कि एम० एल० ए० को वोट का अधिकार दिया जाय।

दूसरी जो बात आई वह सिद्धान्त पर तय होनी चाहिए। एक एम० एल० ए० जिला परिषद् में क्यों खड़ा हो, उसका क्या असर पड़ेगा? मैं समझ सकता हूं कि एम० एल० ए० नहीं खड़ा हो, लेकिन सदन यह चीज माननीय सदस्यों पर लादना चाहता है कि तुम्हें मेम्बर बनना चाहिए, लेकिन इसके पंख काट देते हैं। मैं समझता हूं कि कन्डीशन हम करना चाहते हैं या नहीं; यह बात समझ में आती है लेकिन उस कंडीशन पर कोई अधिकार लेना सदन के सदस्यों की प्रतिष्ठा खिलाफ है। मैं कहता हूं कि साफ तौर से एक बात तय होनी चाहिए; या तो उन्हीं माननीय सदस्यों की तरह पूरा अधिकार हो, अगर नहीं तो इसको सब जगह के अन्दर कोई अधिकार नहीं रहना चाहिये, हम सही तौर से जांच कर लें। अपनी जिला परिषदें हैं, समितियां हैं, उन समितियों को

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

५-६ साल चलते हो गये और अब वे सीख गये हैं। हमको इस बात का संतोष करना चाहिये। मैं जानना चाहूंगा इस चुनाव के बारे में आप बतलाइये जिला परिषद् के अन्दर उस मेम्बर की पोज़ीशन कैसे चेंज हो जाती है? जब वह खुद मेम्बर है समिति में तो फिर क्यों नहीं चुना जाय? आप रेस्ट्रिक्शन्स लगाते हैं, यह बिल्कुल नौकरशाही की एक डिस्क्रिमिनेशन की नीति है। उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना बहुत जरूरी है और डिस्क्रिम-नेशन क्या है? आप वोटर तो हैं लेकिन चुनने नहीं दिया जायगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज स्थिति क्या चल रही है; इस सिलसिले में हमारा और सदन का दिमाग साफ होना चाहिए, सरकार का दिमाग साफ होना चाहिये। मैं एक इन्डिवीजुअल मेम्बर के तौर पर कहता हूं मन्त्री महोदय से कि अगर आप हमें रखना चाहते हैं तो शान से रखिये, नहीं तो हम नहीं रहना चाहते हैं। हमारा कोई लगाव नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे ऐसे पंगु अधिकार लेने को हम तैयार नहीं है।

अब चुनाव की बात चली। मैं पूछता हूं कि आप वोटर्स को क्या समझते हैं जिन्होंने चुना है, जिनके रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ वहां चुने हुए हैं, उनकी डेमोक्रेसी को आप लिमिट करना चाहते हैं, आप उनके पॉवर को करटेल करना चाहते हैं। आपने एक तरफ तो डेमोक्रेसी को बढ़ाया वोटर्स की चोइस को वाइड किया। चाहे शहर में आदमी बसता हो, चाहे गांव में, लेकिन उसमें कैपेसिटी हो। समिति चाहे तो काबिल आदमी चुन सकती है, लेकिन नहीं चुन सकती मुझे भस्मासुर की कथा याद आती है। उसे शिवजी ने वरदान दिया था कि जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जायगा। वह शिवजी के पीछे पड़ा और आखिर नृत्य करते अपने सिर पर हाथ रखकर वह भस्म हो गया। इसी तरह से हम भी भस्मासुर बन रहे हैं। वह असेम्बली हर बार सरकार और अधिकारियों को क्रिटिसाइज़ करती थी, उन्होंने रिपोर्ट दी कि वे आदमी न चुने जायं।

अरे डिवार क्यों करते हो? हमारी इच्छा नहीं है, लोगों की इच्छा नहीं है तो नहीं चुना जाय। लेकिन वोटर हो और हाथ उठाये, लोग काम करना चाहें, लेकिन वे इज्जत कर दें कि चुनना नहीं चाहते, हम इस बेइज्जती के साथ वहां बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी आत्मा के दबाव की बात है वह हमसे कराई जा रही है कि तुम इस काबिल नहीं हो। मेम्बर रह सकते हो लेकिन चुने नहीं जा सकते। शहर का वोटर चुना जा सकता है, लेकिन एम० एल० ए० नहीं चुना जा सकता। जिला परिषद् में तुमने यह तरीका रखा वह समझ में नहीं आता। एक जगह वही काबलियत क्यों नाकाबलियत बन जाती है, और वहां की नाकाबलियत यहां काबलियत बन जाती है। एम.एल.ए. के लिए लॉजिक और कन्क्लूज़ समझ में सबको आने वाला हो और उसकी हैसियत बढ़ाने वाला हो वैसा कानून पास करना चाहिए। कोजेन्ट रीज़न होना चाहिए। वोटर होते हुए भी उस पर इस प्रकार की कन्डीशन है। मुझे शर्म आती है, मैं भी १३ साल तक जेल काट कर आया हूं। हुकूमत यह कहती थी कि इन कन्डीशन्स पर जाओ कि तुम कुछ नहीं करोगे, मेरी इच्छा होती तो बाहर जाता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेकिन मेरा गला भी कट जाता, मैं कोई लिखा हुआ नहीं देता। संविधान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसी वोटर के अधिकार से चुने हुए एम० एल० ए० को यह कहा जाय, उसके अधिकारों को करटेल किया जाय वह भी तरीके से नहीं किया जाय, एक जगह काबलियत नाकाबलियत बन जाती है, और नाकाबलियत काबलियत बन जाती है इस प्रकार हम अपने अधिकारों को करटेल कराने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी भी प्रकार इस तरह से बेइज्जत होने के लिए तैयार नहीं हैं।

(हियर हियर की आवाज)

मेरा आग्रह नहीं है, मैंने आग्रह किया है सम्माननीय सदस्यों को। मैं इसका हामी नहीं हूँ कि अधिकार लिए जायं। सरकार और सदन की इच्छा हो वह करे, लेकिन ऐसी चीज करें जो सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हो और एम० एल० ए० की प्रतिष्टा को बढ़ाने वाली हो, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। नहीं तो परिणाम यह होगा कि यदि आप इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी लॉज रखेंगे तो वे कोर्ट में जायेंगे और वहां पर इनको तय कराया जायगा। वोटर के नाम इलेक्ट्रोरल लिस्ट में लिखे हुए हैं, उसके अधिकारों का हनन नहीं किया जाय। इनको हटाया जाय और यह कॉन्स्टीट्युशन के खिलाफ और डिस्क्रीमिनेटरी है। पहले दिन इस कानून को पास करते समय हाईकोर्ट और दूसरों को इसमें मत फंसाइये इसको अकोर्डिंग टू कॉन्स्टियुशन बनाइये। इसको सेल्स टैक्स एक्ट मत बनाइये; गलती रह गयी और लाखों रुपया लोगों में पड़ा रहा। इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दो मिनिट।

ऐसा है कि पांच-दस मिनिट में ही यह बिल पास हो जायगा। यही एक कन्ट्रोवर्शियल क्लॉज़ है। जब म्युनिसिपैलिटी एक्ट में डिबार्ड नहीं है, प्रेसिडेन्ट बन सकता है; ज्वाला-प्रसादजी ने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं करता। हुआ जो इस हाउस का मेम्बर हो, पंचायत और पंचायत समितियों में मजबूरन रहे लेकिन, चुनाव नहीं लड़ सकता, उसको इस प्रकार इस कानून के द्वारा डिबार करना, कोन्स्टियुशन, डेमोक्रेसी और प्रिन्सिपल ओफ जस्टिस की दृष्टि से भी खिलाफ है ? कांग्रेस पार्टी ने रखा है कि प्रधान का चुनाव लड़े तो एक पोस्ट पर रहे। उसी प्रकार अन्य पार्टीज़ भी तय कर सकती हैं। इसमें दिक्कत कहां है ? अन्यथा यह तो ब्युरोक्रेसी की जबरदस्त जीत होगी। व डेमोक्रेसी की जबरदस्त हार। एम. एल. एज़. से ही यह चीज़ पास कराना चाहते हैं कि तुमको चुनाव में खड़े होने से डिबार किया जाता है; इससे अधिक बेइज्जती और शेमफुल चीज़ और क्या हो सकती है। यह डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है ? महात्मा गांधी के शब्दों में कि रचनात्मक काम यदि किया जा सकता है तो पंचायत और पंचायत समितियों में किया जा सकता है; उससे एम. एल. ए. को इस प्रकार डिबार किया जाना उचित नहीं है। आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। माननीय ज्वाला-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रसादजी ने जो संशोधन रखा और जो विचार रखें आप उनको स्वीकार कर लें।

आप यहां सीनियर मेम्बर भी हैं, इस दृष्टि से मैंने यह रखा है। इस पर अनावश्यक विवाद नहीं होगा। दुराग्रह की बात नहीं होनी चाहिये। सारी बात आपको अपील करती है और कन्विक्शन है। You being a senior member of the cabinet, you can prevail upon him and persuade him to accept this.

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : Very good.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह एम. एल एज़ के इन्ट्रेस्ट का सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की यह युनेनिमस भी भावना है; सारे एम. एल. एज़ का सवाल है, उनके अधिकारों का सवाल है। एम. एल. एज़. अपने अधिकारों के लिये नहीं लड़ सकते, वे दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे कई कांग्रेस के एम. एल. एज़. इसका विरोध कर रहे हैं। आप उनकी बात भी मान जाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, आपने बात कही और सदन के माननीय सदस्यों की भावना को सुना और समझा। आपने कहा कि वोटिंग का राइट देते हैं तो प्रधान का चुनाव लड़ने के लिये भी इजाजत देनी चाहिये। यह आप लोगों की भावना है। लेकिन पंचायत और पंचायत समितियों के कानून-कायदे जो हिन्दुस्तान में बने हुए हैं उनमें से एक भी कानून में यह कहीं नहीं पायेंगे कि एम. एल. ए. को प्रधान का चुनाव लड़ने की कहीं इजाजत है। बल्कि एम. एल. एज़. को वोट देने का राइट भी चार पांच हिन्दुस्तान की स्टेट्स में है, बाकी में नहीं है। आपने पिछले तीन साल में इस बात का तजुर्बा किया कि एम. एल. एज़. एसोसियेट मेम्बर रहें। वोट देने का हक उस समय नहीं रखा। नया परिवर्तन इस क्लॉज़ में लाया जा रहा है। आगे इस विषय में सोच रहे हैं कि एम. एल. एज़. डेलिबरेशन्स में हिस्सा लेकर राय जाहिर कर सकें और उसकी कीमत हो, इस रूप में इस प्रस्ताव को ला रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में अगर हम यह पाते हैं तो इसको अमेन्ड किया जा सकता है। उधर से भी कहा जाता है कि किसी को लड़ने की उत्सुकता नहीं है, इधर से भी कहा जा सकता है। लेकिन यह नहीं है कि कोई अनहोनी बात कर रहे हैं। बहुत सी स्टेट्स जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं उन्होंने भी तजुर्बा किया और यह किया कि एम .एल .एज़ को एक्स-ऑफिशियो मेम्बर भी नहीं रखा और यह रखा कि उनको डेलिबरेशन्स में आज्ञा दी जाय। तीन साल में क्या तजुर्बा रहा और उससे आगे बढ़ने में तजुर्बा हो सकता है, कभी भी इस पर फिर सदन विचार कर सकता है। अभी कुछ सोच-समझ कर ही यह तय किया है, बीच का रास्ता है; ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा है। कुछ स्टेज में पहुंची है। अगली स्टेज में इस सदन को अधिकार है, इस पर सोचा जा सकता है और ऐसा पास किया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट है वह यह है कि

Page No. 152

(श्री नत्थीसिंह)

क्लाज़ १५ के पार्ट (बी) और (सी) विलोपित कर दिये जायें....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि बाकी स्टेट्स में जो चीज़ें हों वे हमारे यहां भी हों। हम इसमें और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि दूसरी स्टेट्स में हो वही हमारे यहां भी हो। हो सकता है कोई चीज हमें अच्छी लगे और हम उसे अपनी स्टेट में रख लें। जब सदन की ओपिनियन है तो आपको मानना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप फिर से कान्फ्रेन्स कर लें तीनों और चारों लोग बैठकर बात कर लें इस बीच में नत्थीसिंहजी का भाषण हो रहा है। मैं माननीय भीखाभाई जी से कहूंगा कि सारे हाउस की जब यह मर्जी है और सारा हाउस जब इसे यूनेनिमसली रख रहा है तो उस पर आप विचार करने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि आप या तो उधर चले जाइये और श्री नाथूरामजी से, श्री मथुरादासजी से बात कर लेते।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट के जरिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि एम० एल० ए० के लिए जो यह प्रतिबन्ध रखा जा रहा है यह कानून जब तक पास नहीं होता है वह एक एम०एल०ए० के लिए अच्छी स्थिति है। हमारे कृषि मंत्रीजी बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमें दूसरी स्टेट्स के अनुभवों से यह महसूस हो रहा है कि एक एम०एल०ए० को प्रधान नहीं बनाया जाये लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें साथ ही साथ यह भी अनुभव हुआ है कि नहीं कि अब जो एम०एल०ए० हैं वे मेम्बर हैं हम उसका वोट इस बात में नहीं लेते कि कहीं पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाया जाये या नहीं। आप यह तो कर देना चाहते हैं कि आर्डिनरी मेम्बर के साथ वह झगड़े में पड़े। एम०एल०ए० एसोसियट मेम्बर थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था और जो आप कर रहे हैं इससे उनको कन्ट्रोवर्सी में फंसना पड़ेगा और साथ ही साथ आप यह चाहते हैं कि वह प्रधान के पद के लिए लड़ सके। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं, इसलिए कुछ कहना चाहूंगा। इस हाउस में पंचायत बिल के संबंध में यह ओबीनियन बनी है कि एम०एल०ए० को जब पंचायत समिति में अधिकार दिये हैं सारी बातचीत में दे दिये हैं तो साधारणतः कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है कि एम०एल०ए० को प्रधान के चुनाव के लिए बाई ला मना किया जाये तो इन्सल्टिंग होगा। इसमें आपत्ति की बात नहीं, लेकिन कहीं पर विशेष रूप से रियलाइज़ करने की आवश्यकता हो तो कांग्रेस पार्टी ऐसा भी कर सकती है। किसी पंचायत समिति में आवश्यक समझा जाये तो एम०एल०ए० को लिया जा सकता है। हम तीन साल इसका एक्सपेरिमेन्ट कर सकते हैं कि एम०एल०ए० को प्रधान बनाकर देखा जाये और फिर हमें यह अच्छा नहीं लगे और प्रधान बनाने से उलझनें ज्यादा पैदा होती हैं तो हम आगे भी अमेंडमेंट ला सकते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लेकिन एक एम०एल०ए० को सारे झगड़ों में फांसना और कन्ट्रोवर्सी में डालना तो आप पसन्द करते हैं लेकिन उसको प्रधान नहीं बना सकते और हमारी राय में बाई स्टेचुट उसको प्रधान बनने के लिए प्रोहीबिट करना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं सारे हाउस की तरफ से अपील करता हूं कि एक सदस्य को कानूनन प्रधान बनने से डिबार करना ठीक नहीं। इसका विरोध तो इस तरफ से नहीं है और उधर के भी सभी माननीय सदस्यों की यही राय है। सदन ने अभी श्री ज्वालाप्रसादजी का भाषण सुना है और बाकी के सदस्यों की भावना भी एक है कि पंचायत समिति में एम०एल०ए० को रखा जाता है तो उसको प्रधान बनने से डिबार करना इनसल्ट होगा। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जहां तक इस प्रोविज़न का सवाल है इस प्रोवीज़न को इस बिल में इन्कर्पोरेट नहीं करें ओरोजिनल जैसा है उसको रख लें। और सदन की कॉन्सस ओपोनियन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी माननीय सदस्य इधर उधर की भावनाओं का आदर करते हुए इसको स्वीकार करेंगे जिससे वाद-विवाद यहां पर समाप्त हो जाय और बिल ५ मिनट में पास हो जाये। फिर थर्ड रीडिंग पर भी बोलने का सवाल नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Nathi Singh do you want continue your speech ?

श्री नत्थीसिंह : Yes sir

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक कानूनी पेचीदगी भी है, एम०एल०ऐ० जो पंचायत, पंचायत समिति को किसी भी पंचायत का वोटर नहीं हैं और एम०एल०ए० की हैसियत से एक्स-ऑफिशियो मेम्बर है और वह प्रधान नहीं हो तो यह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन आप कहते हैं कि any voter of any Gram Panchayat प्रधान के लिये खड़ा हो सकता है, एम० एल०ए० जो वहां का वोटर है वह खड़ा नहीं हो, ऐसा आप कैसे कहते हैं ? आपने एक अमेन्डमेंट यह भी मूव किया है कि कोई भी थे एम० एल० ए० ग्राम पंचायत का सरपंच हो जाता है तो वह सरपंच भी पंचायत समिति का प्रधान नहीं हो सकता। तो ये दोनों बातें बिलकुल गलत हैं। ऐसा है कि कई एम० एल० ए० सरपंच बनकर प्रधान हुए हैं और वह एम० एल० ए० की हैसियत से नहीं हुए हैं, कोऑप्शन में आकर प्रधान हुए हैं और उसमें कोई लीगल एनोमोली नहीं थी। लेकिन आज जो आप कर रहे हैं यह कानूनी पेचीदगी पैदा करता है। सारे हाउस की मन्शा है उसको समझ कर इन अमेन्डमेंट्स को वापिस ले लिया जाये और जो आपने ग्राम पंचायत के वोटर को अधिकार दिये है वह एम० एल० ए० के सम्बन्ध में भी अक्षुण्ण होने चाहिए।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट यह है कि क्लॉज़ १३ के सब-पार्ट (३) के पार्ट 'ए' सब कलॉज़ (२) के अन्दर एम. एल. ए. को फुल मेम्बर बनाया है वह नहीं बनाया जाये। इस धारा को डिलीट किया। जैसा कि अभी कृषि मन्त्री महोदय ने कहा था एम० एल० ए० इन झगड़ों में नहीं पड़े और वह उससे परे रहे लेकिन इस धारा के अन्दर क्या किया है कि उसको वोट का अधिकार देकर उलझन में डाल दिया है । मुझे ऐसा लगता है कि यह

(श्री रविशंकर याज्ञनिक)

अमेन्डमेंट जो है उसमें कुछ ऑफिसरों का हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स चाहते हैं कि एम. एल. ए. को मेम्बर बनाकर पंगु बनाकर उसकी पोज़िशन को खराब किया जाये ताकि हाउस में भी उनका सामना नहीं कर सके। जब आप एम० एल० ए० को वोटिंग राइट देते हैं और वहां खड़ा हो सकता है तो फिर क्या वजह है कि आप प्रधान बनाने के लिए उसको मना करते हो। मैं मानता हूं कि आप इसको नहीं मानेंगे कि प्रधान बनने के लिए आज्ञा दें तो इससे तो अच्छा यह होगा कि जो स्थिति पहले थी वही रहे और उसे फुल मेम्बर नहीं रखें ताकि वह वहां जायेगा तो आर्डीनरी मेम्बर की तरह जायेगा और आपको सलाह अच्छी दे सकेगा यह मेरा अमेंडमेंट है। जब यह अमेंडमेंट हो जाता है तो पार्ट (बी) के अन्दर जो क्लॉज़ है वह भी बदल जायेगा और उसमें यह होगा:

"(1-a) Ex-officio member specified in clause (i) of sub-section (1) and co-opted member shall have right to speak, in or otherwise take part in the proceeding of, the Panchayat Samiti and of any Standing committee thereof and shall also be entitled to vote, but the ex-officion member specified in clause (ii) of the said section shall not be elected as Pradhan or UP-pradhan or as Chairman of the Standing Committee."

तो हम उसको डिलीट कर देते हैं तो उसमें दूसरा भी डिलीट हो जाता है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह से एम० एल० ए० को वोटिंग राइट देने और प्रधान बनने से रोकना, इससे तो अच्छा यह होगा कि अमेंडमेंट जो मैंने मूव किया है उसको मान लिया जाये और जो स्थिति है वही रखी जाये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पहले एमेंडमेंट को ले लें।

श्री भीखाभाई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी बात कह दूं।

माननीय उपाध्यक्षजी, जिस क्लॉज़ पर अभी बहस हो रही है कि एम० एल० एज़० प्रधान बन सकें उसके बारे में किसी प्रकार का बन्धन नहीं हो। इस प्रश्न पर पहले भी जब कि इस पंचायत राज्य के सम्बन्ध में विधेयक लाया गया था शुरू में उस समय भी काफी चर्चा हुई थी और इस बार भी जब यह विधेयक लाया गया एमेंडमेंट उसके पहले हम लोगों ने भी काफी चर्चा की है। मूल सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है वह इस बात का होता है कि जो यह सदन एक कॉन्सटीट्यूशन लोकल बोडीज़ पंचायत लेवल पर बनाते हैं वहां उनको क्या क्या अधिकार देना चाहते हैं? एम० एल० एज़० की ऐसी स्थिति बनाना, उनको अधिकार नहीं मिलने का मैं समझता हूं कि प्रश्न नहीं खड़ा होता है, क्योंकि एम० एल० ए० स्वयं तय करता है इस बात को कि हममें से अगर कोई खड़ा होना चाहे तो वह भी खड़ा नहीं हो; यह निर्णय कोई दूसरा नहीं करता है। यह

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एम० एल० ए० एक प्रकार से अपने ऊपर बन्धन लगाते हैं कि हम एम० एल० एज़० प्रधान के पद पर आयें वह आने का प्रावधान उसमें नहीं रहना चाहिए। इसलिए किसी ओर की तरफ से बन्धन लगाने वाला होता तो एक अलग प्रश्न था, लेकिन एम० एल० एज़० का बना हुआ सदन हो इसके बारे में एक निर्णय ले रहा है कि हम अपनी सीमा निर्धारित करना चाहते हैं कि जो लोकल बॉडी एक एम० एल० ए० की कॉन्स्टीटुएन्सी में होती है उस कान्स्टीट्युएन्सी को छोटी कान्स्टीट्युएन्सी कहें या छोटा एरिया कहें उसमें काम करने वाले वहां पर चुने हुए आदमी मिलकर वहां पर काम करें। मैं निवेदन करूंगा कि शुरू से ही इस बारे में यह विचार रहा है कि एम० एल० एज़० और एम० पीज़० का सम्बन्ध इन संस्थाओं के साथ वहां की गतिविधियों के अन्दर, विकास के अन्दर एक सीमा तक रहे, लेकिन उस सीमा में रहने के साथ साथ हम उन एक्ज़ीक्यूटिव फन्क्शन्स से जितने ही दूर रहें उतने ही ज्यादा अच्छा है। एम० एल० एज़० और एम० पीज़० का फन्क्शन गाइड के तौर पर, फ्रेण्ड के तौर पर उस पंचायत समिति में, और मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् के बारे में उस रूल की आवश्यकता है कि वह रूल वहां पर भी रहे। मैं इसलिए इस राय का रहा हूं और आज जब कि इस सदन में इस पर विचार कर रहे हैं तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारतवर्ष की दूसरी विधान सभाओं ने जो इसके बारे में कानून बनाये हैं वहां पर आज के दिन एकाध जगह का मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब जगह एम० एल० एज़० खुद प्रधान बन जायेंगे या बन सकते हैं इस बात की व्यवस्था नहीं है। हम इस बात का कदम यहां पर उठायेंगे तो इस बात को पूरी तरह से सोच-समझ कर चलें कि सारे भारतवर्ष के अन्दर उसका यह असर होने वाला है कि राजस्थान के अन्दर जिसने कि पंचायती राज्य शुरू करने का कदम उठाया और जब सेकण्ड एमेंडमेंट पर एक कमेटी बैठी सादिकअली की और उसने भी जिस राय को नहीं दिया और एम० एल० एज़० के पास पास करने का सवाल आया तो वह खुद खड़े हो सकते हैं एम० एल० एज़० ने मिलकर यह निर्णय ले लिया। यह वाजिब असर डालने वाली बात नहीं है, हम खुद मिलकर देश के अन्दर जहां व्यवस्था थी—आन्ध्र में पहले थी और कुछ स्टेट्स में थी उनमें भी वहां के कानूनों में परिवर्तन करके एम० एल० एज़० के खड़े होने वाली बात की क्लॉज़ को वहां से हटा दिया। आज के दिन हम यहां पर एक निर्णय करने जा रहे हैं तो उसका जो संस्थाएं वहां काम कर रही हैं और हम कानून बनाने वाले हैं उनको गाइड करना चाहते हैं, उनको एडवाइस करना चाहते हैं हम कहते हैं कि उस पद पर हम भी खड़े होंगे या खड़े हो सकते हैं, मैं समझता हूं वह बिल्कुल आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि एम० एल० एज़० के लिए काफी क्षेत्र पड़ा हुआ है काम करने के लिए उसके अलावा हर मीटिंग अटेंड करके उनको गाइड कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम भी उस पद पर बैठ जायं। उसके सिवाय वहां पर इफेक्टिवली अपनी बात को कहने के लिए, उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी गुन्जायश यह एक्ट लेकर चलता है, अच्छी तरह उनको यह मौका मिलता है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अगर माननीय सदस्यों को इस बात में एतराज खड़ा होता है कि एम० एल० ए० को वोटर बना कर खड़ा नहीं होने दें तो वे ऐसोसियेट मेम्बर पुराने तरीके से रह जांय और वोटर का राइट उसके साथ नहीं जोड़ा जाय यह प्रश्न अगर हमारे सामने आता है तो मुझे कतई एतराज नहीं होगा। अगर सदन यह चाहता है कि वोटर नहीं रहे और सिर्फ एसोसियेट मेम्बर रह जाय उस प्रकार का अगर दिमाग है तो ठीक है। यह अलग बात है। लेकिन जिस स्टेज पर सारी बातों को लेकर चल रहे हैं तो उन बातों को मुझे यह बताया गया है कि इसमें एसोसियेट मेम्बर वाली बात को तय करते है तो बहुत सी क्लॉज़ेज़ जो हम पास कर चुके हैं उनमें बहुत से एमेंडमेंट करने आवश्यक हो जायेंगे इसलिये काफी स्टेज पर हम आगे आ चुके हैं तो वह दिक्कत सामने पड़ती है अगर हम पुराने फण्डामेंटल पर यह मान कर चलते हैं। रियेली एम० एल० ए० निश्चित तौर से एक फ्रेण्ड, गाइड, फिलोसोफर का पंचायत समिति के लिये होना चाहिए। अब इस सदन के लिए राजस्थान भर के लिये और हिन्दुस्तान में भी जब दूसरी जगह इस प्रकार का प्रावधान नहीं है हम इसके लिए परिवर्तन रख कर अपने आपको उस पद पर जाने के लिये एम० ऐल० एज़० ने खुद ने इस बात को तय किया, यह चीज उचित नहीं होगी और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से भी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसा कोई क्लॉज़ पास नहीं हुआ है जिसके कारण उलझन पैदा हो जाय, जिसके कारण ओरीजिनल बिल में प्रोवीज़न्स रखने के लिए और जो यहां संशोधन रखा है कि एम.एल.ए. प्रधान नहीं हो सके इसको विथ्ड्रा कर लें तो बिल के किसी क्लॉज़ पर असर नहीं पड़ने वाला है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसको विथ्ड्रॉ करने वाली बात नहीं है। अगर माननीय सदस्यों को वोटर के तौर पर रखा गया है तो वोटर होते हुए भी प्रधान नहीं बनते हैं तो इसमें कन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता है। तो ऐसोसियेट मेम्बर के तौर पर कर दें तो मुझे एतराज नहीं होगा; लेकिन अगर एसोसियेट मेम्बर करते हैं तो बिल के क्लॉज़ पर असर पड़ता है। इसलिये सारे को रिवाइज़ करने की वह स्टेज भी अब नहीं रही। इसलिये मैं निवेदन करूंगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक बात मेरी भी सुनें इस बीच में। यदि दोनों बातों में से एक बात को भी नहीं मानते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप यह आश्वासन दे दें कि म्युनिसिपैलिटीज़ में एम.एल.ए. उसका चेयरमैन व मेम्बर नहीं बन सके। एम.एल.एज़. जो म्युनिसिपल बोर्ड से आते हैं वे एम.एल.एज. एम.एल.ए. भी रहें और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी रहें लेकिन जो गांवों के क्षेत्रों से एम.एल.ए. आते हैं उन पर यह पाबन्दी लगाना चाहें कि वे प्रधान नहीं हो सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति होगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बात से मैं सहमत हूँ कि दरअसल में म्युनिसिपल बोर्ड में एम.एल.ए. चेयरमैन था उस प्रकार से बनने वाली बात नहीं रहे और एक ऐसो-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

शियेट मेम्बर के तौर पर रहे वर्ना इन बोडीज़ के अन्दर भी एम.एल.ए. जाता है तो कई कॉम्प्लीकेशन्स हैं। वह पदग्रहण करने वाली बात अभी वहां पर रहे लेकिन एक सलाहकार के तौर पर रहे जिससे कि वहां की बातें सदन में और सदन की भावनाओं को वहां पर बताये और दोनों के बीच में एक कड़ी की तरह से रहे। इस लिहाज से वह रखा है। यहां तक कि पार्लियामेंट में भी जब यह सवाल आया तो पार्लियामेंट के मेम्बर का ऐसोसियेशन रहे म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर रहे तो इसमें कतई एतराज नहीं मैं पूर्णतया इससे सहमत हूं और किसी स्टेज पर उसका सवाल आया तो उसके बारे में कार्यवाही कर ली जायगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): तो यह संशोधन इसमें आना चाहिये कि मिनिस्टर होने के बाद जिला प्रमुख नहीं रहे। आप हर चीज को डिसेन्ट्रलाइज़ करना चाहते हैं तो एक पद का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिये। क्या आप यह उचित समझते हैं कि एक व्यक्ति राजस्थान का डिप्टी मिनिस्टर भी रहे और जिला प्रमुख भी रहे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं इसको कतई उचित नहीं समझता हूँ।

श्री मानसिंह महार (आमेर): यह बार लगा दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जब मेरी राय जाहिर करने का सवाल आया कि कोई मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर जिला परिषद् का प्रमुख रहे वह उचित है या नहीं: तो उसके बारे में मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि उचित नहीं है।

(८.०८ म.प.)

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है....

श्री मानिकचंद सुराणा: मैं पहले भी एक बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु.): मेरा निवेदन यह है....

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री मुरलीधर व्यास: जो क्लॉज़ रखा है मैं उसके मूल का विरोध करना चाहता हूं....

श्री गंगासिंह: मेरा भी अमेन्डमेंट है।

श्री सांवलियाराम: मेरा निवेदन....

श्री उपाध्यक्ष: Order please!

श्री भीखाभाई: In sub-clause (b), in sub-section (1a) proposed to be inserted, after the expression "specified in clauses (ii) and (iii) of the said sub-section", insert the words "or a Sarpanch who is also a member of the State Legislature or Parliament".

(श्री भीखाभाई)

दूसरा अमेन्डमेन्ट है इसमें :

In sub-clause (c), in part (i), add the following words at the end, namely :-

"and between the expression 'of sub-section (1)' and the word 'namely', the expression 'and who are voters of the Panchayats or member of the Gram Sabhas established under section 8 of the Rajasthan Gramdan Act, 1960 (Rajasthan Act 3 of 1960), in the block" shall be inserted."

उपाध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के जरिये से हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि राजस्थान में पंचायत राज्य के अन्दर जो लोकल इन्स्टीट्युशन्स हैं उनके अन्दर हमारे विधायक जो हैं, एम० एल० एज़०, एम० पीज़० वे इनमें सलाह देने का काम कर सकें और इस प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं पावें....

श्री मानिकचंद सुराणा : यह तो जब आप जवाब दें तब बताना । अभी तो हम आपको १० साल तक पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं । आपने अपना अमेन्डमेन्ट मूव कर दिया अब हमारे विचार सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह ।

श्री गंगासिंह राठौड़ (नायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट है वह क्लॉज़ १३ के (c) (ii) पर है वह इस प्रकार है :

"In part (c) (ii) replace the words 'the first two provisos' by 'all the provisos,"

वह सब-क्लॉज़ इस प्रकार है :

"(c) in sub-section (2)—

(ii) clauses (vi) and (vii) and the first two provisos shall be omitted; and"

उसकी जगह मेरा यह अमेन्डमेन्ट है :

"All the provisos should be omitted."

यह सेक्शन (८) के अन्दर जो सब धारा (६) और (७) है उसके अन्तर्गत जो कोऑपरेशन से सम्बन्धित है और इस कोऑपरेशन से सम्बन्धित आगे प्रोविज़ो लगाया है उसके अन्दर जो अमेन्डमेन्ट अभी है उसके अनुसार क्लॉज़ ६ और ७, उसके साथ फर्स्ट प्रोविज़ो और सेकन्ड प्रोविज़ो सारे के सारे हटा दिये हैं । बाद में रहता है प्रोविज़ो थर्ड वह किस पर लागू होगा ? वह लागू होगा दो कोऑप्टेड मेम्बर्स पर, उन पर लागू होता है-एक तो औरतों पर और दूसरे शिड्यूल्ड कॉस्ट और ट्राइब्स के लोग हैं उन पर लागू होता है । सब क्लॉज़ (२) में लिखा है कि वे इसी ब्लॉक के रहने वाले होने चाहिये । जब वे उसी ब्लॉक के रहने वाले हैं उस हालत में

(श्री गंगासिंह राठौड़)

आपका यह प्रोविज़ो फालतू हो जाता है, जिसमें यह लिखा है :

"Provided also that if any person is co-opted under this sub-section for more than one block, he shall not hold office as Pradhan or Up-Pradhan in more than one block."

क्योंकि वे उसी ब्लॉक के होने चाहिये जिस ब्लॉक में वे रहते हैं ऐसी हालत में जो कोऑप्टेड मेम्बर्स हैं उनके साथ इस प्रोविज़ो की आवश्यकता नहीं रहती है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि ये चार प्रोविज़ो हटा दिये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ! ५ मिनिट से अधिक नहीं बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अभी मुख्य मन्त्रीजी ने इस सिलसिले में अपना वक्तव्य दिया था। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पंचायती राज्य है उसका जो प्रारम्भ हुआ डीसेन्ट्रलाइज़ेशन से उसकी मूल भावना यहीं थी कि यह जो हमारी विकास योजनाएं हैं वे किस प्रकार कामयाब हों और उनको कामयाब करने के लिये हमने विकेन्द्रीकरण की योजना प्रारम्भ की। अब इस योजना का स्वरूप क्या हो जिससे जो भी योजना है वह नीचे ग्राम स्तर से ऊपर तक पहुंचे; ग्राम पंचायत फिर पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद और उसके बाद राज्य सरकार। इस प्रकार की व्यवस्था है। अब यदि समझा जाय कि जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, जो भी योजना है, उसको ऊपर तक पहुंचाने का स्वरूप या माध्यम है इसमें विधान सभा के सदस्य इसकी कार्यवाही में उपस्थित रह कर व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपनी बात कह सकें। इसके अन्दर सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि इसमें पद का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारी योजना को ऊपर तक पहुंचाने का माध्यम विधान सभा के सदस्य हों और वे उसको ऊपर तक पहुँचा दें। यदि वे सदस्य रहते हैं, पंचायत समिति के हैड या प्रधान रहते हैं उसके बावजूद भी विधान सभा के सदस्य उस योजना को यहां तक पहुंचाने के माध्यम हों उन पर यदि इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो मतलब यह होता है कि उनकी जो दिलचस्पी यहां लाने की है उसमें बाधा पहुंचती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो मूल स्वरूप किस प्रकार आगे आयगा और दूसरी बात फंडामेन्टल राइट्स का सवाल है उससे किसी व्यक्ति को किसी कानून से वंचित कर दें तो उसको जो मूलभूत और बुनियादी अधिकार संविधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। इसको भी पूरी तरह से सोचना है।

इसके अन्दर यह कहा जायगा कि पंचायत समिति के आदमी हैं उनको जिला परिषद में आपने रख लिया है, जिला परिषद में हर प्रकार से वह प्रमुख बन सकता है और पंचायत समिति में भी बन सकता है। ज्वालाप्रसादजी ने कहा कि मूलभूत अधिकारों से वंचित रहने से एम. एल. ए. के मान-सम्मान की बात आयगी। मुख्य मन्त्रीजी ने भी कह दिया है। मैं मान-सम्मान की बात नहीं

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहता लेकिन फंडामेन्टल राइट्स का सवाल है उससे वंचित करें तो कॉस्टीट्यूशन में दिये गये अधिकारों से वंचित करना होगा। हमारा योजना का दृष्टिकोण रहना चाहिये। दूसरी बात मानिकचन्दजी ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी में और इसमें क्यों भेद रखते हैं। मैं समझता हूं म्युनिसिपैलिटी में और इसमें भेद नहीं होना चाहिये। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान पद पर रह कर भी जो लोग विधान सभा के सदस्य रह सकते हैं। इस रूप में विचार करते हैं तो यह नीति का सवाल है। पार्टीज़ डिसाइड कर सकती है कि एक पद पर रहे न रहे यह आगे का सवाल है लेकिन बुनियादी तौर पर उनको वंचित करना फंडामेन्टल राइट्स के खिलाफ है। इसलिये मैं कहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ने बात कही उस पर पहले विचार करें। यह तो नीति का सवाल है इसमें मान-सम्मान का प्रश्न नहीं है इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और सदन जैसा समझे वैसा किया जाय। अभी जैसा कि सतीशजी ने कहा उस पर भी विचार किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अभी माननीय सदस्यों ने जितनी दलीलें दी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि यह कानून दो करोड़ लोगों में से १५–२० आदमियों के लिये बनाना चाहते हैं। राजस्थान विधान सभा के सदस्य यह चाहते हैं कि सदस्य सरपंच, प्रधान या प्रमुख बन जायं फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिला कर १५ से ज्यादा विधान सभा के सदस्य नहीं होंगे जो प्रधान या प्रमुख हैं और विधान सभा के सदस्य भी हैं....

एक माननीय सदस्य : सिर्फ ४ हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं एग्ज़ेज़रेटेड फिगर्स नहीं कह रहा हूँ। वार्ड मेम्बर्स या म्युनिसिपैलिटीज़ के मेम्बरर्स जो सदस्य बने हैं उनमें से दो तीन से अधिक ऐसे नहीं होंगे जो किसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हों....

एक माननीय सदस्य : एक भी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये मैं कहता हूँ कि कानून बनाते हैं तो वाइड क्लास ऑफ पीपुल्स के लिये बनाना चाहिये। ४–५ व्यक्तियों के लिये आप कानून बनावें यह मैं उचित नहीं समझता।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के लिये तवज्जो दीजिये कि एम. एल. ए. को प्रधान बनने से तो आपने रोक दिया कि नहीं बन सकेंगे तो हम नहीं बनेंगे लेकिन यदि कोई प्रधान एम. एल. ए. बनता है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, आपके पास कौनसा कानून है? रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में ऐसी कोई रोक नहीं है कि यदि कोई प्रधान है तो वह एम. एल. ए. का चुनाव नहीं लड़ सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस अमेंडमेंट के बाद प्रधान एम. एल. ए. बन कर आ जाता है तो प्रधान के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एम. एल. ए. होना अयोग्यता नहीं हो सकती। आप परिस्थिति को देखिए, जिला परिषद् के लिये अधिकार दिया है कि वह प्रमुख बन सकता है और इधर अधिकार दिया है कि वह सरपंच बन सकता है। ये दोनों लोकल बॉडीज़ हैं, पंचायत और जिला परिषद् लोकल बॉडीज हैं और इनके लिए एम. पी. और एम. एल. ए. को अधिकार दिया है। लेकिन जो बीच की श्रेणी है पंचायत समिति, आपने उसके लिये रख दिया कि वहां नहीं जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि इस पंचायत समिति में एम० एल० ए० जायगा तो क्या पाप करेगा, क्या गड़बड़ियां करेगा? अगर वह जिला प्रमुख बनेगा तो गडबड़ी नहीं कर सकता, यानी प्रमुख के लिये काबिल है और पंचायत समिति के प्रधान के लिये काबिल नहीं है। आप उसको वहां जाने से रोक रहे हैं इसका मतलब है कि आप गांव के लोगों को रोक रहे हैं क्योंकि जो एम. एल. ए. शहर के हैं वे तो पंचायत समिति के प्रधान नहीं बन सकते। यह गांवों के लिये रोक होगी कि जो प्रधान है वह एम. एल. ए. नहीं बने। लेकिन शहर के लिए कानून कहता है कि चेयरमैन म्यूनीसिपैलिटी का एम. एल. ए. रह सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे किसी प्रिन्सिपल से जस्टीफाई नहीं कर सकते। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आर्ग्युमेंट रिपीट नहीं करना चाहता....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठ सकता हूं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जितने प्रधान एम. एल. एज़. हैं, क्या इनकी किसी पंचायत समिति से राजस्थान सरकार के पास शिकायत आई है? इनके दोनों पदों पर रहने से क्या सरकारी अधिकारियों को तकलीफ होती है? क्या दोनों पदों पर रह कर यह काम नहीं कर सकते? विधान सभा का अधिवेशन तीन महीने चलता है, इसमें यहां पॉलिसी ले-डाउन करते हैं, बाकी के आठ-नौ महीने के समय में वे लोकल बॉडी को एडमिनिस्टर करें तो मैं समझता हूं कि गड़बड़ी नहीं हो सकती और योग्यता के साथ राज्य सरकार की नीतियों से वाकिफ होने के कारण लोकल बॉडी को अच्छी तरह एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एम. एल. ए. को मालूम है कि बजट क्या है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इर्रिगेशन प्रोग्राम में क्या मदद मिल सकती है। और हम जब कहते हैं कि प्लान नीचे से आता है, ऐसी परिस्थिति के अन्दर प्लान के मेजर हैड की बातें हैं, पॉलिसी की बातें हैं वह अच्छी तरह जानता है। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति में डिबार करने में कोई औचित्य नहीं दिखता है। एक बात कह सकते हैं मुख्य मंत्री, सरकारी अधिकारी जहां एम. एल. ए. प्रधान हैं—वहां महसूस करते हैं कि उनके ऊपर जादू नहीं चला सकते क्योंकि वह एम. एल. ए. की हैसियत का है और उसकी ऊपर भी पहुंच है और नीचे भी पहुंच है; इसलिए बी. डी. ओ. पर अंकुश रख कर उसे अनेक कार्यों में लगाया जा सकता है। तो इससे नौकरशाही को तकलीफ हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा और एक प्रश्न को मैं रीओपन करना चाहता हूं।

(श्री मानिकचंद सुराणा)

मुख्य मंत्री ने कहा है, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि जिला प्रमुख के पद पर रखते हुए, सरपंच के पद पर रखते हुए पंचायत समिति से डिबार करना उचित नहीं है। इसके साथ साथ म्युनीसिपैलिटी में भी ऐसा रुख नहीं लिया है, तो कोई औचित्य नहीं कि इस प्रकार की रोक लगाई जाय। मैं समझता हूं कि दस पन्द्रह लोगों के लिए कानून लाना कोई शोभा की बात नहीं है। इतने ही सदस्य प्रधान बन सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि १७६ व्यक्ति हैं, इनमें से सौ, डेढ़ सौ नहीं बनना चाहते हैं और केवल ७६ बनना चाहें तो उनमें से भी दस पन्द्रह भी बन नहीं सकेंगे, पांच, सात, आठ, व्यक्ति बन सकते हैं। उनके ऊपर भी आप इस प्रकार की रोक लगा दें, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है। इसलिए जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने पेश किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आवश्यक संशोधन कर दिया जाय, उसके बाद में कोई बने या नहीं बने, यह दूसरी बात है।

श्री अलदाराम मीणा (सुमेरपुर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एम. एल. ए. का प्रधान नहीं बनना ठीक है, वाकई एम. एल. ए. नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वोट देने का हकदार नहीं हो सकता। प्रमुख का चुनाव होता है वह पहले जैसा होता था वैसा ही होना चाहिए। मेरी राय है कि सरपच को वोट नहीं देना चाहिए ..

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : प्रधान वाले पर बोलें, यह तो पास हो गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं कि पॉवर सेन्ट्रलाइज़ नहीं होनी चाहिए और इस बात को स्वीकार करता हूं कि एम. एल. ए. को प्रधान और एम. एल. ए. दोनों पदों पर नहीं रहना चाहिए और इसलिए स्वीकार करता हूं कि इस सारे पंचायत राज्य की व्यवस्था का मतलब है कि जो पॉवर सरकार में है उसको ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स के अन्दर डिसेन्ट्रलाइज़ किया जाय। विलेज लीडरशीप किस प्रकार क्रियेट हो सकती है उसको क्रियेट करने के एम्पल चान्सेज़ हों उस हालत के अन्दर एम. एल. ए. और प्रधान एक व्यक्ति हो जाय तो नेचुरली उसका यह मतलब होगा कि दो पोलिटिकल पॉवर एक व्यक्ति में केन्द्रित होती है। प्रश्न आता है कि एम. एल. ए. को सरपंच बनायें और प्रमुख बनायें। सरपंच बनाते हैं तो वह स्थिति बनती है कि गांव की पॉलिटिकल पॉवर एम. एल. ए. के हाथ में आती है, इसलिए उचित नहीं लगता कि सरपंच बना दें। लेकिन जो बेसिक यूनिट है पंचायत राज्य की, जिसके जरिये से हम पंचायत समिति और गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक्ज़ीक्यूट कराना चाहते हैं, यह ऑथोरिटी पंचायत समिति नहीं है वह ग्राम पंचायतों की एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है। वह पॉलिसी तय करती है, लेकिन एक्ज़ीक्युशन होता है वह ग्राम पंचायतों की मार्फत होता है। उनके अन्दर वह पॉवर है, वहां सरपंच के रूप में एम. एल. ए. को रहने देते हैं तो वहां गलती करते हैं इस बात को हम बराबर एक सिद्धान्त के रूप में मानते हैं, न कि इस बात को हम मान कर चलते हैं। अगर प्रधान नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं इस पक्ष का हूं कि सरपंच नहीं बनना चाहिए। अगर पंचायत

(श्री भैरोंसिंह)

राज की सारी इन्स्टीट्यूशन्स को पॉलिटिक्स से निकालना चाहते हैं तो इस बात को मान कर चलना चाहिए कि एम. एल. ए. किसी न किसी पार्टी से सम्बन्धित होता है । यदि मैं सरपंच या प्रधान बनूंगा तो मैं निश्चित तौर से कोशिश करूंगा, चाहे मैं कितने ही वायदे दिलाऊं, कि उस ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जनसंघ के सदस्य बनें । यह ह्यूमन वीकनेश है, पालिटिकल वीकनेस है, जिसको दूर नहीं रखा जा सकता । अगर नहीं रखा जा सकता तो उसका इम्पेक्ट यह होगा कि मेरे कन्सीडरेशन के अन्दर पोलिटिक्स आयेगी और उससे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर चलते हैं उस पर एडवर्स अफेक्ट होगा । हम इससे इन्कार नहीं कर सकते । अब प्रश्न यह आता है, जैसा मुख्य मंत्री ने बताया, हमने अमेंडमेंट कर दिया, जिसके कारण एम. एल. ए. को जो वोटिंग की पॉवर दे दी उसको विद्ड्रा करते हैं । मैं समझता हूं कि इसके लिए अमेंडमेंट और करना पड़ेगा जो पास कर दिया है उसमें मैं समझता हूं, यह मामूली बात है, सदन की इच्छा हैं कि वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए । यह सिद्धान्त मुख्य मंत्रीजी ने मंजूर कर लिया है, अच्छी बात है यह नहीं होना चाहिए । अब दिक्कत यह आती है कि जो क्लाजेज़ पास कर दिये हैं, मैं समझता हूं, यदि सदन तैयार है, यदि सरकार तैयार है तो जो कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट होगा वह सदन में नहीं रखा जायगा और माननीय अध्यक्ष, कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट करके उसको एडजस्ट कर लें ...

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह तरीका नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तरीका हुआ है, आज तक हुआ है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सहृदयता से कहा है; आप स्वीकार करें या नहीं करें ।

श्री भैरोंसिंह : अब स्वीकार करें, अगर नहीं करें तो दिक्कत आयेगी । मैंने सारे क्लॉजेज़ को देखा है, डेफीनिशन के अन्दर एसोसियेट मेम्बर की डेफीनिशन है उसमें अमेंन्डमेंट करना पड़ेगा । कोआपरेटिव सोसाइटी का रिप्रेज़ेंटेटिव और एम. एल. ए.-इसके अन्दर, डेफीनिशन में इन्क्लूड कर लें । जैसे कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट होता है, उस तरह इस पर्पज़ को सर्व करने वाला अमेंडमेंट कर लिया जाय, उसमें आपत्ति नहीं है ।

जहां तक प्रश्न आता है कि एम. एल. ए. को अधिकार जाय, तो प्रश्न आता है कि जो सरपंच और जिला प्रमुख के लिए राइट दे दिये अब वहां डबल पॉवर-पॉलिटिकल पॉवर-केन्द्रित नहीं हो–ऐसी व्यवस्था कर दीजिये । मैं समझता हूं कि कोई एम. एल. ए. प्रधान के लिए चुनाव लड़ता है तो वह विधान सभा से इस्तीफा देगा । उसका जो कानूनी अधिकार है उससे आप उसको डिबार करना चाहते हैं । इससे इसको डिबार करने की पोज़ीशन नहीं रहेगी । और जो लीगल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वह नहीं होगा । अगर कोई प्रधान बनना चाहे तो बने और प्रधान बनेगा तो उसे एम. एल. ए. से इस्तीफा देना पड़ेगा ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफा देने का क्लॉज़ नहीं रख सकते।

श्री भैरोंसिंह : आप इन दोनों में से एक के लिये कर सकते हैं। दोनों में से एक पद होल्ड कर सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : सेन्ट्रल एक्ट द्वारा जो आपको राइट्स मिले हुए हैं उनको किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह : आप एक एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान रखते हैं, उसी प्रकार रखिये। ऐक एम. एल. ए. होगा वह प्रधान के चुनाव में जीत जाता है तो वह एल. एल. ए. नहीं रहेगा।

श्री मथुरादास माथुर : हम एम. एल. ए. को एम. एल. ए. शिप से नहीं हटा सकते क्योंकि सेन्ट्रल एक्ट द्वारा आपको राइट्स मिले हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपको इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप ऐसा कर दीजिये कि दोनों पद नहीं रख सकते।

श्री मथुरादास माथुर : इसका मतलब यह साफ है कि उसको एक पद से इस्तीफा देना होगा। जब यह चुनाव लड़ कर जीत जाता है तो उसकी चोइस यही है कि यहां से इस्तीफा दे।

श्री भैरोंसिंह : कोई भी एक चीज को पसन्द करे। अगर वह चाहे तो एम. एल. ए. से इस्तीफा दे या दूसरे पद से।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो यह कहेगा कि मैं एम. एल. ए. शिप से इस्तीफा नहीं दूंगा तो हम उसको फोर्सिबली इस्तीफा नहीं दिलवा सकते।

श्री भैरोंसिंह : आप नियमों में रख देंगे कि दो पोस्ट्स होल्ड नहीं कर सकता तो वह ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड हो जावेगा और एक पद से....

श्री मथुरादास माथुर : You cannot force him to resign from M. L. A. ship वह तो वहां पर बदस्तूर कायम रहेगा क्योंकि सेन्टर एक्ट के अनुसार हम उसको एम. एल. ए. शिप से हटा नहीं सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : आप ऐसा कर दें कि दो पद होल्ड नहीं कर सकता तो फिर यह मसला अपने आप हल हो जाता है।

श्री मथुरादास माथुर : यह आप नहीं कर सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहूंगा कि कोई प्रधान चुना गया और बाद में वह १९६७ में एम. एल. ए. शिप के लिये भी लड़ा हुआ और एम. एल. ए. के चुनाव में चुना गया जब आपके यहां कानून में कोई प्रावधान नहीं होगा तो आपको उसको हटाने का क्या अधिकार होगा? वह दोनों पदों पर काम करता रहेगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सारा हाउस कहता है तो आप मान लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह डिस्क्रिमिनेशन आपने क्यों रखा है जब आपने रखा है कि सरपंच या पंच प्रधान हो सकता है और एम. एल. ए. सरपंच बन सकता हैं तो फिर एम. एल. ए. प्रधान क्यों नहीं बन सकता ? आपने पोस्ट पोस्ट के बीच में यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों रखा है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं यह जानना चाहता हूं कि भैरोंसिंहजी का इससे निष्कर्ष क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह चाहता हूं कि एम. एल. ए. को भी यह अधिकार नहीं रहना चाहिये और सरपंच को भी नहीं रहना चाहिये ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : भैरोंसिंहजी ने कहा वह बिल्कुल उचित नहीं है । वे न तो प्रधान बन सकते हैं न सरपंच क्योंकि जहां तक उनकी कॉन्स्टीटुएन्सी का प्रश्न है वे तो अपनी कॉन्स्टीटुएन्सी हमेशा बदलते रहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : अबकी बार कहां से खड़े होंगे ?

श्री भैरोंसिंह : स्पीकर साहब की नकल करता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे होम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ने के आदी हैं ।

श्री मानसिंह महार : भैरोंसिहजी ने कहा उससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता है । असर हम पर पड़ता है । मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मन्त्रीजी से कि एक तरफ आप कानून बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ही गला कटवा रहे हैं । मैं यह कहूंगा कि आप दब गये, आप एम. पी. से दब गये; आप एम. पी. को डिबार नहीं कर पाये । एम. पी. तो प्रमुख बन सकता है । एम. पी. को थोड़ी देर के लिये मान लें आप डिबार भी करें लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप थोड़ी बहुत इस बात की तरफ भी ध्यान दीजिये, आपके कांग्रेस के सदस्य हैं उनकी भी यही स्थिति होगी ।

एक माननीय सदस्य : एम. पी. को किया गया है ।

श्री मानसिंह महार : मेरे ख्याल से नहीं किया गया है । अगर आप एम. पी. को इससे डिबार करते तो मेरी समझ में कुछ आ सकता था····

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : प्रमुख के लिये एम. पी. भी डिबार है ।

श्री रामकिशन (बैर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मानसिंह महार : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह····

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय विधि मन्त्री यह बता दें कि एम. पी. प्रधान नहीं बन सकता है ।

(श्री मानिकचंद सुराणा)

(श्री मथुरादास माथुर बोलने के लिये खड़े हुए)

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री मथुरादास माथुर : कानून हल्ले बाजी से नहीं बनते है, कानून तो शान्ति से बनते हैं। बहुत से एम. पी. हैं उनको कॉन्स्टीटुएन्सी के वोटर होना चाहिये और बहुत से हैं भी वोटर बनने के लिये हैं। अगर वोटर हैं तो ठीक है।

श्री भीखाभाई ; मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है :

In sub-clause (b) in sb-suection (la) proposed to be inserted, after the expression "specified in clause (ii) and of the said sud'section": insert the word "of a Sarpanch who is also a member of the State Legislature or Parliament."

श्री नत्थीसिंह : वोटर सरपंच नहीं है। एम. पी. है। आप कैसे उसे डिबार कर देंगे ?

श्री मानसिंह महार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी एम्बीग्युअस पोज़िशन है। यह सब कुछ करके १० आदमियों को डिबार करना चाहते हैं। अगर मुख्य मंत्रीजी पर्टीक्यूलर आदमी के प्रधान होने से नाराज हों तो हम लोग कह सुन कर उनसे इस्तीफा दिलवा सकते है, अगर ढाबरियाजी की बात हो तो उनसे इस्तीफा दिलवा सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अगर कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूं।

श्री मानसिंह महार : यह सब बातें उल्टी हैं। अनुभव यह बताता है, आपने देखा होगा कि जहां एम. एल. ए. प्रधान होते हैं वहां विकास अधिकारी गुलाम होकर रहते हैं और जहां आर्डिनरी प्रधान होते हैं वहां विकास अधिकारी की बड़ी पॉवर होती है। कोई भी विकास अधिकारी एम. एल. ए. को ओवर राइड नहीं कर सकता।

श्री मथुरादास माथुर : जहां एम. एल. ए. और विकास अधिकारी मिल जायं तो क्या हो ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मिनिस्टर और डाइरेक्टर मिल जायं तो क्या हो ?

श्री मानसिंह महार : आज तो हमारे विधि मन्त्रीजी ने बच्चों जैसी बात कर दी। एम. एल. ए. और विकास अधिकारी मिल जायेंगे तो क्या होगा ? आप क्या समझते हैं, कहां-कहां के एम. एल. ए. और बी. डी. ओ. मिल गये। होगा क्या ? चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी मिल गये तो राजस्थान का क्या बिगाड़ लिया। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर यह बड़ा बुरा मालूम पड़ता है। एम. एल. ए. के ऊपर क्या नाराजगी हो गई है कि नहीं रखना चाहते। वैसे कोई भी एम. एल. ए. इच्छुक नहीं है प्रधान बनने का। प्रधानों के चुनाव हुये, हम कोई खड़े नहीं हुये, वह कोई महत्व का पद नहीं है। एम. पी. को प्रमुख बनने का अधिकार है जो कि साल में ९ महीने दिल्ली बैठा रहता है। मुख्य मन्त्रीजी ने बात फर्मायी है उस पर दुख

(श्री मानसिंह महार)

हुआ, क्योंकि वह हमेशा तर्कपूर्ण बातें कहते हैं, चाहे हम विरोधी हैं उनकी बात गले उतरती है जरूर, पर आज दुख हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे में फंसे हुए हैं, जोइन्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने कह दिया कि एम. एल. ए. प्रधान होंगे तो पंचायती राज खत्म हो जायगा। आपको डरने की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, कई जगह प्रधानों की कतई कद्र नहीं करते हैं, दस-पांच एम. एल. ए. प्रधान रहते हैं तो प्रधानों की कद्र होने लगती है। पंचायती राज का इवेल्यूएशन करेंगे उस दशा में पांच-सात एम. एल. ए. प्रधान होंगे तो रिज़ल्ट्स अच्छे सामने आयेंगे। एम. एल. एज़. इस समय भी पांच-सात जगह प्रधान होंगे। प्रधान एम. एल. ए. हों या अन्य कोई हों उसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिये मुख्य मन्त्रीजी से अन्तिम रूप से कहना चाहता हूं कि गांवों से आने वाले १२५ एम. एल. एज. हैं उनको इस अधिकार से वंचित न करें। हमने कहा कि डिप्टी मिनिस्टर को प्रमुख मत होने दीजिये तो कहा कि बाद में देखेंगे। यह बिडम्बना देखिये कि डिप्टी मिनिस्टर तो प्रमुख हो जाय और एम. एल. ए. को उससे वंचित रखा जाय। मैं तो वोटर भी भानुप्रसादजी कराड़िया की कॉन्स्टीट्यूएन्सी का हूं। मेरा गांव रिज़र्व एरिया में आ गया, में सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अगर वहां प्रधान खड़ा हो जाऊं तो........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जीत तो जाओगे न ?

श्री मानसिंह महार : पहले भी जिता के लाये हैं, जीत जाने की तो हमारे मुख्य मन्त्रीजी भी ताईद करेंगे। पर मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इससे पहले वाले इलेक्शन में भी आप जीत कर आये थे।

श्री मानसिंह महार : वह तो मैं छुट्टी चला गया था ५ साल की।

तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा करके एम. एल. एज़. को भी यह अधिकार दीजिये। डिप्टी मिनिस्टर का सवाल आये, एम. पीज़ का सवाल आये तो कुछ नहीं लेकिन गरीब एम. एल. एज़. का सवाल आया तो मौन धारण कर लिया........

एक माननीय सदस्य : यह "गरीब" शब्द हटा लें।

श्री मानसिंह महार : मुख्य मन्त्री भी दूसरे नहीं एम. एल. ए. ही हैं। १० वर्ष हो गये, उससे हो सकता है कि वे भी अब साधारण एम. एल. ए. बन कर रहें तो उनको भी प्रधान बनने का मौका मिल जाय। यह कोई भिक्षा नहीं है। इसलिये मैं भीखाभाई से कहूंगा कि ज्वालाप्रसादजी के अमेंडमेंट को मान लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इस धारा पर वाद-विवाद चल रहा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ ऐसी बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कि जिसकी वजह से मालूम हो कि यह बात जो दूसरे माननीय सदस्यों ने कही है कि एम० एल० एज० को प्रधान बनने से नहीं रोका जाय, यह कितनी वजनदार बन जाती है। मैं यह इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आज आपका जैसा कानून बना हुआ है, इस वक्त यह है कि कोई भी एम० एल० ए० प्रधान नहीं हो सकता। यदि आज आपके इस कानून में है जैसा कि आप बनाना चाहते हैं और जो कानून आपका बना हुआ है उसमें यह प्रावधान है कि एम० एल० ए० प्रधान नहीं बन सकता, फिर भी आज आपके सामने चार एम० एल० ए० ऐसे हैं जो प्रधान हैं। आप कानून बना सकते हैं, आपने लिख दिया कि एम० एल० ए० प्रधान नहीं बन सकते पर मैं कहता हूं कि ६४ के चुनाव होंगे और उसमें जो एम० एल० ए० हैं वे प्रधान बन गये तो उनको आप कैसे हटायेंगे ? हम भी तो हैं, हमको कैसे नहीं हटाया ? आप कहते हैं कि हटा देंगे पर आप हटा नहीं सकते। आप कहते हैं कि एम० एल० ए० बन कर प्रधान नहीं बन सकता पर मैं प्रधान इसलिए नहीं हूं कि एम० एल० ए० बन कर प्रधान बना हूं। तो कम से कम जो चीज रखें तो ऐसी रखें कि जिससे कन्फ्यूज़न न हो।

आपने एक शहर में रहने वाले को एम० पी० बना दिया, उसको म्युनिसिपलैटी का चेयरमैन बनने की छूट दे दी। अगर वह चाहे तो दूसरी जगह पर जाकर काम कर सकता है, लेकिन गांव का आदमी एम० एल० ए० हो हो गया हो तो वह पंचायत समिति का प्रधान नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : ये सब आर्ग्युमेंट्स आ चुके हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसके पीछे एक भावना है यह भावना सिर्फ नौकरशाही के दिल में है, क्योंकि अगर एम० एल० ए० प्रधान बनता है तो आपके एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० से वह ज्यादा पॉवरफुल हो जाता है, अगर वह प्रमुख बनता है तो आपके कलेक्टर को डर लगता है। ऐसे लोग आपको सही राय नहीं दे सकते। तो आप पंचायती राज द्वारा ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेसी पर हावी करना चाहते हैं। यदि आपको जनता के आदमियों द्वारा सही और अच्छे काम

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

करवाने हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को पॉवरफुल मत बनाइए वरना उन्होंने प्रोडक्शन के जिस तरीके से गलत आंकड़े देकर राजस्थान को भुलावे में रखा है, आगे भी रखेंगे। जितने भी घोटाले पहले हो गये हैं, बी० डी० ओज० ने किए हैं और दूसरे सरकारी अधिकारियों ने किए हैं। कभी प्रधान और सरपंच ने घोटाला किया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी बात जो सर्क्यूलर्स वहां आते हैं वे गलत आते हैं। उनके गलत कामों की सूचना तो वही दे सकता है जो वहां प्रधान है और यहां एम० एल० ए० है वरना घोटाला होता है और इस सदन को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को हॉवी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

न होने दें और जो लोग आना चाहते हैं, उनको आने दीजिए । आप क्यों डरते हैं ? (घंटी) एक दफा आदमी जीत कर आएगा, उसके लिए लंबा-चौड़ा प्रोसीजर है वोटिंग का। इसलिए जो आपको डर है कि जो एम० एल० ए० है वह प्रधान नहीं बने, वह गलत है। एक आदमी, दो आदमी या पांच आदमियों के लिए कानून नहीं बनता। इसलिए आप इसे हटा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : Govenment reply.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (श्री जयकृष्ण शर्मा के बोलने के लिए खड़े होने पर) हम कांग्रेस पार्टी के व्यूज़ को जरूर सुनना चाहेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया था और सिलेक्ट कमेटी ने इसको पास किया "any voter of the Panchayat Samiti can stand for Pradhanship" अर्थात जो एम. एल. ए. है वह प्रमुख के लिए खड़ा हो सकता था, ऐसा मानकर बिल को सिलेक्ट कमेटी के अन्दर पास कर दिया था और अब यह बार लगाना एम. एल. ए. पर कि वहां नहीं खड़ा हो सकता, ठीक नहीं। इसमें कोई हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं। परन्तु पंचायत समिति में रहने वाला व्यक्ति, जो "एनी वोटर" की तारीफ में आता है उस पर डिस्क्वालीफिकेशन लगाना, न्यायोचित नहीं। श्री उमरावसिंह एक प्रधान होंगे, इधर भी २६-२७ प्रधान हैं। कांग्रेस ने तय किया कि कोई भी दो पदों पर नहीं रह सकता। हमने प्रधान पद से त्याग पत्र दिया। यहां हमारी पार्टी के सिद्धांतों का सवाल है, हम तो सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं, इसलिए मैं भीखाभाईजी से निवेदन करूंगा कि जो "एनी वोटर" की तारीफ में एम. एल. ए. आता है तो उस पर बार नहीं होनी चाहिए और उसे खड़ा होने दिया दिया जाय।

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : मैं सिर्फ दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। लड्ढा साहब आफ चीफ व्हिप हैं, अगर सरकार ने इस पर कोई जिद धारण की है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर वास्तव में एम. एल. ए. को फ्री और इन्डिपैंडेन्ट ओपीनियम एक्सप्रेस करने का मौका देने को तैयार हैं without any coercion or whip, let the M. L. As. decide it amongst themselves, and I can assure the House that the M. L. As. verdict will be against it.

तो कहना यह है कि सब एम. एल. एज़. यूनेनीमस हैं। इस पॉइन्ट पर किसी एम. एल. ए. का विरोध नहीं है कि एम. एल. ए. को प्रधान न बनाया जाय। श्री जयकृष्ण ने जो कहा मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो वोटर की डेफीनिशन में आता है वह प्रधान बन सकता है।

(घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अगर जिद का सवाल है और तय कर दिया कि इसका विरोध करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन ऐसे प्रश्न पर जहां सारे हाउस का सवाल खड़ा होता है तो उसे स्वीकार किया जाय। मैं एक अपील करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में एक व्हिप जारी करें that the members are free to vote in any way they like.

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : यहां मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने। मुझे प्रसन्नता होती यदि मैं....

(एक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री भीखाभाई : Listen to me. I shall convince you.

मैं निवेदन कर रहा था कि यहां पर एम. एल. ए. और एम. पी. के प्रश्न को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। संशोधनों में कहा गया है कि अगर कोई एम. एल. ए. या एम. पी. सरपंच है तो उसको डिबार नहीं करना चाहिए। यहां पर ये भी मुद्दे उठाये गए संविधान के सवाल को उठाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय सदस्यों से अपील करता हूं जैसे राजस्थान में पंचायती राज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारम्भ हुआ वैसे दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार के पंचायती राज की शुरुआत हुई। मैं निवेदन करूं कि किसी भी राज्य के अन्दर सिवा वेस्ट बंगाल को छोड़ कर कहीं भी एम. एल. ए. और एम. एल. सी को दूसरा ऑफिस होल्ड करने की इजाजत नहीं दी....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कहीं हो तो ?

श्री भीखाभाई : वेस्ट बंगाल को छोड़कर।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी चीजों से हम सदन के सदस्य कन्विंस्ड हैं। सवाल यह पैदा हुआ है कि इसमें लीगली जो स्थिति पैदा होती है और जिस पर सदन में बहस चल रही है, हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि एक तरफ आप हम वोटर को राइट देकर फिर डिबार करते हैं तो आप लीगली एग्ज़ामिन करा चुके हैं ? लीगली क्या ओपीनियन है ?

श्री भीखाभाई : तक लीगेलिटी का सवाल है उस मामले में एक दूसरा अमेंडमेंट तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम कन्सल्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी कई जगह पर इस प्रकार की रूलिंग हुई है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने कहा कि तैयार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! (श्री भीखाभाई से) Yes, please.

श्री भीखाभाई : यहां पर संविधान का सवाल उठाया गया और आपत्ति उठाई गई कि एम. एल. ए को, जो पीपल्स रिप्रेज़ेंटेशन एक्ट के तहत खड़ा होता है और चुना जाता है, उसको त्यागपत्र नहीं देना है।

लेकिन मैं यह कहता हूं कि पंचायत का जो एक्ट है, पंचायत समिति का अधिनियम बनाया है उसमें इसको कर सकते हैं। आर्टि-

(श्री भीखाभाई)

कम १४ का वायोलेशन नहीं होता है । इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने की बात माननीय सदस्य निर्णय कर लेते हैं तो निश्चित रूप में यह हो सकती है । प्रश्न यह उठता है कि क्या हम चाहते हैं ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम विधान सभा में बैठे हुए हैं। मैं निवेदन करूं कि थोड़ी देर के लिये मान लें कि विधान सभाई सदस्य नहीं हैं और साधारण नागरिक की तरह से हैं और पांच मिनट के लिये आत्म-निरीक्षण की भावना से, हम एम. एल. ए. हैं इस प्रकार की भावना को निकाल दीजिए....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये कि चेम्बर होता और नॉन एम. एल. एज़. जाकर बैठा करते और ओवरहीयर करते तो क्या पसन्द करते कि एम. एल. ए. को प्रधान बना लिया जाय ?

(शोरगुल)

महार साहब से पूछ लीजिये । वे कहते 'ना' ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको यदि विश्वास है तो कांग्रेस दल पर व्हिप इश्यू मत कीजिये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सफाई करनी है । चुन अपने आप आवेगा....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : मिनिस्टर से एम. एल. ए. बना दीजिये ! आप कहेंगे ना ।

श्री भीखाभाई : एक मिनिस्टर को एम. एल. ए. बना दें तो मत नहीं देंगे ।

श्री गोविन्दसिंह (पिंड़ावा) : On a point of clarificatin, Sir, एम. एल. ए. को प्रधान बनाना चाहिये; आप कहते हैं 'नहीं' । एम. एल. ए. को सरपंच नहीं चाहते हैं । एक डिविजन लीजिये । सरपन्च के लिये हां कर लेंगे, प्रधान के लिये नहीं करेंगे !

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे तब तक हमपास नहीं होने देंगे ।

(शोरगुल)

सारा हाउस एक मत है । आप मान लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में एक बार में पंचायती राज का श्रीगणेश हुआ । स्वर्गीय पं० जवाहरलालजी ने तमाम राज्य सरकारों

(श्री भीखाभाई)

को पत्र लिखे, भारत के पंचायत मंत्री श्री एस० के० डे० हैं उनसे मेरी बात हुई; उन्होंने भी बताया कि सारी विधान सभाओं ने इस प्रकार का कानून बनाया है और वहां भी एम. एल. ए. को प्रधान बनाने का सवाल आया, हमने इजाजत नहीं दी है। उनको वोटिंग राइट्स दिये हैं। चार स्टेट्स को छोड़कर अन्य जगह उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पंचायत समिति का सवाल है स्टेट लेजिस्लेचर के मेम्बर को उसमें नहीं रहना चाहिये, सादिकअली कमेटी ने भी यह माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदिकअली कमेटी के बाद सिलेक्ट कमेटी बनी उसकी राय के बाद इस प्रकार ये अमेन्डमेन्ट्स लाना मंत्री महोदय को कतई शोभा नहीं देता।

श्री मुरलीधर व्यास : माथुर साहब से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी कहा कि यह ऐसा ही रहेगा, फिर यह कैसे चेन्ज हुआ?

(घंटी)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : On a point of Order, Sir......

श्री भीखाभाई : He should act as friend, philosopher and guide.

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम इस प्रकार का एक परीक्षण कर रहे हैं; मान लीजिये इसको तीन साल के लिए कर लेते हैं, आगे इसको हम ऐसा कर सकते हैं..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Wise man learn by experience of others, while fools learn by their own experience only.

श्री भीखाभाई : एक्स ऑफिशियो मेम्बर फुल वोटिंग राइट्स के साथ बना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो जायल से आये हैं उनका अमेन्डमेन्ट मंजूर करता हूं।

श्री मानसिंह महार : आप हमें कन्विन्स नहीं कर सके।

श्री भीखाभाई : मैंने अमेन्डमेंट पेश किया है....

श्री मानसिंह महार : आपने एक भी माननीय सदस्य को कन्विन्स नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक भी माननीय सदस्य कन्विन्स नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सारे इश्यू पर कोअर्शन मत कीजिये, हाउस को फ्री छोड़ दीजिये, आपके आदमियों को खुला छोड़ दीजिये। हम वोटिंग नहीं करायें; आप पहले इसको कांग्रेस पार्टी में ही तय कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना अमेन्डमेंट वापिस लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माथुर साहब से निवेदन करूंगा....

श्री मथुरादास माथुर (विधिमंत्री) : मैंने सुन लिया है। गम्भीरता से भी विचार कर लिया है। जो भी पार्टी में करना है वह हम कर लेंगे। आपको इजाजत है, आप चाहे जैसे मत दें और हमारी पार्टी में जैसा हमारा डिसिप्लिन है वैसा चलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको आजादी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में एक भी मेम्बर को कन्विन्स नहीं कर सकते हैं। एक भी पक्ष में नहीं बोले किसी ने मंत्री महोदय को सपोर्ट नहीं किया है। सरकार जिद पर अड़ी हुई है। यह ऑटोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक है और डिक्टेटोरियल है। हम नहीं मत देंगे। आप उनको ही आजाद छोड़ कर वोटिंग करा लीजिये।

(६.०० म. प.)

श्री मथुरादास माथुर : आप अपने आप ही सोच सकते हैं। हमारे इधर क्या होगा, क्या नहीं, यह हमारे ऊपर छोड़ दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री ज्वालाप्रसाद ने रखा है........

(विराम)

Do you withdraw your amendment Shri Jawalaprasad Sharma.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I have no discretion. I have given my arguments. In the light of that the Government will think and I leave it to the Government. I withdraw my amendment.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री नत्थीसिंह ने प्रस्तुत किया है इस क्लॉज़ पर वह स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

प्रश्न यह है कि Shri Yajnik, do you withdraw ?

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : I withdraw my amendment under protest.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

'हां' पक्ष जीता

कुछ विरोधी माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता.

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुन: प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): बिल्कुल अन्डेमाक्रेटिक वे में जीते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप में जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुये :

(१) श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) :

(अ) ३१. In section 10 proposed to be substituted,—

(a) in sub-section (1b), after the expression 'other than those referred to at (a)', insert the words 'from amongst themselves'.

(b) to sub-section (2), add the following proviso, namely :—

'Provided that an associate member shall have a right to vote in proceedings relating to such matters of production programme as may be prescribed.'

(आ) ५६. In sub-section (10) proposed to be substituted, in clause (b), omit the words 'having area of operation' and after 'those referred to at (a), add and (c)' and thereafter add the words 'from amongst themselves'.

(२) श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) :—

In clause (c) of sub-section (1) of new section 10 insert words 'having area of operation' after the words and comma 'if any,'.]

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है : In Sec. 10 proposed to be substituted,— (a) in sub-section (1b) after the expression "other than those referred to at (a)" insert the words "from amongst themselves."

(b) to sub-section (2), add the foellowing proviso, namely :-

"Provided that an associate member shall have a right to vote in proceedings relating to such matters of production programme as may be prescribed-"

दूसरा अमेन्डमेन्ट है :

In sub-section (10) proposed to be substituted, in clause (b), omit the words "having area of operation" and after "those referred to at (a)" add "and (c)" and thereafter add the words "from amongst themselves."

उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले हम स्वीकार कर चुके हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के के जो एसोसियेट मेम्बर्स हैं उनको प्रोडक्शन के अन्दर राइट होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यहां पर क्लॉज़ नं० (बी) "from amongst themselves" जोड़ने का है। इसलिये यह मैंने इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं इस क्लॉज़ के बारे में पूछना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो भाषण दिया उसको किसने समझा और खुद भी समझे या नहीं कि क्या बोले ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम समझे हैं, मिनिस्टर साहब नहीं समझे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४ में मैंने एक अमेन्डमेन्ट छोटा सा मूव किया है। क्लॉज़ १४ में जो सेक्शन १० नया प्रपोज़ किया गया है उसमें क्लॉज़ (सी) में जो मौजूदा प्रावधान है वह इस प्रकार है कि मार्केटिंग सोसाइटीज़ के वे चेयरमैन जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो उस ब्लॉक के अन्दर हैं वे पंचायत समिति के सदस्य रह सकेंगे। परन्तु इसमें कई ऐसी मार्केटिंग सोसाइटीज जिनके केन्द्र या हैड-क्वार्टर्स अगर पंचायत समिति के क्षेत्र में नहीं हैं या ब्लॉक में नहीं हैं और उनका कार्यक्षेत्र पंचायत समिति में है तो वह मौजूदा क्लॉज़ से गवर्न नहीं होता है और सारे मार्केटिंग सोसाइटीज़ के चेयरमैन एक्सक्लूड हो जायेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बाड़मेर क्रय-विक्रय सहकारी समिति का केन्द्र बाड़मेर शहर में है और उसका कार्यक्षेत्र ४।। पंचायत समिति में है; शिव, बाड़मेर, चोहटन, धोरा-पीना और सेंथल। इनका हैडक्वार्टर बाड़मेर शहर में है। इस हिसाब से मौजूदा प्रावधान में मार्केटिंग सोसाइटी का चेयरमैन किसी भी पंचायत समिति का सदस्य नहीं हो पायेगा। इसलिये मैंने जो शब्द इसमें जोड़ने के लिये मोशन रखा है वे शब्द ये हैं :

(श्री गंगाराम चौधरी)

"Chairman of the marketing society, if any having area of operation in the block...,,

तो "having area of operation" जोड़ने से उन क्रय विक्रय संघ जिनका केन्द्र पंचायत समिति में नहीं है तो वे भी पंचायत समिति के सदस्य रह सकेंगे। यही मेरे अमेंडमेंट का सीधासादा मतलब है इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है और मैं निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम जानना चाहते हैं कि क्या है ?

श्री भीखाभाई : आप क्या समझते हैं आप ही समझें हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने संशोधन स्वीकार किया है जो उसके क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने मूव किया है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गंगाराम चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए।

(१) श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

(1) Proviso to clause (a) of sub-section (1) of section 12 be replaced as follows:—

"Provided that no person shall be eligible to be elected as Pradhan unless he is entiteld to vote for that office under the Act."

(II) Sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 12, be replaced by the following:-

"(i) The voters of all panchayats lying in the panchayat Samiti area".

(१) श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री):

(अ) In (I) sub-clause (a),—

(i) in the proviso to sub- section (1) proposed to be substituted, after the expression "and a resident of the block", add "and is able to read write Hindi",

(ii) after the said proviso, add the following further proviso, namely :-

"provided futher that election to the office of a Pradhan or Up-pradhan may be held notwithstanding the failure of any Panchayat or Panchayat Samiti to coopt any members at the first meeting convened for such cooption and any election so held shall be valid" notwithstanding such vacancies,,

(2) For sub-clause (b), substitute the following sub-clause, namely :-

"(b) in sub-section (2) for the expression beginning with "a meeting of the Panchayat Samiti" and ending with "as the Collector may nominate", the expression "election to the office of the Pardhan shall be cundueted in the preseribed manner" shall be substituted."

(आ) In sub-clause (a), after sub-section (1) proposed to be substituted, add the following, namely:-

"(1-A) A Pradhan shall, unless he is already a member, be an additional member of the Panchayat Samiti nnd shall in all respects and for all purposes, be deemed to be an ex-officio member of the Panchayat Samiti specified in clause (i) of sub-sectton (1) of section 8".

(इ) सदन में प्रस्तुत किया गया संशोधन:—

In sub-slause (a) after the proviso to sub-section (i), proposed to substituted, add the following further proviso:-

"Provided further that no person shall be entitled to be elected or to continue as Pradhan if he is or becomes a member of the state legisature or Parliament"

(२) श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :

Part (a) : In the proviso to sub-section (a) to section 12 the words "or a member of any Gram Sabha established under section 8 of Rajastan Gramdan Act, 1960 (Rajasthan Act 3 of 1960) in" be deleted and abter the proviso the following explanation be added:

(श्री गंगासिंह राठौड़)

"Explanation: Resident for this purpose means a voter who has actually resided for 180 days in the year previous to the date of nomination for the election."

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन मूव नहीं करना चाहता क्योंकि क्लॉज़ १३ स्वीकार हो चुका है और यह कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्ट है और फिर उन्होंने एक आश्वासन दे दिया है उस लाइट में मैं इसे मूव नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) What is that assurenc given to Shri Girdhari Lal Vyas? The House should know.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : विधि मंत्री को पता नहीं कि क्या अश्वासन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मेरा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर इतना है ....

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेंडमेंट है। आप अमेंडमेंट पर बोलिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सदन के सम्मुख यह बात आई है कि विधि मंत्री ने आश्वासन दिया है तो सदन को उसका ज्ञान होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा एक पोइन्ट ऑफ आर्डर है, उसका क्लेरिफिकेशन हो जाय तो मैं अपने अमेंडमेंट को विथ्ड्रा कर लूंगा कॉन्सीक्वेन्टली। आज सदन के अन्दर उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। पायलेटिंग मिनिस्टर तो पंचायत मिनिस्टर साहब हैं और आश्वासन विधिमंत्री साहब देते हैं, उसके ऊपर एक सम्माननीय सदस्य विथ्ड्रा करते हैं तो सम्माननीय विधि मंत्री से कहूंगा कि वह आश्वासन पंचायत मंत्री से आना चाहिये।

(श्री मथुरादास माथुर के खड़े होने पर)

He is piloting the Bill. Let him give an assurance.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : वह आश्वासन क्या है, मुझे भी मालूम नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : यह सदन है, इसमें मजाक की बात नहीं होनी चाहिये। वे कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह आश्वासन दिया था सहकारिता के बारे में वह सदन में दिया था। उसके बाद वे कहते

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं कि मैं विथ्ड्रॉ करता हूं तो कर दें। मुझे क्या पड़ी है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पास किया जा रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण धारा यह जोड़ी गई है, प्रधान के लिये खड़े होने का अधिकार कितना होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर को फ़्लाउट; कर रहे हैं; यह बात यह साबित करती है कि ऐसे नाकाबिल मिनिस्टर यहां पर हैं। मैं श्री भीखाभाई के लिए कहना चाहता हूं।

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : No, Sir, this is a reflection on our unity.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इस संशोधन के द्वारा मैं एक बार राजस्थान के मंत्रि-मंडल ने जो पंचायत कानून के विषय में, उसके बारे में वह स्वयं ही भ्रान्त और कन्फ़्यूज्ड हैं और एक बिल को पारित करने में एक नहीं, ६-७ मिनिस्टर्स लग रहे हैं फिर भी समझ में नहीं बैठता है कि क्या संशोधन करें और क्या नहीं, करें। इस तरह का एक क्लॉज़ है इस क्लॉज़ पर मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि इस पर मेरे दो संशोधन हैं। एक संशोधन तो यह है कि अगर जैसा कि कहते हैं कि ग्राम-पंचायत का कोई भी वोटर खड़ा होने का अधिकारी है इस स्थिति को आब भी आप मानते हैं, इतना गला घोंटकर, कुछ बातें पास कराने के बाद भी; तो मेरा संशोधन है कि जब खड़े होने का अधिकार किया है वह वोटर पहले है तो चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी उस पंचायत समिति के तमाम बालिग लोगों को होना चाहिये। इसलिये प्रधान का चुनाव बालिग मताधिकार से होना चाहिये ताकि सही रूप में अच्छी तरह से सम्भ्रान्त आदमी और केपेबल आदमी चुनकर आ सकें। एम० एल० ए० को वोटर रखकर उसको खड़ा होने का अधिकार देते हैं तो वह आपकी नौकरशाही की बात नहीं चलने देगा। तो इस तरह के आदमी को चुनकर आने दें जिसमें जनता को विश्वास हो और वह आपकी नौकरशाही की नहीं चलने देगा। आप पर उसका इतना डर है, आप पर नौकरशाही इतनी हावी है कि आप इस अमेंडमेंट को नहीं मानना चाहते हैं तो दूसरा अमेंडमेंट मेरा है। जब सदन ने इसको मुनासिब समझा और पहली बार एक संशोधन लाये और अनुभव के नाम से बैक डोर से लोग पंचायत समितियों में आ जाते थे और प्रधान बनते थे उस सहवरण की प्रथा को मिटाकर यह करें। और दूसरा संशोधन जिसको मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं उसको नहीं मानते हैं तो आपकी नियत साफ साफ जाहिर हो गई कि एनी वोटर का अधिकार देना चाहते हैं और एम० एल० ए० पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं। उसके बाद भी वे लोग जो सरपंच नहीं बन सकते, उनकी पंचायतों के पंच नहीं बन सकते उनको बैक डोर से लाने के लिए कानून पास कराया है और उसको प्रधान बनाना चाहते हैं। इसलिये मेरा संशोधन यह है कि अगर प्रधान को खड़ा करना चाहते हैं तो इलेक्टोरल कॉलेज के किसी भी सदस्य को अधिकार दें

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

ताकि उनकी हिम्मत तो हो; जनता के किसी भाग के पास जायें और जनता का विश्वास प्राप्त करें और सरपंच और पंच बनें और उसके बाद उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वे प्रधान के चुनाव को लड़ सकें; अन्यथा आप चाहते हैं कि जो लोग किसी तरह से रिप्रेजेन्टेटिव नहीं हो सकते वे बैक डोर से आ जायें। इस परिस्थिति में क्या होगा कि एनी वोटर का अधिकार दिया तो १०-१० आदमी खड़ा करेंगे और वोट बंटेंगे और वही भ्रष्टाचार होगा और उसी तरह के लोग आकर बैठेंगे जो कि पैसा खर्च कर सकते हैं और वही प्रधान बनेंगे और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। इसलिये मैं इस मतिभ्रान्त सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भी संशोधन आपके दिमाग में बैठता हो उसे स्वीकार करें और एक अच्छी परम्परा इस राजस्थान में कायम करें और पंचायती राज्य के नाम पर आप अपने दिमाग के दिवालेपन का परिचय नहीं दें।

श्री प्रतापसिंह : आपके दिमाग में अभी भी नहीं आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री परसराम, लड्ढा साहब, नाथूरामजी कोशिश कर रहे हैं कि दिवाला कम हो, लेकिन यह दिवाला नहीं कम हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार कैसे चलेगी ?

श्री रविशंकर याज्ञिक : I don't want to move my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखाभाई !

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ और भी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री मानिकचन्द सुराणा : अमेंडमेंट पास ही नहीं किया गया अभी तक।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय :

I move that in sub-clause (a)-

(i) in the proviso to sub-section (1) proposed to be substituted, after the expression "and a resident of the block", add "and is able to read and write Hindi"

(ii) After the said proviso, add the following further proviso, namely:-

"Provided further that election to the office of a Pradahn or Up-Pradhan may be held notwithstanding the failure of any Panchayat or Panchayat samiti to co-opt any members at the first meeting convened for such co-option and any election so held shall be valid notwithstanding such vacancies,"

(2) For sub-cluase (b), substitute the following sub-clause, namely:-

"(b) in sub-section (2) for the expression begining with 'a meet-

(श्री भीखाभाई)

ing of the Panchayat Samiti' and ending with 'as the Collector may nominate', the expression 'election to the office of the Pradhan shall be conducted in the prescribed manner, shall be substituted'

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष : Is there any more ? In sub-clause (a) ?

श्री भीखाभाई : दूसरा एक अमेंडमेंट और है जो कि कॉन्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट है और वह यह है

In sub-clause (a) after the proviso to sub-section (1) proposed to be substituted, add the following further proviso, namely:-

"Provided further that no person shall be entitled to be elected or to continue as Pradhan if he is or becomes a member of the State Legislature or parliament."

यहां पर कुछ एतराज काफी था और उसके लेकुना को दूर करने की दृष्टि से

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order, Sir, एक अमेंडमेंट जो माननीय मन्त्री महोदय ने अभी पेश किया है वह यह है कि पंचायत में जो कोऑप्शन में नहीं आये फिर भी चुनाव हो जाय उस पर अवैधानिकता नहीं आये और वैध मान्यता रखे उसको अभी अभी उन्होंने पढ़ दिया । वह संशोधन हाउस में वितरित नहीं किया गया नियमानुसार, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि नियमों की अवहेलना की गई है । वह संशोधन जिसमें यह ऑथोरिटी दी गई है कि अगर कोऑप्शन नहीं हो और चुनाव कर लेते हैं तो वह अवैधानिक नहीं इलेक्शन के नियमों के अनुसार और चुनाव बिना कोऑप्शन के जो सारी बातें हुई उसको ओथेन्टिक मान कर चलते हैं वह संशोधन क्या आपने साइक्लोस्टाइल कराकर भेजा है। वह नियमानुसार एक दिन पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है ।

यह नियमानुसार एक दिन पहले सर्क्यूलेट नहीं हुआ, इसलिये मैं निवेदन करता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : वैसे तो सारा पंचायत कानून ही अभी पेश किया है, लेकिन यह तो इमीजियेटली सप्लाई किया है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह वही लिस्ट है जिस पर सुबह गरमागरम बहस हुई थी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आज सुबह जो कागज फाड़ दिये गये थे आपको ताज्जुब होगा कि कई माननीय सदस्यों ने कागज़ फाड़े थे । हमको तो यह मिला ही नहीं ।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में काफी गर्मागर्म बहस हुई थी; अनौपचारिक तरीके से माननीय सदस्यों ने

(श्री भीखाभाई)

आरम्भ किया था और आसन से रूलिंग हो चुका था, उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। स्पीकर साहब ने इजाजत दे दी थी कि कोई अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहें तो कर सकते हैं; लेकिन आखिरी समय तक किसी ने मूव नहीं किया। लीगल लेकुना रह गया हो या कमी थी तो बता दीजिये। अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया यह हमारा सबका कर्तव्य है कि कोई अमेन्डमेन्ट जरुरी हो तो पेश करें। इस अमेन्डमेन्ट को मूव किया है, वह केरीड आउट होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आज सुबह सर्कूलेट हुआ। क्लॉज़ नं. १६ पर जो अमेन्डमेंट इस कागज में है वह मूव नहीं किया। क्लॉज़ नं. १६ में ६६ नं. पर जो अमेन्डमेन्ट है उसको इस हाउस में मंत्रीजी ने नहीं रखा और वह धारा पास हो गई। माननीय उपाध्यक्षजी, प्रोसिडिंग्ज़ देख लीजिये उसमें यदि यह आ गया है, मंत्रीजी ने मूव किया है तो आप प्रोसिडिंग्ज़ देख लीजिये उसके बाद आप कहिये ....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, विधि): अभी क्लॉज़ १६ चल रहा है और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया, उसके पहले पूरा क्लॉज़ मूव कर चुके हैं, जिसको आप ६६ नं. पर बताते हैं, आप प्रोसीडिंग्ज़ उठा कर देखिये, यह मूव किया था। दूसरा आप लोग चाहते हैं वह मूव नहीं कर सकते। लेकिन यह तो वर्ड बाई वर्ड मूव किया है हाउस की प्रोसिडिंग्ज़ रेफर कर ली जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Kindly maintain order, जहां एम. एल. ए. हों या जो कुछ हो, हाउस की सेंकशन लेकर कंसेंसन्स ऑफ ओपीनियन हो, तभी तो कर सकते हैं लेकिन मेरा अमेन्डमेन्ट इस अमेन्डमेन्ट के बारे में है। वह जो पहले आपने पढ़ा है वह कल मूव नहीं किया गया था और सर्कुलेट भी नहीं किया था, मूव करने की इजाजत भी नहीं ली गई थी। हाउस की इजाजत हो तो अब भी हो सकता है, ५ मिनट में ला सकते हैं, लेकिन हाउस में क्लॉज़ पास होने के बाद जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं और जो मूव नहीं हुआ है वह वेलिड कैसे माना जायगा ? हाउस में किसी चीज को जल्दी जल्दी पढ़ देना और जल्दी मचाना कानून बनाने का तरीका नहीं। जिस तरह से यह कानून बन रहा है वैसा जनतंत्र में कोई तरीका नहीं है। जब चाहा तब पर्चा बंटवा दिया। कब आपने इसको पेश किया ? आपने अमेन्डमेन्ट कल मूव नहीं किया। जो अमेन्डमेन्ट्स कल पेश नहीं किये वे बिना हाउस की इजाजत के आज सर्कूलेट नहीं हो सकते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अभी नया अमेन्डमेन्ट लेकर आये हैं।

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात माननीय सदस्य ने कही उस बारे में निवेदन है कि मैं ऑफिशियल अमेन्डमेन्ट नं ३२ मूव कर चुका हूं ४-५ दिन पहले, २५ तारीख को मूव किया था; इसको आज प्रातः काल सर्कूलेट किया गया था। उस बारे में आसन से रूलिंग हुई थी। इतना ही नहीं ४-५ दिन पहले मूव किया था, अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया था; आप भी मूव करिये,

Page No. 183

(श्री भीखाभाई)

आपके निर्देशन के अनुसार मैं यह मूव कर रहा हूँ। क्लॉज़ नं. १६ में है।

"In sub-clause (a) after the proviso to sub section.........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप जिसको सुना रहे हैं वह हमको सर्कूलेट नहीं किया ...

श्री भीखाभाई : आपकी आज्ञा से तो मूव कर रहा हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : हमारी आज्ञा से तो बहुत सी बातें आप नहीं करते हैं। इसको अब तक सर्कूलेट नहीं किया, इसके बारे में मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि बिना सर्कूलेट किये मूव किया जा सकता है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस की इजाजत ले लें। कायदा कानून से वाकिफ नहीं हैं तो सिखावें जिन्होंने अपने पास बैठाया है वे।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य अगर वकालत करते हैं तो हम भी मजिस्ट्रेट रहे हैं। हम जानते हैं, लोक सभा के कानून-कायदे आपसे पहले जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून कायदे आप नहीं जानते हैं।

श्री भीखाभाई : अमेंडमेंट किस वक्त किया जा सकता है, यह भी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में आज प्रातःकाल के सैशन में यह रूलिंग दी जा चुकी है। 72 (2) read with 266, उसके मातहत यह इजाजत दे दी गई है और इस प्रकार की पद्धति पार्लियामेंट में भी रही है और उसको भी मैं यहां कोट कर सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उसके अन्तर्गत यह है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका आदेश सही है।

(विराम)

आप बैठें या मैं बैठूं ?

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत दी जा चुकी है। इसके ऊपर पहले कह चुका हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : इजाजत यह दी है कि इस प्रकार अमेंडमेंट को सर्क्यूलेट नहीं किया जाय; ऐसी इजाजत दी है। यह है तो कह दीजिये कि यह इजाजत दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि केवल इस बिल के लिये इजाजत दी गई है, यथासमय जो संशोधन प्रस्तुत करें सरकार की तरफ से तो किये जा सकते हैं। इसी वजह से इतना समय दिया जा रहा है डिस्कस करने के लिए।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि सर्क्यूलेट किया जाय

(श्री मुरलीधर व्यास)

या नहीं ? सदस्यों को दिया जाय या नहीं ? यह आपके आदेश में है ।

श्री उपाध्यक्ष : वे खुद नहीं पढ़ेंगे ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : On a point of order...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order...

श्री उपाध्यक्ष : There can be only one point of order at a time.

श्री राधाकृष्ण गोयल : विधि मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट के बाद जो इन्ट्रोडयूस किया है बिल उसमें जो प्रभारी मन्त्री अमेंडमेंट करेंगे तो उस पर आपत्ति करने का और अमेंडमेंट पेश करने का समय दिया जा सकता है । अभी आपकी तरफ से अमेंडमेंट पेश किया जा रहा है वह सर्क्यूलेट नहीं किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : This is being done according to the ruling.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री भीखाभाई : I am in possession of the floor of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके आदेश को मानते हुये मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि जनरल एग्ज़ेम्शन दे दिया जाय, जब सरकार चाहे, बिना सर्क्यूलेट किये हुए, बिना इजाजत लिये हुए वह अमेंडमेन्ट कर सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष : जनरल एक्जेम्प्शन नहीं दिया गया है । यह केवल इस बिल के लिये है; जिसको आज पास करना है, जिसके अन्दर छोटी-मोटी त्रुटियों की वजह से, जो भी यथासमय ध्यान में आती हैं, अमेंडमेंट यहां प्रस्तुत किये जाकर उन पर वाद-विवाद हो जाय और पारित किया जाय । इस प्रकार की व्यवस्था की है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह कहा····

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन करना चाहता हूं :

"In sub-clause (a), after the proviso to sub-section (i) proposed to be substituted".........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक शनिश्चरजी का मन्दिर बनवायें और उनको यहां पधरा दें ।

श्री भीखाभाई :"Add the following proviso namely:- provided further that no person shall be entitled to be elected or continue as Pradhan"......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, आपकी इजाजत लें ।

श्री भीखाभाई : "...... if he is or becomes a member of the State Legislature or Parliament,,

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आपका अमेंडमेंट ६६ वाला....

श्री उपाध्यक्ष : पहले सारे अमेंडमेंट आने दें, बाद में देख लें।

श्री जुझारसिंह !

श्री जुझारसिंह (चेचट) : मैं इसको वापिस लेना चाहता हूं, यह कॉन्सीक्वेशियल अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला !

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठौड़ !

श्री गंगासिंह (राठौड़) जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश हुआ है वह बेडली ड्राफ्टेड है। इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, मैं निवेदन करूंगा कि बेडली ड्राफ्टेड की एक्ज़ाम्पल यह है कि जो ऐसोसियेटेड मेम्बर, जो पंचायत समिति में हैं, वहां अगर अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो एक-तिहाई मेम्बर की जरूरत होती है, उसको वहां राइट दे दिया है कि वह दस्तखत कर सकता है, लेकिन वोटिंग का राइट नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह बिल बेडली ड्राफ्टेड है। यह प्रोविजन है, इसके अन्तर्गत अमेंडमेंट पेश किया था वह मंजूर न होने के कारण परिस्थिति यह रहती है कि एसोसियेट मेम्बर वोट नहीं दे सकता है, एक तिहाई मेम्बरों के साथ हस्तखत कर सकता है, अगर दस्तखत होते हैं। इसी तरह मैं क्लाज १६ (बी) के लिये कहना चाहता हूं कि जहां पंच और सरपंच का सवाल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वह प्रधान हो सके क्योंकि सरपंच के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है वह यह रखी गई है-He must be a voter in that area परन्तु प्रधान केइलेक्शन के अन्दर he must be a voter and residetn; यदि कोई सरपंच है वह सरपंच प्रधान पद के लिये खड़ा हो सके, यह जरूरी नहीं है। इसलिए इस कन्फ्यूज़न को मैं सरकार के समक्ष रखूंगा और निवेदन करूंगा कि इसको रिमूव किया जाय ताकि इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में हाई कोर्ट से रिट न हो सके। मैं चाहता हूं कि रेजिडेंट का क्लॉज है, वह इसके साथ जोड़ा जाय, ताकि १६ के सम्बन्ध में रिट पेश नहीं हो। इसके साथ मैं निवेदन करूंगा कि ग्राम सभा के लिए अन्डर सेक्शन ८ ऑफ ग्रामदान एक्ट को रखने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि ग्राम सभा के अन्दर वोटर होता है, वह वोटर की डेफिनेशन में आ जाता है। इसलिए यह जो फालतू शब्द हैं इनको इससे हटाया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो अमेंडमेंट दिया है क्लॉज़ १६ के अन्दर,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उसमें यह लिखा है कि अगर कोई वोटर जो पंचायत समिति का मेम्बर अब नहीं है वह प्रधान चुनकर आ जाता है, तो कहा है कि वह एक्सऑफिशियो मेम्बर हो जायगा....

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उप-मंत्री, गृह) : Additional member.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव आ जायेगा तो वह एडीशनल मेम्बर रहेगा या नहीं ? यह कहां लिखा है वह आदमी प्रधान चुन लिया गया....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ऑटोमेटिकली खत्म हो जायगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कैसे हो जायगा ? इसमें प्रोवीज़न कहां है ? वह कौन सी धारा के तहत खत्म हो जायगा ? अगर किसी मेम्बर को एडीशनल मेम्बर बना दिया और उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और वह पास हो गया तो वह प्रधान के खिलाफ हुआ, उस मेम्बर के खिलाफ नहीं हुआ है । यह प्रोविज़न है तो वह मेम्बर पंचायत समिति का किस आधार पर रह सकता है ? और प्रमुख के अन्दर भी यही हालत है, उसमें भी यही लिखा है....

श्री नाथूराम मिर्धा ; आपके वश की बात नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह अमेंडमेंट पेश किया गया है, Unless he is already a member......

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I am in possession of the House.

श्री उपाध्यक्ष: Hon'ble member Shri Surana is there :

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक्स-ऑफिशियो मेम्बर मान लिया जायेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं, सिद्धान्त के तौर पर, अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कानून में डिफेक्ट बताया है, इस तरह के कानूनी डिफेक्ट....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! सदन शांत रहेगा तो ठीक से सुनाई देगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रभारी मंत्री, बातचीत बाद में करना । हमारी बात सुनें ।

आप एक आध डिफेक्ट की बात करते हैं, इसमें पच्चीस डिफेक्ट्स मौजूद हैं । विधि मंत्री का दिमाग नहीं चल रहा है । इस कानून में कहां-कहां चिप्पी लगायें, कहां-कहां दुरुस्त करायें । मैं कानूनी डिफेक्ट की बात नहीं करता, मैं सिद्धान्त के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं । आपने किस वोटर को अधिकार दिया है, वह दिया गया है इलेक्टोरल कॉलेज को, जिसको पंच और सरपंच तक सीमित कर दिया है । नतीजा यह होगा कि खड़ा कोई हो सकता है, अगर चुन लिया जायगा तो एडीशनल मेम्बर हो जायगा । इसका नतीजा यह होगा कि चुनाव खर्चीला होगा । जब पैंतीस चालीस सरपंच थे तो उनको तो लोग गंगाजी में स्नान कराने ले जाते थे, हैदराबाद के दर्शन

Page No. 187

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कराने ले जाते थे, कमरों में बन्द रखे जाते थे। अब जो चार सौ का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया है, तो मैं समझता हूं कि राज्य की परिस्थिति को देखते हुए यह चुनाव खर्चीला हो जायेगा। मैं समझता हूँ कि वोट का अधिकार बालिग मताधिकार के आधार पर दे दें। बालिग मताधिकार के अनुसार प्रधान का चुनाव करवाया जाता है तो जिस दिन सरपंच और पंच के लिये वोट पड़ते हैं उसी दिन प्रधान का चुनाव हो जायगा। आपने यह स्वीकार कर लिया है कि जो लोग कोऑप्शन से—हरिजन और महिला—आयेंगे उनको प्रधान के चुनाव के लिये वोट दिया जाना आवश्यक नहीं है। इससे यह कठिनाई भी खत्म हो जायेगी। उसमें हरिजन और महिला के वोट भी आ जायेंगे। यह सस्ता तरीका हो सकता है, अन्यथा सरपंच और पंच का चुनाव होगा। उसके बाद कोआप्शन होगा और पन्द्रह बीस दिन के बाद प्रधान का चुनाव होगा। इस प्रकार महीने डेढ़ महीने तक प्रधान और प्रमुख के चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी, ग्राम-जीवन में इतने समय तक चुनाव चर्चा रहेगी, इससे न तो लोग काश्त की तरफ ध्यान देंगे और न दूसरी बातों की तरफ ध्यान देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिद्धान्त के तौर पर चुनाव को सस्ता करना चाहते हैं क्योंकि एम. एल. ए. के चुनाव के लिये ६ हजार रुपये की सीमा रही है, तो अगर चार सौ वोटर्स का इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा तो मंत्री महोदय नोट कर लीजिये, करीब दस-बीस हजार से कम खर्च करने पर प्रधान नहीं बन सकता है। इसलिये इलेक्टोरल कॉलेज बालिग मताधिकार के आधार पर कर दिया जाय तो सरपंच और पंच के साथ प्रधान के वोट पड़ जायेंगे और कोऑप्शन न होते हुये भी प्रधान का चुनाव हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह का प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं है।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूं कि सिद्धान्त के तौर पर बालिग मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये ताकि प्रत्येक ग्रामवासी इस बात को महसूस करे कि वह खुद प्रधान का चुनाव करता है। यह आप उस ग्रामवासी को महसूस होने दें ताकि वह इस बात को महसूस करे कि डेमोक्रेसी में उसको भी कुछ हक है। उसको जब यह महसूस होगा तो उसकी डिगनिटी बढ़ेगी और जब वह अपनी डिगनिटी महसूस करेगा तो उसको मालूम होगा कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट में उनका कितना हाथ है?

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Minister, please!

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुराणाजी ने जो पॉइन्ट उठाये हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी वोटर को यह इजाजत दी है कि वह चुनाव के लिये खड़ा हो सकता है। खड़ा होने के बाद में लीगल पोजिशन क्या है, और उसमें डिफिकल्टी रह गई कि उसकी क्या हैसियत रहेगी? जिला परिषद् में १२१ सदस्य बनाये, कोऑप्टेड सदस्य बनाये। अब उनकी क्या हैसियत रहेगी? इसके लिये ही यह अमेन्डमेंट मूव करना पड़ा है। वह

(श्री भीखाभाई)

मेम्बर कोऑप्टेड रहेगा जब तक रिवर्स कोई फैसला नहीं हो। जैसे किसी के खिलाफ नो–कॉन्फीडेन्स आया और चार्जेज़ हुए या ४० के अन्तर्गत किया तो वह चला जावेगा।

इलेक्टोरल कालेज के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डाइरेक्ट इलेक्शन की सलाह दी। मैं यह कहूंगा कि एम. एल. ए. का डाइरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होता है। उसमें क्या खर्चा होता है, यह सभी हम विधायक जानते हैं और क्योंकि एक पंचायत समिति का क्षेत्र होता है वह बहुत बड़ा होता है इसलिये डाइरेक्ट इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है और माननीय सदस्य कहें या न कहें सभी जानते हैं कि क्या क्या खर्चा होता है। हर एक व्यक्ति अपनी स्थिति अच्छी तरह से जानता है कहने की जरूरत नहीं कि क्या खर्चा होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको डाइरेक्ट इलेक्शन के बजाय इन्डाइरेक्ट किया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ हमने यहां पर संशोधन के रूप में रखा है वह ठीक है और माननीय सदस्यों को उसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने क्लेरीफिकेशन दिया कि अविश्वास का प्रस्ताव उसके खिलाफ होगा तो वह चला जावेगा। मैं यह कहूंगा कि आपके यहां पर नियम है कि प्रधान के खिलाफ अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव पास होता है तो वह सरपंच बन जाता है। इसलिये अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो हो जाएगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धींगा–धींगी में अच्छी तरह से यह कानून नहीं बन पायेगा। इसलिये मेरी इच्छा यह है कि इसको अच्छे वातावरण में पास करें तो उचित होगा।

मैं आपके जरिये प्रस्ताव करूंगा कि हमारे दूसरे स्थगन प्रस्तावों के जवाब दिला दिया जावें और याचिकाएं प्रस्तुत करवा दी जावें ताकि हम तो घर जावें। वह काम पहले करवा दिया जावे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि पंच और सरपंच के चुनावों के कितने दिन बाद आप यह चुनाव कराते हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके दूसरे रोज ही प्रधान का चुनाव कराने से आपको क्या तकलीफ है? वोटर्स तो आवेंगे ही।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : कोऑप्टेड मेम्बर्स होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप उत्तर दे रहे हैं पाइलॉटिंग मिनिस्टर पाइलॉट नहीं कर सकते हैं क्या?

श्री अब्दुलजब्बारखां : उन्होंने लिख दिया है कि कोऑप्शन के बिना हो सकता है।

श्री भीखाभाई : वह इसलिये कि पहले इसको पास कर दिया है। पहले मैंने ख्याल किया था कि कोऑप्शन नहीं होगा तो उसके अभाव में प्रमुख और प्रधान के चुनाव रोके न जावें।

श्री अब्दुलजब्बार : कानून में आप ख्याली बात चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १६ में श्री नत्थीसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने क्लॉज़ १६ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जुझारसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७।

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैं प्रेस नहीं करता।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है :

After the words "in Section 14 of the Panchayat Samitis Act," insert the following, namely:—

"(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be added, namely :-

"(1a) notwithstanding anything contained in sub-section (1), the term of the Panchayat Samitis as existing on the the date of the commencement of the Rajasthan Panchayat Law (Amendment) Act, 1964, shall be extended upto the 31st day of March, 1965, or such earlier date as may be notified by the State Government in this behalf."

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ में जो संशोधन श्री भीखाभाई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ २३।

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस एक्ट के दौरान में सुबह अमेंडमेंट हुआ है उसको पेश करता हूं :

"In Amendment No. 35, in (1), (b), after the second proviso, add the following proviso, namely:-

" Provided also that no person shall be a member of the Municipal Board or council and also a Pramukh of the Zila Parishad and provision Shall be made, notwithstanding anything in any law for the time being in force, by rules for the vacation by person who is chosen member of the Municipal Board of Council and also Pramukh of the Zila Parishad, of his seat as such member of the office of the Pramukh."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भीखाभाई ने क्लॉज़ २३ पर प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया

(स्वीकृत)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २३, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २३, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट, इसमें यह है कि "इसको इमिजियेटली लागू किया जावे।" पंचायत बिल पास होने के बाद एक्ट बन जाता है तो इसको एट वन्स लागू कर दिया जावे। इसलिये डेट ऑफ पब्लिकेशन के बजाय इसको इमिजियेटली लागू कर दिया जाय।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन प्रेसिडेन्ट की असेंट होगी फौरन छपा दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक का क्लॉज़ १ प्रिएम्बल, टाइटल, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल, इनेक्टिंग फॉर्मुला इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन)....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हम थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : हमने कानून पास नहीं किया, घास काटा है।

श्री मानसिंह महार : हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और घास काटा है। अगर आज हम यह कह दें कि हमने किसी कानून को पास किया है, तो यह 'कानून' शब्द के साथ अन्याय है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माथुर साहब कह रहे हैं कि वैसे ही उनके १२ बजे हैं, अब आप क्यों १२ बजाते हैं ?

श्री मानसिंह महार : भीखाभाई को जब से मिनिस्टर बनाया तभी से १२ बज गये इनके तो, केबिनेट में लिया तभी से १२ बज गये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आप जरा अपनी शक्ल तो देखें, आप क्या बजा रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आपने तो साहब १२ बजा ही दिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठें।

श्री मानसिंह महार : मैं एक प्वाइन्ट पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल पास करने जा रहे हैं उसमें इतने उटपटांग संशोधन रखे गये हैं कि उनके कारण हमें बाध्य होना पड़ा है कि इसके तृतीय वाचन पर हम अपने विचार व्यक्त करें। इसमें चार मोटी-मोटी बातें थीं जिन पर हमने सरकार से प्रार्थना की थी कि हमारी बात मान ले पर सरकार ने कान बन्द कर लिये। विरोधी पक्ष बात कहे तो सुनने तक को तैयार नहीं, यहां तक हालत है कि....

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिंहजी तो खाना खाकर चले आये हैं इसलिये लम्बा चलायेंगे।

श्री मानसिंह महार : यहां तक हालत रही कि एक ही प्रकार के तीन अमेंडमेंट्स-एक कांग्रेस पार्टी ने दिया, एक संयुक्त समाजवादी पार्टी ने और एक स्वतन्त्र पार्टी ने दिया था, पर सरकार में इतनी भी उदारता नहीं कि एक ही प्रकार के तीन अमेंडमेंट्स हैं तो किसी विरोधी पक्ष के मित्र का अमेंडमेंट मान लें।

श्री मथुरादास माथुर : हमने माना है।

श्री मानसिंह महार : बराबर का अमेंडमेंट नहीं माना है।

(श्री मानसिंह महार)

यह संकीर्ण वृत्ति ऐसी दुखदाई है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस बिल में इतनी बड़ी-बड़ी खामियां हैं कि उनके कारण मुझे इस पर बोलना पड़ रहा है। इस कानून में एम. एल. ए. को प्रधान के चुनाव में खड़े होने से रोका है, यह बहुत गलत चीज है। आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि एनी वोटर आफ दी पंचायत समिति को अधिकार है कि प्रधान के लिये खड़ा हो सकता है, दूसरी तरफ यह कैद लगाते हैं कि एम० एल० ए० प्रधान के लिये खड़ा नहीं हो सकता। यह कोई तरीका नहीं है। अगर आप इतना भी कर देते कि एम० पी० को प्रमुख के लिये खड़ा होने से इंकार कर देते तो हम मानते कि आप में हिम्मत है पर एम.पी. तो आपके लिये खुदा है, आप उनसे डरते हैं, मीखाभाई तो वैसे ही लड़खड़ा रहे हैं कि क्या पता क्या होगा? इसलिये एम.पी. को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि अब तो कामराज वगैरह की कई बातें आ रही हैं। उधर बैठने वाले हमारे साथियों ने काफी हिम्मत बताई थी पर माथुर साहब से डर गये, आपके आश्वासनों की तो वे लोग भी कद्र नहीं करते। दुर्भाग्य की बात है कि जो मिनिस्टर जिस कानून को पॉयलेट कर रहा है उसमें उसके सहयोगियों का कोई विश्वास नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): किसी मिनिस्टर के बारे में क्या है, क्या नहीं कैसे है, कैसे नहीं है, थर्ड रीडिंग का यह तो कोई विषय नहीं है।

श्री मानसिंह महार: यह तो बड़ा अहम सवाल है, हम आपके दिमाग को पलटना चाहते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी: हमारा दिमाग तो वही है जिससे आपकी जागीरों को खत्म किया है।

श्री उपाध्यक्ष: बिल के बारे में बोलें।

श्री मानसिंह महार: बिल के बारे में ही बोलता हूं, पर ये जो बीच-बीच में बोलते हैं जिनके दिमागों का रूख जा जा कर दिवाला निकल गया और मेरी बातों में डिस्टर्ब करते हैं।

प्रधान के बारे में जो बात की वह अन्यायपूर्ण है। दूसरी बहुत अन्यायपूर्ण बात की है, उसके लिये मैं सभी माननीय सदस्यों से, खास तौर से उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहता हूं कि कृपा करके भाइयों आप तो इसके प्रति मत नहीं देना, वह अन्यायपूर्ण बात स्टेन्डिंग कमेटीज़ के चुनने के लिये वोटिंग के तरीके के बारे में है। स्टेन्डिंग कमेटीज के गठन के लिये वोटिंग का तरीका रखा है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेज़ेन्टेशन, जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने तय किया वह न रख कर प्रेस्काइब्ड मेनर रखा है। हमारे मन्त्रियों में तो कोई काबिल नहीं हैं, उनके आका जो उधर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले, वे ही प्रेस्काइब करेंगे।

(१०. ०० म. प.)

श्री भैरोंसिंह: बहुत अनपॉर्लियामेन्ट्री वर्ड है कि माननीय मंत्रीजी के लिए कहा जाय कि आपके आका उधर बैठे हैं।

श्री मानसिंह महार : मंत्रीजी क्यों नहीं डाइरेक्टली रख देते हैं, 'in the prescribed manner' लेकिन वे उसको समझ भी नहीं सके।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा–मु०) : पहला नम्बर है, देश के लिए सर्विस की है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उधर बैठने वालों की क्या सर्विस है, वह हम जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि तृतीय वाचन में सीमित समय लें ताकि कार्यवाही जल्दी समाप्त हो सके और यदि इसमें अधिक विलम्ब किया जावेगा तो और भी बिज़नेस है, विलम्ब होगा । इसलिए उनके सहयोग की प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि प्रत्येक माननीय सदस्य पांच मिनट बोलने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार : मैं तो खतम ही कर रहा हूं ।

तो मैं निवेदन कर रहा था, मैं इस अमेन्डिंग बिल पर आना चाहता हूं । दुर्भाग्य का विषय यह है कि कुछ इधर के मित्र खरी बात कहने के आदी हैं उससे उत्पीड़ित हो जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन से निवेदन करूं कि कुछ बातचीत कम हो और बात सुनी जाय ।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि स्टेन्डिंग कमेटी के चुनाव में 'इन दी प्रेस्क्राइब्ड मेनर" रखा है वह नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी तय हो जाय। सदन सर्वोपरि है, यही तय कर लें कि आगे इस तरह से करेंगे ।

तीसरा मेरा पॉइन्ट ऑफ डिसएग्रीमेन्ट इस कानून को जिस तरह से पास किया जा रहा है उससे है । वह यह है कि आपने प्रमुख के चुनाव में म्युनिसिपेलिटी के आदमियों को खड़ा होने का अधिकार दे दिया, वह बहुत गलत है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के आदमी रखे थे, उनको हटाया जाता था यह कह कर हटाया जाता था कि बाहर के लोग आकर ऊपर की कार्यवाही करने लग गये । सरकार के सही लाइन में जाने की बात कम कह रहे थे । लेकिन एक तरफ तो बड़े बड़े शहरों के आका लोग हैं, इन्हीं मंत्रीजी पर दबाव डालें कि जिला परिषदों में हमारा समावेश होना चाहिये, सरकार पर दबाव डालें कि जिला परिषद् में म्युनिसिपेलिटी वालों को भी आने दीजिये । जब नतीजा क्या होगा कि जिला परिषद् के चुनावों में, उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी शहरों में रहने वाले हैं लखपती आदमी वे जिस तरह लाखों रुपया खर्च करके पार्लियामेन्ट में जाते हैं, जिला परिषद् के चुनाव में भी जयपुर के गोलेच्छा साहब और कोई साहब, एक दो लाख खर्च करेंगे और चुनाव में आजावेंगे और सही आदमी जिला परिषद् में जाना चाहिए उनके हकों पर कुठाराघात होगा । जो सरकार यह कहती है कि हम सोशलिज़्म लाना चाहते हैं हम समाजवाद लाकर नीचे गिरे हुए लोगों को उठाना चाहते हैं वही सरकार आज गांवों के

(श्री मानसिंह महार)

लोगों के हकों पर कुठाराघात कर रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह प्रोविज़न भी बहुत गलत है। इसलिए कहना मुझे बहुत कुछ है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दस बज रहे हैं। दिन भर हो गया, बोलते २ गला खराब हो गया। यह कोई इंगलैंड की पार्लियामेन्ट नहीं है कि वहां पर डिनर और लंच का केन्टीन में इन्तजाम हो। यहां पर मिठाई का इन्तजाम भी तो ऐसा है कि उस को लिया जाती है तो गला बैठ जाता है। ऐसी सूरत में मैं जानता हूं कि जिन्होंने वोट देकर भेजा है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, इस बिल को रात भर भी पास न होने दें। इसमें इतनी गलतियां हैं, इतनी कानूनी गल-

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तियां हैं। खत्म ही कर रहा हूं। इतनी लीगल गलतियां हैं और अब तो हमारे कानून के पंडित उप-गृह मंत्रीजी भी आकर बैठे हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह): क्या ही अच्छा होता आपके गले में आदमी की आवाज होती ?

श्री मानसिंह महार: वही तो दुर्भाग्य है। वह तो आपके गले में है ही नहीं। वह तो मैं जानता हूं। उप-गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं आपको भगवान ने रत्ती भर भी अक्ल दी है तो इस कानून में हजारों गलतियां हैं, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कराइये और दा साहब आपके जैसे बुजुर्ग के बैठे हुए गलत कार्यवाही होती है, यह भारत का दुर्भाग्य है, भारत के रचनात्मक कार्य करने वालों का दुर्भाग्य है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव के सिलसिले में जहां तक इस कानून का सवाल है, चुनाव देश की लोकतान्त्रिक ऐसी प्रणाली है जिसमें ऐसा परिवर्तन होना चाहिये कि जिससे हमारे देश का भविष्य लोकतान्त्रिक विकास में नये ढंग से बना सकें। आज हमने देश में पंचायत राज में अग्रगण्य स्थान अपना रखा है। चुनाव की प्रणाली जिस प्रकार हमारे देश में चल रही है उसमें काफी धन खर्च होता है। काफी समय भी खर्च होता है। बार बार चुनाव चलते रहते है, कभी पंचायतों के, कभी म्युनिसिपेलिटी के और कभी आम चुनाव। पंचायतों के चुनाव में हम इस प्रकार का उन्नत कदम उठाते कि जिससे चुनाव-प्रणाली में परिवर्तन होता। आम चुनाव पांच साल में होते हैं। यदि देश में नयी प्रणाली चलाते तो पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज़ और आम चुनाव सब एक साथ हो जाते जिससे देश में नया वातावरण आता और देश की जनता का ध्यान भी बार बार न बंट कर एक आम चुनाव की तरफ आ जाता। बाद में लोग दूसरे काम में लग जाते। चुनाव में भी यह लोगों को भान कराना चाहिये था कि चाहे पंचायत के चुनाव हों, पंचायत समिति, जिला परिषद्, एम. एल. ए. अथवा एम. पी. के चुनाव हों, सब एक साथ हो जायं, वोटरों को इससे यह भान होगा कि इस सदन में हमारा हाथ है। गांधीजी भी यही चाहते थे। वे यह कहते थे कि देश के निर्माण में लोग यह महसूस कर सकें कि इसके

(श्री मुरलीधर व्यास)

निर्माण में मेरा हाथ है। मैं समझता हूं कि हम उनको इस प्रकार की एक नयी प्रणाली देते। आम चुनाव जनवरी में हुआ करते हैं। पंचायतों के जनवरी में रखे हैं हम यदि इस प्रणाली को लागू करते कि सब चुनाव एक साथ करा लेते तो अच्छा होता।

इसमें यह होता कि राजस्थान ने एक नई पहल दी और बार बार जो चुनावों में खर्चा होता है और बार बार जो चुनावों में बातें आती हैं वे भी समाप्त होतीं। तो हम यह चाहते हैं कि चुनावों के समय में कम से कम खर्चा हो और इस चुनाव के मामले में राजस्थान को एक नया रास्ता देना चाहिए और मैं समझता हूं कि देश के दृष्टिकोण से जब कि हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा इतना न हो और हम यह भी चाहते हैं कि एक ही आदमी एक ही पद पर इस प्रकार से काम करे और अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो अच्छा होगा। उसमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता और एक साथ देश के चुनाव हो जाते और वह भी डाइरेक्ट मेथड से। हर एक आदमी को सब के अन्दर वोट देने का अधिकार मिल जाता। तो मैं समझता हूं कि यह प्रणाली अच्छी होती। आज जो पंचायतों का कानून बना है इसमें बहुत सी खामियां हैं, किस प्रकार से कानून को पास किया है एक कानून जो सारे राजस्थान के लिए है उसको जल्दी में और मनमाने ढंग से अमेन्डमेन्ट्स लाकर और उन सब को भी सर्क्यूलेट नहीं किया जा रहा है और उसको हमें पास करना है और समय का ख्याल रखना है और सब को कल जाना है, आज ही इससे शन को खत्म करना है तो पंचायत कानून को इस तरह से पास करना लोकतांत्रिक परम्पराओं के खिलाफ है। अगर हमारी यही प्रतिक्रिया जारी रही तो आज जो कानून बनने जा रहा है, उससे हम देश के साथ और राज्य की जनता के साथ बहुत धोखा करते हैं, सिर्फ एक थोड़े से समय के दृष्टिकोण से।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समझता हूं कि आज जो कानून हम पास करने जा रहे हैं इससे राज्य का हित होने वाला नहीं है। ठीक है चुनाव जल्दी कराने हैं इसलिए उस परम्परा को ठीक समझते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चुनाव के मामले में एक देशव्यापी तरीका अख्तियार करना पड़ेगा और यह तरीका जो हम करने जा रहे हैं यह बिलकुल दोषपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून हम आज पास करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह नई बात नहीं है; इस सरकार के लिए और यहां के कानून विभाग के लिए और यहां के जो विभागीय अध्यक्ष या अधिकारी हैं उनके लिए। इस सरकार ने जो कि चुनी हुई सरकार है कानून बनाने के लिए जो कदम समय समय पर उठाये हैं उन सारे कानूनों में जो ब्यूरोक्रेसी, जो कि पहले का गुलाम सरकार के अन्दर थी वही की वही

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आज मौजूद है और उन्होंने चुने हुए लोगों के द्वारा जो कानून बनाने के लिये जो कानून पास किये उनमें यह पहला कानून नहीं है कि जिसके अन्दर गलतियां हों। राजस्थान के अन्दर जितने कानून बने, लैण्ड रिज़म्पशन एक्ट बना वह हाईकोर्ट में चेलेन्ज हुआ और उसमें अमेंडमेंट्स करने पड़े। यहां का टीनेन्सी एक्ट है उसमें जितनी लीरियां लगी हुई हैं उतनी किसी भी देश के किसी भी स्टेट के कानूनों में नहीं लगी हुई हैं, ऐसा दीवालिया कानून बनाया। इसके अलावा सीलिंग का कानून बनाया उसके लिए भी आपके हाईकोर्ट में स्टे मिल गया। जो पहले का पंचायत समिति एक्ट था उसमें कितनी दफा यहां अमेन्डमेंट्स लाये गये, म्युनिसिपैलिटी एक्ट में भी कितनी दफा अमेंडमेंट्स किये गये। कहने का मतलब यह है कि जितने कानून यहां पर बनाये गये जिनका ड्राफ्टिंग हमारे ब्यूरोक्रेटिक लोगों ने बनाया, जो कि राजाओं के ज़माने के गुलाम हैं, उन्होंने बनाया। वह हमारी चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के हेस्टी लेजिस्लेशन हमारे यहां पर पास करवाते हैं। आज जो कानून पास करवाया जा रहा है उसमें भी इतनी खामियां हैं कि उसके लिये मैं भविष्य-वाणी करता हूं कि आने वाले ६ महीनों के अन्दर ही एक नहीं पचासों अमेंडमेंट्स यही सरकार करेगी और उस समय जब अमेंडमेंट्स लायेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इतने दिन बैठकर इस कानून के ऊपर हमारे मेम्बरों को जो पैसा मिलेगा उसका दुरुपयोग हजारों की तादाद में हो रहा है और बाद में भी अमेंडमेंट्स वगैरह लाकर और पैसों का दुरुपयोग करवायेंगे।

मैं फिर कहता हूं, आप चुने हुए लोग हैं, आप कांग्रेस के लोग कहाते हैं जो कांग्रेस इस हिन्दुस्तान की आजादी लाने के लिये आगे आई आप यहां आज़ादी के बाद अच्छे कानून बनाने के लिये बैठे फिर भी आप उन्हीं लोगों के हाथ के बनाये हुये कानून उन्हीं के द्वारा ड्राफ्टिंग किये हुये कानून जोकि वास्तव में गलत हैं, सही नहीं हैं उन्हीं राजाओं के xxxx लोगों से बनवाते हैं....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : Point of of order. Sir xxxx शब्द बिल्कुल अनुचित है। ...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : बिल्कुल xxxx हैं। मैं ५६ माडल कांग्रेसी नहीं हूँ, ६२ मॉडल कांग्रेसी भी नहीं हूं। मैंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं उनको xxxx कहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : यह तो फोर्डगाड़ी है जो भों भों करती है।

श्री उपाध्यक्ष : तो शब्द xxxx इस्तेमाल में लाया गया है " that is expungd.,

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो xxx शब्द का मैंने प्रयोग किया और आपने निकाल दिया....

---

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री उपाध्यक्ष : Now five minutes are over.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमने जिस तरह से त्याग और तपस्या करके इस देश को आबाद बनाया है वह इसलिये नहीं बनाया कि ऐसे ऐसे नियम बनाये जायें आज हम कहते हैं कि वे इस तरह के लोग हैं, जो कानून बनाने वाले हैं और आप कहते हैं एक्सपन्ज कर दियेकि जायें और वे लोग जिनके यहां नौकर थे उन्होंने ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया। ऐसे लोग आज कांग्रेस में आ गये ५६ मॉडल और ६२ मॉडल लगाकर आ गये, यही हमारी कांग्रेस को बदनाम करने वाले लोग हैं जो इस तरह से नकली नकाब लगा कर बैठते हैं और गरीब जनता के हक में जो कानून होने चाहिए उनको आप शहरों की जनता के लिये बनाना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष I think, enough debate has been done.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि आप में हिम्मत है तो आप कभी अमेंडमेंट मत लाना।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कहना चाहता हूं हमारी गवर्नमेंट को भी और राष्ट्रपति को भी कि इस तरह के कानून के अन्दर सेंक्शन देते समय इस बात को सोचें कि वास्तव में जो कानून बनाया है इसके अन्दर कितनी खामियां रहीं और किस तरह से हमारे यहां पर अमेंडमेंट लाया गया। इन सारी बातों को बाकायदा रखना पड़ेगा इसलिये कि आज हम कानून बनाकर खत्म नहीं हो रहे हैं कितने ही कानून बनायेंगे यदि इसी तरह से नीति रही तो हमें खतरा है कि आगे आने वाले समय में यह डेमोक्रेसी खत्म न हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Order. please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : Point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल ८५ की ओर दिलाना चाहता हूं....

श्री मथुरादास माथुर : रोज दिलवाते हैं। रोज रूलिंग हो जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहता हूं कि हम कितनी भी अपील करें सरकार बहुमत के आधार पर नहीं मानेगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर से यह आशा रखता हूं और यह उम्मीद करता हूँ कि हमें न्याय मिलेगा। आसन आपकी तरफदारी करे, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कानून जिसमें इतने मैटीरियल अमेंडमेंट हुये हैं और महत्वपूर्ण संशोधन जिसमें हुये हैं उसमें ज्यादा संशोधन होने के कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम ८५ के तहत आज यह कानून पास नहीं किया जा सकता....

श्री उपाध्यक्ष : I presume you have put it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, शासन पक्ष यह मानकर चलता है

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि हमारा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल आउट होने वाला है पर आसन निष्पक्ष है और हमारे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के आधार पर हमारी वाजिब मांग पर और महत्वपूर्ण संशोधन पर हमें समय देगा और कल के लिये यह सदन स्थगित होगा क्योंकि मैटीरियल अमेंडमेन्ट्स हो रहे हैं। इस लिये नियम ८५ के अधीन सदन में सही विवाद को दृष्टि में रखते हुये इस पर कार्यवाही कल के लिये स्थगित करके पासिंग का जो मोशन है उसके ऊपर कल विचार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में पहले ही आसन से यह व्यवस्था दे दी जा चुकी थी कि अमेन्डमेंट्स को किस प्रकार से लाया जाय और किस तरह से हो। इसलिए रूल ८५ के अन्दर ८५ (२) में :

'Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made.'

उसी के अन्तर्गत यह लिये गये हैं और इस आपत्ति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवश्यकता क्या है, सुनें नहीं तो क्या मालूम हो। बात ही दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि वह व्यवस्था कब दी गई थी ?

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में पहले ही अमेन्डमेन्ट्स के मुताल्लिक और दूसरी प्रकार से व्यवस्था दी जा चुकी है और उसी लाइट में अब इसको एन्टरटेन नहीं किया जा सकता है।

अब मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अब इस बहस को यदि प्रोट्रेक्टेड करने की इच्छा है तो फिर मुझे आश्रय रूल २२२ का लेना पड़ेगा जिसके अन्दर सदन की मन्शा से मुझे समय सीमित करना पड़ता है, और मैं सदन की मन्शा जानना चाहता हूं कि आया यह बिल तुरन्त ही वोटिंग के लिए रख दिया जाय अथवा नहीं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, मैं यह जानना चाहूंगा कि चेयर की तरफ से यह फर्माया गया कि इस बिल के पास होने में गतिरोध उत्पन्न करने की माननीय सदस्यों की इच्छा है तो यह चेयर का कहना किस आधार पर है और किन मेम्बर्स के प्रति इस प्रकार का अविश्वास प्रकट किया गया है कि यह मेम्बर्स इस बिल की गति के अन्दर अवरोध पैदा करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह गत्यावरोध का प्रश्न नहीं है। प्रोट्रेक्टेड डिस्कशन के बारे में जो कदम उठाये जाते हैं उसी विषय में है। ठीक है इसको सीमित कर दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम सुबह बैठे हैं और ३ बजे से निरन्तर बैठे हैं और एक क्लॉज़ के बाद दूसरी क्लॉज़ बराबर पास होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ५-५ मिनिट यदि माननीय सदस्य बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : २० अमेंडमेंट्स माननीय मन्त्रीजी ने पेश किये हैं और उनको सक्यूंलेट करना चाहिए था वह नहीं किया उसके बावजूद हम सब पास कर रहे हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : श्री उपाध्यक्ष....

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आज हम पास करने जा रहे हैं। इस बिल में बहुत सी बातें हमने स्वीकार की हैं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने इस बिल में जो भी अमेंडमेंट्स आये हैं उनके सम्बन्ध में यह कहा है कि यदि कोई प्रमुख बनेगा तो लाखों रुपया खर्च करने वाला ही बनेगा। उन्होंने यह कहा कि शहर के लोग प्रमुख बन जायेंगे। उस समय वे इस बात को भूल जाते हैं कि जो प्रमुख बनने वाला है या जिसको प्रमुख बनाना हम चाहते हैं वही प्रमुख बनेगा। यदि एक योग्य व्यक्ति है तो अवश्य ही प्रमुख बनेगा। उन्होंने शहर के लोगों के प्रति नाराजगी जाहिर की है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय यह बिल सिलेक्ट कमेटी में गया उस समय गांवों में यह हवा फैलाई कि शहर वाले लोग प्रमुख नहीं बन सकते हैं तो शहरों से गांवों में जाकर लोगों ने अपना नाम लिखाना शुरू कर दिया। हमारे यहां २५-३० के करीब नाम थे जो कि शहर में रहते हैं उन्होंने गांवों में जाकर अपने नाम लिखा लिये हैं। यह इस प्रकार से हो गया कि जिस प्रकार हम पहले बहस कर रहे थे कि एनी वोटर और उसके अन्दर क्या अन्तर है ! यह एक दिक्कत है और इस दिक्कत को सही और साफ ढंग से रख दिया है कि कोई भी व्यक्ति जिनको लोग चुन कर प्रमुख बनाना चाहते हैं उस पर किसी प्रकार का कोई बन्धन न हो। इस बिल की यह साफ मंशा है और साफ मन्शा होने पर एक स्वस्थ परम्परा प्रजातन्त्र की पड़ रही है।

दूसरी बात आप कहते हैं कि पहले छोटा इलेक्टोरल कॉलेज था इसलिए सरपंचों को ले जाते थे उसको बड़ा बनाया है प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए। अगर आप देश में प्रजातन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं, यदि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण को फलीभूत देखना चाहते हैं तो निश्चित् रूप से इलेक्टोरल कॉलेज को बढाना चाहिए। आपने पंचायत समितियों को बढ़ाया है। वह बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें उस तरह का पक्षपात, जातिवाद, उस तरह की बहुत सी बातें नहीं हटेंगी तो यह जो प्रजातन्त्र है जिसकी शुरुआत राजस्थान के अन्दर जोरों से की गई है, जिस प्रजातन्त्र को राजस्थान में सबसे पहले लाये हैं वह फलीभूत नहीं हो सकता है। उस प्रजातन्त्र को आप फलीभूत देखना चाहते हैं, यदि उसके विकास के कार्य को आप सही रूप में देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके अन्दर जो अमेन्डमेन्ट लाये गये हैं वे इस बात के प्रतीक हैं, वे इस बात को साबित करेंगे, और

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इस तरह से आप उनको देखेंगे कि लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण आपके राजस्थान के अन्दर फलीभूत होता चला जाय। कुछ दिक्कतें, कुछ बातें आती हैं, आज इसके लिए आपने देखा है कि बहुत सी छोटी छोटी गलतियां इस बिल के अन्दर रही हैं उन गलतियों के बारे में अमेन्डमेन्ट हमारे सामने हैं। इनके लिए देखने का हमको और आपको समय नहीं मिला। हमें समय नहीं मिला कुछ विचार-विमर्श रह गया है। यह दिक्कत हमने अपने आप पैदा की है। उस रोज जो इसको नहीं रखा, नहीं तो आज शायद यह सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता। यह हमारे सरकारी अधिकारियों की इनएफिशियेन्सी का नमूना है।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

आज एम० एल० ए० के लिए एक क्लॉज़ आया है और इस बात का एमेंडमेंट आया है और मैं एक बात अब भी कहता हूं और मुझे इस बात का शक है कि बजट सेशन आयेगा तो इस बिल के ऊपर, इसी कानून में शायद इस असेम्बली में इधर से बैठने वाले लोग या उधर से बैठने वाले लोग फिर सरकार को दिक करेंगे इस बात को लेकर। अब भी मैं इस बात को लेकर कहता हूं कि लॉ डिपार्टमेंट से एग्ज़ामिन करा लें और राजस्थान के लॉ डिपार्टमेंट से नहीं इसको सेन्टर में बाकर लॉ डिपार्टमेंट से कन्सल्ट करें नहीं तो इसका भी वही हाल होगा कि जिस तरह से आज मोटर मालिकों में बकाया पड़ा है एक स्टे ऑर्डर आने की वजह से और बहुत से कानूनों का पालन पड़ा हुआ है जिसकी वजह से राजस्थान की रेवेन्यू के अन्दर, राजस्थान की इन्कम के अन्दर आज बहुत बड़ी रकम उलझी पड़ी हुई है और हमारे डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं। अतः अपने लॉ डिपार्टमेंट के लोगों से जिनकी वजह से लाखों रुपये रुके पड़े हैं सलाह लेंगे तो यह पंचायत चुनाव मेरी समझ में ऐसा हो सकता है कि इसके अन्दर सैकड़ों ऐसे लेकुनाज़ हैं जैसे कि म्युनिसिपल बोर्ड एक्ट में है जिसके कारण बीकानेर में स्टे आ चुका है और दूसरी जगह स्टे आ चुका है, उस तरह से इसमें आयेगा। एनी वोटर को आप देते हैं उसमें मैं अब भी शक करता हूं और आगे भी शक रहेगा कि इस कानून के अन्दर यह दिक्कत नहीं पैदा हो जाय। तो मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि प्रमुख कौन बनता है उन सब दिक्कतों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि पहले ५ एम० एल० ए० और ५ प्रधान मिल गये और प्रमुख बना देते थे और २५-२६ सरपंच मिल कर प्रधान बना देते थे तो छोटी जगहों में जैसे कि आपको बूंदी का छोटा जिला है वहां पर ८ प्रधान और ५ एम० एल० ए० मिल कर बना देते हैं और छोटा जिला सिरोही है वहां पर ३ एम० एल० ए० और ५ प्रधान हो गये तो ८-६ आदमियों में से प्रमुख कोई बन जाता था। अब यह बात बनती है कि अच्छे आदमी काम करने वाले आदमी को प्रमुख और प्रधान के लिए मौका मिलेगा। और बातों की चर्चा नहीं करके इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से आज इस बिल

Page No. 201

(श्री अब्बदुलजब्बार)

को पास कराने के लिए प्रेश किया गया है यानी प्रेशर डाला गया है तो मुझे एक शेर याद आ जाता है—

"बेड़ियां आज भी पहने हैं असीराने वतन,
फर्क इतना है कि जंजीर में झन्कार नहीं।"

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : वाह-वाह !

एक माननीय सदस्य : जनसंघ के नेता होकर आप कम्युनिस्टों के शेर कह रहे हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, आज वह गुलामी की दास्तान याद आती है जब हम उम्मीद करते थे कि इस देश में निरंकुश शासन नहीं चल सकता है; इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। उस अंकुश को लगाने के लिए इस देश के नौजवानों ने कुर्बानियां की हैं, नौजवान परेशान हुए हैं, कई माताओं की गोद सूनी हुई है, कई बच्चे यतीम हुए हैं, कई बहिनें विधवाएं हुई हैं, कितने ही नौजवान फांसी पर चढ़े हैं। स्कूल के विद्यार्थी मारे गये, गरीब मजदूर और गरीब किसान मारे गये निरंकुशता को खत्म करने के लिये, एक-तंत्रवाद पर अंकुश लगाने के लिये, जनतंत्र को कायम करने के लिये। जनता का राज्य कायम करने के लिये लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। गुलामी को खत्म करने के लिये जो कुर्बानियां दी गई, उनके कारण हम सोचते थे कि हमारे गांवों में गरीबी नहीं रहेगी, लोगों को आजादी महसूस होगी। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि हमारे दिल और दिमाग पर ताले लगे हुए हैं। आज इस कानून पर डिबेट हुई, जिस ढंग से अमेन्डमेन्ट्स आये उनको देखकर पंचायत मंत्रीजी के बारे में मुझे इतना ही कहने की आवश्यकता होती है:

बाकी है दिल में शेख के हसरत गुनाह की,
अरे काला करेगा मुंह भी जो डाढ़ी सियाह की।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : "काले हजारों हंस पड़े....मानो लगा है गरदभ रेंकने।"

श्री अब्बदुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, कानून में छोटे छोटे अमेन्डमेन्ट्स लाकर माननीय सदस्यों को वितरित किये गये और माननीय सदस्यों से कह दिया कि तुम पेश नहीं कर सकते। अर्ज करता हूं कि पंचायत राज्य जनता को सस्ता न्याय, जनता को सहूलियत और आराम पहुंचाने के लिये, विकेन्द्रीकरण किया जायेगा, लेकिन विकेन्द्रीकरण के आधार पर चलने वाली संस्थाओं के लिये जो कानून है उसमें इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट करके उसके महत्व को खत्म करते जा रहे हैं। आपको हाउस को कन्विन्स करना चाहिये कि यदि सरपंच या प्रधान के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा तो इस प्रकार से उसको हटाया जा सकेगा।

सेकन्डली बार बार निवेदन किया था कि आप कोऑपरेटिव के बजाय एक सब इन्सपेक्टर को कोओप्टेड या एसोसियेट मेम्बर लीजिये, उसको लेने से बड़ा फायदा होगा लेकिन उस पर प्रकाश डालना आपने उचित नहीं समझा। क्यों नहीं ? क्योंकि विकेन्द्रीकरण में सारे लोग

(श्री अब्दुलजब्बार)

इस काबिल नहीं हैं कि वे अपना दिल और दिमाग लगाकर भी समझ सकते हों। सत्ताधारी पार्टी....

एक माननीय सदस्य : सत्ताधारी पार्टी हैं ही।

श्री अब्दुलजब्बार : कहा है-

"गर आज ओज पे है तालाए रकीब तो क्या?

यह चार दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं।

पैदा हुए गुलाब के सरताज ने कहा।'

श्री निरंजननाथ आचार्य : "बैठे हैं हर शाख पर उल्लू,

लबे गुल बुल-बुल के पर बांधने"

श्री अब्दुलजब्बार : जिस ढंग से इस चीज को लाया गया, जनता को धोखे में डालने वाली बातें हुई, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिसको समझने के लिए, उसको इम्प्लीमेन्ट करने के लिए चाहे कुछ भी किया जायेगा लेकिन मैं कांग्रेसवालों से निवेदन करना चाहता हूं....

(शोरगुल)

वास्तविकता क्या थी, इसको समझने की आपने कोशिश की या आंख का इशारा देखकर भी नहीं समझे तो रूलिंग पार्टी के मेम्बर्स से भी सरकार नाराज हो गई तो हो सकता है आपके खिलाफ भी डिसिप्लिन की कार्यवाही करें या कांग्रेस से निकाल दें....

(शोरगुल-'No reflection' की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री अब्दुलजब्बार : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको घबराना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो सच्ची बात कहना आपका कर्त्तव्य होता है। इन्सान सहारा लेकर जिन्दा रहता है तो वह धरती पर बोझ है:

"न पकड़े दामने इलियास गर्दाब बला में हम, कि बदतर डूब के मरने से है जीना सहारे का।"

श्री निरंजननाथ आचार्य : "मसखरे लग रहे हैं, हंस रहे हैं परिन्दे आसमान पर।"

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! शायरी के अन्दर बहे जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपको नींद आ रही है, उस वक्त शायरी सुनाई जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे तो नींद नहीं आ रही है। आप आधी रात बैठ सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आनन्द आ रहा है!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जोधपुर के शायर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। "उधर से कुछ तसल्ली आती है। आपका दर्द दूर नहीं कर सकता।"

एक शेर अर्ज कर रहा हूं:

"गुलाबी आखों की लाली देखकर साकी ने शक किया।

हम कहते २ रह गये हम पिये हुए नहीं हैं।"

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): "मुझ से ला हासिल है मेरी हसरतों का पूछना।

तुम वही आखिर करोगे जो तुम्हारे दिल में है।"

(शोरगुल, वाह-वाह !)

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : "गुनहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ।

बता दे तू ही ए जालिम, हमारी खता क्या है ?"

श्री निरंजननाथ आचार्य : "आसमान में चार तारे,

दो तुम्हारे, दो हमारे।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "यह देखले हमारी शोहरत को।

अब तो पेट भर के शोहरत हो गई।"

श्री अब्दुलजब्बार खां : कहना यह है कि यह पंचायती राज्य गरीब इन्सान की जिन्दगी को रिऑर्गेनाइज़ करने के लिये, उनको सहायता पहुंचने के लिये बन रहा है: "खून से मजदूर के नीवें महल की सिंच रही हैं।

नतवानों की रोटी पर नजर गिद्दी लगी है।
बिक रहा इन्सान देख लो बाजार में।
जुल्मियों का जुल्म है'

और मासूम कलियां पिस रही हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : "हर शाख पर उल्लू बैठे हैं"

अंजामे गुलिश्तां क्या होगा ?"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "अरे रश्क होता है अपने बच्चों से।

मोहब्बत में चिपट जाते हैं अपनी अम्मा से।"

श्री अब्दुलजब्बार खां : एक बात और है

(शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : यह असेम्बली का हाल हो रहा है और यहां जो तकरीर हुई उनको भी सुना तो मुझे एक शेर याद आ गया :

"पिट गये शागिर्द भी और उस्ताद भी।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां भी देखा, वहां भी देखा।

हमें क्या पता था, गधे यहां बैठे हैं।"

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up.

श्री अब्दुलजब्बार खां : Just a minute, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक आपकी तरफ से हो जाये, फिर वाइन्ड-अप हो जाये।

श्री अब्दुलजब्बार खां : एक मिनट लूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : एक आपकी तरफ से हो जाये।

श्री अब्दुलजब्बार खां : आज यह कानून मेजोरिटी के बल पर पास हो रहा है, और मानने लायक बात को भी रूलिंग पार्टी नहीं मानती है। तो मुझे एक शेर याद आ गया :

"बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुन्सिफ भी।
अरे किसे वकील कहें, किसे मुन्सिफ कहें।"

श्री बरकतुल्ला खां : "मोहब्बत में तेरी ऐसी हालत पाई जाती है,

जुबां बन्द रहती है लेकिन नजर शरमाई जाती है।"

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "बढ़ बढ़ कर बोलते हैं, जालिम हैं वे।

लेकिन घर में तो गोबर के चौथ हैं।"

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं समझता हूं.... Order please! अब मैं समझता हूं कि इस शायरी के बाद शायद अब कोई वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज करूं, एक आपकी तरफ से और एक भीखाभाई की तरफ से शेर हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री भैरोंसिंह : इन्हें अगर याद नहीं है तो हनुमान चालीसा पढ़ कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह स्वीकार करता हूं, यदि भीखाभाई शेर कहना चाहें तो कुछ कह सकते हैं।

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) मैं तो भाषण दे सकता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मुरलीधर व्यास : सवेरे से अभी तक शायरी करते रहे हैं और क्या किया है, शायरी की है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर वादविवाद के समय, मैं समझता हूं, इस सदन के अन्दर जो नजारा था, वह अपने दिमागों को जरा ताजा करने के लिये था। इसलिये वह एन्टर-टेनमेंट सबने किया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर कौल साहब सुन लेते तो टैक्स लगा देते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उसके लिये शुक्र गुजार हूं। मैं यह कह सकता हूं कि सब लिहाज से इधर की जीत हुई।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

और इसके बाद मैं सदन से कहूंगा कि यह बड़ा इम्पोर्टेंट बिल है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Very good.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस इम्पोर्टेन्ट बिल के ऊपर बहस हो रही है, वह इस लिये नहीं कि कोई वक्त लेना चाहते हैं। लेकिन बहस का मतलब यह है कि कोई गलत फहमी नहीं रहे, और इस सदन के जरिये जो कानून पास हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्या हुआ, कितना बदलाव हुआ हम अपनी अपनी कॉन्स्टीटयूएन्सी में जायें तो बता सकें कि क्या रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ, क्या पास हुआ और उसके बाद क्या हुआ। आज लोग इन्तजार कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन का पहला कर्तव्य होगा कि हम तीसरे वाचन के समय सही तौर से सब बातों को रख दें ताकि जो चुनाव लड़ने वाले हैं, कानून को कार्यान्वित करने वाले हैं उनकी समझ में, जो इसके प्रोवीज़न्स हैं, सही तौर से आ जायं। इस सिलसिले में ज्यादा जोर दिया जाय कि तीसरे वाचन में, जो सदन कानून पास करता है, उसके बारे में पूरी तरह से मालूम हो जाय। इस नुक्ते निगाह से मैं तीसरे वाचन के समय अपनी बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। हम वक्त ले रहे हैं, वह इसलिये नहीं ले रहे हैं कि वक्त लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून का एक इतिहास है, और इस कानून का इतिहास यह है, यह मैं अजमेर की तरफ से कहना चाहता हूं कि पहला कानून उस समय पास हुआ था जिस वक्त अजमेर में सम्माननीय मन्त्री जो आज कल शिक्षा मन्त्री हैं, वे पन्चायत मन्त्री थे। उस वक्त यह कानून पास हुआ और ८६ पन्चायतें जो उस समय बनी थीं, वे आज छः-आठ साल से हैं क्योंकि राजस्थान में आने के बाद वहां कोई चुनाव नहीं हुआ है। अब यह पहला मौका होगा कि चुनाव होंगे। हम शुक्र-गुजार हैं कि ८६ पन्चायतों के लोगों को, जो आठ साल से चली आ रही हैं, अब तसल्ली मिलेगी। मैं सरकार को इसके लिये मुबारकबाद देता हूँ और समझता हूं कि इसे आज ही पास करना है और आज ही पास करने के लिये मैं अजमेर वालों की तरफ से, ८६ पन्चायतों की तरफ से, जिनके अधिकारों का हनन, छोटे-मोटे कानून लगा कर, कर दिया गया है, इन पंचायतों के चुनाव आठ साल से नहीं हुए हैं, उन लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि सरकार अब जल्दी से जल्दी चुनाव कराने के लिए जा रही है।

इसके साथ ही मैं अपने साथियों की बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि छोटी-मोटी गल्तियां हर बिल में रह जाती है। इसमें भी रह जायं तो क्या है? हम रोज कानून पास करते हैं, अगर गलती रह जाती है तो कल उसे ठीक कर देंगे। इसमें गड़बड़ी क्या है? आप चाहें जब तक यहां बैठें, ठीक है औरों से कम्पेरिज़न करके, मिला कर कानून पास करते हैं। लेकिन जिस तरह का भी पास करते हैं वह सदन का पास किया हुआ कानून होता है। उसमें कोई कमी रह

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गई तो इतनी बड़ी बात क्या है, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं-यह मेरी समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं और दिक्कत पैदा करते हैं और उधर भी नही समझ पाते कि क्या हो रहा है और इधर भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ बाद में संशोधन आयेंगे तो आयेंगे। हमें इलेक्शन कराने हैं। मैं निवेदन करू कि हमने म्युनिसिपैलटी का कानून पास किया, हम उसके लिए बहुत शुक्र गुजार हैं। लेकिन उस कानून में क्या हुआ? भीलवाड़ा की कमेटी सुपरसीड हो गई, ठीक है, फिर चुनाव हो जायगा। कुछ की रिट पिटीशन चल रही हैं, और बातें हो रही हैं, नोटिफिकेशन गवर्नर ने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। सब मामले ठीक हो जायेंगे ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही जोधपुर हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स में किये गये संशोधन को रद्द कर दिया और जो पैसा आना था वह चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्म प्रेस्काइब नहीं कर पाई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह उनका काम है, हम जो कानून पास करें उस पर वह फैसला दें। और जो चीज आयेगी उसकी रोशनी में, जो कानून में कमी है उसको राज्य सरकार, सरकारी मशीनरी और आपके सहयोग से भगवान चाहेगा तो ठीक कर देगी ...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : फैसलों पर कानून बना सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कोई नई बात नहीं है। मैं वकील नहीं हूँ, ठीक है उसका इलाज करेंगे लेकिन मेरा मतलब है कि हम और आप यह रोज करते चले आ रहे हैं। इसमें परेशानी की बात क्या है। मैं कहूँगा कि जो बिल पेश हुआ है...

श्री मुरलीधर व्यास ; बीमारी की जड़ निकाल दें तो इलाज की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जड़ में से तो नहीं निकलेगी। जड़ में तो आप बैठे हुए हैं। जड़ में जब तक आप जैसे बैठे हुए हैं तब तक जड़ से बीमारी नहीं निकलने वाली है। असली टी.बी. तो आप जैसे लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कह रहा था कि इस सिलसिले में एक बात है, एम. पी. और ऐम. एल. ए. जितने भी हैं, वे लोग इस सिलसिले में नहीं चुने जा सकते। वह नहीं चुने जा सकते हैं, यह पास किया है। यह खुशी की बात है कि हमने यह अपनी तरफ से पास किया है, हमने इस अधिकार को लिया नहीं। अगर हम चाहते तो कर सकते थे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमने जान बूझ कर, समझदारी के साथ फैसला लिया है कि हमें नहीं चुना जायगा........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समझदारी कूए में पड़ गई।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा - समझदारी का जो कोई तरीका है वह जनतन्त्र में इस तरह का है। अब आप आगे की सुध लें। यह मैदान है और यह काम है, सब पार्टियां हैं, वे मैदान के अन्दर आयें और

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पंचायत राज को सफल करने के लिए जो चुनाव करेंगे उसमें लड़ने के लिए तैयार हों।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं काफी बहस हो चुकी है। अब अगर, माननीय मंत्री....

श्री मानसिंह महार : थोड़ा समय इनको दें।

श्री नाथूराम मिर्धा करोल साहब को कुछ मिनिट दे दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तो बहुत संक्षेप में बोलूंगा

श्री रामकिशन (वैर) : यह बारह बजे तक पास हो जावेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान पंचायत लॉज़ (अमेन्डमेंट) बिल, १६६४ पास होने जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा था और वहां पर जो प्रतिवेदन तैयार किया गया उसको आपने खड्डे में डाल दिया और नये अमेन्डमेंट पेश किये हैं। आज इस बिल पर जितने अमेन्डमेन्ट्स प्रस्तुत किये गये हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक मुझे ८ साल के विधान सभा के सदस्य के अनुभव में कभी भी इतने अमेन्डमेंट्स सिलेक्ट कमेटी से जो प्रतिवेदन आया उसमें होते नहीं देखे हैं। अब तक किसी भी मंत्री ने किसी भी प्रवर समिति के प्रतिवेदन में इतने अमेन्डमेंट्स प्रस्तुत नहीं किये। इसलिये मैं राज्य सरकार ने निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अमेन्डमेंट्स प्रस्तुत करके आपने एक नया खतरा पैदा कर दिया है और यह अच्छा नहीं किया है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये अमेन्डमेंट्स बहुमत से पास तो कर दिये हैं लेकिन जल्दी ही आपको फिर बहुत से अमेन्डमेंट लाने पड़ेंगे। प्रधान व उप-प्रधान के नो कॉन्फीडेन्स के लिये और कई दूसरी बातों के लिये आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी में बिल पास कर रहे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

समय नहीं है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में अब कोई अमेन्डमेन्ट न लावें। माननीय मंत्री अगर विश्वास दिलादें कि वे अब इसमें कतई संशोधन नहीं करेंगे तो भी ठीक रहेगा।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य घंटी का ध्यान रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जरा इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं कि श्री ज्वालाप्रसादजी ने कहा उसके लिये क्या

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हो रहा है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कोई इस बिल को पास करने के विरोधी नहीं हैं। हम तो यह चाहते हैं कि पंचायतों में जो संशोधन इस बिल के द्वारा लाये गये हैं, और भी लाये जावें। इलेक्टोरल कॉलेज को और भी वाइड किया जावे। इस चीज को हम मानते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज वाइड हो इसलिये इसको हम स्पष्ट कराना चाहते हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस बिल के द्वारा और बहुत सारे संशोधनों के द्वारा बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हमारे प्रभारी मंत्री उठा सकते थे शिड्यूल्ड कास्ट के संबन्ध में, मगर उन्होंने इस कदम को नहीं उठाया जो उनको शिड्यूल्ड कास्ट के होने के नाते उठाना चाहिये था। हम चाहते हैं कि हरिजन नहीं आवेंगे तो हरिजन और आदि-वासियों को कोऑप्शन के जरिये लिया जावे। मैं यह चाहता हूँ कि यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हरिजन और आदिवासी भाई स्वार्थी रहें। अगर १० हरिजन पंच चुने जावेंगे तो निश्चय रूप से वे सवर्णों के पिछलग्गू रहेंगे। जहां पर वार्ड में और कॉन्सटीट्यून्सी में चुनाव होते हैं वहां पर हरिजनों और आदिवासियों के लिये दो सीटें रख दी जावें जहां से चुनावों से आवें। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इसको सरकार इस समय नहीं रखती है तो वह समय बहुत जल्दी आ रहा है कि जब यह सरकार नहीं होगी और दूसरी भी कोई सरकार होगी तो उसे भी इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वे लोग भी चुनाव लड़ कर आवेंगे तो हमारी प्रगति की रफ्तार और तेज होगी। इसलिये मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होता अगर माननीय मंत्री इसको उठाते और मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में किसी जगह भी ऐसा अभी नहीं हुआ है, आप यहां पर एक मिसाल कायम कर सकते थे। खैर, हमारे प्रभारी मंत्रीजी ने नहीं किया उसका हमें अफसोस है।

अब मैं एम. एल. ए. को अधिकार दिया जाना चाहिये या नहीं, इसके विषय में नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि इसको मैं अपनी डिग्निटी के खिलाफ समझता हूँ। क्योंकि विधान सभा के सदस्य को जनता ने अधिकार दिया है उसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसके आगे यह कहना चाहता हूँ कि गवर्निंग डेमोक्रेसी आ रही है उसमें भी वे परिवर्तन जल्दी ला सकते हैं जिसमें तहसीलदारों और पटवारियों आदि को प्रधान के अन्डर में ला सकते हैं। तहसीलदार आदि के होने से प्रधान की सत्ता कमजोर हो जाती है और तहसीलदार की सत्ता रहती है। हम इसको समाप्त कर सकते थे लेकिन मैं यह कहूँगा कि अभी हम इससे बहुत दूर हैं। अगर यह आइडिया होता तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम हो सकता था। लेकिन अभी तक सरकार तहसीलदारों का अधिकार रखना चाहती है और कुछ सीमित अधिकार ही प्रमुख और प्रधानों को देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि इन १० सालों में हिन्दुस्तान में ऐसे परिवर्तन आने चाहिये। आप खुद देखते हैं कि आपके नीचे चीफ सक्रेट्री है। इसी तरह से जिला परिषद और जिला प्रमुख के नीचे होने चाहिए और आपको इस तरह से राजनैतिक परिवर्तन लाने के लिये तैयार होना चाहिये। इस तरह का हमारा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आइडिया तो इस बिल में अचीव नहीं हो पाया है। अगर आप इसके लिये कुछ करते तो हम इसका स्वागत करते। हमने नोट ऑफ डीसेन्ट भी दिया। अगर आप इस पर ध्यान दें तो इस बिल का विरोध करने का प्रश्न ही नहीं होता।

श्री चौसरसिंह चावेल (बैगूं) : जो कानून हमारे सामने आ रहा है बहुत अच्छा है, मगर चुनावों के बारे में कोई कानून नहीं लाये हैं। टाइम कम रहता है, तीन घन्टे का समय रहने से बहुत से लोग महरूम रह जाते हैं। इसलिये आपको चाहिये कि ज्यादा बूथ रखें और ज्यादा पेटियां रखें ताकि लोग वोट देने से महरूम न रह सकें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : काफी बहस हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

एक माननीय सदस्य : रात भर चलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यह संशोधन विधेयक राजस्थान की विधान सभा में अपना एक इतिहास का निर्माण करता है। जिस समय विधान सभा का अधिवेशन शुरु हुआ उस दिन से लेकर विधान सभा की अंतिम कार्यवाही तक जिस अदा से संशोधन निकले वह अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर सरकारी पक्ष की ओर से हर क्लॉज में संशोधन करने में भी एक प्रकार से इतिहास का निर्माण किया है। प्रभारी मंत्री ने जिस अयोग्यता से इस बिल को पाइलोट किया उस अयोग्यता का भी इतिहास उन्होंने अपने आप में प्रस्तुत किया।

(११. म. प.)

और इस विधेयक के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, चेअर की तरफ से जितनी व्यवस्थायें हुई हैं वे भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास हैं....

श्री भीखाभाई (पंचायत मंत्री) : Is it not challenging the rulings.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : Good rulings; मोटिव इम्प्यूट क्यों करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : इतिहास के नीचे सब बातें छिपी हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक संशोधन विधेयक लाकर यह बता रही है कि वह ग्रामीण इतिहास बनाने का प्रयास कर रही है। मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि संशोधन विधेयक के द्वारा हमने कुछ उचित बातें भी स्वीकार की हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की खामियां रही हैं, जिन खामियों को दूर करने के लिये हमें फिर कई संशोधन लाने पड़ेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के साथ साथ जिस चुनाव पद्धति का जिक्र किया गया, अभी बैगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आस्पेक्ट रखा, मैं ऐसा समझता हूं कि वह इस प्रकार का आस्पेक्ट इस सारी बहस से

(श्री भैरोंसिंह)

रह गया है, जिस पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धाराओं को चुनाव के लिए स्वीकार किया है, तो हमने इस बात की सावधानी नहीं बरती कि पंचायतों के चुनावों में और विधान सभा व लोक सभा के चुनावों में कितना अन्तर रहता है। हम पंचायतों का नोमिनेशन एक दिन पहले भरेंगे, दूसरे दिन चुनाव होंगे। यह बात सही है, पिछली बार भी इसी प्रकार से चुनाव हुए। रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के माफिक चुनाव की पद्धति अपनाते हैं तो चौबीस घंटे पहले सभा नहीं कर सकते, कन्वेसिंग नहीं कर सकते, सब प्रकार के प्रचार चौबीस घंटे पहले बन्द करने होंगे। मान लीजिये कल पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, उस वक्त मैंने चुनाव लड़ना निश्चित किया, दूसरे दिन चुनाव होने वाला है, वह चुनाव मुझे लड़ना है। शाम को ६ बजे चुनाव चिन्ह बताया जायगा। उसके बाद पंचायती के क्षेत्रों मे, पैम्फलेट छपा कर किसी प्रकार की जानकारी में अपने वोटर्स को नहीं दे सकता। किसी ग्राम पंचायत के केन्डीडेट से आशा नहीं की जा सकती कि वह अपना प्रेस रखे, उसमें अपने प्रचार के पर्चे निकाले, लोगों मे उन पर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करे कि मेरा अमुक प्रकार का सिम्बल है, कल आपको मेरे इस सिम्बल के आगे निशान लगाना है। पंचायत राज के चुनावों के लिये पीपुल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट की धाराओं को स्वीकार करके राजस्थान का जनता के साथ अन्याय किया गया है। हमने किसी प्रकार की कन्वेसिंग की व्यवस्था नहीं की है वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की। हमने पंचायत कानून, पंचायत समिति कानून बनाया, आज तक कितने ही संशोधन किये, हमने इस अधिकार को खत्म नहीं किया पर आज हम इस बात का इतिहास निर्मित करते हैं कि ग्राम पंचायत के सरपंच को जो उसका मामूली अधिकार वोटर्स को अपना प्रोग्राम बताने का, चुनाव प्रचार सभा करने का, वोटर्स को हर प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करने का है, उस लेजिटिमेट अधिकार को भी समाप्त कर दें; इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून के द्वारा बन जायगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी कि किसको वोट दें। इस बारे में मैं सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि एक दिन पहले नोमिनेशन फॉर्म भरवाया तो किस प्रकार चुनाव की व्यवस्था होगी, कैसे सिम्बल अलॉट होगा, सभाओं के ऊपर पाबन्दी रहेगी या नहीं ? पीपुल्स रिप्रेज़ेन्टेशन एक्ट की धाराएं इनके चुनावों पर लागू हो गई तो ये सारी चीजें अपने आपमें करप्ट प्रेक्टिस होंगी ही और इस तरह से पुलिस को दखल देने के लिये पर्याप्त कारण बन जायगा। किसी भी सरपंच को चुनाव से हटाने की, चुनाव में हराने की पर्याप्त गुंजायश इससे हो जायगी। किसी सरपंच का वोटर्स के ऊपर पूरा अधिकार है और यह देखा जायगा कि इसे चुनाव में नहीं हराया जा सकता तो उसका विरोधी एक तरीका अपनायेगा कि पुलिस के अधिकारियों से मिल कर एस. पी. व एस. डी. ओ. से मिल कर और अगर इन तक पहुंच नहीं है तो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो कि क्लर्क या टीचर्स होंगे, उनको यह कह कर कि अमुक ने मीटिंग की, अमुक ने कन्वेसिंग किया, तो कोई वेल ट्रेन्ड अधिकारी तो चुनाव ऑफिसर बन कर नहीं जा रहे हैं उनसे मिल कर उसको भी किसी समय चुनाव

(श्री भैरोंसिंह)

से हटा सकते हैं, उसके फॉर्म को रिजेक्ट करा सकते हैं। जैसा कि पिछली बार देखा गया कि दबाव के कारण कइयों के फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया था। एक मामूली अधिकारी पर दबाव डालना बहुत आसान बात है। इस डिपार्टमेंट से अमुक अमुक कर्मचारी को चुनाव अधिकारी फलां फलां जगह बनाया गया है इसकी लिस्टें १५ दिन पहले बनती हैं, हमारे यहां फलां व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर बन कर जायगा, यह लोग आसानी से पता लगा लेंगे और इस प्रकार का दबाव डालना शुरू कर देंगे कि कैसे इस आदमी को परनेज़ किया जा सकता है, अपने पक्ष में किया जा सकता है। इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो मतलब यह हुआ कि जिन आदमियों का प्रभाव नहीं है जो उचित रूप से यदि चुनाव लड़ा जाय तो जीत सकते हैं, उनके फॉर्म को कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति रिजेक्ट करा सकता है, किसी भी केन्डीडेट को गिरफ्तार करा सकता है। उस चुनाव के अन्दर ऐसे रिटर्निंग अफसर पुलिस अधिकारियों से मिल कर ऐसी खामियां रख सकते है कि चुनाव की सारी की सारी कार्यवाही रद्द हो जाय। कुछ आपने किया है बहुमत के आधार पर स्वीकार करते हैं, पर आगे जाकर चुनाव की तो ठीक तरह से व्यवस्था राजस्थान सरकार करेगी, यह व्यवस्था नहीं करना चाहते तो इसका मतलब यह है कि जो खामियां रही हैं उनके पीछे आपका पोलिटिकल एंगल था, उसको पूरा करने के लिये आपने ये खामियां रखी हैं।

ईमानदारी से आप इस बात को तो स्वीकार करें कि सरकारी पक्ष का दुरुपयोग नहीं हो सकेगा, यह केवल कहने से काम नहीं चलेगा। कानून की खामियां हैं कमजोरियां हैं उनका लाभ निश्चित रूप से उठाया जा सकता है, उस अनुचित लाभ को रोकने के लिये आपको कुछ न कुछ व्यवस्था इस कानून के अन्दर निश्चित रूप से करनी चाहिये। मन्त्री महोदय जिनके जुम्मे चुनाव का काम है, उनसे निवेदन करूंगा कि यह भीखाभाई के बस की बात नहीं है, उनको तो कभी भी एक्स्प्लोइट किया जा सकता है—यह आप सबने इस अवसर पर देखा है।

एक ने कहा कि एम. एल. ए. प्रधान होना चाहिये तो चट वैसा ही अमेंडमेंट ले आये, फिर किसी कांग्रेसी ने दबाव डाला कि एम. एल.ए. प्रधान नहीं होना चाहिये तो चटपट उस आशय का दूसरा अमेंडमेंट ले आये। कांग्रेस के लोगों को खुश करने के लिये बार बार अमेंडमेंट लाने में और बदलने में उन्होंने किसी प्रकार की कसर नहीं रखी, फिर भी इसके बावजूद इनको अयोग्य बताया, ऐसा स्वभाव राजस्थान कांग्रेस के किसी अन्य व्यक्ति में नहीं मिल सकता कि अपनी अयोग्यता के कोस्ट पर भी कांग्रेस के लोगों की सेवा की है। इनकी सेवा का आप प्रत्युत्तर इस प्रकार नहीं दें कि चुनाव भी उसी तरह करा दें जिस तरह कि यह बिल पास करा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपकी बुराई कर रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं। आप इतनी सी बात भी समझ नहीं सकते, भीखाभाई !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपकी बुराई हमारी भलाई है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं, इनकी बढ़ाई की बात है।

आज इस प्रकार का बिल नाथूरामजी या मथुरादासजी पायलेट करते तो अपनी बुद्धि लगाते........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका मतलब यह है कि इनमें बुद्धि नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : बुद्धि है पर उसका उपयोग नहीं कर पाये। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून की खामियों और चुनाव की जटिल पद्धति, ये दोनों चीजें पंचायतों के चुनावों को ऐड्वर्सली इफेक्ट करने वाली हैं इन चीजों को रोकने के लिये इस कानून में कोई व्यवस्था नहीं है। आप कानून पास कर देंगे और उसका अर्थ यह निकलेगा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव जिस प्रकार होने चाहिये उस प्रकार से नहीं हो पायेंगे, इन्डिपेन्डेंटली नहीं हो पायेंगे। सरकारी अधिकारियों के प्रभाव का उपयोग किया जायेगा और लोगों के दबाव में जो जीतने वाले लोग नहीं हैं वह जीतने वालों को परास्त करने के लिये उनको मैदान में परास्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में संशोधन किये तो किये, लेकिन इनका इम्प्लीमेन्टेशन ठीक तरह से हो जाये और वह ठीक तरह से नहीं हो सकता जब तक कि आप अमेन्डमेन्ट को स्वीकार नहीं करते। आपने अमेन्डमेन्ट इस बात का स्वीकार कर लिया कि २४ घन्टे पहले नोमीशन नहीं हो सकता, कन्वेंसिंग नहीं हो सकती और यदि मीटिंग हुई और कन्वेसिंग हुआ तो वह कॉग्नीज़ेबल ऑफेंस होगा और पुलिस वाले इस ऑफेन्स में गिरफ्तार कर सकेंगे और तब सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसको जब आपने स्वीकार कर लिया तो उसका अर्थ यह होगा कि पंचायतों के चुनावों में जहां बाकी सहूलियतें, जो कि नगरपालिकाओं में हैं, असेम्बली और पार्लियामेन्ट के इलेक्शन में हैं वे भी आप उनको नहीं देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सारे अधिकार ले लें लेकिन कम से कम यह अधिकार तो दे दें कि ७-८ दिन पहले नोमीनेशन हो जाये, कन्-वेसिंग का मौका हो जाये फिर २४ घन्टे पहले आप प्रतिबन्ध लगाना चाहें तो लगा दें लेकिन नोमीनेशन एक दिन पहले भरकर २४ घन्टे का प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, यह न्यायसंगत नहीं है। इसका विरोध करते हुए यह कानून पारित किया जाये इस प्रकार की बात सदन में अर्ज करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों का राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत समय लगाकर भी अपने सुझाव रखे और सब दलों के दृष्टिकोण इस पंचायत राज्य के कानून के सिलसिले में इस सदन के सामने आये। मैं इस बात का भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो सुझाव रखे हैं उन सुझावों को रखने की वजह से हमको कुछ तरमीमें करनी पड़ीं और उसकी वजह से जो कुछ परम्परायें और कन्वेन्शन्स हमारे यहां पर हैं उनको भी हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने रिलेक्स करके, जब इस तरह के समाज को बदलने के कानून

(श्री मथुरादास माथुर)

बनते है और मैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कि १२॥ साल से सदस्य हैं इस विधान सभा के, जब हम टीनेन्सी एक्ट बनाया था उस समय भी उनका ध्यान आकर्षित किया था कि लास्ट अवर में यहां पर तरमीमें आती थीं दोनों पक्षों की ओर से क्योंकि उस जमाने में और इस जमाने में बहुत फर्क है। उस वक्त भी इस तरह की चीजें हुई थीं क्योंकि कोई भी ऐसा कानून बने जो कि आम जनता से सम्बन्धित है उसमें कई तरह के दृष्टिकोण सामने आते हैं और सब दृष्टिकोणों पर अमल करके एक सिन्थेसिस निकाल करके कानून का प्रोजेक्ट निकालते हैं। इसलिये जो कुछ कानून बना है हम यह नहीं कहते कि यह कानून परफेक्ट कानून है। जैसा किसी ने कहा कि टीनेन्सी एक्ट में कई लीरियां लगी हुई हैं, यह इस बात का द्योतक है कि ज्यों ज्यों समाज प्रगति करता रहता है त्यों त्यों पुरानी परम्परायें बन्द होती जाती हैं। जब हमने कानून बनाया था तो हमने कहा था कि खुदकाश्त की परिभाषा जो शुरू में थी वह बाद में भी नहीं रही, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में वही परिभाषा बदल गई। इसलिये ये तरमीमें आती हैं और तरमीमें आना प्रगति का एक दृष्टिकोण है। यह कोई कमजोरी नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो भी तरमीमें आई, आपने देखा होगा कि इनको इन-टाइम पर लाने का दृष्टिकोण यही था कि प्रगतिशील कानून बन सके, जिससे पंचायती राज्य की संस्था आगे बढ़ सके। आज के हालात में जो हम अमल में ला सकते हैं, सब लोगों को साथ में लेकर चल सकते हैं इसी दृष्टिकोण से ये कदम उठाये हैं। मुझे खुशी है कि जो माननीय सदस्य प्रवर समिति में भी बैठे थे, जो सादिकअली कमेटी के मेम्बर भी थे उन्होंने सुझाव दिये, वे ही बातें मन्जूर हुईं और बहुत सी रह गईं और वे इसलिये रह गईं कि जल्दी से जल्दी उसके लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये किसी के दिमाग में भ्रम हो कि राजनैतिक कारणों से कोई भी चीज करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी गलतफहमी निकाल दें। जहां तक इलेक्शन डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध है जो कानून आपने पास किया है वह पूरी तरह अमल में लाया जायेगा।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पंचायती राज्य के अन्दर जितने चुनाव करायेंगे उसमें शिकायत सरकारी अफसरों की तरफ से या हमारी तरफ से नहीं होगी और न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा और न किसी का दबाव होगा और बिल्कुल अच्छी तरह से कानून से जो चुनाव करवाने चाहिये वे करवाये जायेंगे। यह भी सुझाव रखा गया और मैं भी अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं कि जो लोक सभा और धारा सभा के चुनाव हैं और पंचायती राज्य के चुनाव हैं इनमें बहुत अन्तर है। बल्कि आजकल यह दृष्टिकोण चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अन्दर कि डेट ऑफ इलेक्शन को नोमीनेशन से जितना कम किया जायेगा उतना ही खर्च बढ़ता है। यह विचारधारा इलेक्शन कमीशन में चल रही है और उसके ऊपर चर्चा लोक सभा में भी हुई थी। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि लोक सभा और राज्य सभा के चुनावों से पंचायती राज्य के चुनावों को जोड़ा जाये तो पंचायती राज्य का मतलब है वह रिफ्यूट

(श्री मथुरादास माथुर)

हो जायेगा। यदि १५ दिन पहले नोमीनेशन का प्रावधान रख दें तो आपको अनुभव होगा कि पंचायतों के चुनाव तो गावों में ही होते हैं और गांवों में सब एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं और फिर वहां की इतनी आबादी तो होती नहीं, इस नाते सब जानते हैं कि कौन खड़ा हुआ है ? २।। हजार की आबादी में इन वार्डों को बांट देते हैं और इस आबादी के लोगों के अन्दर जो बालिग होते हैं वही वोट दे पाते हैं तो ७००-८०० आदमियों के ही वोट पड़ते हैं। अब रात-दिन सब लोग वहीं रहते हैं, गांव वाले जानते हैं इसलिये पंचायती राज्य दूसरी चीज है........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जैसलमेर जैसे डिस्ट्रिक्ट में कैसे करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये सबसे पहला दृष्टिकोण हमारे सोचने का यह है कि धारा सभा और लोक सभा के चुनाव होते हैं वे पंचायती राज्य चुनावों से बिल्कुल भिन्न हैं। इसलिये हमने रखा है कि नोमीनेशन एक दिन पहले होगा। तो लोग रात-दिन गांवों में रहते हैं मंदिरों में मिलते हैं, चौपाल में मिलते हैं, मस्जिद में मिलते हैं, कुए और तालाबों पर मिलते हैं तो उसके लिये ज्यादा समय देकर खामख्वाह खर्चा बढ़ाना होगा।

गांव की एकता बिगाड़ने से पंचायती राज्य की बुनियाद गिर जायेगी।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिये हमने खास तौर से इस पर सोचकर और समझकर इसको रखा है। गांव वालों को पता होता है, क्योंकि गांव का रकबा छोटा होता है और उनको इत्तिला मिलती रहती है कि फलां खड़ा हो रहा है। गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो सही तरीके से जो पुरानी पंचायतें थीं वापिस उसी ढंग से लाना चाहते है ताकि फण्डामेंटली जो गांव की इकोनोमिक युनिट है, जो सोशियल फेक्टर हैं उनमें कोई डिस्टर्बेन्स नहीं हो, वह कायम रहें। जो सोशियल युनिट है डेवलपमेंट का, विकास का वह इस बात से डिस्टर्ब्ड न हो जाय। कई दफा हमने अपील की है कि पोलिटिकल पार्टीज़ को उसमें डाइरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। राजनैतिक ज्ञान दे दें राजनैतिक जागृति पैदा कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टियों से दूर रहकर मैं अपील करता हूँ कि वे पंचायती राज्य के चुनाव के अन्दर उस गांव के अन्दर जिस तरह का तरीका होता है उसी तरीके से होने दें। लेकिन राज्य-सभा या लोक सभा के चुनावों को लेकर उसकी तरह से कनवेसिंग के लिए लाउड स्पीकर पर बोला करें और मीटिंगें हों तो फिर उस गांव के इकोनोमिक डेवलपमेंट के कार्य, विकास के कार्य खत्म हो जायेंगे। इसलिए सोच-समझ कर ऐसी बात रखी गई है। इसलिए गांवों में लाउड स्पीकर नहीं आना चाहिए। कन्वेसिंग करने की इजाजत है। एक दिन पहले कर सकते है। मीटिंग करके कन्वेसिंग थोड़े ही हो सकता है। गांवों में ५०० कुनबे रहते हैं और ५०० या ६०० वोटर्स होते हैं उन लोगों को इत्तला करने में....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : चार-चार हजार वोटर्स भी होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : एवरेज राजस्थान के अन्दर यही आता है। तो ऐसी सूरत के अन्दर खतरे की कोई बात नहीं है। दूसरा उससे पैसा बचेगा और लोग बिना बात ही लाखों रुपया खर्च करें इसलिए सोच-समझ कर माना है वह इस चीज को माना है कि पंचायत एक अलग चीज है। उसका राज्य-सभा और लोक-सभा के चुनावों से मुकाबिला नहीं करना चाहिए। पंचायतों के चुनाव पंचायती तरीके से होने चाहिए। वहां पर जो खड़ा होता है वह अपने तरीके से खड़ा होता है और उसको उसी तरह से खड़ा होने देना चाहिए। इससे देश का कल्याण होगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, चूंकि ज्यादा समय नहीं रहा है और समय पहले ही काफी बढ़ चुका है इसलिये प्रभारी मंत्री की तरफ से भी....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वे तो बोलेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : वे नहीं बोलेंगे, मैंने इजाजत ले ली है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें जो क्लॉज़ रखा है एम० एल० एज़० के बारे में कि उनको अधिकार मिले और वे इधर-उधर से रहें। मगर कानून बनाने वाले हम है। हम ऊपर की कौडी हैं और जितना ही हम लोग उनमें कम जायेंगे उतना जनता का धारा सभा के प्रति और धारा सभा के सदस्यों के जरिये पंचायतों के प्रति ज्यादा विश्वास पैदा होगा, उनकी ज्यादा इज्जत बढ़ेगी; वे पंचायती राज्य को ठीक तरह से सुपरवाइज़ कर सकेंगे। हम उस कीचड़ में फंस गये तो संचालन नहीं कर सकेंगे। और धारा सभा के अन्दर भी जो न्याय करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह बुनियादी चीज है। किसी के एकोमेंडेशन का सवाल नहीं है, किसी आदमी का सवाल नहीं है, किसी इस या उस पार्टी का सवाल नहीं है, सभी पार्टियां कहती हैं कि प्रधान बन जायं और अपनी गलतियों का बंगलिंग करें तो यह इक्विलीब्रियम बिगड़ जायगा तो नतीजा यह होगा कि सही मायने में पंचायती राज्य न रह कर एक गड़बड़ हो जायगी। पहले भी अच्छी तरह से इस बात को रखा था और आप लोगों की समझ में आ गई थी तो, माननीय उपाध्यक्ष, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी पेचीदगी नहीं थी। कम योग्यता होते हुए भी आदमी प्रगतिशील हो सकता है और आदमी बहुत योग्य हो फिर भी प्रतिक्रियावादी हो सकता है, अयोग्य आदमी भी प्रगतिशील बन सकता है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हम लोग अयोग्य होते हुए भी अपनी विचारधारा रखते हैं। हम लोगों को कुछ भी कहें, यह तो आप लोगों को कहने का अधिकार है और मित्रों की बातें सुनने में हमें बड़ी खुशी होती है। वह बात भी जो बात उनको नहीं कहनी चाहिये कभी कह देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : (श्री भीखाभाई की ओर संकेत करते हुए) ये प्रगतिशील हैं कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह धारा सभा प्रगतिशील है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये प्रगतिशील हैं कि नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अयोग्य हैं आपके हिसाब से ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दूसरा कदम उठाया गया है वह पंचायती राज्य के अन्दर, प्रजातन्त्र के विकेन्द्रीकरण करने का यह राजस्थान ने पहला कदम उठाया था । आज फिर हम बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो इसका श्रेय धारा सभा को है । इस कानून के जरिये जो इन्किलाब हुआ है वह बड़ी इन्किलाबी मिसाल है । एक दो बातें और अच्छी हो गई थीं । इसलिए हमने जो कदम उठाया है वह प्रगतिशील कदम उठाया है । उस धारा सभा के जरिये से जो हमने कानून और बिल पास किये हैं तो राजस्थान के इतिहास में और देश के इतिहास में आपका और हमारा नाम आयेगा कि प्रजातन्त्र को हमने समाज की जमीन तक ले जाने की कोशिश की है । इससे इन्क्लाब होगा और एक इन्क्लाब के जरिये नये समाज का निर्माण किया जायगा ।

आपने कहा कि ऐतिहासिक कदम उठाया गया है तो उसकी मैं ताईद करता हूं कि वास्तव में यह एतिहासिक कदम उठाया गया है । इन लफ्जों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी राजस्थान पंचायत लॉज़ (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

दी राजस्थान पंचायत लाज़ (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ पारित किया गया ।

(११.२७ म. प.)

राजस्थान सहकारी संस्था विधेयक, १९६४
(प्रवर समिति को)

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, सहकारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी । प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैः—

१. श्री मथुरादास माथुर, सभापति ।
२. श्री भीमसेन
३. श्री कुम्भाराम आर्य
४. श्री मोतीलाल चौधरी
५. श्री जयकृष्ण शर्मा
६. श्री फूलचन्द जैन
७. श्री जुझारसिंह
८. श्री रामदेवसिंह
९. श्री केसरीसिंह (खारची)

(श्री भीमसिंह)

१०. श्री भरतलाल

११. सुश्री उमा माथुर

१२. श्री नाथूराम (१२७)

१३. श्री गणपतिलाल वर्मा

१४. श्री मानसिंह महार (१०६)

१५. श्री राधाकृष्ण गोयल

१६. श्री उदयलाल बर्दिया

१७. श्री रामकिशन

१८. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

१६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (६३)

२०. श्रीमती सुमित्रा

२१. श्री रामानन्द अग्रवाल

२२. श्री शंकरलाल

२३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

२४. श्री मोहरसिंह

२५. श्री चन्द्रसिंह बर्फा

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें मथुरादासजी माथुर को सभापति कैसे किया है ? इसमें आप नहीं लिख सकते हैं कि चैयरमैन कौन होगा; You cannot propose it. The Speaker can propose it.

श्री मथुरादास माथुर : काट दे भाई, हम लोग भूल गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल, १६६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल, १६६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

प्रवर समिति की जो लिस्ट अभी पढ़ी गई है उसमें श्री मथुरादास माथुर उसके चैयरमैन होंगे।

(विराम)

Presentation of petition Kunwar Shri Mahendra Singh.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Speaker can propose it. It is only the Speaker who can do it, Sir.

श्री मथुरादास माथुर : He can do it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The man sitting in the Chair cannot do. If I sit on the Chair, I cannot nominate a Chairman. It is only the Speaker who can nominate.

Let there be no wrong traditions.

श्री मथुरादास माथुर : I absolutely agree.

एक माननीय सदस्य : The Speaker is on leave.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) Is it to be presumed then that he is an acting Speaker.

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : With all due respects, I am submitting these things.

श्री उपाध्यक्ष : कुं० श्री महेन्द्रसिंह ।

(११.३३ म. प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री महेन्द्रसिंह गावड़ी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं, याचिका देने वालों के हस्ताक्षरों सहित, उपस्थित करता हूँ

(१) कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में आलनियां बांध की डूब में आई हुई भूमि संबंधी ।

(२) तहसील दीगोद के रेबारियों को लाडपुरा रेन्ज में ऊंट चराने से रोके जाने सम्बन्धी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं, याचिका देने वालों के हस्ताक्षरों सहित, उपस्थित करता हूँ :

(१) पंचायत समिति सोजत में ज्वार के बीज के वितरण में गड़बड़ी सम्बन्धी ।

(२) पाली जिले की कृषि सहकारी समितियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को विभाग द्वारा न रोके जाने सम्बन्धी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिका, याचिका देने वालों के हस्ताक्षरों सहित, उपस्थित करता हूं :

रामपुरा रूपा व हीरापुरा पंचायतों के सरपंचों द्वारा अनधिकृत रूप से पंचायत क्षेत्र की जमीन बेचे जाने सम्बन्धी ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्डौन में गढ़ के पास न्यू जनरल मार्केट बनाये जाने सम्बन्धी याचिका, याचिका देने वालों के हस्ताक्षरों सहित, उपस्थित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाएं, याचिकाएं देने वालों के हस्ताक्षरों सहित, उपस्थित करता हूं :

(१) टोंक में बिजली की व्यवस्था की जाने सम्बन्धी याचिका ।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

(२) टोंक के जनाना अस्पताल में अव्यवस्था तथा लेडी डाक्टरों के अभाव सम्बन्धी याचिका।

श्री नाथूराम (बागीडेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील जैतारण में भूमिहीन किसानों से सम्बन्धित-याचिका, याचिका देने वालों के हस्ताक्षरों सहित, उपस्थित करता हूँ।

(११. ३६ म. प.)

मेजा बांध से सिंचाई न होने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : एक स्थगन-प्रस्ताव श्री उमरावसिंह ढाबरिया ने प्रस्तुत किया है जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। उस विषय में, मेजा बांध सिंचाई के लिये बनाया गया था लेकिन उससे सिंचाई नहीं हो रही है इस विषय में संबंधित मंत्रीजी कुछ कहें।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव रखा था, खास तौर से मेजा बांध से सिंचाई के विषय में; इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेजा बांध से सिंचाई करने के लिये इन एरियाज़ में दो नहरें हैं और उनमें से एक नहर में पानी चालू हो चुका है और दूसरे के बारे में इस याचिका में लिखा है कि यह नहर १ साल पहले बनी थी, लेकिन अब तक पानी नहीं दिया गया। इसी तरह से तीन-चार पोइन्ट्स इसमें और लिखे हैं जिनमें से दो गांवों को मुआवजा नहीं दिया गया, बेटरमेन्ट लेवी वसूल की जा रही है आदि; इस तरह के कई मुद्दे उठाये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मेजा बांध में जितना पानी का भराव है दुर्भाग्य से उसमें हमेशा पानी की कमी रहती है, एक साल को छोड़ कर, जब कि काफी पानी दिया गया था। इसके साथ साथ भीलवाड़ा एक बड़ा इन्डस्ट्रियल टाउन है, वहां के लोगों को पीने का पानी देने का संबंध भी इससे है, इसलिये जितना पानी आता है उससे सिंचाई की व्यवस्था और भीलवाड़ा को पीने के लिये पानी देने की व्यवस्था करना चाहते हैं और जितना पानी उस एरिया को देने की आशा रखते हैं उतना नहीं दे पा रहे हैं पानी की कमी के कारण। फिर भी माननीय सदस्य ने कहा कि लिफ्ट केनाल से पानी दिया जाना चाहिये, खास तौर से उन्होने अपने इलाके का जिक्र किया। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को सिर्फ यह जानकारी देकर निवेदन करना चाहता हूँ कि मामला सरकार के विचाराधीन है। इसमें जितने पानी की केपेसिटी है उसका ७० परसेन्ट भराव हुआ है, उसको किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाय, यह सरकार के विचाराधीन है और तुरन्त दीपावली के बाद इस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : ७२ लाख रुपये लगाकर इसका निर्माण किया गया है। आपने कहा कि मेजा बांध भरा हुआ नहीं हैं; मैं बताना चाहता हूं कि इस साल सिर्फ ३ फुट खाली है, बाकी पूरा भरा है और मांडल का तालाब जिसमें नहर निकलती है उसमें २॥ फीट पानी बाकी है। यही हालत सन् ६१ में थी। अब भी पानी नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : डिस्कशन अलाउड नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसी आसन से आदेश दिया गया था कि मुआवजा चुकाया जायगा। लेकिन ६ साल से नहीं चुकाया है। बेटरमेन्ट लेवी, पानी नहीं देते हैं तीन साल से तो नहीं लेनी चाहिये लेकिन पानी नहीं देते हुए भी किसानों पर जुर्माना करना चाहते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन पानी नहीं देते तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा ? यह एक-दो नहीं १७ गांवों का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा स्थगन-प्रस्ताव कुशलगढ़ में पुलिस द्वारा जो कुछ हुआ उसके बारे में है। उसे अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन इस पर उत्तर उपलब्ध हो गया हो तो मन्त्रीजी इस पर प्रकाश डालें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं उपलब्ध हो सका है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं मुख्य मन्त्रीजी से मिला हूं, मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने खुद ने कहा है; जैसा पता लगा उसके अनुसार बात भी बताई है। क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, इसका थोड़ा और स्पष्टीकरण कर दें। इस सदन के अन्दर माननीय उप गृह मंत्री कहें कि उनको पता नहीं है, जब कि आपने सवेरे यह व्यवस्था दी थी और कहा था कि दिन भर में मालूम कर लें और दो बजे, तीन बजे स्पष्टीकरण करें। आपने खुद ने व्यवस्था दी थी। मुझे खेद है, भील एरिया के अन्दर पुलिस के जरिये लोग मर जायं, गिरफ्तार कर लिये जायं, बाजार बन्द रहें, लोगों के सिर फोड़ दें और इस सबको जानकारी मुख्य मंत्री को हो और उप गृह मंत्री उस सबको छिपाने की बात करें, मैं समझता हूं यह एक बुरी परम्परा है ...

(शेम-शेम)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : व्यर्थ का क्या "शेम-शेम" करते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : व्यर्थ में नहीं है। मैंने कल एडजोर्न....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने कल एडजोर्नमेंट मोशन दिया। हमने टेलीफोन से जानने का प्रयत्न किया। हमें आशा थी कि कुछ सामग्री मिल जायगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कॉन्टेक्ट किया गया। अब मैं क्या कहूँ ? यह आप मुझे बतलायें। कोई सामग्री नहीं मिल पाई है। अगर आप कहें तो मैं खड़ा रहूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि को ११ बज कर ४१ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई)

*शुद्धि-पत्र

[शनिवार, दिनांक ३१ अक्टूबर, १६६४ (सायंकालीन)]

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	७	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
३	७-६	(अग्रत्तर खण्डश: विचार-विमर्श) एवं पा रत)	(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)
७	अन्तिम पंक्ति	Honble memberi	Hon'ble member.
८	शीर्षक	(संशोध)	(संशोधन)
१०	४	कान्सीक्वे ल	कॉन्सीक्वेंशियल
१२	१	श्री मानिकचन्द सराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
,,	१७	श्री मानसिह	श्री मानसिंह
१४	अन्तिम पंक्ति	श्री गिरधारीलाल आसिन्द :	श्री गिरधारीलाल (आसीन्द) :
२२	१६	श्री गिरधारीलाल	श्री गिरधारीलाल
२४	शीर्षक	संशोधन	(संशोधन)
२८	अन्तिम से २	श्री मानसिह	श्री मानसिंह
३३	७	श्री राधाकृष्ण	श्री राधाकृष्ण
३६	२८	श्री गंगासिह (राठौड़)	श्री गंगासिंह राठौड़ :
४१	अन्तिम से ४	श्री विजयसिह	श्री विजयसिंह
४२	५	(डीडवाना)	(डीडवाना) :
५०	१६	जिला पनिरिषद	जिला परिषद्
५४	शीर्षक	संशोधन	(संशोधन)
६१	१३	श्री गोविन्दसिह	श्री गोविन्दसिंह
६१	११	श्री मासिह महार	श्री मानसिंह महार
६३	शीर्ष	(श्री मानिकचन्द	(श्री मानिकचन्द
१०२	अन्तिम से ४	अप्रिय भाषी	अप्रिय भाषा
१०५	शीर्ष	(श्री मेवरलाल	(श्री भैरवलाल
१०६	१६	जनता भमभीत	जनता भयभीत
१०७-१०८	शीर्षक	३१ अक बर,	३१ अक्टूबर
१०८	१४	श्री दिनेशराय डांगी :	श्री दिनेशराय डांगी :

स्कम्भ संख्यां	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
११०	९	श्री मार्नसिह	श्री मानसिंह
१२१	अन्तिम से ६	श्री मैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
१३३	१	श्री चन्द्रसिह	श्री चन्द्रसिंह
१३४	४	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
१३७	६	Punchayat	Panchayat
१३७–१३८	२२ व २६	श्री जुझारसिह	श्री जुझारसिंह
१४१	शीर्ष	विधि	विधि
१४७	अन्तिम से ५	(श्री गंगासिंह राठौड़) (जायल)	श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :
१४९	१४	रखा जाय । या	रखा जाय या
१५१	अन्तिम से २	नहीं चुन।सकती	नहीं चुन सकती ।
१५५	१३	श्री मार्नसिह	श्री मानसिंह
१५७	शीर्षक	त्रिधि	विधि
१५९	अन्तिम से ७	want continue	want to continue
१६५	शीर्षक	पचायत	पंचायत
१८४व१८८	१४ व १	श्री मार्नसिह	श्री मानसिंह
१९५	२१	कहते	कह दें
२०३-२०४ व २५५–२५६	शीर्षक	-३१-दक्टूबर, ६४	–३१ अक्टूबर, ६४–
२०८	१२	sub-sectton (1)	sub-section (1)
,,	१६	In sub-slause (a)	In sub-clause (a)
२०९	५	election.	election.]
,,	१७	assusenc	assurance
२१०	२४	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह
२१३	शीर्षक	(श्री मुकुटबिहारीलाल	(श्री मुकुटबिहारीलाल
२१७	१३	श्री उमरावसिह ढाबरिया	श्री उमरावसिंह ढाबरिया
२१९	१०	श्री मुरलीघर व्यास	श्री मुरलीधर व्यास
,,	अन्तिम से ४	श्री भोखाभाई	श्री भीखाभाई
२२०	९	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२२३	१८	श्री गंगासिंह (राठौड़) जायल):	श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल):
२४६	अन्तिम से ६	तो शब्द	जो शब्द
,,	,, ,, ४	expungd	expunged
२४७	६	कहते हैं एक्सपन्ज	कहते हैं कि एक्सपन्ज
,,	,,	दिये कि जायें	दिये जायें
२५०	१	श्री सताशाचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	१७	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
२५६	११	श्री अब्दुल जब्बार	श्री अब्दुलजब्बार
२५८	अन्तिम से ५	आवी रात	आधी रात
२६५	२२	श्री ज्बालाप्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद
२६६	१२	ple se!	please !
,,	अन्तिम से ५	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा –	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :
२८७	१५	२४ श्री मोहरसिह	२८. श्री मोहरसिंह
२८६	१२	गावड़ी	गांवड़ी
२६३	३	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह
२६४	शीर्षक	स्थगन -प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव

* विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।